खण्ड-323, अंक-2
मंगलवार, 11 कार्तिक, शक संवत् 1898
(2 नवम्बर, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 323 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 2 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--318

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रत प सिंह, श्री
अजीत सिंह से ठ , श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद ,श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल ब की, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर' श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
अ गा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आश राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी ,श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए सी ग्राइ , श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
का मु मुहीउद्दीन श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृप शंकर आर्य, श्री
कृष्ण द त, श्री ((उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति ,श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह गोहरिया, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा , श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर ,श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड

चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह ,डाक्टर
चितरंजन स्वरूप ,श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी,
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा श्री
जगदीश अवस्थी श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झमलल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन, त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण पान्डेय, श्री
दीप नारायण बन महन्थ, श्री
दुय धन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह ,श्री
ध्रुव नारायण सिंह ,श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी ,श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण ,श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बैचन राम, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री

भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद,श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नालाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूलाल द्विवेद , श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान बहादु सिं , श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मूलचन्द्र राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद मसद खां, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर,श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, गी (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदव", श्री

रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रम कान्त त्रिवेदी श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
र म औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
र मचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
र म देव य दव, श्री
र म न र यण प ठक श्री
राम निहोर, श्री
र म पति, श्री
र मपा त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
र म प ल सिंह या व, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बाब श्री, श्री
राम रत सिंह, श्री
राम ति [illegible] एडवोकट,
रामरती देवी, श्रीम ती [illegible]
राम रखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री [illegible]
राम सम्झावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री

राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायन पांडे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजय पाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, वौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी शर्मा, श्रीमती
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द ब जपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यु पुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश चन्द्र खण्डेलवाल, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री

नोट : ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 2 नवम्बर, 1976

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वाराणसी रीजन में मिनी बसों को दिये गये परमिट

*1. श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंग कि मई, 1975 के पहले वाराणसी रीजन में कितनी मिनी बसों को अस्थाई परमिट दिया गया था उसमें से कितन मिनी बसें

अब भी परमिट प्राप्त कर के चल रही हैं और कितने मिनी बस मालिकों को परमिट नहीं दिया गया है उन्हें परमिट न देने का कारण क्या है ? तथा वाराणसी रीजन के मिनी बस मालिकों को जिन्हें अस्थाई परमिट अप्रैल, 1974 से 4 माह के लिये दिया गया था और अब उनकी गाड़ियां परमिट न होने के कारण खड़ी है तो क्या सरकार ने उन्हें पुनः परमिट देने का फैसला किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री शिव प्रसाद) . .

मई, 1975 के पूर्व वाराणसी रीजन में समय-समय पर कुल 8 मिनी बसों को कान्ट्रेट कैरेज के अस्थायी परमिट दिये गये थे। इस समय इनमें से कोई मिनी बस नहीं चल रही है। शासन की वर्तमान नीति के अनुसार मिनी बसों को कान्ट्रेट कैरेज परमिट देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अनुसार केवल उन्हीं मिनी बसों को, जिनके पास इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक 5 जुलाई, 1976 को कान्ट्रेक्ट कैरेज के वैध परमिट थे, अधिसूचित विनिर्दिष्ट मार्गों मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 68 सी के अन्तर्गत प्रकाशित मार्गों तथा नवनिर्मित मार्गों पर स्टेज कैरेज के रूप में चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। अप्रैल, 1974 से 4 माह के लिये किसी मिनी बस मालिक को अस्थायी परमिट नहीं दिया गया था।

क्षेत्र विकास अधिकारी, सौरिख, फर्रुखाबाद, के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

*2. डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित) . .

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्र विकास अधिकारी, सौरिख, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध अनेक अनियमितताओं तथा रिश्वत आदि मांगने सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र राज्य ग्राम्य विकास मन्त्री को दिनांक 23 मार्च, 1976 को मिला ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक) . .

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा की गई।

जांच के फलस्वरूप जिला फर्रुखाबाद के विकास खण्ड, सौरिख के क्षेत्र विकास अधिकारी कुछ अनियमितता के दोषी पाये गये।

फतेहपुर सेन्ट्रल उपभोक्ता भण्डार को आवंटित सीमेंट

*3. श्री जय नारायण सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---

नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 37, दिनांक 23 मार्च, 1976 के सदर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर सेन्ट्रल उपभोक्ता भन्डार को 1973–74 तथा 1974-75 में कितनी बोरी सीमेन्ट परमिट पर बेचने को दी गई और उनमें से कितनी परमिट द्वारा बेची गई ? क्या यह सही है कि 1973–74 में किसी नन्द किशोर नाम के व्यक्ति को उधार (क्रेडिट) पर एक ठेला सीमेन्ट दी गई थी ? यदि हां, तो किसके आदेश से बिना जमानत सीमेन्ट उधार दी गई ? क्या उक्त उधार की रकम वसूल हो गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में क्रमशः 1,914 व 5,188 बोरी सीमेन्ट, चुर्क फैक्ट्री यूनिट डाला (मिर्जापुर) से प्राप्त हुई जिसमें से वर्ष 1973–74 में 948 तथा 1974-75 में

2,936 बोरी सीमेन्ट परमिट पर विक्रय हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, फतेहपुर द्वारा आवंटित की गई, जिसे परमिट पर बेच दिया गया।

वर्ष 73-74 में किसी नन्द किशोर नाम के व्यक्ति को उधार (क्रेडिट) पर एक ठेला सीमेन्ट नहीं दी गई।

नया बाजार, लखनऊ की स्टाक टेकिंग एवं घड़ियों की अनियमित बिक्री

*4- श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिल देवरिया) (अनुपस्थित) ...

क्या सरकार को जानकारी है कि स्टाक टेकिंग में पाई गई घड़ियों की कमी को पूरा करने हेतु दिनांक 30 जून, 1975 को, जब कि नया बाजार, लखनऊ की क्रय-बिक्री बन्द थी, साढ़े अठठारह हजार रुपये की घड़ियां फर्जी व्यक्तियों के नाम क्रेडिट मेमोज काटकर बेची गई, दिखाई गई? क्या यह भी सही है कि इन घड़ियों को इस प्रकार बेचने की स्वीकृति जनरल मैनेजर, नया बाजार, लखनऊ ने दी थी? यदि हां, तो स्वीकृति किन परिस्थितियों में दी गई? क्या सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के प्रति सरकार कठोर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शक्ति प्रसन्न शर्मा ...

जी हां। यद्यपि दिनांक 30-6-75 को नया बाजार, लखनऊ की स्टाक टेकिंग के लिये बिक्री बन्द थी परन्तु उस दिन स्टाक टेकिंग नहीं हुयी थी। नया बाजार की स्टाक टेकिंग दिनांक 7-7-75 से प्रारम्भ हुयी।

दिनांक 30-6-75 को नया बाजार, लखनऊ से 13,570.70 रु0 के क्रेडिट मेमो काट-कर उधार बिक्री दिखाई गई जिनमें से कुल 11,661.78 रु0 की घड़ियों की बिक्री के क्रेडिट मेमो काटे गये। कुल 31 क्रेडिट मेमोज घड़ियों से संबंधित थे जिनमें से 26 बिलों पर सामान्य प्रबन्धक के आदेश उपलब्ध हैं तथा 5 बिलों पर किसी अधिकारी के आदेश न होते हुये भी स्टोर प्रभारी ने अपनी स्वेच्छा से क्रेडिट मेमो बनाये।

क्रेडिट मेमो पर उधार बिक्री करने का अधिकार जनरल मैनेजर, नया बाजार और स्टोर कीपर को नहीं है। इस अनियमितता के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्य-वाही की जा रही है। स्टोर प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और सामान्य प्रबन्धक की सत्य-निष्ठा प्रमाणित न करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं। अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने पर सभी संबंधित दोषी व्यक्तियों को उचित दंड दिया जायगा।

गोंडा जिले की मनकापुर-उतरौला रोड पर ट्रक दुर्घटना

*5--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) अनुपस्थित तथा श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में मनकापुर उतरौला रोड पर 20 मई, 1975 को ट्रक दुर्घटना में 4 व्यक्ति मरे तथा 14 व्यक्ति घायल हो गये? क्या यह सही है कि ट्रक माल से लदी थी फिर भी उस पर बरातियों को बैठाया गया था, जिससे एक दुलहन भी मर गयी? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की?

श्री शिव प्रसाद--

दुर्घटना 20 मई, 1975 को नहीं वरन् 13 मई, 1975 को हुई जिसमें घटनास्थल पर एक व्यक्ति मरा और 15 व्यक्ति घायल हुए। घायल व्यक्तियों में से 2 की मृत्यु बाद में हुई। यह सही है कि ट्रक माल से लदा था परन्तु उसमें बरातियों को नहीं बिठाया गया था। मृतकों या घायलों में दुलहन नहीं थी। जांच करने से यह पाया गया कि उक्त दुर्घटना के लिये ट्रक का ड्राइवर दोषी था, जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया। मामला जुडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभी तक विचाराधीन है।

विधान सभा के तृतीय सत्र (1974) के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री वीर सिंह सेंगर, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 29 का संशोधित उत्तर।

ग्राम सभा उमरी, जिला जालौन के प्रधान के विरुद्ध गबन का मुकदमा

मूल प्रश्न

*29—श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन) —

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले की तहसील जालौन के विकासखण्ड रामपुरा को किन-किन ग्राम सभाओं के प्रधानों के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध काम करने तथा गांव सभा की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करने तथा पद का दुरुपयोग करने के आरोप में आजकल जांच की जा रही है? जांच कौन-कौन अधिकारी कर रहे हैं? आरोप क्या क्या हैं? गम्भीर आरोप होने के कारण क्या उक्त प्रधानों को निलम्बित भी किया गया है? यदि हां, तो कब तथा किसको, यदि नहीं, तो क्यों ?

मूल उत्तर

ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री हबीबुर्रहमान) —

जालौन जिले की तहसील जालौन की विकास खण्ड रामपुरा को केवल एक ग्राम सभा उमरी के प्रधान के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में जांच हुई है। यह जांच परगनाधिकारी, जालौन द्वारा की गई। उक्त प्रधान के विरुद्ध गांव सभा के धन का गबन, अनियमित व्यय तथा दुरुपयोग, गांव सभा की स्वीकृति के बिना विभिन्न अनियमित कार्य करना, व गांव सभा का लेखा जोखा नियमपूर्वक न रखने के आरोप हैं। उक्त आरोपों पर जांच कराने पर प्रथम दृष्टा दोष पाए जाने पर परगनाधिकारी द्वारा प्रधान को 28 फरवरी, 1973 को निलम्बित किया गया था, लेकिन उच्च न्यायलय की रूलिंग के कारण दिनांक 31 मार्च, 1973 को निलम्बन आदेश वापस ले लिए गए। "प्रधान के विरुद्ध 409 आई० पी० सी० के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा चला दिया गया है।

संशोधित उत्तर

"श्री राम नारायण पचौरी प्रधान, ग्राम सभा उमरी के विरुद्ध न्यायलय में अभी तक बाद नहीं चल रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जानकारी पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त मामला अभी जांच के अन्तर्गत है।

[मंगलवार, 2 नवम्बर, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री आर० बी० एल० श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट इंजीनियर, एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*1—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई) (अनुपस्थित) —

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रोजेक्ट इन्जीनियर (श्री आर० बी० एल० श्रीवास्तव) एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० को मेसर्स सिद्धेश्वर एन्ड कम्पनी के रु० 3,99,908 तथा 95 पैसे तथा मेसर्स अरोरा एन्ड सहगल में 6 लाख 36 हजार 322 रुपये से सम्बन्धित काण्डों में सम्मिलित होने का दोषी एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० जांच समिति द्वारा पाया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा) —

यह सही है कि श्री आर० बी० एल० श्रीवास्तव प्रोजेक्ट इंजीनियर का मेसर्स सिद्धेश्वर एन्ड कम्पनी तथा मेसर्स अरोरा एवं सहगल के मामलों में सम्बन्धित होना एग्रो

इण्डस्ट्रियल जांच समिति द्वारा बतलाया गया है। समिति के सुझाव के अनुसार सम्बन्धित मामलों का जांच कार्य अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

*2 –श्री काजी जलील अब्बासी––

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

यू० पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ के संचालक मंडल द्वारा कर्मचारियों की अनियमित छंटनी एवं नियुक्तियां

*3––श्री श्री नारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)––

क्या सहकारिता मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि यू० पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ के संचालक मन्डल द्वारा बैंक के कार्यों में घोर अनियमितताये बरती जा रही हैं तथा विगत कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को अकारण ही निकाल कर यू० पी० कोआपरेटिव इम्प्लाइज सर्विस रेगुलेशन, 1973 के विरुद्ध नए लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं जिसके कारण वहां के कर्मचारियों में भय तथा घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब जांच कराकर बैंक के संचालक-मन्डल को अवक्रमित कर प्रबन्ध अपने हाथ में लेगी तथा नियम विरुद्ध की गई नियुक्तियों को निरस्त किये जाने एवं निकाले गये कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिए जाने का आदेश देगी जिससे कि कर्मचारियों में व्याप्त भय तथा असन्तोष समाप्त हो जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा

जी हां, बरती जा रही थी। बैंक के तत्कालीन संचालक मन्डल ने 8 कर्मचारियों को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी, जिसके फलस्वरूप दो कर्मचारियों को सेवा युत कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियम के विरुद्ध कुछ अनियमित नियुक्तियां की गयी जिसके कारण कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त हो गया था। नियमानुकूल कार्य न करने के कारण जांच कराई गई तथा दोषी संचालक मण्डल को निलम्बित करके प्रशासक की नियुक्ति कर दी गयी।

नियम विरुद्ध नियुक्तियों में से 7 कर्मचारियों को पृथक कर दिया गया है तथा शेष कर्मचारियों के मामलों पर प्रशासक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। निलम्बित/सेवाच्युत कर्मचारियों में से 7 कर्मचारियों के मामलो की प्रशासक द्वारा आवश्यक छानबीन के उपरान्त संतुष्ट होने पर उन्हें बैंक की सेवा में पुनः वापस ले लिया गया है शेष एक कर्मचारी के विरुद्ध कतिपय आरोप सिद्ध होने के कारण बैंक की चाकरी में वापस नहीं लिया जा सका।

विकास क्षेत्र, जैतीपुर शाहजहांपुर में क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा पद यात्रा में ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतें

*4– श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित) –

क्या सरकार को पता है कि अप्रैल, 1976 में पद यात्रा कार्य-क्रम के अन्तर्गत शाहजहांपुर जिले के विकास क्षेत्र जैतीपुर के बी० डी० ओ० तथा अन्य ने ग्राम सभा बिकरमपु उर्फ मकरन्दपुर तथा गढ़ियारंगी व करकोल ग्राम सभाओं की पद यात्रा की जिससे ग्राम सभा मकरदपुर उर्फ विकरमपुर व करकोल ग्राम सभा में अनेक गम्भीर शिकायतें व हरिजनों के उत्पीड़न करने आदि की समस्यायें गांव वालों ने क्षेत्र विकास अधिकारी जैतीपुर को बतलाई जिस की विस्तृत रिपोर्ट बी० डी० ओ० ने जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को भेजी ? यदि हां, तो दोषी तथा गलत कार्यों के लिये जिम्मदार प्रधान व अन्य कर्मचारियों, के विरुद्ध जनहित में तुरन्त इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक---

विकास क्षेत्र जैतीपुर के ग्रामवासियों ने क्षेत्र विकास अधिकारी के समक्ष पद यात्रा के अवसर पर भूमि आवंटन व पेयजल सुविधा तथा चीनी की दुकान के संबंध में कुछ शिकायतें मौखिक प्रस्तुत की थीं जिसका समाधान उसी स्थान पर क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा कर दिया गया था। पद यात्रा पार्टी ग्राम सभा करकौल तक पहुंची ही नहीं।

क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा उक्त ग्राम सभाओं के निवासियों की शिकायत के संबंध में कोई रिपोर्ट जिलाधिकारी को नहीं भेजी गई। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*5---श्री मुहम्मद असरार अहमद---

[5वें मंगलवार (4-5-76) के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 पर उत्तरित।]

प्रादेशिक विकास दल के सेवा निवृत्त जिला संगठन कर्ताओं की पेंशन व ग्रेच्युटी

*6---श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को जानकारी है कि दिसम्बर, 1973 से अब तक उत्तर प्रदेश के कितने जिला संगठन कर्ता, प्रा० रक्षा दल रिटायर हो गये, उनके नाम क्या हैं और क्या उन्हें उनकी सेवा पेन्शन व ग्रेच्युटी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक---

दिसम्बर, 1973 से अब तक प्रादेशिक विकास दल के 13 जिला संगठन कर्ता सेवा निवृत्त हुये हैं जिनके नाम निम्न हैं :---

सर्वश्री---

1---साधू सरण सिंह
2---राम दास पान्डेय
3---गोरे सिंह
4---शोभा राम वर्मा
5---निर्भय सिंह
6---पुत्तीलाल मिश्र
7---वीरेश्वर सिंह
8---तेज बहादुर सिंह
9---विशम्भर सिंह पंवार
10---जयपाल सिंह
11---लाभ सिंह कहलौन
12---सत्य सिंह नवल
13---नारायण दत्त पाठक।

उक्त 13 जिला संगठन कर्त्ताओं में से केवल 3 जिला संगठन कर्ताओं सर्व श्री साधू शरण सिंह, रामदास पान्डेय एवं शोभा राम वर्मा को पेन्शन एवं ग्रेच्युटी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। क्योंकि इनके पेन्शन एवं ग्रेच्युटी सम्बन्धी अभिलेख प्रयास करने पर भी प्रशासकीय समादेष्टा को प्राप्त नहीं हुये हैं।

गन्ना विकास सहकारी समिति, पडरौना, देवरिया के "ब" श्रेणी के कर्मचारियों की सेवायें

*7---श्री श्रीनारायण (अनुपस्थित)---

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28 दिसम्बर, 1975 को गन्ना विकास सहकारी समिति, पडरौना, जिला देवरिया की प्रबन्ध समिति न एक इस आशय का प्रस्ताव

पारित किया था कि कुछ कर्मचारियों को जो "ब" श्रेणी में रखे गए थे उन्हें "अ" में श्रेणी रख कर कार्य परिवर्तन (टेबुलबेन्ज) किया जायगा? यदि हां, तो उन कर्मचारियों को अब तक कार्य न देने का क्या कारण है? क्या उन कर्मचारियों में श्री ब्रह्म पांडे ने अप्रैल, 1976 के प्रथम सप्ताह में गन्ना सहकारी समिति, पडरौना के सचिव को कोई आवेदन-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां। इस प्रस्ताव द्वारा पूर्व पारित प्रस्ताव दिनांक 3·9·75 का संशोधन किया गया था। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 394 के अनुकूल नहीं था, इसलिये 'ब' श्रेणी में रखे गये कर्मचारियों को काम पर नहीं लिया गया। श्री पांडे ने एक आवेदन-पत्र समिति के सचिव को दिया था परन्तु नियमानुकूल न होने के कारण उस पर भी विचार नहीं किया जा सका।

ग्राम देवरिया मुबारकपुर गोंडा में कूप निर्माण के विरुद्ध हरिजनों का शिकायती पत्र

*8—श्री रामपति (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 19 जनवरी, 1976 को ग्राम देवरिया मुबारकपुर को परगना व तहसील उत्तरौला, जिला गोन्डा के कुछ हरिजनों ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी गोन्डा तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से दिया है कि उक्त ग्राम के प्रधान ने एक नाबालिग हरिजन के घर को खण्डहर करके उसके घर में कुआं बनवा दिया है? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां।

इस मामले की जांच से यह ज्ञात हुआ कि हरिराम का खंडहर बेकार पड़ा था जिस पर विकास खंड के माध्यम से वर्ष 1973 74 में हरिजनों को दी गई पेय-जल सुविधा हेतु हरिजनों की सहमति से कूप निर्माण अनुदान द्वारा कराया गया। इस मामले में ग्राम प्रधान या किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं पाया गया। अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मधुबन बाजार, आजमगढ़ में गांव सभा द्वारा कर की वसूली

*9—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपर बारह गांवा, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की गांव सभा द्वारा मधबन बाजार की कर वसूली दिसम्बर, 1974 से बन्द है? यदि हां, तो क्यों? क्या कर की वसूली बन्द हो जाने के कारण नालियों की सफाई और बिजली की रोशनी बन्द है?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

स्थानीय दलबन्दी तथा तनावपूर्ण स्थिति के कारण दिनांक 29 10-74 से वसूली बन्द हो गई थी। परन्तु 1 मार्च, 76 से वसूली पुनः प्रारम्भ हो गयी है।

कर की वसूली बन्द होने के बीच नालियों की सफाई और बिजली की रोशनी का कार्य बन्द हो गया था।

*10--श्री राम सुन्दर पान्डेय---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त टैक्स वसूल किया जा रहा है उनके विरुद्ध सरकार द्वारा जिला अधिकारियों तथा थाने में अने कानेक रिपोर्टें की गई हैं, पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

थानाध्यक्ष, मधुवन तथा नायब तहसीलदार द्वारा जांच के उपरांत परगनाधिकारी, घोसी के आदेशों द्वारा प्रधान द्वारा नियमानुसार मधुवन बाजार की वसूली की जा रही है।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पान्डेय ---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वसूली बंद हो जाने के कारण ग्राम सभा को इस बीच कितने रुपये का नुकसान हुआ ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी ---

चूंकि जब नीलामी हुयी थी तो बीच में 2-3 महीने बाकी रह गये है। 8 हजार कुछ रुपयों में कुछ नुकसान हुआ। एक साल नीलामी की कार्यवाही नहीं हुयी इसलिये इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नुकसान हुआ है और जिनकी वजह से हुआ हैं उनसे रुपया वसूल करके ग्राम सभा की क्षतिपूर्ति करेंगे ? इसक अलावा जिन लोगों ने गैर कानूनी कार्य किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

श्रीमन्, जैसा कि मैने कहा कि जिस साल यह घटना घटी कुछ रुपया का नुकसान हुआ। इस संबंध में ग्राम प्रधान अगर कोई दख्वास्त देते है तो उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लगभग 1 साल 4 महीने कर की वसूली ग्राम सभा की नहीं हो सकी थी और लोगों ने सरकार से लेकर थानाध्यक्ष तक दरख्वास्त दिया तो इस बीच जिन्होंने गैर कानूनी कार्य किया था, उनके विरुद्ध कायवाही क्यों नह की गयी ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

श्रीमन्, ऐसा है कि इस सिलसिले में थानाध्यक्ष की तरफ से जांच हुयी और नायब तहसीलदार की तरफ से जांच हुयी। उन लोगों ने 16-5-42 का एक नीलामी पट्टा दिखाया जो उस जमाने के गवर्नर ने किया था। उस आधार पर वह कहते थे कि हमको वसूल करने का हक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दख्वास्त दी जाती है, तो हम देखेंगे।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)---

मै माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इतना नुकसान ग्राम सभा का हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और इसकी कोई इक्वायरी क्यों नही हुयी ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

जैसा कि मैंने बताया कि इन्क्वायरी हुयी थी और आदेश भी हो गये है। और वसूली जारी हो गयी है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फिर से ग्राम सभा को वसूली करने का अधिकार दिया गया तो निश्चित है कि जिन लोगों ने जबरदस्ती वसूली की थी वे गलत थी ? तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने और रुपया वसूल करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था, कि प्रधान से दरख्वास्त दिलवा दें या प्रधान दे दें तो इस सिलसिले में मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

राजकीय कृषि बफर गोदाम रायबरेली में गबन

*11 श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली राजकीय कृषि बफर गोदाम के वार्षिक सत्यापन के समय अप्रैल, 1975 में जांच अधिकारी नें अन्य अनियमितताओं के साथ बारह टन चार कुन्टल सत्तानवे किलों यूरिया खाद, जिसकी कीमत लगभग 25 हजार रुपया होती है, की कमी की रिपोर्ट जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली तथा उच्च अधिकारियों को दी तथा कुछ ही दिन पश्चात् अनेक शिकायतों पर माह अक्तूबर, 1975 में पुनः बफर गोदाम, रायबरेली को सील करके स्टाक का सत्यापन कृषि निदेशालय द्वारा कराया गया जिसमें लगभग 26 टन चार कुन्तल स्टाक कम पाया या जिसकी कीमत लगभग 50 हजार रुपया होती है ? यदि हां तो सम्बन्धित मामलों में जिला कृषि अधिकारी, जिला लेखाकार तथा बफर गोदाम इन्चार्ज के खिलाफ कौन सी प्रशासकीय कार्यवाही की गई तथा उक्त गबन में उनका क्या उत्तरादायित्व निर्धारित किया गया ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)--

जी हां, सत्यापन अधिकारी ने बारह टन चार कुंटल सत्तानवे किलो यूरिया खाद, जिसकी कीमत रु0 24, 994.00 होती है, की कमी की रिपोर्ट की ।

तत्पश्चात् माह अक्तूबर, 1975 में गोदाम के स्टाक को सील कर दिया गया तथा तत्कालीन गोदाम प्रभारी से चार्ज लेते समय 26 टन 4 कुन्टल 62 किलो स्टाक कम पाया गया जिसकी कीमत रु0 48,955.44 होती है ।

तत्कालीन परियोजना अधिकारी, जिला कृषि, अधिकारी, एवं बफर गोदाम प्रभारी, रायबरेली के विरुद्ध सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा बफर गोदाम प्रभारी को निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अप्रैल, 1975 में वार्षिक सत्यापन जब हुआ तो 24,904 का गबन का मामला प्रकाश में आया । उसके बाद जिला कृषि अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणाम स्वरूप फिर 48 हजार रु0 के लगभग का मामला प्रकाश में आया । क्या उन्होंने वार्षिक सत्यापन की कोई रिपोर्ट शासन को भेजा था ? यदि नहीं, तो जिला अधिकारी ने क्या कोई कार्यवाही किया है ? और यदि नहीं, तो क्या जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है कि नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, कार्यवाही जांच के पश्चात् अब की जा रही है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

सत्यापन मान्यवर, 1975 में हुआ और सत्यापन अधिकारी ने रिपोर्ट जिला कृषि अधिकारी या शासन को दिया होगा । तो एक मामला उसी समय प्रकाश में आया । दूसरा जब सील

किया गया और स्टाक की चेंकिग हुई तब प्रकाश में आया तो प्रथम 1975 में रिपोर्ट दिया तो उस समय कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? जिला कृषि अधिकारी नें क्या किया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, उसके पहले जिस समय यह खाद प्राप्त किया गया तो यह शिकायत थी कि खाद भीगी थी। रेलवे एथारिटीज को शिकायत की गयी लेकिन उसका उत्तर वहां से कोई प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारे विभाग की तरफ से समय पर समुचित कार्यवाही में ढिलाई हुई है और अब में जल्दी कार्यवाही करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, वह ठीक है लेकिन यह काफी लम्बे अोटाले का मामला है। क्या इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट बफर स्टाक इंचार्ज या कृषि इंचार्ज के खिलाफ की गयी है कि नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, जो जांच रिपोर्ट आयी है, उसके ऊपर जो जिला अभिवक्ता राय बरेली हैं, उन्होंने यह कहा है कि उस समय के प्रभारी के ऊपर सीधे उत्तरदायित्व निर्धारित करना ठीक नहीं है। तब भी मैं पुनः इसको देख रहा हूं और आपको यह विश्वास दिलवा सकता हूं कि जो भी दोषी पाया जायेगा तो वह दोष मुक्त नहीं होगा।

*12--श्री मुहम्मद असरार अहमद --

[2से बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद मण्डल के पी० सी० एफ० के क्षेत्रीय कार्यालय का आडिट

*13--श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० सी० एफ० लखनऊ मण्डल के कार्यालयों का आडिट नहीं कराया जाता है? यदि हां तो क्यों? यदि आडिट कराया जाता है तो फैजाबाद मन्डल के पी० सी० एफ० कार्यालय का आडिट पिछले वर्ष से न होने का क्या करण है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा --

आडिट कराया जाता है। यह सही नहीं है कि फैजाबाद मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय का आडिट पिछले सात वर्षों से नहीं कराया गया। 30-11-72 तक उक्त मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय क हिसाब का लेखा जनपद अधीक्षक द्वारा रखा जाता था और उसका नियमित आडिट होता रहा था। 1-12-72 से फैजाबाद मंडल के पी० सी० एफ० के क्षेत्रीय कार्यालय का पृथक हिसाब रखा गया जिसका 75-76 (30-6-76 तक) का आडिट सम्पन्न हो चुका है।

*14-15 . श्री अब्दुल रऊफ लारी--

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

देवी पाटन मेला गोंडा में बस दुर्घटना

*16--श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार को जानकारी है कि इस मास गोन्डा जनपद में उतरौला पुलिस सर्किल के अन्तर्गत देवी पाटन के मेले के अवसर पर यात्रियों से भरी बस जलकुन्डा में गिरन लगभग एक सौ यात्रियों की मृत्यू हो गई है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में शासन ने अविलम्ब क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)---

जी हां,

परन्तु केवल 43 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 37 व्यक्ति घायल हुए । घटना का विवरण तथा शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 348 पर ।)

श्री गोपी नाथ कामेश्वर पुरी · ·

मान्यवर, जो सूचना संलग्न की गयी है उसमें सरकार की तरफ से लिखा गया है कि कुल 80 सवारियां उस बस में बिठाई गयीं और बस गाइडेड है। जो निर्धारित सवारियों की संख्या होनी चाहिये उससे इतनी अधिक सवारियां बिठाई गयीं और मेले में तथा अक्सर वह ऐसा करते हैं । इसको रोकने के लिये कि अधिक सवारियां न बिठाई जायं जिससे भयंकर दुर्घटनायें न हों, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे कदम उठाये और इधर अनेक बार यह कहा गया है कि किसी किस्म की यातायात में ढिलाई बरदाश्त नहीं की जायगी । इस संबंध में सरकुलर और जी० ओ० भी निकाले गये फिर भी सब व्यवस्था होने के बाद अभी आप देखेंगे इलाहाबाद में एक मामूली दुर्घटना हुई । शासन ने इतनी कड़ाई की कि आर० टी० ओ० सस्पेन्ड हैं और इसी तरह पहाड़ों में जो जाली फिटनैस सार्टीफिकेट दे रहे हैं, सस्पेन्ड हैं। तो इस दिशा में अनेक कार्यवाही हो रही हैं । जहां तक प्राइवेट बसों का सवाल है, मैं बतलाना चाहता हूं कि इस सिलसिले में भी नियंत्रण रखा जा रहा है और अभी आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती) · ·

मंत्री जी के सवाल के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी को पता है कि आजकल इस इमरजेन्सी में भी ऐसे प्राइवेट बसों के लोग धांधली कर रहे हैं, सारे समय राष्ट्रीयकृत मार्ग में बसें ओवर टेकिंग करती हैं, क्या इसका पता मंत्री जी को है ?

श्री अध्यक्ष · ·

मंत्री जी का उत्तर भी विषयान्तर है और आपका जो प्रश्न है वह भी विषयान्तर है । सामान्यतः उन्होंने अपनी नीति का विवेचन कर दिया । इस प्रश्न के अन्तर्गत सम्पूर्ण नीति का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी– ·

श्रीमन्, जब यह दुर्घटना हुई थी उस समय वहां पर कैसी विपत्ति छायी हुई थी हमारे क्षेत्र में । सारे परिवार के लोग मर गये शायद एक आध आदमी बचा हो । भयंकर दुर्घटना हुई । तो इस संदर्भ में मेरा यह पूछना है कि जैसा कि उत्तर में बतलाया गया कि यह सड़क भपजवा जलकुंड के बगल से गुजरती है और वहां पर बाई पास बना है । वह बाई पास आज से नहीं बल्कि मेरी जानकारी में आज से आठ दस वर्ष से है वहां पर इतना भयानक और गहरा कुंड है कि जैसा उत्तर में लिखा है गाड़ी उस रोज नहीं निकाली गयी दूसरे रोज बहुत प्रयास के बाद सरकार ने ट्रैक्टर से खिंचवा कर निकाली । उसमें सैकड़ों आदमी, सवा सौ, डेढ़ सौ भरे हुए थे । इसकी रोक की व्यवस्था जो उत्तर में मंत्री जी ने दी है वह संतोषजनक नहीं है । साथ ही साथ कुन्ड इतना गहरा कुंड है । बाई पास बना है इतना सख्त कर दिया, वहां पर सरकार द्वारा । वह राष्ट्रीयकृत मार्ग है । कोई उचित व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गयी थी जिससे एसी दुर्घटना, भयंकर दुर्घटना न हो ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त · ·

माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि जिस बाई बास और जलकुंड की बात कही जा रही है वह तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है। ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बीमा योजना लाग कर रहे हैं उसका लाभ उन विचारों को मिलेगा जिनके परिवार के लोग मर गये हैं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त ---

यह पहली नवम्बर से लागू हुआ है जो इससे पहले मर चुके हैं, मर चुके हैं।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी · ·

एक सवाल यह है कि जैसा हम लोगों ने कल बिल पास किया है, वह जहां तक मेरी जानकारी है सरकारी बसों के लिये हुआ था, तो प्राइवेट बसों के लिये भी यही कानून होना चाहिये और साथ ही साथ जो क्षतिपूर्ति हमारे इन मृतकों को या इनके परिवारों को दी गयी है · · · · ·।

श्री अध्यक्ष · ·

यह तो कल ही आप कह सकते थे। कल अवसर था।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी--

मैं इसी से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो इस उत्तर में लिखा हुआ है कि 250 रु0 की सहायता मुख्य मंत्री कोष से और 100 रु0 अहेतुक सहायता दी गयी अर्थात् कुल 350 रु0 दिये गये क्षतिपूर्ति के लिये इन मरने वालों को। तो मैं सरकार से यह पूंछना चाहता हूं कि क्या यह कम नहीं है ? यदि कम है, तो सरकार क्या उनको और सहायता देगी ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त · ·

कल के विधेयक में ऐसा नहीं था कि केवल सरकारी बसों के लिये ही इस प्रकार की व्यवस्था हो बल्कि कल के विधेयक में यह नियम प्राइवेट बसेज पर भी लागू होता है और बीमा योजना का लाभ उनमें सवारी करने वाले व्यक्तियों को भी मिलेगा क्योंकि प्राइवेट बसेज भी मोटर व्हीकल ऐक्ट के अन्तर्गत पैसेन्जर टैक्स देती हैं। 15 प्रतिशत पैसेंजर टैक्स होता है और 5 प्रतिशत और अतिरिक्त लिया जाता है बीमा योजना के लिये। अगर आप यह समझें कि यह व्यवस्था केवल सरकारी बसों के लिये है तो यह नितांत गलत है।

दूसरी बात यह है कि जब यह दुर्घटना हुई उस वक्त यह योजना नहीं लागू थी और हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने जितनी सहूलियतें वे दे सकते थे, उन्हें अर्थात् मरने वाले या उनके आश्रितों को दीं।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपूरी · ·

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ) · ·

सरकार ने जो प्राइवेट बस उस रूट पर लगायीं थीं, तो यह बस उनमें से तो नहीं थी ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त · ·

प्राइवेट बस लगाने की सरकार को कोई जरूरत नहीं है।

श्री दीप नारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

मैं आपकी आज्ञा से यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

पाण्डेय जी ने जो प्रश्न किया है वह यह है कि क्या सरकार या सम्बन्धित अधिकारी या बस के चलाने वाले मुआवजा देंगे या नहीं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

इसका कोई प्राविजन नहीं है। इसमें एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाता है इस प्रकार के प्राइवेट बसों के एक्सीडेंट के बारे में और मृतक के परिवार वाले ट्रिब्यूनल में अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं जो कि बाद में तय होता है।

श्री अध्यक्ष—

मृतकों के परिवारों में से 24 परिवारों को आर्थिक सहायता का पात्र पाया गया और प्रत्येक को मुख्य मंत्री सहायता कोष से 250 रु0 और 100 रु0 अहेतक सहायता दी गयी इसके अतिरिक्त 17 घायल व्यक्तियों को 1,100 रु0 की सहायता दी गयी। यह किस नियमों से दी गयी ?

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जान की कीमत 350 रु0 होती है ? क्या सरकार उनको मानवता के आधार पर कुछ और सहायता नहीं देगी ?

श्री अध्यक्ष—

सरकार दे या जिसकी बस हो, वह दे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

मैंने अभी बतलाया कि सरकार ने ट्रिब्यूनल का प्राविधान किया है।

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर नहीं है। अगर कोई दुर्घटना से मर जाय तो उसके बच्चे ट्रिब्यूनल में जायं या उनको फौरन सहायता मिलनी चाहिये ? ट्रिब्यूनल में वह मामला जाना चाहिये जो विवादग्रस्त हो। इस पर आप सोच विचार करें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

इस सवाल को स्थगित कर दिया जाय या बड़े मंत्री से उत्तर दिलवाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

बड़े मंत्री दुर्घटना-ग्रस्त नहीं रोगग्रस्त हैं।..... (हंसी)

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

मेरा अन्तिम प्रश्न है कि मंत्री जी इस पर विचार कर लें ?

श्री अध्यक्ष—

आग लग जाय तो अहेतुक सहायता देने का प्राविधान है, उसी तरह से इसमें भी होना चाहिए। सरकार से कह दिया है कि सोच कर फैसला करे। क्या फैसला करेगी, यह मैं नहीं कह सकता। आपके प्रश्न के प्रकाश में मंत्री जी से कह दिया है और उन्होंने उसे मान भी लिया है।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी --

यह सड़क इस कदर खराब और टूटी हुई है कि गर्भावस्था में जो स्त्रियां होंगी वे अगर सफर करेंगी तो गर्भ गिर जायगा। ऐसी सूरत में जनजीवन के साथ खिलवाड़ न हो क्या सरकार बलरामपुर तक जाने वाली इस सड़क को बनवाने में प्राथमिकता देगी ?

श्री अध्यक्ष --

यह प्रश्न अलग है। इस समय यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

*17--श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी --

[4 थे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

टंडिया हरिजन बस्ती, वाराणसी में कूप निर्माण

*18--श्री ऊदल --

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बनोली के टंडिया हरिजन बस्ती ब्लाक सेवापुरी जिला वाराणसी में 1971-72 में दो कुयें के लिए विकास खंड, सेवापुरी से पूरा रुपया निकाल लिया गया था और कुआं आज तक अधूरा है ? यदि हां, तो रुपया किस व्यक्ति ने निकाला था तथा कूप का निर्माण अब तक न होने का क्या कारण है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

जी नहीं, वर्ष 1971-72 में विकास खण्ड सेवापरी से कुऐं के लिए कोई रुपया नहीं निकाला गया था। अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री ऊदल--

सन् 71-72 में नहीं निकाला गया था तो क्या उससे पहले अथवा उसके बाद निकाला गया था ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी --

एक साल पहले रुपया निकाला गया था। केवल एक कुऐं के लिये 1500 रुपया मंजूर हुआ था। 1 हजार पहले निकाला गया। जब कुआं पूरी तरह से नहीं बन सका तो 19 फरवरी, 1975 को प्रधान ने दरखास्त दी कि हमको (900) नौ सौ रुपया और दिया जाय ताकि हम उसे मुकम्मल कर लें, लेकिन चूंकि 1,500 रु0 मंजूर हुआ था इसलिए 1-1-76 को 500 रुपया और दिया गया। अब वह कुआं बन गया है लेकिन जगत अभी नहीं बन पाई है।

श्री रघुराज सिंह इण्टर कालेज, शाहजहांपुर को पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत दी गयी सहायता

*19--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के 3 रे मंगलवार के लिए दिनांक 6 अप्रैल, 1976 के लिए निर्धारित नत्थी 'क' के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी शर्तें खन्ड विकास अधिकारी जैतीपुर अथवा शासन द्वारा लगाई गई थीं जिन्हें श्री रघुराज सिंह इन्टर कालेज पूरा न कर सका तथा 42,700 रुपये बिना उपयोग किये हुए शासन को वापिस किया गया और क्या यह भी सही है कि शासन चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत एक पम्पिंग सेट श्री रघुराज सिंह इन्टर कालेज को दे रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामजी लाल सहायक

व्यवहारिक पुष्टाहार के अन्तर्गत रकूल वाटिका में पम्पिंग सेट अथवा नलकूप आदि के लिए सहायता की यह भी शर्त है कि यह सहायता उन स्कूलों में न दी जाय जहां यह पहले से मौजूद हों। प्रश्नगत कालेज के फार्म में दो बोरिंग एवं इंजिन पहले से उपलब्ध था। अतः सहायता का पात्र नहीं समझा गया। विकास खंड को आवंटित धनराशि का पुष्टाहार कार्यक्रमों के विभिन्न मदों पर वर्ष 1975-76 में ही उपयोग कर लिया गया और कोई धनराशि वापस नहीं की गयी। चालू वर्ष में प्रश्नगत कालेज को पम्पिंग सेट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रासायनिक खाद काण्ड वाराणसी से संबंधित कर्मचारियों की गिरफ्तारी

*20--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रासायनिक खाद कान्ड में लखनऊ स्थित विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) के उप पुलिस अधीक्षक तारीख 6 व 7 अप्रैल, 1976 को वाराणसी गए थे और मुगलसराय तथा मडुआडीह में एक-एक सहायक निरीक्षक को गिरफ्तार किया? यदि हां, तो उस कान्ड में और कौन-कौन लोग हैं और उनको गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया?

श्री चेतराम गंगवार--

जी हां, रासायनिक खाद गबन कान्ड में लखनऊ स्थित विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) के उप पुलिस अधीक्षक तारीख 6 व 7 अप्रैल, 1976 को वाराणसी गये थे और मुगलसराय नयी बस्ती, वाराणसी के तत्कालीन सहायक कृषि निरीक्षक, श्री हरनारायण वर्मा तथा मडुआडीह स्थित बफर गोदाम, वाराणसी के तत्कालीन गोडाउन मैन, श्री राम आधार गुप्ता को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त श्री हरी शंकर सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक धनापुर, वाराणसी को भी गिरफ्तार किया गया तथा इस कान्ड से सम्बन्धित श्री रामायण सिंह, भूतपूर्व बी0 जी0 आई0 वाराणसी, श्री रामलखन पाठक, भूतपूर्व प्रक्षेत्र प्रबन्धक अधिकारी, वाराणसी, श्री उदय दत्त मिश्रा, भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी तथा डा0 राम सेवक पान्डेय, भूतपूर्व अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध धारा 82-83 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कुर्की आदि की कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त चारों व्यक्तियों ने न्यायालय के समक्ष आत्म-समर्पण किया। उपर्युक्त सातों अभियुक्तों के विरुद्ध मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

इस मामले से सम्बन्धित, धर्मकांटे के मालिक, श्री गोवर्धन दास को दिनांक 23-7-76 को एवं रेलवे गुड्स क्लर्क, श्री गोविन्द मिश्रा को दिनांक 13-7-76 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है तथा इनके विरुद्ध विवेचना पूर्ण करके आरोप-पत्र भी न्यायालय को 24-9-76 को प्रेषित कर दिया गया है।

अरौल, बस स्टेशन, कानपुर के बुकिंग आफिस की समाप्ति

*21--श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला कानपुर के अन्तर्गत जी0 टी0 रोड पर अरौल-मकनपुर का बस स्टेशन समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और आवागमन के संकट को देखते हुए उसके विकल्प में दूसरी अन्य कौन-सी व्यवस्था सरकार करने जा रही है?

श्री शिव प्रसाद---

स्थिति यह है कि अरौल बस स्टेशन को दैनिक आय निर्धारित सीमा से कम होने के कारण अब वहां पर टिकट बुकिंग क्लर्क द्वारा नहीं दिया जाता है बल्कि बसों में परिचालकों द्वारा दिया जाता है।

तहसील बिल्हौर, कानपुर में मेल बसों की सेवाओं की मांग

*22 ·श्री मोती लाल देहलवी ··(अनुपस्थित) ···

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कानपुर की तहसील बिल्हौर में कितनी मेल बसें रुक रही हैं और जनता के कष्ट को देखते हुए क्या सरकार सभी मेल बसों का स्टापेज बनाने पर विचार करेगी ?

श्री शिव प्रसाद ··

तहसील बिल्हौर में 32 अप व डाउन मेल तथा एक्सप्रेस सेवायें रुकती हैं। जो कि वहां से आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त हैं।

सहकारी समिति सकरावा, फर्रुखाबाद के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*23 · ·डाक्टर धर्म पाल सिंह---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद ब्लाक सौरिख सहकारी समिति सकरावा के सुपरवाइजर के विरुद्ध अनेक गम्भीर अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायती-पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा जांच परिणाम क्या हैं ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री विजय कुमार) ···

जी हां। जांच जिला सहायक निबन्धक द्वारा की गई। जांच के दौरान शिकायत-कर्त्ता का यह कथन सही पाया गया कि समिति के खाते में कर्जा धीरज पुत्र विशाल निवासी मढ़ी के नाम दर्ज है। जब कि वसूली धीरज सिंह पुत्र विशाल सिंह निवासी बीलमपुर के उत्तरा-धिकारी से की जा रही है। ग्राम मढ़ी व बीलमपुर पास पास है। मढ़ी में उक्त दोनों नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता था। उक्त धीरज सिंह बीलमपुर का निवासी था। शिकायत कर्त्ता के अनुरोध के अनुसार मृतक सदस्य धीरज के निशानी अंगूठा की जांच विशेषज्ञ से कराई जा रही है और वसूली स्थगित कर दी गई है।

डाक्टर धमपाल सिंह·····

माननीय अध्यक्ष जी, यह रुपया 28-4·64 को फर्जी तरीके से दर्ज दिखाया जा रहा है इसको करीब 12 साल हो चुके हैं जब धीरज मर गया उसके बाद यह वसूली की जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह फर्जी तरीके से दर्ज किया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा ···

यह बात सही है कि धीरज ने रुपया लिया था और बहुत दिनों तक वसूली नहीं हुई। इस साल हमने वसूली प्रारम्भ की और खाते देखे, उस खाते में धीरज से वसूली देखी गई। दुर्भाग्य से यह ऐसा है,जो यह धीरज है उसके पिता का नाम भी वही है, जो नजदीक दूसरे गांव का है इसलिये इसमें मिस-अन्डरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अब उसके कहने पर वसूली रोक दी गई है। उन्होंने अपने आप दरखवास्त दी कि हमारे पिता के अंगूठे की निशानी का मिलान कर लिया जाय। अगर वह नहीं होगा तो वसूली नहीं की जायगी।

डाक्टर धर्मपाल सिंह ··

इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवाह लिखे गये हैं, उनकी वल्दियत नहीं लिखी गई है और न गांव लिखा गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यह फर्जी कार्यवाही हुई है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

इस वक्त इससे वसूली रोक दी गई है। उन्होंने अपने आपपत्र लिखा है कि इसका पत लगा लिया जाय यह अंगूठा निशानी हमारे पिता का है या नहीं क्योंकि जैसा बताया कि दोनों के

नाम एक ही हैं जिस वक्त यह बात सामने आई हमने वसूली रोक दी । अंगूठे की निशानी की जांच की जा रही है । अगर कोई गड़बड़ होगी तो सजा दी जायगी ।

डाक्टर धर्मपाल सिंह ---

जब मृतक मर गया है तब उसके अंगूठे की निशानी की जांच विशेषज्ञों से कैसे की जायगी ? जो उसके खिलाफ आदमी है वह तो गलत निशानी दिखायेंगे इसलिये उसी अंगूठे की निशानी की जांच की जाय या मिलान किया जाय जो कि रजिस्ट्रार के रजिस्टर में मौजूद है ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा ---

जिससे वसूली हो रही थी, जो मृतक का पुत्र था उसने ही दरख्वास्त दी कि किसी पुराने कागज पर उसके पिता का अंगूठा मौजूद है, उसकी जांच करा ली जाए, तो उसके कहने पर यह हम करा रहे हैं ।

डाक्टर धर्मपाल सिंह ---

लेकिन निबन्धक मिले थे, उन्होंने कहा था कि यह चुने मान्य नहीं है ।

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

जिला पंचायत राज कार्यालय मैनपुरी में गबन

*24. श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) ---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मैनपुरी जनपद के जिला पंचायत राज कार्यालय में 1968 में एक बड़ी धनराशि का गबन हुआ था? यदि हां, तो इसमें क्या जांच हुई और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी ---

सन् 1968 में नहीं बल्कि 1958 से 1966 के मध्य विभिन्न तिथियों की कुल 50,256 रु0 96 पैसे का गबन हुआ था । इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध फौजदारी का अभियोग चलाने हेतु मामला पुलिस विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी ---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रु0 50,256.96 का जो गबन हुआ, इस मामले की जांच के आदेश कब हुए ? और दोषी अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन पाए गए ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

उसकी सबसे पहले इत्तिला 25-5-66 को स्थानीय पुलिस को हुई थी और उसने जांच भी शुरू की थी, किन्तु उससे यह काम कुछ आगे नहीं बढ़ा । तब सन् 1973 में यह मामला सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया । उसकी जांच के फलस्वरूप इसमें दो आदमी दोषी पाए गए हैं एक डी0 पी0 ओ0 हैं तथा दूसरे असिस्टेंट एकाउन्टेंट हैं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

यह मामला सन् 66 में ही सामने आ गया था, उसके बाद सन् 73 तक उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध, जिन पर स्पष्ट आरोप थे, कोई विभागीय कार्यवाई नहीं हुई और जब 73 में मामला सी0 आई0 डी0 पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

असिस्टेंट एकाउन्टेन्ट को सस्पेन्ड कर दिया गया है, लेकिन दूसरे आदमी भदौरिया जी, चंकि सेवा मुक्त हो चुके हैं इसलिये उनक खिलाफ मुकदमा चलाने को कह दिया गया है ।

श्री दीप नारायण पान्डेय--

क्या यह सच है कि उस पंचायत राज अधिकारी को प्रमोशन भी दे दिया गया है और प्रमोशन देकर लखनऊ में बुला दिया गया है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

यह सही है कि वह ऐज प्रिंसिपल, ट्रेनिंग सेन्टर, बख्शी का तालाब कार्य कर रहे थे, लेकिन जो आपने कहा, ऐसी कोई चीज नहीं है ।

श्री ऊदल ---

यह क्या सही है कि उनको बाद में अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना दिया गया है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

मेरे जवाब को ऊदल जी ने ठीक से सुना नहीं । वह तो उसी वक्त रिटायर हो गये । इसका प्रश्न ही कहां उठता है ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1966 से निरन्तर उन अधिकारियों के खिलाफ गबन की शिकायतें प्राप्त होती रहीं, लेकिन जानबूझकर मामले को दबाया गया और उनकी प्रोन्नति तक करदी गयी और जब पिछली बार यह प्रश्न आया, तो उनको अवकाश ग्रहण कराया गया है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

श्रीमन्, पूरी तफसील हमारे पास नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सी० आई० डी० ने जब जांच किया तब जा कर सारा गबन सामने आया और आने के बाद ही असिस्टेंट एकाउन्टेंट को सस्पेन्ड कर दिया गया और डी० पी० ओ० चूंकि रिटायर हो गये, इसलिये उनके खिलाफ और कार्यवाही न करके, मुकदमा दोनों के खिलाफ चलाने के लिये कर दिया गया ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कोई विभागीय जांच भी की गयी थी ? अगर की गई थी तो जिस पंचायत राज अधिकारी को ट्रेनिंग सेंटर का प्रिंसिपल बना दिया गया था, उन पर भी कोई रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की गयी थी उस गबन की या नहीं ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

जब सी० आई० डी० द्वारा जांच हो गयी तो विभागीय इनक्वायरी की जरूरत नहीं थी ।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)---

मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि 1966 में यह बात आयी सामने, उसके बाद कई दरख्वास्तें आयीं सरकार के पास । उस दौरान में क्या सरकार के स्तर पर जब यह बात सामने आयी, सी० आई० डी० से भी इन्क्वायरी हुई, इस बात से स्पष्ट होता है कि ऊपर के लोग मिले हुए थे, चीजों को दबा रहे थे, तो जिस समय उस अधिकारी का प्रोमोशन हुआ, उस समय क्या पूरी जांच नहीं हो पायी थी जो प्रोमोशन कर दिया गया ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

मैंने बताया कि 25-5-66 को स्थानीय पुलिस जांच कर रही थी । विभाग की जांच का प्रश्न नहीं था ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि गबन का आरोप उस पंचायत राज अधिकारी पर था, उसको प्रोमोट करके ट्रेनिंग सेन्टर का प्रिंसिपल बना दिया गया, क्या उसको वहां इसलिए भेजा गया कि ट्रेनीज को गबन के मामलों में भी ट्रेनिंग दें ?

(हंसी---उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं बुलाया गया।)

*25---श्री श्यामलाल रावत---

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

पंचायत राज अधिकारी, गोंडा के विरुद्ध शिकायती पत्र

*26---श्री दीप नारायण पान्डेय---

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिले में पंचायत राज अधिकारी ने दिनांक 14 मई, 1976 को ब्लाक प्रमुख, कटरा बाजार, गोण्डा से अभद्र व्यवहार किया जिसकी शिकायत गोन्डा के 3 विधायकों ने माननीय मन्त्री जी से किया है तथा क्या यह भी सही है कि इनकी नियुक्ति गोन्डा जिले में दुबारा की गयी है जो अनियमित है तथा इनके खिलाफ घूसखोरी व पक्षपात के भी आरोप हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी ---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष---

यह अगले सप्ताह आयेगा।

श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी---

सूचना अब तक नहीं आयी। यह बड़े अफसोश की बात है, छः महीने हो गये दिये हुए, आप पूरा प्रश्न पढ़े सूचना की ऐसी आवश्यकता नहीं है जिसमें छः महीने लग जायं। खाली यह है कि कोई शिकायत विधायकों ने किया था या नहीं किया था ? इसके लिये छः महीने का समय बहुत है।

श्री अध्यक्ष ---

छः महीने धीरज रखें। अब छः दिन का मामला है। यह जरूर है जैसा कि माननीय सदस्य.....

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

चार शिकायतें थी। तीन की जांच मुकम्मल हो गयी है। एक की अभी मुकम्मल नहीं हुई है इसी लिए मुल्तवी किया गया। हम जल्दी करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष ---

प्रश्न की प्रकृति ऐसी है, माननीय मन्त्री जो ध्यान में रखें बड़ी सूचनाएं एकत्र करने की गुंजायश कम है। जैसे, "प्रमुख, कटरा बाजार गोंडा से अभद्र व्यवहार किया जिसकी शिकायत गोंडा के तीन विधायकों ने माननीय मन्त्री जी से किया है," इसमें कौन सी सूचना एकत्रित की जा रही है ? "क्या यह भी सही है कि इनकी नियुक्ति गोंडा जिले में दोबारा की गयी है जो अनियमित है" इसमें कौन सी सूचना एकत्र की जा रही है ? "इनके खिलाफ घूसखोरी व पक्षपात के भी आरोप हैं" इस पर कह सकते हैं कि समय चाहिये।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

हमने बताया कि चार शिकायतों में तीन की जांच कर चुके हैं। एक की बाकी है। हमने कहा है कि यह बात मुनासिब नहीं है, जांच में इतना विलम्ब होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जल्दी की जा रही है।

सहकारी संघ ग्रौसेर, फर्रुखाबाद के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*27--डाक्टर धर्मपाल सिंह ...

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, ब्लाक उमर्दा के सहकारी संघ ग्रौसर के सुपरवाइजर के विरुद्ध माननीय सहकारिता मन्त्री को अनेक गम्भीर अनियमितताओं सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र दिनांक 31 जुलाई, 1975 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गई तथा जांच परिणाम क्या है ?

श्री विजय कुमार --

जी नहीं ।

डाक्टर धर्मपाल सिंह---

सरकार का टाइम बाउन्ड प्रोग्राम चल रहा है । उत्तर देने के लिए क्या टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होगा ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो है ही । 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समयबद्धता की अपेक्षा नहीं है, इसके लिये समय पहले से निश्चित और निर्दिष्ट है ।

डाक्टर धर्मपाल सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी शिकायती-पत्र को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा, जी नहीं, कुछ है ही नहीं तो रखेंगे क्या ?

डाक्टर धर्मपाल सिंह---

मेरा यह मूल प्रश्न था कि उसकी पास बुक पर रुपया चढ़ाया गया ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष --

जिस उद्धरण के सहारे आपने चाहा था वही सहारा गायब हो गया । वैसे आप प्रश्न कर सकते हैं । आप लिख कर दे दें । अगर आप कोई अतिरिक्त जानकारी देंगे तो मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे, लेकिन वह कह रहे हैं कि ऐसा पत्र उनको नहीं मिला । आप जो चाहते हैं और जिस विधि से चाहते थे, वह बीच की कड़ी गायब है ।

शाहजहांपुर सहकारी उपभोक्ता भन्डार , गोविन्दगंज में गबन

*28---श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर के सहकारी उपभोक्ता भन्डार, गोविन्दगंज वार्ड नं0 2 व 5 के विषय में कुछ गम्भीर शिकायतें गबन सम्बन्धी निबन्धक सहकारिता समिति, उत्तर प्रदेश व राज्यपाल महोदय को माह जून, 1973 में प्राप्त हुई? यदि हां, तो उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विजय कुमार ...

जी हां । शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय सहायक निबन्धक (उपभोक्ता), सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, बरेली द्वारा की गई । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 9-6-73 तथा 18-8-76 को थाना सदर बाजार शाहजहांपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इसकी विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा की जा रही है । दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के सहकारिता उपभोक्ता भण्डार, गोविन्द गंज के विषय में 1973 और 1976 में गबन सम्बन्धी शिकायतें की गयी थीं ? उनमें किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनको क्या सस्पेंड किया गया?

श्री विजय कुमार---

श्रीमन् दो व्यक्ति दोषी पाये गये। एक तो संस्था का सचिव और दूसरा सेल्समैन। दोनों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज करा दी गयी है। सेल्समैन को गिरफ्तार किया जा चुका है और सचिव के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब सचिव के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज कर दी गयी तो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या इन लोगों का सस्पेंशन किया गया या नहीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा-

दो-दो सजायें एक साथ नहीं हो जायेंगी, लेकिन उनके खिलाफ रिपोर्ट हो गयी है। कोर्ट से जमानत पर छूट गये तो दूसरी सजा हो नहीं सकती। जहां तक दूसरे साहब सचिव हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी -

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि दो-दो सजायें एक साथ नहीं हो सकती हैं। क्या उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता ? 409 का मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी गिरफ्तारी हुई। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण थे, जिससे कि उनको मुअत्तल नहीं किया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

दो मुकदमें चल रहे हैं। अगर वह बहाल हो जायगा तो दिक्कत होगी। वह काम भी नहीं करेगा और उसको तनख्वाह भी देनी होगी, आपका जो आरग्मेंट है, मैं उससे एग्री हूं और मैं सोच रहा हूं कि जो दोषी साबित हो जायें उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। यदि हमको यह आभास हो जाय कि वे दोषी हैं, तो उनको भी सस्पेंड करने के आदेश दे दिए जायेंगे।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह -

जब विभाग को सनक में आ गया कि सचिव के खिलाफ प्राइमाफेसी केस सिद्ध है, तो फिर उनको निलम्बित करने में कौन सी दिक्कत है ? जब सजा होगी तो डिस्मिसल तो अपने आप ही हो जायगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा -

निलम्बन के आदेश कर देंगे।

*29 श्री दीनानाथ सेवक---

[पुनर्विचार पर निरस्त]

*30-31-श्री जय नारायण सिंह---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

कैसरबाग बस स्टेशन, लखनऊ में गबन

*32---श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कैसरबाग बस स्टेशन, लखनऊ में अगस्त, 1975 में 70,000 रुपये का गबन का मामला पकड़ा गया था? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन व्यक्ति

दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? क्या यह सही है कि उक्त गबन की धन-राशि में 13,000 रुपये कर्मचारियों के भत्ते का भी शामिल है और कर्मचारियों के भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त....

कैसरबाग बस स्टेशन, लखनऊ में माह सितम्बर, 1975 में रु0 70,000 के गबन का मामला पकड़ा गया था।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कर्मचारी अपने-अपने कर्तव्यों की अवहेलना हेतु गबन के मामले में अन्तर्ग्रस्त in volved पाये गये।

1---श्री बी0 बी0 पी0 एन0 सिंह, यातायात अधीक्षक।

2 ---श्री बी0 सी0 जोशी, वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी।

3 ---श्री आर0 बी0 यादव, सहायक कोषाध्यक्ष।

4---श्री एम0 पी0 मेहरोत्रा, सहायक कोषाध्यक्ष।

उपरोक्त सभी कर्मचारियों को तुरन्त ही अर्थात् दिनांक 24-9-75 से निलम्बित कर दिया गया। सर्वश्री आर0 बी0 यादव तथा एम0 पी0 मेहरोत्रा को तुरन्त पुलिस के हवाले कर दिया गया। इनके विरुद्ध पुलिस अनुसन्धान जारी है। सर्वश्री बी0 बी0 पी0 एन0 सिंह व बी0 सी0 जोशी के विरुद्ध विभागीय जांच सम्पन्न की जा रही है।

हां, उक्त गबन के धनराशि में 13,000 रु0 कर्मचारियों के भत्ते की धनराशि भी शामिल है। उक्त भत्तों का भुगतान कर्मचारियों को अभी तक नहीं किया जा सका है क्योंकि उक्त भत्तों के पुनः आहरण करने हेतु निगम के बोर्ड की स्वीकृत नहीं हुई है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

उत्तर में यह बात कही गई है कि 70,000 रुपये का गबन था और 4 अधिकारी इसमें इन्वाल्व हैं। जो छोटे अधिकारी थे, सर्वश्री आर0 बी0 यादव और एम0 पी0 मेहरोत्रा उनको तो पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस का अनुसंधान जारी है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, सर्वश्री बी0 बी0 पी0 एन0 सिंह और बी0 सी0 जोशी, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों हो रही है? इस डिस्क्रिमिनेशन का आधार क्या है?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त---

इन दोनों अधिकारियों की डायरेक्ट रेस्पोंसिबिलिटी थी, इसलिये मामला पुलिस को दे दिया गया है। शेष लोगों के विरुद्ध विभागीय जांच जारी है और उनको निलंबित भी कर दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, यह वही विभाग है जिसके बारे में कल कहा गया था कि न इसका कोई लेखा तैयार किया गया और न इसका आडिट ही हुआ है। माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि 13 हजार रुपया कर्मचारियों के भत्ते आदि का गबन कर दिया गया है और अभी तक उनको नहीं दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कारपोरेशन का इतना दिवाला क्यों निकल गया कि 13 हजार रुपये का भुगतान करने में भी असमर्थ है?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त---

आडिट की जो बात कह रहे हैं, हमने ए0 जी0 के कार्यालय से पता लगाया था। उनका कहना है कि उनके कार्यालय से जांच हो चुकी है। केवल एक प्रोफार्मा दाखिल करना है।

दूसरी बात यह है कि 13 हजार रुपये का भुगतान अभी तक कर्मचारियों को नहीं हो सका है, मेरा निवेदन है कि पता चला है कि यह 13 नहीं 26 हजार रुपया है। यह रकम बोर्ड में पास होगी और अगली मीटिंग में पास होने पर उनको दे दी जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

पहले यह रकम 13 हजार थी और अब यह दुगनी अर्थात् 26,000 रुपया हो गई है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त---

यदि मैंने सच्चाई बता दी तो मैंने तो कर्मचारियों के ही हित में कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष ---

आपने बहुत अच्छा किया, 13 का सीधा दूना कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

मैं मंत्री जो को बधाई देता हूं कि सच्चे आदमी हैं। लेकिन साल भर से ज्यादा हो गया, कौन सी कठिनाई थी कि मजदूरों के भत्ते की अदायगी नहीं की ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त---

जांच का क्रम चल रहा था और जैसा कि निवेदन किया, जांच करने में अगर वह रकम 13 हजार के बजाय 26 हजार निकली तो कर्मचारियों का नुकसान हो जाता। अब एक रकम फिक्स हो गयी है और अगली बैठक में प्रस्ताव पास करके कर्मचारियों को रुपया दे दिया जायगा, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था।

श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)---

जैसा मन्त्री जी ने बताया, दो बड़े अधिकारियों के खिलाफ वैभागिक कार्यवाही हो रही है और वैभागिक कार्यवाही के नाम पर मामले को टाला जा रहा है। इतना बड़ा गबन जिसमें कर्मचारियों का भत्ता इनवाल्व था, तो उनके खिलाफ मीसा के अन्तर्गत कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त---

वह तो बाद में इस पर विचार होगा।

श्री वीर सिंह सेंगर ---

आप हां करिये या ना ?

श्री अध्यक्ष---

कैसे कह दिया जाय ? इस पर विचार करके शासन तय करेगा। मीसा के बारे में ऐसे हलके-हलके उत्तर दे दें मंत्री जी।

जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी

*33---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा 15 अक्तूबर, 1975 को जिला कृषि अधिकारी उन्नाव को पांच सौ रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या कृषि अधिकारी को निलम्बित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतराम गंगवार---

जी हां। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपराधिक कार्यवाही की गयी।

कृषि अधिकारी को 15 अक्तूबर, 1975 से निलम्बित किया गया था। परन्तु निलम्बन आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण इन्हें सेवा में पुनः स्थापित कर दिया गया।

श्री भोखालाल—

क्या इस सम्बन्ध में मामला अदालत के सुपुर्द हो गया है और चार्जशीट अदालत में चली गयी ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

शासन से इसकी स्वीकृति मांगी थी, शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

श्री भोखालाल—

शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है तो ऐसा मालम होता है कि प्राइमा फेसाई केस आपने स्वीकार कर लिया है। तो हाई कोर्ट ने जो स्टे किया उसको भी वैकेट करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

नियमानुसार अवश्य विचार करेंगे।

भूमि संरक्षण अधिकारी, लालगंज, प्रतापगढ़ का श्री निजामुद्दीन, निवासी ग्राम बड़हुआ के नाम से निर्गत कार्यादेश का भुगतान

*34—श्री राम पति (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, लालगंज, प्रतापगढ़ ने वर्ष 1973-74 में परियोजना क्षेत्र दादूपुर पण्डन (चतुर्थ) में कार्यादेश संख्या बी0 6, बी 37, बी0 49 सी0 5 विभिन्न दिनांकों में श्री निजामुद्दीन ग्राम बड़हुआ भोजपुर, जनपद प्रतापगढ़ के नाम कार्यादेश किया है ? यदि हां, तो क्या कथित असली निजामुद्दीन कार्य देश होते समय उपस्थित था और उसके हस्ताक्षर कार्यादेश पर हैं ? यदि नहीं, तो कथित असली निजामुद्दीन ने बिना कार्यादेश प्राप्त किए किस आधार पर कार्य कराया तथा किस आधार पर कथित असली निजामुद्दीन को भुगतान कर दिया ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। कार्यादेश पर निजामुद्दीन के हस्ताक्षर हैं। दूसरे निजामुद्दीन ने सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के मौखिक आदेशानुसार कार्य किया और उसी को स्थिति की पर्याप्त जांच के उपरान्त भुगतान किया गया।

सहायक विकास अधिकारी, कृषि के पद हेतु चयन

*35—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1961 में विकास आयुक्त द्वारा गठित उच्च-स्तरीय कमेटी ने सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद हेतु कुछ लोगों के चयन (सेलेक्शन) किया था ? यदि हां, तो क्या चुने गए लोग कृषि विभाग में कृषि अधीनस्थ सेवा वर्ग-2 में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो वरीयता सूची में उनका नाम सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। चुने हुए लोगों में से अधिकांश अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—2 में कार्यरत हैं।

इनमें से जिन लोगों का चयन नियमानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा हो चुका है उनके नाम ज्येष्ठता सूची में आ गये है। शेष के नहीं, क्योंकि उनका चयन अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं हुआ है।

*36--श्री बाबू लाल वर्मा---
[पुनर्विचार पर निरस्त]

विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता द्वारा की गई गिरफ्तारियां

*37- श्री बाबू लाल वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 अक्तूबर, 1975 या उसके आस-पास राज्य सहकारिता कक्ष की विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा (एक पखवारे में) विभिन्न स्थानों से 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? ये व्यक्ति कौन-कौन हैं ? इन पर क्या-क्या आरोप हैं तथा कितनी-कितनी धनराशि के गबन का आरोप था ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

विशेष अनुसन्धान शाखा, सहकारिता द्वारा अक्तूबर, 1975 के पहले पखवारे में (1-10-75 से 15-10-75) 13 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये है । इन सब का सम्बन्ध 11 अभियोगों से है । अभियुक्तों का नाम व गबन की गई धनराशि समस्त के आगे संलग्न तालिका में अंकित है । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गबन के आरोप हैं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 349 पर ।)

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हवलबाग (अल्मोड़ा) के अधिकारियों के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का निजी कार्यों के लिये उपयोग का आरोप

*38-श्री विमल प्रसाद तिवारी --

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1974 व 1975 में विभाग को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप था कि प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हवलबाग, अल्मोड़ा के अधिकारी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का उपयोग निजी कामों में करते हैं तथा इस शिकायत पर विधिवत् जांच न होने से दुखी होकर इसी विभाग के किसी व्यक्ति ने 23 जून, 1976 से अनशन पर बैठने की धमकी दी ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हबीबुर्रहमान ...

जी हां । शिकायती-पत्रों पर विधिवत् जांच कराई गई । जांच में प्रसंगगत आरोप सिद्ध नहीं हुआ । अतः किसी प्रकार के निर्देश प्रसारित करने का प्रश्न नहीं उठता था । इस प्रकार के आदेश पहले से ही हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का उपयोग निजी कामों में न किया जाय ।

बलिया-बैरिया बांध मार्ग पर चलने वाली निजी बसों से प्राप्त राजस्व

*39---श्री रघुनाथ (जिला बलिया)

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के बलिया-बेरिया बांध पर कितनी निजी बसें चलती हैं और उससे कितनी राजस्व की प्राप्ति होती है ? उक्त पथ पर राजकीय बसें चलाने पर क्या आपत्ति शासन को है?

श्री शिव प्रसाद ..

बलिया जनपद के बलिया-बैरिया बांध मार्ग पर कुल 25 निजी बसें चलती हैं । इन बसों के संचालन से वित्तीय वर्ष 1974-75 में 88,402 रु0 45 पैसे तथा वित्तीय वर्ष 1975-76 में 1,07,070 रु0 15 पैसे राजस्व के रूप में आय हुई है । चूंकि उक्त मार्ग अराष्ट्रीय-कृत है इसलिए रोडवज बसें नहीं चलाई जा रही हैं ।

नोट: --तारांकित प्रश्न संख्या 38 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

लोक सेवा आयोग द्वारा विकास खण्ड अधिकारी के पद हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

*40—श्री रघुनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1976 में खण्ड विकास अधिकारी पद के लिए लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के अन्तर्गत कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिये और क्या उन सभी अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

24,816 अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिये थे उनमें से 24,766 अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी ।

जो अभ्यर्थी विज्ञापित अर्हतायें धारित नहीं करते थे अथवा जिनके आवेदन-पत्र समयान्तर्गत नहीं प्राप्त हुए थे उनके आवेदन-पत्र आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये थे ।

*41— श्री हरीश कुमार गंगवार—

[1ले सोमवार (1-11-76) में तारांकित प्रश्न संख्या 67 पर उत्तरित ।]

*42—श्री भगवती सिंह विशारद—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

लखनऊ मण्डल के कृषि अधिकारी, श्री आत्माराम के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*43— श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई) तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

विधान सभा कार्यवाही, तारांकित प्रश्न संख्या 59, दिनांक 6 अगस्त, 1974, अतारांकित प्रश्न संख्या 10, दिनांक 8 अप्रैल, 1975 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 71, दिनांक 29 अप्रैल, 1975 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी (श्री आत्मा राम) के विरुद्ध शिकायतों की जांच में उप निदेशक कृषि, लखनऊ मन्डल, लखनऊ ने दिनांक 26 सितम्बर, 1974, 30 दिसम्बर, 1974 तथा अन्य तिथि को कृषि निदेशक को क्या पत्र लिखा है तथा संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यकी, कृषि भवन, लखनऊ की जांच प्रथम प्रेषित रिपोर्ट क्या है तथा की गई कार्यवाही से सदन को सूचित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उप कृषि निदेशक, लखनऊ मन्डल ने 26-9-74 तथा 2-1-75 को दो पत्र कृषि निदेशक को लिखे । पहले पत्र के साथ उन्होंने श्री राम सुन्दर सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक से संबंधित मामले पर अपनी आख्या भेजी तथा श्री आत्माराम को स्थानान्तरित किये जाने की अनुशंसा की । दूसरे पत्र में श्री आत्माराम के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों की जांच संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यकी से कराने का निवेदन किया । 30-12-74 को उन्होंने कोई पत्र निदेशक को नहीं भेजा है ।

संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यकी द्वारा श्री आत्माराम के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों से संकलित 24 आरोपों पर जांच आख्या प्रेषित की गई है । इनमें से केवल एक आरोप को छोड़कर अन्य सभी निराधार पाये गये । सिद्ध पाय गये आरोप का भी परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने पर श्री आत्माराम के विरुद्ध सैद्धांतिक आधार पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई । कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के विरुद्ध सैम्पुल जमीन में गड़वा देने का कथित आरोप

*44—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा नाजायज तरीके से 2 ट्रक सेम्पुल जमीन में गड़वा दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 जुलाई, 1976 को कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिनकी कीमत लगभग 40,000 है? यदि हां, तो इस मामले की जांच किससे कराई गई? जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यू० पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा 2 ट्रक सेम्पुल जमीन में गड़वा देने का आरोप प्रश्नकर्त्ता श्री त्रिवेणी सहाय, विधायक के ही पत्र दिनांक 2 जुलाई, 1976 जो मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित था, में लगाया गया था।

आरोप की जांच विशेष अनुसन्धान शाखा, सहकारिता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ तथा उक्त निगम के संचालक मण्डल से अलग-अलग कराई गई। अन्ततः आरोप निराधार पाया गया। जांच के परिणामों का सारांश संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 351 पर।)

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के उत्पादन अभियन्ताओं का नया वेतन मान

*45—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के उत्पादन अभियन्ताओं को वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार नया वेतनमान निर्धारण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कर दिया जायगा?

श्री शिव प्रसाद—

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के उत्पादन अभियन्ता कार्य प्रभारित अधिष्ठान (work-charged establishment) के अधीन होने के कारण वेतन आयोग की परिधि में नहीं आते थे इसलिये वेतन आयोग द्वारा उनका वेतनमान निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिला परिषद् के बजट की स्वीकृति

*46—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला परिषद् के वर्ष 1976–77 के बजट को कमिश्नर, इलाहाबाद की ओर से अस्वीकृत कर दिया गया था? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और इसमें दोष किसका था और बिना बजट स्वीकार हुए वहां का कार्य किस प्रकार और किस आधार पर चल रहा है?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं

राजकीय परिवहन निगम, गोरखपुर के कार्यालय–लिपिक श्री राज बहादुर शुक्ला की गिरफ्तारी

*47—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, गोरखपुर में कोई लिपिक श्री राज बहादुर शुक्ला सात सौ रुपया रिश्वत लेते हुए विजिलन्स के डिप्टी एस० पी० द्वारा वर्ष 1975 के अगस्त माह में पकड़े गये थे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभागीय क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रसाद --

दिनांक 31-7-75 को क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर के कार्यालय के लिपिक, श्री राज बहादुर शुक्ला सात सौ रुपया रिश्वत लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान के डिप्टी एस0 पी0 द्वारा पकड़े गये थे। उसके फलस्वरूप श्री शुक्ला को उक्त दिनांक से निलम्बित कर दिया गया।

बांदा जिले में कर्वी (सीतापुर) में चित्रकूट रामायण मेले के आयोजनार्थ दिया गया अनुदान

*48 --श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के करवी (सीतापुर) में दिसम्बर, 1973 व दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1976 में चित्रकूट रामायण मेले के आयोजन किये गए थे जिसके लिए राज्य के पर्यटन विभाग से 1973 में पांच हजार रुपये, 1974 में दस हजार रुपए एवं 1976 में दस हजार रुपये अनुदान किसी स्थानीय मेला समिति को दिए गये थे? क्या वह मेला आयोजन करने वाली समिति रजिस्टर्ड है? यदि नहीं, तो सरकार उसके आय-व्यय का लेखा-जोखा जांचने के लिए क्या प्रबन्ध करेगी?

श्री शिव प्रसाद--

जी हां, बांदा जिले में कर्वी (सीतापुर) में दिसम्बर, 73 व दिसम्बर, 74 और जनवरी, 1976 में चित्रकूट रामायण मेले के आयोजन किये गये थे। इस मेले के लिये वित्तीय वर्ष 1973-74 में 10,000रु0 (5,000 नहीं) व वर्ष 1974-75 म 5,000 (10,000 रु0 नहीं) क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा को मेले के आयोजन हेतु दिया गया था।

परन्तु वर्ष 1974-75 में आदेश जारी होने तक मेला समाप्त हो गया था और क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी ने उक्त धनराशि को कोषागार से निकाल लिया था, इसलिये उसे अनुदान के रूप में रामायण मेला समिति, चित्रकूट धाम को स्वीकृत कर दिया गया क्योंकि उक्त समिति ने मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शासन की स्वीकृति की अपेक्षा में अपने धन से किया था।

वर्ष 1975-76 में 5,000 रु0 (10,000 रु0 नहीं) अनुदान के रूप में रामायण मेला समिति, कर्वी को दिये गये थे।

रामायण मेला समिति रजिस्टर्ड नहीं है परन्तु यह मेला मानस चतुःशती समिति के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है जो एक रजिस्टर्ड संस्था है। मेले के आय-व्ययक की परीक्षा समिति द्वारा नियुक्त उप समिति करती है। पर्यटन विभाग द्वारा जो अनुदान दिये गये हैं उनके आय-व्यय का लेखा-जोखा मय रसीदों और बाउचरों को समिति से प्रतिवर्ष प्राप्त कर लिये जाते हैं।

समिति को दिये गये अनुदान पर वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड 5, भाग 1 के प्रस्तर 369 के प्राविधान लागू हैं जिनके अन्तर्गत महालेखाकार, उत्तर प्रदेश समिति के लेखों की जांच कर सकता है।

*49---श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री जंग बहादुर ---

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मंडी समिति, ललितपुर तथा महरौनी द्वारा महुआ की गुली का क्रय-विक्रय

*50---श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष 1 मार्च, 1976 से लगाकर 30 जुलाई, 1976 तक ललितपुर जिला के अन्तर्गत कृषि मन्डी समिति, महरौनी एवं कृषि मन्डी समिति,

ललितपुर के अन्तर्गत महुआ के फल गुली का किन भावों पर क्रय-विक्रय हुआ है? वन विभाग के ठेकेदारों ने किस भाव से खरीद दिखाकर मन्डी शुल्क दिया है तथा अन्य व्यापारियों ने किस भाव से खरीद गुली की दिखाई है और ललितपुर जिले के मजदूरों व किसानों को वन विभाग के द्वारा गुली के मामले में एकाधिकार कायम करने का आतंक खड़ा करने से कितना नुक्सान हुआ है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा ....

मंडी समिति ललितपुर तथा महरौनी से प्राप्त सूचना के अनुसार ललितपुर जिले में मंडी समिति, ललितपुर तथा महरौनी के अन्तर्गत 1 मार्च, 1976 से 30 जुलाई, 1976 तक महुआ के फल गुली का निम्नलिखित भावों पर क्रय-विक्रय हुआ:

	व्यापारियों द्वारा क्रय मूल्य	वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा क्रय मूल्य
	ललितपुर मंडी के अन्तर्गत	
मार्च, 1976	रु0 285.90 से रु0 295 प्रति कुन्तल	कोई क्रय नहीं
अप्रैल, 1976	कोई क्रय नहीं	,,
मई, 1976	रु0 150 प्रति कुन्तल	,,
जून, 1976	रु0 171 प्रति कुन्तल	रु0 200 से 225 प्रति कुन्तल
जुलाई, 1976	रु0 114 से रु0 270 प्रति कुन्तल	रु0 225 से रु0 250 प्रति कुन्तल
	महरौनी मंडी के अन्तर्गत	
मार्च, 1976	कोई क्रय नहीं	कोई क्रय नहीं
अप्रैल, 1976	,,	,,
मई, 1976	,,	,,
जून, 1976	रु0 115 से 160 रु0 प्रति कुन्तल	रु0 40 से रु0 60 प्रति कुन्तल
जुलाई, 1976	रु0 125 से रु0 260 प्रति कुन्तल	रु0 125 से रु0 200 प्रति कुन्तल

और तदनुसार मंडी शुल्क निर्धारित दर (1 प्रतिशत) पर वसूल किया गया।

ललितपुर मंडी के अन्तर्गत व्यापारियों तथा वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा क्रय किये गये गुली के मूल्यों में कोई विशेष अन्तर न होने के कारण वहां पर किसानों/मजदूरों को हानि नहीं हुई है।

किन्तु महरौनी मन्डी के अन्तर्गत हुए क्रय से वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा दिया गया मूल्य अपेक्षाकृत कम होने के कारण वहां के कृषकों/मजदूरों को लगभग रु0 34,200 की हानि हुई है।

श्री कृपा शंकर लाल, कोआपरेटिव सुपरवाइजर करेन्ट सहकारी समिति, गोंडा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*51---श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)----

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृपा शंकर लाल, कोआपरेटिव सुपरवाइजर, करेन्ट सहकारी समिति, औसानी बुजुर्ग, विकास खण्ड बभनजोत, जिला गोंडा के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार आदि का शिकायती-पत्र काश्तकारान ग्राम सवना, विकास खंड, बभनजोत, जिला गोंडा ने निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सहकारिता मन्त्री, उत्तर प्रदेश, सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, गोंडा को क्रमशः दिनांक 17 मार्च, 1976

व 19 फरवरी, 1976 को डाक द्वारा भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जी नहीं ।

केन सोसायटी सिवहारा, बिजनौर के सेन्टर मेवा नवादा में फर्जी ऋणों के प्रोनोट

*52--श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर) ---

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन सोसाइटी स्योहारा, जिला बिजनौर मे सेन्टर मेवा नवादा में जो जांच दिनांक 14 अप्रैल, 1976 से 16 अप्रैल, 1976 तक की गई जिसमें फर्जी ऋण दिखाए गए हैं उनकी धनराशि कुल कितनी है और कितने वर्ष से उक्त धन राशि वसूल नहीं की गई है और क्या सरकार शीध्र वसूली करने की व्यवस्था करेगी?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

केन सोसाइटी सिवहारा, जिला बिजनौर के सेन्टर मेवा नवादा में दिनांक 14 ·4 ·76 से 16 ·4 ·76 तक नहीं अपितु दिनांक 27 ·4 ·76 से 30 ·4 ·76 तक तथा 18 ·5 ·76 से 21--5 ·76 तक जांच कराई गई थी जिसके अनुसार रु0 51,210. 60 के फर्जी ऋण की कुल धनराशि प्रकाश में आई ।

उक्त फर्जी ऋण के प्रोनोटों पर गन्ना कृषकों से वर्ष 1975 ·76 में जांच के पूर्व कुछ धनराशि की वसूली की गयी । जांच के परिणामस्वरूप वसूली रोक कर मामला पुलिस में 18 ·8 ·76 को दर्ज करा दिया गया है । अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के निर्णयोपरान्त संभव हो सकेगी ।

श्री जोत सिंह, ठेकेदार, टिहरी गढ़वाल के फलदार वृक्षों के ढुलान के बिल का भुगतान

*53 ---श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी, गढ़वाल) ---

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी-गढ़वाल के पत्रांक 143 ·155 एच0 एस0 टी0 ·75 ·76, दिनांक 29 जुलाई, 1975 के अनुसार श्री जोत सिंह, ठेकेदार के विकास खण्ड देव प्रयाग, टिहरी-गढ़वाल में वर्ष 1975 में वर्षाकालीन फलदार वृक्षों का ढुलान कराया गया है? यदि हां, तो अब तक उसके ढुलान बिल का भुगतान क्यों नहीं किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा ··

पत्र संख्या 143 ·155 एच0 एस0 टी0--75 ·76 दिनांक 29--7 ·75 जिला उद्यान अधिकारी टिहरी गढ़वाल का न होकर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का है । वर्ष 1975 में श्री जोत सिंह ठेकेदार ने फलदार वृक्षों का ढुलान किया था ।

पौधों के ढुलान बिल में श्री जोत सिंह द्वारा 697 पौधे अधिक दिखाये गये, जबकि 532 पौधों का वास्तविक ढुलान उन्होने किया चूंकि उनका बिल गलत था इसलिए उसका भुगतान नहीं किया गया है । किन्तु जितने पौधे का ढुलान हुआ है उसका भुगतान कराया जा रहा है ।

*54---श्री हरीश कुमार गंगवार ---

[पुनर्विचार पर निरस्त]

जहांगीराबाद क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड, बुलन्दशहर के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*55—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 मार्च, 1976 से 8 अप्रैल, 1976 तक जहांगीराबाद क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0, जहांगीराबाद, बुलन्दशहर के सचिव (सुपरवाइजर) के विरुद्ध अनकों शिकायती-पत्र सम्बन्धित जनपद के विधायकों एवं ग्रामवासियों के प्राप्त हुए हैं? क्या यह सही है कि तथाकथित सुपरवाइजर के विरुद्ध सहकारी पुलिस को जांच के आदेश हो चुके हैं? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा —

जी हां। एक शिकायती-पत्र दिनांक 26-3-76 व दूसरा 28-3-76 का प्राप्त हुआ था। इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0, जहांगीराबाद, बुलन्दशहर के हरिजन सदस्यों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक रहित जिस पर सर्व श्री मान पाल सिंह व के0 एस0 मोहरिया सदस्य, विधान सभा, का दिनांक 27-4-76 का पृष्ठांकन था, पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) के समक्ष दोनों विधायकों द्वारा दिनांक 27-4-76 को प्रस्तुत किया गया था।

इन प्रार्थना-पत्रों पर विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) द्वारा जांच जारी है और मथुरा जनपद में कुछ जांच करना शष है।

जिला सहकारी बैंक लि०, एटा द्वारा सीड स्टोर फफोतू को दिये गये ओवर-ड्राफ्ट में बरती गयी अनियमितता

*56— श्री गंगा सिंह (जिला एटा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एटा जिला सहकारी बैंक लि0, एटा की सिविल लाइन शाखा म सीड स्टोर, फफोतू को भारी रकम का अनधिकृत ओवर ड्राफ्ट गल्ला खरीद हेतु दिया गया जिसका गल्ला सीड स्टोर पर नहीं आया परन्तु बैंक से रुपये का भुगतान व्यक्तियों को हो गया, जो अब भी बकाया है? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

एटा जिला सहकारी बैंक लि0, की सिविल लाइन शाखा द्वारा सीड स्टोर, फफोतू को भारी रकम का ओवर ड्राफ्ट नहीं दिया गया अपितु सहकारी संघ, फफोतू को मूल्य 1,28,0 48.22 का ओवर ड्राफ्ट गेहूं लेवी खरीद योजना के अन्तर्गत दिया गया। क्रय किये गये कुल गेहूं में से 374 कुन्टल 24 किलो 600 ग्राम गेहूं का स्टाक उपलब्ध नहीं पाया गया तथा कुछ काश्तकारों को निर्गत किये गये चेकों का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया गया है जिसकी जांच कराई जा रही है, जांच के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त अनियमितता के लिये उत्तरदायी दो पर्यवेक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है।

गोंडा जिले के विकास खण्ड, वभनजोत में बकाया कृषि तकावी की पोस्टिंग न होना

*57—श्री दशरथ सिंह—

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि गोंडा जिल के विकास खण्ड, बभनजोत में कृषि तकावी के बकाया की पोस्टिंग 1968 में नहीं हुई है और वसूली की गलत डिमाण्ड लिस्ट अमीनों को दे दी गई है और काश्तकारों से कृषि तकाबी की दुबारा वसूली हो रही है? यदि हां, तो एसा क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

गोंडा जिले के विकास खण्ड, बभनजोत में वर्ष 1968 के कृषि तकाबी के बकाया की वसूली की पोस्टिंग नहीं हुयी थी,अतः पूर्ववत अभिलेखों के आधार पर ही डिमाण्ड लिस्ट राजस्व विभाग को दे दी गयी थी,जो कि वापस लेकर संशोधित की जा रही है और काश्तकारों से कृषि तकाबी की वसूली रोक दी गयी है। साथ ही अभिलेखों में वसूली की पोस्टिंग न करने के लिये उत्तरदायी कर्मचारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी कर दी गयी है।

विकास क्षेत्र जैतीपुर, शाहजहांपुर के हरिजनों के लिये कूप निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

*58---श्री मोहम्मद रफी खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष म कितना धन शासन द्वारा शाहजहांपुर के विकास क्षत्र जैतीपुर को हरिजनों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के हेतु आवंटित किया गया और विकासक्षेत्र के किन-किन ग्रामों के हरिजनों ने मार्च, 1976 से आज तक (दिनांक 24 अगस्त, 1976 तक) पेयजल के लिए कूप निर्माण करने की मांग जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से की है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक---

(1) प्रश्नगत अवधि मार्च, 1976 से 24 अगस्त, 1976 तक जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को स्वयं जैतीपुर विकास क्षेत्र के निवासियों से पेय जल की व्यवस्था के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु भूतपूर्व विधायक, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने 21 जून, 26 जून तथा 21 जुलाई, 1976 को खेड़ारठ में हरिजनों के लिए कूप निर्माण के वास्ते अवश्य पत्र भेजे थे।

एक पत्र, श्री जयराम आदि, ग्राम खेड़ारठ के निवासियों की ओर से 18 अगस्त, 1976 को आयुक्त, कृषि उत्पादन को भी प्राप्त हुआ था, जो 2 सितम्बर, 1976 को आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को भेज दिया गया था।

(2) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह को 31 जुलाई, 1976 को उत्तर में सूचित किया गया कि कथित ग्राम में एक कूप का निर्माण कुछ समय पूर्व ही किया गया है जो 19, अक्तूबर, 1976 को ग्राम सभा को हस्तान्तरित कर दिया गया था।

बजाज स्कूटर का आवंटन

*59---श्री श्रीशचन्द्र---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1976 से 31 अगस्त, 1976 तक विधान मण्डल क सदस्यों के अतिरिक्त कितने बजाज स्कूटरों का आवंटन किया गया ? जिनको बजाज स्कूटर आबंटित किए गए क्या उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव प्रसाद---

1 जनवरी, 1976 से 31 अगस्त, 1976 तक विधान मण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त 176 व्यक्तियों को बजाज स्कूटर का आवंटन किया गया। सूची संलग्न है।

†छापी नहीं गई।

फैजाबाद में त्वरित योजना में कार्यरत श्री सईद अहमद खां, सहायक अभियन्ता के अवशेष वेतन आदि का भुगतान

*60--श्री जफर आजमी--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 1972 में त्वरित योजना के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अभियन्ता (त्वरित कार्यक्रम) के अवशेष देय वेतन एवं अन्य दावे का भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री गोविन्द सिंह नेगी ने पूर्ण विवरण सहित पत्र दिनांक 25 अप्रल, 1975 तत्कालीन सामुदायिक विकास मंत्री को प्रेषित किया था। यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जनपद फैजाबाद में वर्ष 1972 में त्वरित योजना के अन्तर्गत कार्यरत श्री सईद अहमद खां, सहायक अभियन्ता, त्वरित कार्यक्रम के अवशेष वेतन आदि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट भज कर कर दिया गया है। जी हां, पत्र मिला था।

अतारांकित प्रश्न

सहायक विकास अधिकारियों का स्थायीकरण

1--श्री राम सुन्दर पाण्डेय . .

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कुल कितने सहायक विकास अधिकारियों के पद ग्राम्य विकास संगठन में स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद स्थाई हैं, उनके अन्तर्गत कितने व्यक्ति स्थायी किए गए हैं? कितने पद रिक्त हैं? तथा कितनों का स्थायीकरण पद रिक्त होते हुए भी नहीं किया गया है और क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक--

ग्राम्य विकास संगठन में सहायक विकास अधिकारियों के निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं :

कुल पद	4,012
स्थायी पद	3,100
स्थायी पद जिन पर कर्मचारी स्थायी किये गये हैं ..	2,064
स्थायी किए गए पद में से रिक्त पद	1,036

1--उपरोक्त 1,036 रिक्त पदों पर स्थायीकरण न हो सकने के निम्नलिखित कारण हैं :---

1 . सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के 25 स्थायी रिक्त पदों में 24 व्यक्तियों का स्थायीकरण उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के कारण रुका है तथा एक व्यक्ति का स्थायीकरण विचाराधीन है।

2 . सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के 255 स्थायी पदों में से 53 पद (स्थगित) हैं तथा 202 व्यक्तियों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है।

3 . सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकी) के 28 रिक्त पदों में से 20 अधिकारियों का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है। 7 सहायक विकास अधिकारियों का कार्य असन्तोषजनक पाया गया है तथा एक व्यक्ति का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

4 . सहायक विकास अधिकारी (महिला) के 85 स्थायी रिक्त पदों पर स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

5 · सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) के कुल 446 रिक्त पदों में 70 व्यक्तियों का स्थायीकरण विचाराधीन है तथा शष 376 स्थायी पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन लोक सेवा आयोग से प्राप्त किया जा रहा है।

6— पुनर्जीवित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी के 197 पद 18 अप्रैल, 1976 को स्थायी किए गए हैं। इन पदों के धारकों के स्थायीकरण के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जाने वाला है।

देवरिया की गन्ना सहकारी समितियों में कार्यरत चिकित्सकों को नया वेतन-मान

2 · श्री श्रीनारायण—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया (देवरिया और पडरौना दोनों का) जिले की किन-किन गन्ना सहकारी समितियों में चिकित्सक कार्यरत हैं और उनको अलग-अलग कितना-कितना वेतन मिलता है? उनके वेतनमान में असमानता के कारण क्या हैं तथा उन पर नया वेतन-मान लागू क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा · ·

जनपद देवरिया में देवरिया दक्षिणी के अन्तर्गत किसी भी गन्ना समिति में कोई डिस्पेन्सरी नहीं है अतः चिकित्सक के कार्यरत होने का प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक पडरौना का प्रश्न है इसके अन्तर्गत निम्नलिखित गन्ना समितियों में वैद्य कार्यरत हैं जिनके नाम एवं वेतन का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम-संख्या	नाम समिति	वेतन मान
1 ·	पडरौना	80 से 200
2—	रामकोल (पी)	450 से 700
3—	लक्ष्मीगंज	80 से 200
4 ·	कप्तानगंज	75 से 200
5 ·	दोदरबार	50 से 80 सहायक वैद्य।

उपरोक्त वेतनमान में असमानता का कारण गन्ना समितियों की आर्थिक स्थिति है। सचिव, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ ने अपने परिपत्र दिनांक 19—12—75 में प्रदेश की समस्त गन्ना समितियों के सचिवों को यह निर्देश दिये कि वेतन अभिनवीकरण के अन्तर्गत गन्ना समितियां अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये वेतनमान स्वयं निर्धारित करें तथा नये वेतनमान संघ की स्वीकृति से लागू करें। इसी निर्देश के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ गन्ना समिति रामकोला (पी) ने गन्ना संघ की स्वीकृति के उपरान्त अपने वैद्यों को उक्त वेतनमान 25 मार्च, 1976 से स्वीकृत किया।

3 · श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

देवरिया की साधन सहकारी समितियों के कर्मचारयों के विरुद्ध पंजीकृत गबन व भ्रष्टाचार के अभियोग

4 · श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में 15 जून, 1973 से 15 जून, 1976 तक किन-किन पुलिस स्टेशनों पर साधन सहकारी समितियों के पदाधिकारियों

तथा कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व गबन के कितने अभियोग दर्ज कराये गये तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा · ·

देवरिया जनपद में 15 जून, 1973 से 15 जून, 1976 तक निम्न पुलिस स्टेशनों पर साधन सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और गबन के कुल 52 अभियोग दर्ज कराये गये तथा इस सम्बन्ध में पुलिस अनुसन्धान शाखा, गोरखपुर द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त 52 में से 6 मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं तथा 1 में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गई है शेष 45 विवेचनाधीन हैं।

क्रमांक	नाम थाना	अभियोग संख्या
1	नेबुआ नौरंगिया	9
2	खामपार	10
3	हाटा	2
4	पडरौना	2
5	खड्डा	12
6	रामकोला	2
7	रुद्रपुर	1
8	कसया	2
9	बरहज	1
10	किशुनपुरा	1
11	बनकटा	1
12	गौरी बाजार	2
13	सलेमपुर	1
14	कप्तानगंज	4
15	भटनी	1
16	खुखन्दू	1
	योग	52

5 श्री कमला प्रसाद वर्मा · ·

[3 रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित।]

6 · श्री सत्य प्रकाश मालवीय · ·

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का स्थायीकरण

7 · श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़) ···

क्या ग्राम विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 1957 से नियुक्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) किन कारणों से अभी तक स्थायी नहीं किये जा सके हैं ? इसका स्थायीकरण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री रामजी लाल सहायक · ·

प्रश्नगत सहायक विकास अधिकारियों के स्थायीकरण किये जाने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं जिनके निवारण हेतु मामला शासन के विचाराधीन रहा। शासन ने अपने

पत्र दिनांक 22 ·7 ·76 द्वारा इनको स्थायी किये जाने के आदेश दे दिये हैं। तदनुसार प्रत्येक के स्थायीकरण की कार्यवाही तीव्रता से की जा रही है और अब तक 122 सहायक विकास अधिकारी स्थायी किये जा चुके हैं।

गन्ना विकास समिति, लक्ष्मीगंज, देवरिया के खाद गोदाम से उर्वरक वितरण के विरुद्ध जांच

8 --श्री श्रीनारायण--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के 3रे सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न सं0 11 के संदर्भ में क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के आधार पर कौन-कौन से व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई तथा कौन-कौन वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच की?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के 3रे सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 के संदर्भ में जांच के आधार पर निम्नलिखित व्यक्ति दोषी पाये गये--

1--श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, गन्ना विकास निरीक्षक, लक्ष्मीगंज।
2--श्री राधिक शरण सिंह, तत्कालीन गन्ना विकास निरीक्षक, लक्ष्मीगंज।
3--श्री राम चन्द्र यादव, सहायक सचिव।
4--श्री महादेव लाल, खाद लिपिक।
5--श्री राजेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, पर्यवेक्षक।

इन व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है--

1--श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, गन्ना विकास निरीक्षक को तीन माह का वेतन देकर दिनांक 13-5-1975 से सेवा निवृत कर दिया गया है।

2--श्री राधिक शरण सिंह, गन्ना विकास निरीक्षक को भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है।

3--श्री राम चन्द्र यादव, सहायक सचिव के केस में गन्ना संघ, लखनऊ की प्रशासकीय कमेटी ने निम्नलिखित निर्णय लिये--

(अ) इन्हें निलम्बन अवधि का पूरा वेतन दिया जाय।

(ब) इनको अपने कार्यकाल की शेष अवधि में सचेत रह कर कार्य करने के लिये चेतावनी दी जाती है।

(स) इन्हें सेवा-निवृत्त उपरान्त एक्सटेंशन न दिया जाय।

4--श्री महादेव लाल, खाद लिपिक के केस में निर्णय लेने के लिये जिला गन्ना कमेटी, सक्षम अधिकारी है। इनके विरुद्ध चल रहे केस के निर्णय पर बिना प्रभाव डाले इन्हें पदारूढ़ कया जा चुका है। जिला गन्ना कमेटी ने इनके कस में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

5--श्री राजेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, पर्यवेक्षक का दिनांक 25-12-1975 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका अनुशासनिक मामला समाप्त पर दिया गया है।

जांच तत्कालीन सहायक गन्ना आयुक्त (श्री के0 एम0 संत) एवं सहायक सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा की गयी थी।

ग्राम हरिसनपुर, बांदा के हरिजन कुएं में ब्लाक प्रमुख द्वारा अनियमित तरीके से करायी गयी बोरिंग

9—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक पहाड़ी के ग्राम हरिसनपुर में राज्य सरकार द्वारा निर्मित हरिजन कुयें में ब्लाक प्रमुख पहाड़ी ने अवैधानिक तरीके से बोरिंग करवा कर अपनी मशीन लगा ली है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्योरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, विवरण निम्न प्रकार है:

क्षेत्र समिति, पहाड़ी ने प्रस्ताव पारित किया कि प्रश्नगत कूप की बोरिंग सरकार द्वारा करा दिया जाय और यदि सरकार बोरिंग कराने में असमर्थ हो तो श्री अम्बिका प्रसाद मिश्र अपने व्यय पर बोरिंग कराने के लिये तैयार हैं । इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात् श्री देव दत्त मिश्र प्रमुख ने अपने पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद मिश्र की ओर से बिना नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये बोरिंग करा दी । यह ज्ञात होने पर कि न तो बोरिंग कराने की मांग शासन से की गयी थी और न ही इस बोरिंग की स्वीकृति जिला कार्यालय से ली गयी थी, खंड विकास अधिकारी ने बोरिंग तुरन्त बन्द करने व इंजन लगाने के निर्देश बोरिंगकर्ता को दे दिय हैं ।

खण्ड विकास अधिकारी, बृजमनगंज, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

10—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को ज्ञात है कि क्षेत्र विकास अधिकारी, बृजमनगंज, गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता की शिकायत जो उनके विकास क्षेत्र सहजनवां, गोरखपुर के कार्यकाल मैलेजर बुक व कश बुक की गड़बड़ी के संबंध में थी, की जांच समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

खंड विकास अधिकारी, बृजमनगंज के विरुद्ध शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच पूर्ण हो चुकी है, जांच के फलस्वरूप पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है और उप विकास आयुक्त, गोरखपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है ।

11—12 श्री त्रिवेणी सहाय—

[4थे सोमवार में प्रश्नांकित प्रश्न संख्या 3—4 पर स्थानान्तरित ।]

परिवहन निगम की बसों के मार्ग-कर का भुगतान

13—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के बेड़े में जो 4959 बसें हैं उनके पूरे टैक्स दिसम्बर, 1975 के अदा कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शिव प्रसाद—

परिवहन निगम के बेड़े में दिसम्बर, 1975 तक कुल 4917 संचालित बसें थी जिनके समस्त मार्ग-कर का भुगतान कर दिया गया है ।

फर्रुखाबाद में मंडी निर्माण योजना

14—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद के लिये नवीन मण्डी निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, मंडी स्थल के लिये भूमि की व्यवस्था की जा रही है। भूमि की व्यवस्था होते ही कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

क्षेत्रीय सहकारी समिति, जहांगीराबाद, बुलन्दशहर के सचिव श्री नवल सिंह के विरुद्ध गबन एवं मारपीट की रपोर्ट

15—श्री खचेड़ सिंह मोहरिया ...

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय सहकारी समिति, जहांगीराबाद बुलन्दशहर के किस-किस पदाधिकारी के विरुद्ध गबन व मारपीट की रिपोर्ट हाल ही में पुलिस विभाग में की गई है और इन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0, जहांगीराबाद, बुलन्दशहर के सचिव, श्री नवल सिंह के विरुद्ध धन के अपहरण एवं अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17-5-76 को थाना कोतवाली जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर में दर्ज कराई गई। मामले की विवेचना अभी विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, मेरठ द्वारा की जा रही है।

उक्त सचिव श्री नवल सिंह के ही विरुद्ध मारपीट करने से संबंधित एक शिकायत पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को दिनांक 25-6-76 को की गयी थी। जांच करने पर आरोप असत्य पाये गये। अतः पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

सरायमीर फर्रुखाबाद में सुगंधित पुष्पों की नर्सरी-योजना

16—श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरायमीर, जिला फर्रुखाबाद में सुगंधित पुष्पों की नर्सरी के विकास क लिये फार्म स्थापित करने की योजना पर विभाग बिचार कर रहा है ? यदि हां, तो इस योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ होने की आशा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं, परन्तु चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा अपने शोध प्रक्षेत्र सरायमीर, जिला फर्रुखाबाद में अन्य शोध कार्य के अतिरिक्त सुगंधित पुष्पों पर भी कार्य वर्तमान खरीफ से प्रारम्भ किया गया है।

कानपुर जिला परिषद् में कार्यरत हरिजन कर्मचारी

17—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर में जिला परिषद् के कार्यालय के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारी और अधिकारी हैं और अलग-अलग उनमें हरिजनों का क्या प्रतिशत है और क्या इस वर्ष 1976 में जनवरी से जून तक कितन कौन-कौन लोगों की नई नियुक्ति की गई है उनमें कितने हरिजनों को स्थान दिया गया है ?

श्री रामजी लाल सहायक ---

कानपुर जिला परिषद् के कार्यालय के अन्तर्गत कुल 278 कर्मचारी व 4 अधिकारी हैं, जिनमें अलग-अलग हरिजनों का प्रतिशत संलग्न तालिका में अंकित है ।

वर्ष 1976 में जनवरी से जून तक कुल सात कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसमें दो हरिजनों को स्थान दिया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

पद	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति
कम्पाउन्डर ..	3	1
पौंडकीपर ..	..	1
वैद्य ..	1	..
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ..	1	..
योग ..	5	2 — 7

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 352 पर)

राजकीय परिवहन निगम की कार्यशाला, गोरखपुर के आकस्मिक निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता

18 · श्री शारदा प्रसाद रावत · ·

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि चीफ सिक्योरिटी आफिसर, राजकीय परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा मई, 1976 में रा0प0 निगम के गोरखपुर स्थित वर्कशाप की आकस्मिक जांच में 18,000 रुपया कीमत के पुर्जे कबाड़ में छिपाये हुए मिले ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद ---

गोरखपुर कार्यशाला का मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22 व 23 मई, 1976 को आकस्मिक निरीक्षण के फलस्वरूप रु 09,338 मूल्य के पुर्जे व अन्य सामान कबाड़ में छिपे पाये गये ।

इस अनियमितता के संबंध में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है।

जिला परिषद्, कानपुर में तहबाजारी की वसूली में कमी

19---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर, जिला परिषद् ने इस वर्ष तहबाजारी की वसूली बन्द कर दी है ? यदि हां, तो किस कारण से और इससे परिषद् को कितनी धनराशि की हानि उठानी पड़ी है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

राष्ट्रीय तथा राज्य मार्गों के अतिरिक्त अन्य सड़कों पर जिला परिषद्, कानपुर यथापूर्व तहबाजारी वसूल कर रही है। यातायात म अवरोध हटाने तथा दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिये शासन ने यह निर्देश दिये है कि राष्ट्रीय तथा राज्य मार्गों क किनारे कोई दुकान, स्टैण्ड, हाट बाजार तथा मल न लगाये जायं । इस कारण जिला परिषद्, कानपुर को लगभग 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष की आय से वंचित होना पड़ा है ।

प्रदेश की मंडी समितियों के चुनाव की मांग

20. श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश की मंडी समितियों को अक्तूबर, 1970 में सुपरसीड करके जिलाधिकारियों के आधीन कर दिया गया है और उनका चुनाव अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अब तक चुनाव न कराने का क्या कारण है और कब तक मन्डी समितियों का चुनाव करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालीन व्यवस्था) अधिनियम के अनुसार दिनांक 30 अक्तूबर, 1971 से प्रदेश की मंडी समितियों के सभी अधिकार संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों में निहित कर दिये गये हैं। मंडी समितियों के चुनावों के लिये मंडी अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों में कतिपय संशोधन की आवश्यकता पाई गई जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। चुनाव के लिये अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

"कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 1 व 2 नवम्बर, 1976 की बैठको में यह सिफारिश की है कि सदन के 2 नवम्बर, 1976 से 4 नवम्बर, 1976 तक के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्य-क्रम रखा जाय :-

2-11-76

(क) नेता सदन द्वारा उपस्थित निम्नलिखित संकल्प पर विचार ;

संकल्प

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मंत्रियों के परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि नियमावली के नियम 1 के खंड (क) में उल्लिखित समितियों की सूची के अन्त में नई प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात् :-

"29—क्षेत्रीय विकास 16 4"

(ख) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976।

(2) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976।

(3) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976।

(4) उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976।

(5) उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976।

(6) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976।

3-11-76

(1) उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थ, पंचम एवं षष्ट प्रतिवेदनों पर विचार।

(2) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण।

(3) हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 के संबंध में राष्ट्रपति से प्राप्त संदेश पर विचार ।

4-11-76

(1) 12 बजे से 2 बजे तक

विधायी कार्य, जो पहले का शेष हो एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव ।

(2) 2 बजे से 5 बजे तक

5 नवम्बर, 1976 को लिये जाने वाले असरकारी संकल्प ।"

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) —

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

11 मई, 1976 को श्री रामचन्द्र बक्श सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

श्री अध्यक्ष ...

11 मई, 1976 को श्री रामचन्द्र बक्श सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 के सम्बन्ध में उनके ही अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री का शोधन वक्तव्य ।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हबीबुर्रहमान नोमानी)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11 मई, 1976 को श्री रामचन्द्र बक्श सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 के संबंध में श्री रामचन्द्र बक्श सिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "अध्यक्ष को इनकी सेवायें समाप्त करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार परिषद् को है । तो क्या वह इस बात की जांच करवायेगी कि उन्होंने अधिकार का अतिक्रमण किया है और गलत तरीके से सेवायें समाप्त कर दी गई हैं और अब इसमें अपील का खर्चा परिषद् देगी या यह उनकी परसनल लाइबिलिटी होगी कि अपील का खर्चा वह दें ?"

उस समय सदन में अनुपूर्वक प्रश्नों के उत्तर में यह कहा गया था कि ...

"श्री शान्ति प्रसाद मिश्र, जिनके ऊपर 8 आरोप हैं, दूसरे श्री अमरनाथ हैं, उनके खिलाफ 12 आरोप हैं" उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है "श्री शान्ति प्रसाद मिश्र के विरुद्ध 7 तथा श्री अमरनाथ के विरुद्ध 15 आरोप थे ।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ङ', आगे पृष्ठ 383 पर ।)

4 मई, 1976 को श्री ऊदल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4-5-1976 को श्री ऊदल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 के संबंध में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने अनूपुरक प्रश्न पूछा था कि "कृषि निदशालय में भी एक पुलिस सेल है तो जब लोकल पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है तो उसे पुलिस सेल को क्यों नहीं सुपुर्द कर दिया गया ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "आपत्ति तो कुछ नहीं थी लेकिन ऐसे मामले में लोकल पुलिस जितनी जल्दी जांच करके प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही कर सकती है उतनी जल्दी यहां से नहीं हो सकती है। दूसरे, अगर यहां से जांच करा भी लें तो भी प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही हेतु लोकल पुलिस को ही मामला भेजा जाता। चूंकि यह मामला गम्भीर है इसलिये लोकल पुलिस को जांच करने और मामले को आगे बढ़ाने में सहूलियत हो सकती है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है "आपत्ति तो कुछ नहीं थी लेकिन ऐसे मामले में लोकल पुलिस जितनी जल्दी जांच करके प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही कर सकती है उतनी ही जल्दी यहां से नहीं हो सकती है। लोकल पुलिस को जांच करने और मामले को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी इसलिये प्रयास किया जा रहा है कि वे इसमें शीघ्र कार्यवाही करके प्रोसीक्यूशन करें।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 354 पर)

विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, को वापस लेने का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहनी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

राजस्व राज्य मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीरबहादुर सिंह---

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 357 पर ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी) ---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 की पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी ---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 374 पर)

कार्य स्थगन–प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय श्री श्रीनारायण ने एक सूचना दी है, वह हैं नहीं, इसलिये वह सूचना खत्म हो गयी ।

मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के सम्बन्ध में संकल्प

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) ---

श्रीमन्, मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि नियमावली" के नियम 1 के खंड (क) में उल्लिखित समितियों की सूची के अन्त में नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय ,अर्थात्---

"29 . क्षेत्रीय विकास 16 4"

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया जाय ---

"उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि नियमावली" के नियम 1 के खंड (क) में उल्लिखित समितियों की सूची के अन्त में नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"29 ..क्षेत्रीय विकास 16 4"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976†

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) ..

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस प्रदेश में अपने आर्थिक विकास के लिये तथा उत्पादन आदि बढ़ाने के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं, उसके सम्बन्ध में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा, उसे मुझे प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में 3 बड़ी योजनाएं इस समय चल रही हैं, निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे प्रदेश में खेती का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इनमें गंडक कमाण्ड एरिया में गंडक योजना का कार्य बहुत पूर्ण हो चुका है। उसमें वाटरलागिंग की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जो पानी एक सतह पर आ गया है उस पानी को उलचा जा सके, यह कार्य किया गया है। इसी तरह शारदा सहायक योजना जो प्रदेश नहीं, देश की बहुत बड़ी सिंचाई योजना है, इसमें भी पानी की सिंचाई की क्षमता बहुत बढ़ने जा रही है। इस वर्ष लगभग 52 करोड़ रुपया शारदा सहायक योजना में खर्च हो रहा है, जिससे कि कायापलट हो जायगी खेती के पैदावार में। इसी तरह राम गंगा योजना भी कई जिलों को अधिक खेती के उत्पादन के लिये सहायक सिद्ध होगी। कुल मिलाकर 28 लाख खेती योग्य भूमि इन तीन योजनाओं से लाभान्वित होगी यानी लगभग 65 लाख एकड़ जमीन लाभान्वित होगी, जो गंडक और रामगंगा परियोजना की परिधि में आती है। अगर हम एक टन लागत लगायें, तो आसानी से तिगुना पैदावार की जा सकती है। तो लगभग 56 लाख की पैदावार की वृद्धि होने की आशा है। इससे गरीबी कितनी दूर होगी और कितना अन्न मिलेगा, इससे अंदाजा लग सकता है। आज के इस युग में मुख्य प्रश्न यह है कि जब सिंचन बढ़ता है तो उसका कैसे उपयोग करें?

एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिट्टी की किस्म को देखते हुए क्या फसल चक्र हो, इसको अगर हम सुनिश्चित नहीं करेंगे तो अरबों रुपया जो लग रहा है सिंचाई की योजना में, तो उसका उपयोग नहीं हो सकता है। विश्व के तमाम क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास एरिया डवलपमेंट ने बहुत ही महत्व प्राप्त कर लिया है ताकि एक पैकेज की दृष्टि से चाहे कृषि का विभाग हो, चाहे सिंचाई का विभाग हो, या पशुपालन विभाग हो, उसे एक अथारिटी देना होगा, तब इन्सेंटिव कल्टीवेशन उस आधार पर सुनिश्चित हो सकती है। हमारे प्रदेश में इस बात का अभी तक कोई वैधानिक संगठन सही मान में नहीं बना था। अलग-अलग प्राधिकारी अभी तक थे। समन्वय नहीं हो पा रहा था। तो इस अथारिटी का जो हम संगठन करने

†1 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जा रहे हैं, ये बैंकों से रुपया भी जिससे ले सक, जिसके ये योजना के अन्तर्गत धनराशि भी खर्च कर सकें और खेती के विकास के अधिकार भी उसके माध्यम से हो सके। कुलावे के लिए भी यह व्यवस्था करें। जो कुलावे कमेटी होगी उससे पानी की व्यवस्था भी करें। खेती का क्षेत्रफल, आकार आदि, किसानों को सलाह आदि भी सुनिश्चित करें। फसल चक्र के आधार पर खेती कराने का काम करें। हमारे प्रदेश में जो नई हमारी रणनीति है, उसमें हम कमाण्ड एरिया, क्षेत्रीय विकास को हम प्रमुख महत्व देना चाहते हैं।

इसीलिये क्षेत्रीय विकास विभाग को अलग किया गया है और मुख्य मंत्री होने के नाते मैंने स्वतः इस एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अपने पास रखा है ताकि कोआर्डिनेशन में, समन्वय में आसानी हो। इसी दृष्टिकोण से कि क्षेत्रीय डेवलपमेंट का बड़ा महत्व है, इसके लिये कानूनी अधिकार प्राप्त किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से इसे हम ठीक से लागू करा सकेंगे। क्योंकि कृषि हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगर हम कृषि का उत्पादन तिगुना बढ़ा सकें तो इसका मतलब है कि एक तिहाई गरीबी हमारे यहां रह जायेगी और अगर दुगुना उत्पादन बढ़ा तो आधी गरीबी रह जायेगी। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है कि हम अपने यहां इंटेंसिव खेती करके उसके उत्पादन को बढ़ावें। सिंचाई की क्षमता का पूरा उपयोग हो, बिजली की क्षमता का पूरा उपयोग हो, इसीलिये हम इसे कानूनी अधिकार देने जा रहे हैं। इससे एक करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

जैसा कि मैंने बतलाया, शारदा सहायक प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट और रामगंगा प्रोजेक्ट अभी लिया जा रहा है, इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट भी लिये जायेंगे। जैसे शारदा सहायक प्रोजेक्ट का दूसरा चरण, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा और बस्ती में शुरू होने वाला है। तो उसके लिये हमको वहां पर भी अथारिटी बनानी होगी। उसी तरह से पैरेलेल गंगा कैनाल, के लिये मुजफ्फरनगर में भी वैसी ही एक अथारिटी गठित करनी होगी। राजघाट से अगर पानी मिलने लगे तो वहां भी एक अथारिटी का गठन करना होगा। प्रत्येक अथारिटी 10 करोड़ की पूंजी से शुरू होगी। यह इस विधेयक से स्पष्ट है कि 10 करोड़ की पूंजी से एक अथारिटी की शुरूआत होगी। इस तरह से अन्दाज लग सकता है कि अगर इस तरह की 10 अथारिटी बनी तो करीब 100 करोड़ की पूंजी लगेगी। जो रिजर्व बैंक से मिलेगी, फाइनेंशियल कारपोरेशन से मिलेगी और दूसरी संस्थाओं से भी मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इससे प्रदेश का काफी विकास हो सकता है। इसमें किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है, इसलिये मैं सदन से आग्रह करूंगा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक, जिससे प्रदेश का भविष्य में बराबर विकास होता रहेगा, इसे एक मत से स्वीकार करेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

माननीय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण के शुरू में ही यह कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। जैसा कि उन्होंने कहा मैं भी ऐसा ही समझता हूं। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा—गंडक प्रोजेक्ट, राम गंगा प्रोजेक्ट और शारदा सहायक प्रोजेक्ट पर मुख्य रूप से य कार्य किये जायेंगे। जैसे जमीन का समतल करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, सघन खेती करना, आदि-आदि। माननीय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बतलाया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है गंडक क्षत्र में करीब दो तीन साल पहले से, इस विधेयक के जरिय नहीं बल्कि बहुत पहले से इस योजना को लागू किया गया है और एक बहुत

बड़े अधिकारी की नियुक्ति करके उनके अधिकार में बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है और वे कार्य भी कर रहे हैं। वे भूमि संरक्षण का कार्य भी करते हैं, सघन खेती का काम भी करते है तथा और-और दूसरे काम भी करते हैं। नाम उन सज्जन का नहीं मालूम है। दूसरा जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने राम गंगा प्रोजेक्ट का किया। राम गंगा क्षेत्र में एक बहुत बड़े अधिकारी जो पहले कृषि विभाग के डाइरेक्टर थे, रामकिशन जी उनकी नियुक्ति की गयी है और जो करीब दो साल से उस क्षेत्र के लिये कार्य कर रहे हैं। उनके क्षेत्राधिकार में बहुत से अधिकारी और कर्मचारी इस योजना में कार्यरत है। इसी तरह से अभी हाल ही में राम गंगा वाले क्षेत्र में एक आई० ए० एस० अफसर की नियुक्ति और गंडक योजना में भी एक आई० ए० एस० अफसर की नियक्ति की गयी। तो इसके बारे में 2-3 साल से जब से योजना को लागू किया गया है, मुख्य मंत्री महोदय, अब इसको इस विधेयक के जरिये एक योजना का रूप देना चाहते हैं। अब तक इसमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या उपलब्धियां हुईं, कितने क्विंटल पैदावार में बढ़ोत्तरी हुयी, कितना भूमि संरक्षण का काम किया, कितना सिंचाई के लिये कार्य किया, इसका कोई जिक्र मुख्य मंत्री महोदय ने इस विधेयक को पेश करते हुये नहीं किया। श्रीमन्, इतना ही नहीं इस विधेयक में आप देखेंगे, अभी मैं धारा 35 को पढ़कर सुनाऊंगा। अभी माल मंत्री जी ने एक विधेयक पेश करने के लिये अनुज्ञा मांगी है उनको अनुज्ञा मिल भी गयी है। मैं इस विधेयक के लिये अभी इतना कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये यह काला कानून है, यह मैं कहना चाहता हूं। इसमें सिंचित और असिंचित की परिभाषा करके तमाम जितने नियम और कायदे थे, राजस्व के थे, उन सबको मटियामेट करके एक नियम सिंचित असिंचित का किया जा रहा है। श्रीमन्, इसमें धारा 35 को देखें मैं आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं:—

"ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन जिन्हें विहित किया जाय और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन भी रहते हुये" प्राधिकारी भूमि विकास की लागत और किसी निर्माण-कार्य की लागत की वसूली के लिये उस व्यक्ति से, जो ऐसी भूमि विकास और निर्माण-कार्य से लाभान्वित हुआ है, ऐसी किस्तों में और ऐसी अवधि के दौरान जैसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, परिव्यय उद्गृहीत कर सकता है। इसमें कई धारायें हैं। श्रीमन्, यह एक परम्परा पड़ गयी है पूंजी वसूल करने की, निगम बनाने की। निगम का जिक्र कल आया था। परिवहन निगम को न तो बैलेंशशीट ही बनी है और न कोई हिसाब-किताब है। यही हाल विद्युत् परिषद् का है। मैं समझता हूं कि छोटे किसान या सीमांत किसान जो इस योजना के अगल-बगल पड़ेंगे वह मारे जायंगे। इसीलिये मैं श्रीमन् चाहता हूं कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है इसका किसानों के ऊपर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा, श्रीमन्, जिस तरह से भूमि संरक्षण का काम सरकार ने अपने हाथ में लिया और उसका प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ा, कायदे के हिसाब से काम नहीं हुआ और किसानों से उसका भुगतान कराया गया और आज भी लाखों करोड़ों रुपये किसान पर है। कुर्की होती है, नीलामी होती है। इसी प्रकार का प्राविधान इस विधेयक के अन्तर्गत है। इसलिये मैं चाहता था कि इस पर बहुत ठंडे दिल से और दिमाग से विचार किया जाय। इसीलिये मैंने निवेदन किया है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजा जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं हमारी जिन्दगी का सवाल हो तो हम आपके सामने बलिदान होने के लिये तैयार हैं। आपके साथ हमको मरना और आपके ही साथ जीना है। आपकी नाव डूबेगी तो इस कम्युनिस्ट पार्टी की नाव डूबेगी और आपकी बची रहेगी तो यह भी बची रहेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि नाव न डूबे। यह लोग जो सदन का बहिष्कार किये हुये हैं उनकी कोई राय यदि इस विधेयक के बारे में नहीं आती है और हम यदि आपका समर्थन कर दें और बिल पास हो जाय तो इसको प्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। इसलिये यदि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में इसको दे दें तो यह लोग भी हिस्सा ले सकते है और आपके ऊपर कोई

[श्री ऊदल]
आरोप नहीं लगेगा। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें जो कि देश के लिये हितकर होगा। यदि प्रवर समिति में नहीं भेजेंगे तो इसका प्रभाव बहुत ही भयानक होगा। इसलिये इस प्रस्ताव को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और संयुक्त प्रवर समिति को भेजने का हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिये धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार का बिल इस सदन में बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। लेकिन दुर्भाग्य से सदन इस पर पहले विचार नहीं कर सका था। मैं केवल एक या दो सुझाव, जो इस बिल में त्रुटि के रूप में है, शामिल करने के लिये निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह प्राविधान नहीं है कि यदि किसी की जमीन को आप इन कामों के लिये ले लेते हैं तो किसानों को कुछ कहने के लिये अवसर नहीं मिलेगा इसकी इस बिल में कुछ चर्चा नहीं है। सरकार के हित में निवेदन करूंगा और श्रीमन्, आपके जिले में भी चकबन्दी हो रही है और उसके बाद इस तरह के निर्माण-कार्य हम शुरू करते हैं तो उस क्षेत्र के किसानों की क्या हालत होगी जिसका कि सारा का सारा खेत इस काम के लिये ले लिया जायेगा और यदि वह कुछ कहते हैं तो उनको दंड मिलेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस प्रकार के आदेश जारी करने चाहिये कि जहां नहरों की शाखायें ले जाना चाहते हैं वहां की जमीन चकबन्दी में सामूहिक रूप से निकाल लें और उसके बाद सरकार को मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा और वह ग्राम समाज की सम्पत्ति हो जायेगी। इस प्रकार किसी एक व्यक्ति को उजाड़ना नहीं पड़ेगा। हमारे जिले में शारदा सहायक नहर का निर्माण हो रहा है। हमने अनेकों बार अधिकारियों से इस संबंध में निवेदन किया है। इसलिये मान्यवर, जहां चकबन्दी हो रही है और जहां निर्माण-कार्य होने वाले हैं वहां इस प्रकार की जमीन को आरक्षण कर दें। यह भी निवेदन करूंगा कि जहां चकबन्दी हो गयी है और इस प्रकार के निर्माण-कार्य होंगे तो वहां पुनः चकबन्दी कराकर इस प्रकार की जमीन सामूहिक रूप से लें। इस कायदे कानून की चर्चा इस बिल में नहीं है। अतः निवेदन करूंगा कि इस काम को करने के लिये आप ऐक्ट में कोई अंश जोड़े या अलग से नियम बनाकर लागू करें। दूसरी बात श्रीमन् मैं यह जानना चाहूंगा कि इस विधेयक में यह प्राविधान नहीं है कि कितना मुआवजा आप किसान को देंगे। पुरानी परिपाटी यह है कि किसान को उसके सरकल रेट की मालगुजारी से छः गुना हम मुआवजा देते हैं। आपको जानकारी में होगा की एकड़ की मालियत बारह हजार, दस हजार और पच्चीस हजार आंकी गयी और उतना पैसा जमा करने के बाद ही कोई बैयनामा करता है। वह कैसे खेती कर पाता है? मैं जानना चाहूंगा कि सरकार पुराना नियम जिस में सरकल रेट में मालगुजारी का कुल 6 गुना, दस गुना देने का प्राविधान है, उस पर विचार करें। कोई गरीब आदमी किसी कारणवश सरकार ही को अच्छे काम के लिये जमीन देता है उसमें दस हजार बीस हजार की मालियत आंकी जाय यह अच्छा नहीं है। इसमें भी सरकार को उदार होना चाहिए और उदार होकर जनहित में इस प्रकार का प्राविधान इस अधिनियम में रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को सुझाव रूप में माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मुख रखता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय ऊदल जी द्वारा रखे गये संशोधन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो यह विधेयक लाया जा रहा है इसमें प्रदेश के करीब एक करोड़ किसान किसी न किसी ढंग से प्रभावित होंगे। मुख्य उद्देश्य इस विधेयक को लाने का यह है कि जो परियोजना का पानी है इसका अधिक से अधिक उपयोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया।

किस तरह से किया जाय और उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से ज्यादा कारगर ढंग से की जा सके। मान्यवर, यह सही बात है कि सिंचाई परियोजना अच्छे ढंग से बढ़ेगी और हम उस दिन की कामना करते हैं कि किसान की सारी खेती इस परियोजना के अन्तर्गत आ जाय और आ जायगी जहां तक मेरा विश्वास है। अब मान्यवर, बुनियादी प्रश्न यह उठता है कि किसान के प्रति इस सरकार की नीति क्या है, क्योंकि पूरे के पूरे किसान इस विधेयक के द्वारा प्रभावित होने वाले हैं। यह जो रीजनल डेवलपमेंट अथारिटी जो इस विधेयक के जरिये बनायी जाने वाली है, वह एक नहीं बल्कि अनेक मामलों में किसानों के कामों में दखलन्दाजी कर सकती हैं जो अपनी-अपनी मरजी के हिसाब से काम करते हैं। इसे अधिकार दिये जा रहे हैं कि कैसे उत्पादन होगा। मान्यवर, बुनियादी बात यह है जिसकी ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खाली इतना ही नहीं होना चाहिए कि फसल ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। खेती का एक पहलू होना चाहिये और दूसरा पहलू यह होना चाहिये कि जो कुछ किसान पैदा करता है, ज्यादा से ज्यादा पैदा करेगा उसकी कीमत उसको क्या मिलने वाली है? इस विधेयक के जरिये इस परियोजना के अन्तर्गत जितनी भूमि आने वाली है उससे किसान को क्या कीमत मिलने वाली है? ये प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुये हैं वरना होगा यह कि डेवलपमेंट अथारिटी कुछ और करेगा, किसान कुछ और चाहेगा और दोनों में क्लेश होगी।

लिहाजा मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कीमत का सवाल जो किसान पैदा कर रहा है यह सवाल बुनियादी सवाल है। जब ऐसी बड़ी योजना, स्कीम है और उसके लिये इतना बड़ा विधेयक लाया जा रहा है तो यह बात विधेयक में अवश्य होनी चाहिये थी कि कम से कम इस योजना के क्षेत्र के अन्तर्गत हम जो किसानों के लिये उत्पादन की व्यवस्था करते हैं, यह एक अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना चाहिये कि उनकी फसलों को, उनके उत्पादन को आज कल कीमत मिल रही है। कैसे इसको बढ़ाया जाय। परचेजिंग सेंटर से लेकर जो पालिसी है इसको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिये ताकि सही कीमत किसानों को मिल सके और यह स्कीम कारगर ढंग से लागू हो सके। मान्यवर, दूसरी चीज धारा 3 के अन्दर एक अथारिटी के गठन की बात कही गयी है, वही एक चीज मान्यवर, जिसके ऊपर इस सरकार का और उस तरफ के बैठे हुये तमाम माननीय सदस्यों का यह निश्चित मत और विश्वास है कि नौकर शाही जिन-जिन मामलों में हाथ डाल रही है चाहे वह 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हो, चाहे वह परिवार नियोजन हो और चाहे जितना भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम हो, वह इस देश के और इस समाज की प्रगति के लिये एक रोड़ा बनी हुई है।

लेकिन, मान्यवर देखें कि धारा 3 के अन्दर जिस अथारिटी का गठन होने जा रहा है उसके 10 सदस्य सरकारी अधिकारी और जिनकी तरक्की और बहबूदी आदि का प्रश्न है उनके केवल 4 प्रतिनिधि इसमें रखे गये हैं। आज किसान पीड़ित है, प्रताड़ित है और परेशान है। चाहे गन्ने की कीमत का सवाल हो, चाहे गेहूं की कीमत का, उनको कम पैसा मिलता है। आज गांव-गांव के अन्दर 50रु0, 48रु0 और 45 रु0 क्विंटल का धान खरीदा जा रहा है लेकिन आप कहीं पर भी परचेजिंग सेंटर नहीं खोलते हैं और यह सारा पैसा दूसरों के हाथ में चला जाता है। अब इसकी तरफ आपकी नजर जानी चाहिये। जिन कमेटियों का गठन हो उसमें बराबर प्रतिनिधि होने चाहिये। कहने को तो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट बहुत कुछ बता देते हैं, उनको टेक्निकल ज्ञान ज्यादा होता है परन्तु किस खेत में क्या पैदा होता है, यह जितना एक किसान को मालूम होता है उतना उनको नहीं होता है। उनका व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम होता है।

दूसरी बात मान्यवर, धारा 5 के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर एक समिति का गठन हो रहा है। अब मान्यवर, इसका गठन भी यही जो प्रस्तर 30 जिसमें नौकरशाही का बोलबाला होगा, वही करेंगे। अगर वह लोग करेंगे जो जाहिर है कि किसानों के नुमाइन्दे इस समिति

[श्री राम चन्द्र बक्श सिंह]

में नहीं आयेंगे बल्कि मालूम हुआ कि एग्रीकल्चरल आफिसर, जिलाधीश और कोई सिंचाई के कोई अधिकारी, मतलब यह कि किसानों का कोई चांस नहीं है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अच्छी स्कीमें इसलिये फेल हो रही हैं या हो चुकी हैं कि उनको लागू करने वाली मशीनरी की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है । वही पुराने औजार है जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने हुकूमत की और जुल्म ढाये । सारी की सारी मशीनरी वही आज आप समाजवाद की स्थापना करने की सोच रहे हैं तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि और जो है सो है लेकिन जो नये व्यक्ति आ रहे हैं अब इनमें नयी दिशा, नयी तब्दीली और नयी रोशनी डाली जाय ताकि देश के किसानों में यह विश्वास पैदा हो सके, वे भी देश की प्रगति में जुट सकते हैं । अब धारा 35 के अन्तर्गत यह बात कही गयी है कि विकास के कार्य जो किये जायेंगे, उनमें जो लागत आयेगी उसकी वसूली किसानों से कर ली जायगी । लेकिन अब प्रेस्काइब्ड अथारिटी के दिमाग में यह बात आये कि इधर से यह रोड निकलना चाहिये तो वह निकाल दी जायगी । आवश्यकता हो तो कोई बात नहीं लेकिन इन समितियों के अन्दर किसानों का बहुमत होना चाहिये वर्ना यह होगा कि रीजनल डेवलपमेंट अथारिटी, लखनऊ में बैठकर कह देगी कि इधर से नहर निकाली जाय, उधर से सड़क निकाली जाय और विकास के नाम पर हजारों रुपये किसान से ले लिये जायेंगे, इससे मामला बनने के बजाय मामला और बिगड़ जायगा ।

भू-संरक्षण के मामले में यह देखने में आया कि खेतों पर जहां मिट्टी बहने का सवाल नहीं था, तीन-तीन फीट दीवार मेड़ बना दी गयी और उसके लिये किसानों से रुपया वसूल किया गया । इसी तरह से डेवलपमेंट के नाम पर आवश्यकता भले ही न हो, किसानों से पैसा वसूल किये जाने की संभावना है और इस तरह से खामख्वाह एक मामला नौकरशाही को दिया जा रहा है, हालांकि इस विधेयक का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो सकेगा । इससे पूरे प्रदेश के किसानों पर असर पड़ने वाला है और इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सब लोगों से राय लेकर व्यापक तरीके से यह बिल लाया जाय । अतएव मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको चाहें तो वह वापस ले लें या प्रवर समिति में भेज दें ताकि इस मामले को सोचने विचारने के उपरान्त अमली जामा पहनाया जा सके ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, इस विधेयक पर माननीय सदस्यों ने जो अपनी सहमति प्रकट की है, उसके लिये मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं । माननीय सदस्य, बाराबंकी ने जो इसे वापस लेने का सुझाव दिया तो उनका प्रस्ताव इसे प्रवर समिति में भेजने का तो था लेकिन वापस लेने का प्रस्ताव नहीं है । शायद उनकी यह मंशा भी नहीं है कि ऐसे प्रगतिशील विधेयक को वापस लिया जाय ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह---

प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

वापस लेने का अर्थ तो था सिद्धान्त से विरोध । उनका मैं आभारी हूं कि उन्होंने वापस लेने के सुझाव को वापस ले लिया । जैसा मैंने बताया यह विधेयक उत्तर प्रदेश की खेती में क्रान्ति लाने वाला है । आर्थिक पिछड़ेपन की बात प्रदेश के बारे में बार-बार कही जाती है । इसको दूर करने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि खेती जो सबसे बड़ा उद्योग है, उसका उत्पादन बढ़े । उसके लिये सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता है । इसके लिये जल क्षमता बढ़ाई जाय, खाद व बीज का प्रबन्ध हो । आप जानते हैं कि किसी गांव में दो या चार आदमी भी गांव की पूरी सिंचन क्षमता को इस्तेमाल न होन देने में बाधक हो सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें कानूनी बाधायें भी हो सकती हैं। लाल फीताशाही का इस्तेमाल होता ही रहता है। तो इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो प्राधिकरण गठित होगा उसके द्वारा तमाम कानून एक ही अथारिटी द्वारा संचालित होंगे। किसान को दस जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा। एक ही अथारिटी पूरा काम करेगी यह इसकी विशेषता है और फिर जड़मूल तक एक-एक खेत तक सुविधा इससे देने की व्यवस्था की जायेगी ताकि समग्र से विकास हो सके। प्राधिकरण को इनपुट्स के लिए मार्केटिंग की फैसिलिटीज तथा इन फ्रास्ट्रक्चर बनाने का अधिकार दिया जा रहा है। कुलावे को इसमें सबसे महत्व दिया गया है, कुलावे को एक बेसिस माना गया है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में कुलावे का बहुत महत्व है, यह सबसे छोटी इकाई है। तो इस तरह से गांव जिला और प्रदेश के विकास की बात इसमें है जिसे हम माईक्रो प्लानिंग कहते हैं। यह सब काम प्राधिकरण देखेगा जो कि इस विधेयक की विशेषता है।

मैं, माननीय ऊदल जी ने जो कहा, उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। इसमें बलिदान की बात नहीं आती है यह तो हमें शक्ति देता है, बलिदान वह लोग होंगे जो इसका विरोध करते हैं, आप तो इसमें सहयोग देंगे। इससे किसानों की आमदनी चौगुनी होगी, जब उसकी आमदनी बढ़ेगी तो किसान खुश होगा। अगर तीन-चार गुना आमदनी किसान को ज्यादा होगी तो उसका 1/10भाग अगर वह राज्य को दे दे तो क्या बुरा है? फिर उससे नई योजनायें बनेंगी और फिर किसान को सिंचाई की और सुविधायें मिलेंगी। इससे किसान नाराज नहीं होगा। अगर किसी की आमदनी 10 रु0 से 40 रु0 हो जाती है और अगर वह पहले 10 रुपयों में दो रुपया देता था और अब 5 रु0 दे दे तो उसमें क्या गलत है। इसमें कोई शिकायत की बात भी नहीं है तो 5 रु0 को 40 रु0 में देखना पड़ेगा।

अब इसमें चकबन्दी का प्रश्न आया। उसमें भी कुछ रुपया वसूल किया जाता है। आज भी अगर चकबन्दी होती है तो कुछ फीस किसानों से ली ही जाती है। अब अगर प्राधिकरण इस काम को करेगा तो इसमें कोई नई बात नहीं है और जो प्राधिकरण को अधिकार दिये जा रहे हैं वह इनेबलिंग क्लोज है, यह मैनडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती वसूल किया जायेगा। बहुत बार शिकायतें आती हैं कि स्वायल कंजरवेशन में रुपया बरबाद हो रहा है चाहे बरबाद हुआ हो या न हुआ हो। तो वह रुपया किसान से वसूल होता है। यदि यह रुपया यह प्राधिकरण वसूल करता है तो क्या कठिनाई है और यह किसान की मर्जी से होगा। फिर इसमें किश्तों का प्राविधान है। यह इनेबलिंग क्लोज के रूप में है। अतः यह एक कंप्रीहैंसिव क्लोज है और स्वतः संपूर्ण विधेयक है।

माननीय सदस्य, आजमगढ़, श्री राम सुन्दर पांडेय जो ने जो सुझाव दिया वह एक व्यवहारिक महत्व का है। सामुहिक कटौती की बात कही। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इसकी धारा 17 (4) में इसका प्राविधान किया गया है अगर वह इसका अध्ययन करें तो इसमें लिखा हुआ है 'अनुपातिक कमी करने की शक्ति होगी।'

अब इसमें माननीय सदस्य, बाराबंकी, श्री राम चन्द्र बक्श जी ने इसमें नौकरशाही को अधिकार देने की बात कही कि गैर सरकारी व्यक्तियों की अधिक से अधिकसलाह लेनी चाहिए, उनको अधिकार दिया जाना चाहिए और नौकरशाही का दखल कम होना चाहिए। तो इसीलिये धारा 5 (1) व 5 (3) में इन समितियों की व्यवस्था की गयी है। इसमें ऐसा नहीं है कि गैर सरकारी व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इसमें साफ लिखा है "जिसमें पूर्ण रूप से प्राधिकारी के सदस्य या पूर्ण रूप से अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के कुछ सदस्य और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे।" हो सकता है कि इसमें शुरू की स्टेज में इन लोगों को समावेश न हो पाया हो। इतना बड़ा राज्य है और उसमें किसी समिति के लिये उपयुक्त गैर सरकारी व्यक्तियों का नाम आने में काफी समय लग जाता है। काम शुरू करने के लिए सरकारी सदस्यों से काम शुरू कर दिया जाता है और बाद में गैर सरकारी सदस्य भी शामिल कर लिये जाते हैं। केवल उनका

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

नाम रखने की उसमें व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये । नाम न आने की वजह से काम शुरू करने में देर न होनी चाहिये । इसलिये जरूरी है कि प्राधिकारी भी रहे और गैर सरकारी व्यक्ति भी रहें, जिसका प्राविधान धारा 5 (1) में किया गया है ।

श्री सन्त सिंह युसूफ (जिला कानपुर)---

आपके पुराने जो भाई बन्धु हैं, सुना है कि वे दो दिन में आने वाले हैं और यदि वे आ जावेंगे तो उस वक्त करना, क्योंकि इसमें देहात का मामला है और चौधरी चरण सिंह का मामला है । उनको भी आप दो एक बात कह लेने दीजिए । किन्तु यदि आप समझते हैं कि यह ठीक है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जो भाई नहीं हैं उनकी सहमति मान लेनी चाहिये । यदि विरोध करना होता तो यहां वे आते । उनको विरोध नहीं करना है, उनकी सहमति है, यह मानकर हमें चलना चाहिये । कोई बात सामने नहीं है, कोई भाई-बन्धु सामने नहीं है, इसलिये उनकी इसमें सहमति है । उनकी खामोशी- अल खामोशी नीम रजा । इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को, जो अत्यन्त आवश्यक है और अपने ढंग का देश में पहला है, यह सदन गहराई से देखने पर स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष ---

आप इसको वापस लेंगे ?

श्री ऊदल ---

यह माननीय मंत्री जी की कृपा है । यह वापस कराना है तो हम इसको वापस तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी ही चलेगी ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 58, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले सिक्त क्षेत्रों या किन्हीं अन्य क्षेत्रों के व्यापक विकास से सम्बन्धित विषयों और इस प्रयोजन के लिए निगमित निकायों की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1---(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें, और इस अधिनियम को भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "कृषि विकास" का तात्पर्य किसी कृषि भूमि का विकास करने या कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किये जाने वाले कार्य से है और इसमें जलोत्सारण, भूमिगत जल विकास और भू-संरक्षण सम्मिलित है ;

(ख) "कृषि उत्पादन" में कृषि उत्पादन, औद्योनिकी, मत्स्य पालन, वन, विज्ञान, रेशम, कृषि उत्पादन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध उत्पादन, शूकर पालन और कुक्कुट पालन सम्मिलित हैं और ऐसे अन्य प्रकार के उत्पादन भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार उनका सहायक या अनुषंगिक अधिसूचित करें;

(ग) "प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित क्षेत्र विकास प्राधिकारी से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकारी के अध्यक्ष से है;

(ङ) किसी सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में "सिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे सिंचाई के प्रयोजनों के लिए सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिक्त किया जा सके और जिसकी सीमायें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायं;

(च) "निर्माण-कार्य की लागत" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा अनुमानित सभी लागत, परिव्यय और व्यय से है, जिसे प्राधिकारी को निर्माण-कार्य के निष्पादन पर, या सम्बन्ध में करना पड़े, और इसमें यथाविहित कोई अन्य परिव्यय या फीस भी सम्मिलित है और इसमें ऐसे सभी व्यय भी सम्मिलित हैं, जो प्राधिकारी द्वारा उसकी वसूली के लिये किये जायं ;

(छ) "जिला समिति" का तात्पर्य धारा 18 के अधीन स्थापित जिला समिति से है;

(ज) "अपात्र व्यक्ति" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो सामान्य भूमि विकास ऋण के लिए पात्र न हो, और निम्नलिखित किसी श्रेणी का हो:—

(एक) किसान जिसका कोई विधिमान्य हक नहीं हो;

(दो) अवैध अधिभोगी;

(तीन) अवयस्क;

(चार) क्षेत्रपति जो संस्थागत श्रोतों की ऐसी भारी ऋणग्रस्तता के कारण जिन्हें अग्रतर पूंजी विनियोग के लिए धन प्राप्त करन के पूर्व चुकता करना है, संस्थागत वित्त प्राप्त करने में असमर्थ है;

(पांच) ग्रामीण शिल्पी; या
(छः) कृषि श्रमिक;

(झ) "भूमि विकास" का तात्पर्य निम्नलिखित किसी निर्माण कार्य से है, अर्थात:—

(एक) जलमार्गों का निर्माण, नवीकरण, पुनः रूपांकन, पुनः संरेखन चिनाई करना;

(दो) भूमि को समतल करना और अनुकूल बनाना जिसमें खेत की सीमाओं का पुनः संरेखन भी सम्मिलित है;

(तीन) खेतों में कुरिया, कुल्या और चक सड़कों को खोदना;

(चार) खेतों में कुरिया, कुल्या और चक सड़कों की व्यवस्था करना;

(पांच) अभियंत्रिक,जैविक और रसायनिक उपायों का उपयोग करके जिसके अन्तर्गत अपक्षाल नमी है, भूमि का सुधार करना;

(छ) कन्टर बांध और नाला बांध;

(सात) वृक्ष, पौधा, झाड़ी और घास उगाना;

(आठ) स्थायी और अस्थायी चारागाह, प्रक्षेत्र वन विज्ञान और वाणिज्यिक वनरोपण का विकास;

(नौ) ऐसे अन्य निर्माण कार्य जो भूमि या जमीन या जल प्रवाह क्षमता के विकास के लिये और जल के स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आवश्यक या अनुषांगिक हो; और

(दस) किसी पूर्ववती निर्माण कार्य की मरम्मत और अनुरक्षक;

(ञ) "क्षेत्रपति" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका भूमि पर वास्तविक कब्जा हो, चाहे वह स्वामी या काश्तकार या शिकमी काश्तकार या भोग बन्धकों या लाइसेन्स धारी के रूप में हो या अन्य प्रकार से हो, और जिसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसके भूमि विकास से लाभान्वित होने की सम्भावना हो, और तदनुसार पद "जोत" का अर्थ लगाया जायगा।

(ट) "सामान्य ऋण" का तात्पर्य किसी बैंक या किसी वित्त पोषण संस्था द्वारा किसी क्षेत्रपति को भूमि बन्धक रखने या किसी अन्य प्रतिभूति के प्रति दिये ऋण से है ;

(ठ) "कुलाबा का सिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसमें प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट विशिष्ट कुलाबा का सिंचाई के प्रयोजनों के लिए उपयोग होता हो;

(ड) "योजना" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योजना से है;

(ढ) "परियोजना" का तात्पर्य भूमि विकास की किसी परियोजना या स्कीम से है;

(ण) "परियोजना प्रशासक" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्ति किया हो;

(त) "परियोजना निदेशक" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अधिकारी से है और इसमें ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारीगण भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्राधिकारी परियोजना निदेशक की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करे;

(थ) "निर्माण-कार्य की अनुपातिक लागत" का तात्पर्य क्षेत्रपति से उसकी जोत पर या उसके लाभ के लिए किये जाने वाले निर्माण-कार्य के अनुपात में वसूल की जाने वाली निर्माण-कार्य की लागत से है;

(द) "अधिकार अभिलेख" का वही अर्थ होगा जैसा यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में है;

(ध) "सचिव" का तात्पर्य प्राधिकारी के सचिव से है;

(न) "छोटा किसान" "सीमान्त किसान" "कृषि श्रमिक" और "ग्राम शिल्पी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा इस रूप में परिभाषित व्यक्तियों से है;

(प) "विशेष ऋण" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा किसी अपात्र व्यक्ति को दिये गये ऋण से है;

(फ) "निर्माण-कार्य" में इस अधिनियम के अधीन किसी परियोजनान्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले भूमि विकास से सम्बन्धित कोई निर्माण-कार्य भी सम्मिलित है;

सिक्त क्षेत्र विकास प्राधिकारी की स्थापना

3— (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए जिसे अधिसूचित किया जाय, क्षेत्र विकास प्राधिकारी की स्थापना कर सकती है:

परन्तु किसी सिंचाई परियोजना के प्रत्येक सिक्त क्षेत्र के लिए एक पृथक क्षेत्र विकास प्राधिकारी होगा :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी की अधिकारिता को इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए जिन्हें अधिसूचित किया जाय, सिक्त क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र पर बढ़ा सकती है।

(2) क्षेत्र विकास प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा, और सभी प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा।

(3) प्राधिकारी का प्रधान कार्यालय उस स्थान पर होगा जो उसकी स्थापना की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जायगा।

प्राधिकारी का गठन

4—(1) प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे:—

(क) परियोजना प्रशासक जो अध्यक्ष होगा;

(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो;

(ग) राज्य सरकार के पांच से अनधिक अधिकारी;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट उसका एक प्रतिनिधि;

(ङ) बैंकों और वित्तपोषण संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य;

(च) कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला एक सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा ;

(छ) संगत क्षेत्र के क्षेत्रपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले चार से अनधिक सदस्य, जिनमें से दो उस क्षेत्र के निर्बल वर्गों में से और अन्य दो उस क्षेत्र के छोटे किसानों में से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(2) परियोजना प्रशासक अपर, संयुक्त या उपरियोजना प्रशासकों में से किसी एक का परियोजना का सचिव नाम-निर्दिष्ट करेगा ।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न प्राधिकारी का कोई सदस्य तीन वर्ष के लिए पदासीन होगा जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसकी पदावधि पहले समाप्त न कर दे ।

समितियों आदि का गठन

5.—(1) प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी प्रयोजन या किन्हीं प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिए, स्थायी या तदर्थ समितियों का गठन कर सकता है जिसमें या तो पूर्णरूप से प्राधिकारी के सदस्य या पूर्णरूप से अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के कुछ सदस्य और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति या समितियों के अशासकीय सदस्यों के निबन्धन और शर्तें वही होंगी जिन्हें अधिसूचित किया जाय ।

(3) समिति या समितियां ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो उन्हें प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे जायं ।

बैठक

6.—(1) प्राधिकारी की बैठक की प्रक्रिया, जिसमें बैठक के लिए गणपूर्ति भी सम्मिलित है, वही होगी जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय ।

(2) प्राधिकारी किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है, और इस प्रकार आमंत्रिजत व्यक्ति प्राधिकारी की किसी कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

अंश पूंजी और अंशधारी

7.—(1) प्राधिकारी की प्राधिकृत पूंजी दस करोड़ रुपए होगी, जो दस-दस हजार रुपये के दस हजार अंशों में विभाजित होगी जिनमें से दस-दस हजार रुपये के दो हजार पूर्ण रूप से सन्दत्त अंश पहली बार निर्गत किये जायेंगे, और शेष अंश राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति से प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, जब कभी प्राधिकारी आवश्यक समझें, निर्गत किये जा सकते हैं ।

(2) राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार प्रथम बार निर्गत की जाने वाली अंश पूंजी में, ऐसे अनुपात में जो उनके द्वारा परस्पर अवधारित किया जाय अंशदान करेगी ।

(3) राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ऐसे अनुपात में, जो परस्पर अवधारित किया जाय, अंशपूंजी के अनुवर्ती निर्गम में अंशदान कर सकती हैं।

(4) राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकारी की प्राधिकृत पूंजी को ऐसी सीमा तक बढ़ा सकती है जैसी राज्य सरकार आवश्यक समझे।

कर्मचारी की नियक्ति

8---(1) प्राधिकारी अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उपयुक्त समझे;

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, नियुक्ति और उनके निबन्धन और शर्तों का अवधारण राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा।

(2) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए प्राधिकारी के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण सचिव में निहित होगा।

प्राधिकारी के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

9---प्राधिकारी की बैठकों की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायगी और प्राधिकारी के सभी आदेश और अन्य लिखत प्राधिकारी के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किये जायेंगे।

अनौपचारिकता या रिक्ति के कारण कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

10---प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल :---

(क) प्राधिकारी या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होंने; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता होने; या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने;

के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

प्राधिकारी के कृत्य

11---प्राधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्:---

(1) अपने प्रवर्तन क्षेत्र के भीतर अधिक्षेत्र के एकीकृत क्षेत्र और कृषि विकास के लिए योजना बनाना ;

(2) प्रत्येक कुलाबा से सिक्त क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को एक यूनिट मानना और दक्षतापूर्ण खेती के हित में उसका स्थल रूपरेखीय और जल विज्ञान सम्बन्धी आवश्यकता के अनुसार विकास करना;

(3) भूमि, जलस्रोतों कृषि उत्पादन का और इसी प्रकार के सर्वेक्षण करना जो ऐसी योजनाओं को बनाने के लिए आवश्यक हो;

(4) राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए ऐसी योजनायें प्रस्तुत करना जिसमें उनका क्षेत्रवार और कार्यवार विभाजन दिखाया गया हो;

(5) राज्य सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करने के पश्चात् उन्हें कार्यान्वित करना;

(6) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो विहित किये जायं या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।

प्राधिकारी की शक्ति

12--प्राधिकारी को निम्नलिखित शक्ति होगी; अर्थात्:---

(1) भूमि, जल श्रोतों और कृषि उत्पादन का और इसी प्रकार के सर्वेक्षण करना जिन्हें प्राधिकारी योजनाओं को बनाने के लिए आवश्यक समझे;

(2) योजना को बनाने में, जिसमें उसके बनाने के लिए सर्वेक्षण भी सम्मिलित है, राज्य सरकार के किसी विभाग, किसी स्थानीय निकाय या निगमित निकाय से सहायता की अपेक्षा करना; और

ऐसे सर्वेक्षण या ऐसी योजना बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के किसी विभाग, किसी स्थानीय निकाय, निगमित निकाय या किसी व्यक्ति विशेष से अभिलेखों और दस्तावेजों की मांग करना;

(3) अनुमोदित योजना के कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :--

(क) सिंचाई प्रणाली का निर्माण, सुधार अनुरक्षण या परिचालन;

(ख) मुख्य और सहायक जलोत्सारण प्रणाली का विकास और अनुरक्षण;

(ग) किसानों द्वारा खेत की जल कुल्या और खेत की नाली का दक्ष अनरक्षण सुनिश्चित करना;

(घ) स्वयं अपने या अन्य अभिकरणों के माध्यम से भूमि विकास के लिए उपाय करना;

(ङ) जल सम्भरण के, जिसमें ओसराबन्दी भी सम्मिलित है, वितरण और विनियमन के समयुक्त प्रणाली को लागू करना;

(च) भूमिगत जल श्रोतों का विकास और नियंत्रण और भूमिगत जल के नियंत्रण और सिंचाई के पानी को वृद्धि, दोनों ही के लिए सतही सिंचाई के साथ-साथ उसका संयुक्त उपयोग सुनिश्चित करना;

(छ) फसलों के उपयुक्त आवर्तन का चयन, प्रारम्भ और प्रवर्तन;

(ज) विभिन्न फसलों के लिए भूमि का स्थान सीमन और विकेन्द्रीकरण;

(झ) सभी निर्विष्ट सामग्रियों और सेवाओं का सम्भरण सुनिश्चित करना;

(ञ) सिक्त क्षेत्रों में क्षेत्रपतियों, कृषि श्रमिकों, ग्राम शिल्पियों के लिए सामान्य ऋण की व्यवस्था करना, और उन्हें विशेष ऋण देना और उसे वसूल करना;

(ट) विपणन, प्रसंस्करण और स्टोर करने की सुविधाओं का विकास करना;

(ठ) पशुपालन, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, प्रक्षेत्र वन विज्ञान, मत्स्य पालन और औद्योनिकी के क्षेत्र में सहायक कार्यकलापों का विकास करना;

(ड) कृषि सहकारिता और संस्थाओं का संगठन करना;

(ढ) सड़कों का निर्माण करना;

(ण) एकीकृत क्षेत्र विकास के लिए ग्राम विकास केन्द्रों की प्रोन्नति और स्थापना करना;

(त) कृषि प्रसार सेवा जिसमें कृषकों, शिल्पियों को प्रशिक्षण देना, प्रायोगिक केन्द्रों पर क्षेत्र सम्बन्धी अनुसन्धान और कृषक सेवा समितियां भी सम्मिलित हैं;

(थ) छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, और ग्राम शिल्पियों की प्रोन्नति और विकास करना;

(4) ऐसी जंगम और स्थावर सम्पत्ति अर्जित करना और रखना जिसे वह आवश्यक समझे, और ऐसी परिसीमा के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाय, ऐसी सम्पत्ति को पट्टे पर देना उसका विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरण करना;

(5) खुले बाजार में ब्याज वाले बन्ध-पत्र और ऋण-पत्र और अन्य प्रतिभूति जारी करके धन उधार लेना;

(6) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी बैंक या वित्त पोषण संस्था से और राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी निगमित निकाय से या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से धन उधार लेना और निक्षेप स्वीकार करना;

(7) ऐसी फीस, देय और अन्य परिव्यय का उद्ग्रहण करना जिन्हें सिंचाई के पानी और विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था करने की लागत को वसूल करने के लिए आवश्यक समझा जाय;

(8) किसी अन्य के साथ या अन्य का अपवर्जन करके कृषि उपज, बीज, उर्वरक, नाशिकीट औषधि या किसी कुटीर उद्योग के विपणन प्रसंस्करण या स्टोर करन के कार्य कलाप करना;

(9) ऐसे अन्य कार्य करना जिनका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन व्यवस्था की जाय;

(10) यथाविहित कोई अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्ध से असंगत न हो ।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति

13—राज्य सरकार प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये बन्धपत्रों और ऋण पत्रों और अन्य प्रतिभूतियों और प्राधिकारी द्वारा लिये गये ऋण और निक्षेप मूलधन के प्रतिदान और उस पर ब्याज और आनुषंगिक परिव्यय के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती है ।

योजना

14—(1) प्रत्येक योजना यथाविहित रीति से और प्रपत्र में प्राधिकारी द्वारा तैयार की जायगी और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी और उसमें ऐसे अन्य विवरण के साथ-साथ, जो विहित किये जायं निम्नलिखित ब्योरे होंगे ....

(एक) योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र;

(दो) निष्पादित किया जाने वाला या किये जाने वाले निर्माण-कार्य;

(तीन) योजना का क्षेत्रवार और निर्माण-कार्य दोनों के अनुसार प्रावस्था भाजन;

(चार) योजना में और उसकी प्रत्येक प्रावस्था में अन्तर्ग्रस्त लागत;

(पांच) विभाग या अन्य अभिकरण जो इस समय ऐसा निर्माण-कार्य कर रहे हैं;

(छः) सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों के कर्मचारिवर्ग या ऐसा अन्य कर्मचारिवर्ग, जिनकी सेवाओं की प्राधिकारी को योजना के कार्यान्वियन के लिए आवश्यकता होगी ;

(सात) लाभार्थियों पर उद्ग्रहणीय परिव्यय या देय; और

(आठ) धारा 27 के अधीन उद्ग्रहणीय समुन्नति फीस।

(2) प्राधिकारी विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में पृथक भूमि विकास परियोजनायें और योजनायें तैयार कर सकता है या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी योजना में किसी अन्य वर्तमान योजना, परियोजना या स्कीम को सम्मिलित कर सकता है ।

योजना का अनुमोदन

15—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी उपान्तर सहित या उपान्तर रहित योजना या उसकी किसी प्रावस्था का अनुमोदन कर सकती है ।

अधिसूचना का परिणाम

16—धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा योजना या उसकी किसी प्रावस्था का अनुमोदन कर दिये जाने पर (जो उसके अनुमोदित रूप में अनुमोदित योजना कही जायगी) निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् —

(क) राज्य सरकार अनुमोदित योजना के प्रवर्तन क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी सांविधिक निकाय या किसी निगमित निकाय से प्राधिकारी क निदेशों का पालन करन की अपेक्षा कर सकती है, और

तदुपरान्त ऐसा निकाय अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में ऐसे निदेशों का पालन करेगा;

(ख) राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी सांविधिक निकाय या किसी निगम द्वारा कृषि विकास के सम्बन्ध में तैयार की गयी सभी, विकास योजनाओं की सूचना, प्राधिकारी को दी जायगी और उन्हें प्राधिकारी के अनुमोदन से और ऐसे उपान्तरों या परिवर्तनों के, यदि कोई हो, जैसाकि प्राधिकारी द्वारा सुझाव दिया जाय, अधीन, रहते हुए और ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा दिये जायं, निष्पादित किया जायगा;

(ग) यह समझा जायगा कि प्राधिकारी को अनुमोदित योजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने जिसमें समुन्नति फीस निर्माण-कार्य की लागत और अन्य परिव्यय का उदग्रहण, और विशेषत: किसी क्षेत्रपति को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में निदेश देना भी सम्मिलित है, की शक्ति प्राप्त है, अर्थात् : —

(एक) रीति जिसके अनुसार खेती की जाय;

(दो) फसलें जो उगाई जायं और ऐसी फसलों का आवर्तन;

(तीन) कोई अन्य कृषि उत्पादन करने की रीति;

(चार) कृषि उत्पादन के लिए विभिन्न निर्दिष्ट सामग्री का जैसे बीज, नाशिकीट, औषधि, खाद, उर्वरक, मछली चारा, कुक्कुट आहार और ऐसी अन्य मदों का, जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जाय, उपयोग और प्रयोग;

(पांच) सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी ले जाने के लिए खेत जलकुल्या की व्यवस्था;

(छः) जलोत्सारण की व्यवस्था;

(सात) नलकूप, पम्प और सिंचाई के अन्य स्रोतों की स्थिति;

(आठ) भूमि पर बाड़ लगाना और हटाना;

(नौ) चारागाहों की व्यवस्था;

(दस) विनियमों द्वारा यथाव्यवस्थित समय के भीतर और रीति से विवरणियां प्रस्तुत करना जिसमें निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सही और यथार्थ विवरण होगा, अर्थात्: —

(क) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जिस पर उसके द्वारा खेती की गई हो, ऐसी भूमि का वर्गीकरण, उसमें उसका हित और ऐसी भूमि पर भार, यदि कोई हो;

(ख) उसके द्वारा पैदा किये गये कृषि उत्पादन का प्रकार और उसका परिमाण;

(ग) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय; और

(ग्यारह) ऐसे अन्य विषय जिनकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय।

(घ) राज्य सरकार अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन का सामायिक पुनर्विलोकन करेगी।

भूमि विकास

17.—(1) प्राधिकारी सम्बद्ध क्षेत्रपतियों से अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट भूमि विकास करने की अपेक्षा करेगा या स्वविवेक से उनकी ओर से ऐसा कार्य करेगा और लाभार्थियों से निर्माण कार्य की अनुपातिक लागत वसूल करेगा।

(2) जहां प्राधिकारी स्वयं उपधारा (1) में यथाव्यवस्थित भूमि विकास करना चाहे वहां इस प्रकार किये गये भूमि विकास को उन क्षेत्रपतियों की जिनके लाभ के लिए वह आशयित है, सहमति से किया गया समझा जायगा।

(3) प्रत्येक क्षेत्रपति से उद्ग्रहणीय निर्माण-कार्य की आनुपातिक लागत, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाय, उस क्षेत्रपति की भूमि पर प्रभार होगी।

(4) वास्तविक योजना की व्यवस्था करने के उद्देश्य से परियोजना निदेशक को खेत की सीमा का पुनः संरेखण करने और कुलाबा के सिक्त क्षेत्र में, या किसी अन्य परियोजना क्षेत्र में क्षेत्रपतियों द्वारा धृत भूमि के क्षेत्रफल में आनुपातिक कमी करने की शक्ति होगी।

(5) जोत में इस प्रकार किया गया संरेखण और परिवर्तन प्रभावी होगा भले ही किसी अन्य अधिनियमिति में उसके सम्बन्ध में कोई असंगत बात दी हो, और अधिकार अभिलेख में सम्यक नामान्तरण कर दिया जायगा।

जिला समिति

18.—(1) प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए जिला समिति स्थापित करेगा।

(2) जिला समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(क) कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
(ख) परियोजना निदेशक	पदेन सचिव
(ग) पांच से अनधिक ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें ..	सदस्य

जिला समिति की बैठक

19.—जिला समिति की बैठक ऐसी रीति से होगी और ऐसी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होगी जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय।

जिला समिति के कृत्य और कर्तव्य

20.—जिला समिति ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय या प्राधिकारी द्वारा उसे सौंपी जाय।

परियोजना के निदेशक के कृत्य

21—किसी विनियम के उपबन्धों या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निदेश के अधीन रहते हुए, परियोजना निदेशक भूमि विकास परियोजना या परियोजनाओं या किसी अन्य परियोजना को, जिसे प्राधिकारी अनुमोदित योजना के अन्तर्गत सौंपे, कार्यान्वित करने का समग्र रूप से और तात्कालिक प्रभारी होगा ।

चक सभा

22—(1) किसी कुलाबा के सिक्त क्षेत्र में समस्त क्षेत्रपति चक सभा बनायेंगे जो—कुलाबा के सिक्त क्षेत्र के लिए चक सभा के नाम से निगमित निकाय होगी ।

(2) ऐसी चक सभा कुलाबा के सिक्त क्षेत्र के भूमि विकास के लिए निर्मित समस्त निर्माण कार्य की स्वामी होगी ।

चक समिति

23—चक सभा ऐसी रीति से जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय, अपने में से पांच सदस्य निर्वाचित करेगी जो चक समिति के सदस्य होंगे जिनमें से एक अध्यक्ष और एक सचिव एवं कोषाध्यक्ष होगा ।

चक समिति के कृत्य

24—(1) चक समिति विनियमों में निर्धारित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चक समिति कुलाबा के सिक्त क्षेत्र में कुलाबा प्रणाली के अनुरक्षण, ओसार बन्दी किये जाने और भूमि विकास के वास्तविक निर्माण-कार्य के कार्यान्वयन और फसलों के आवर्तन के लिए उत्तरदायी होगी ।

सम्पत्ति, संविदा, वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

संविदा आदि का निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण

25—प्राधिकारी की ओर से प्रत्येक संविदा या सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्र लिखित रूप में होगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा ।

प्राधिकारी की निधि

26—(1) प्राधिकारी की अपनी निधि होगी जो "परियोजना निधि" कही जायगी, और वह स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि से भिन्न सभी प्राप्त धनराशि जमा की जायगी ।

(2) प्राधिकारी की एक और निधि होगी जो "ऋणि निधि" कही जायगी और वह भी स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें प्राधिकारी द्वारा उसकी ओर से ऋण के रूप में प्राप्त सभी धनराशि जमा की जायगी ।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसी अन्य निधि बना सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

समुन्नत फीस

27—(1) योजना बनाते समय प्राधिकारी यह घोषणा कर सकता है कि उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में योजना क निष्पादन से अनुरचना में सुधार और स्थायीकरण या सिंचाई सुविधाओं या संचार साधनों और अन्य सेवाओं में सुधार किये जाने के फलस्वरूप क्षेत्रपतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में

मिलने वाले लाभ के बदले में क्षेत्रपतियों द्वारा धृत भूमि क्षेत्र पर समुन्नति फीस उद्ग्रहणीय होगी ।

(2) समुन्नति फीस यथाविहित रीति से निर्धारित की जायगी ।

प्राधिकारी को अनुदान और वित्तीय सहायता

28.-(1) राज्य सरकार राज्य विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा सम्यक विनियोजन करने के पश्चात् समय-समय पर, प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुदान और वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकती है ।

(2) राज्य सरकार अनुमोदित योजना में सम्मिलित किसी प्रयोजन के लिए किसी बोर्ड या अन्य निकाय या व्यक्ति विशेष को कोई वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण प्राधिकारी के माध्यम से ही देगी, अन्यथा नहीं ।

प्राधिकारी को ऋण

29.-राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकारी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जिन पर राज्य सरकार और प्राधिकारी सहमत हों, ऋण दे सकती है ।

प्राधिकारी को उधार लेने की शक्ति

30.-(1) प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्टाक-पत्र या बन्ध-पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा या उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जायगी और उसका ऐसी रीति से मोचन किया जायगा जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

(2) प्राधिकारी ऐसी उधार ली गयी धनराशि का कोई भाग किसी अन्य निकाय को अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें प्राधिकारी अवधारित करे, अग्रिम दे सकता है ।

अवक्षयण संचित

31.-प्राधिकारी एक अवक्षयण संचित सृजित करेगा और उसके लिए यथाविधि सिद्धान्तों के अनुसार वार्षिक व्यवस्था करेगा ।

लेखा और लेखा परीक्षा

32.-(1) प्राधिकारी वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति, एक विवरण-पत्र या अनुपूरक विवरण-पत्र और उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगा और उसके दौरान किसी भी समय तैयार कर सकता है और उन्हें राज्य सरकार को ऐसी रीति से ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक तक, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा :

परन्तु उस वित्तीय वर्ष के, जिसके सम्बन्ध में ऐसा वित्तीय विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसा पूर्वानुमोदन प्राप्त न होने की दशा में, प्राधिकारी सभी लेखों में उतनी राशि तक को जो पूर्व वित्तीय वर्ष की तत्स्थानी अवधि के लिए अनुमोदित राशि से अधिक न हो, व्यय करने का हकदार होगा और ऐसी राशि में उक्त अवधि के दौरान अनुदान और वित्तीय सहायता में से व्यय की गयी कोई धनराशि सम्मिलित न होगी ।

(2) प्राधिकारी ऐसी उचित लेखा बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य बही रखवायेगा और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से पक्का चिट्ठा तैयार करवायेगा जैसी विनियमों द्वारा अपेक्षित हो ।

अधिभार

33.-(1) प्राधिकारी के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकारी की किसी धनराशि या सम्पत्ति को हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार के देन-

दार होंगे, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो ।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

(3) कोई राशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पायी जाय, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

(4) प्राधिकारी को, उपधारा (3) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट किसी राशि को ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को प्राधिकारी द्वारा पारिश्रमिक के मद्दे या अन्य प्रकार से देय किसी धनराशि में से कटौती करने से निषिद्ध न करेगी ।

उद्ग्रहणीय परिव्यय

34--प्राधिकारी सिंचाई जल कुल्याओं के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए, जहां ऐसी जल कुल्याओं का अनुरक्षण प्राधिकारी द्वारा किया जाय, लाभार्थियों से परिव्यय उद्गृहीत कर सकता है ।

भूमि विकास की लागत और निर्माण-कार्य की लागत की वसूली

35--(1) ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन जिन्हें विहित किया जाय और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन भी रहते हुए प्राधिकारी भूमि विकास की लागत और किसी निर्माण-कार्य की लागत की वसूली के लिए उस व्यक्ति से, जो ऐसी भूमि विकास और निर्माण-कार्य से लाभान्वित हुआ है, ऐसी किस्तों में और ऐसी अवधि के दौरान जैसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, परिव्यय उद्गृहीत कर सकता है ।

(2) भूमि विकास और निर्माण कार्य की लागत की वसूली ऐसे अनुपात में की जायगी जैसा प्राधिकारी उस निर्माण-कार्य से प्रत्येक लाभार्थी की भूमि को हुए लाभ या सम्भावित लाभ को ध्यान में रखते हुए नियत करे ।

सेवा के लिए फीस

36--प्राधिकारी किसी व्यक्ति के निमित्त की गयी सेवा के लिए ऐसी फीस ले सकता है जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय ।

फीस, लागत या अन्य धनराशि की वसूली

37--इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी को किसी विशेष ऋण समुन्नति फीस परिव्यय, अन्य फीस, निर्माण-कार्य की लागत, शास्ति या क्षतिपूर्ति के मद्दे देय कोई धनराशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

लागत की वसूली के प्रति अधिकार और दायित्व का अन्तरण

38--(1) जब किसी व्यक्ति से किसी निर्माण-कार्य की लागत के प्रति कोई परिव्यय धारा 35 के अधीन वसूल किया जाना हो तब इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्रपतियों से लागत या लागत के भाग की वसूली के लिए प्राधिकारी के समस्त अधिकार और दायित्व, यदि प्राधिकारी ऐसा निदेश दे, ऐसे क्षेत्रपतियों के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 में यथापरिभाषित भूमि विकास बैंक को जिसे आगे विकास बैंक कहा गया है, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिसमें प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति देने के सम्बन्ध में कोई शर्त भी सम्मिलित है), जैसा प्राधिकारी, राज्य सरकार और ऐसे बैंक के बीच सहमत हो, अन्तरित हो जायेंगे ।

(2) जहां प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन निदेश दे, वहां यह समझा जायगा कि प्रत्येक सम्बद्ध क्षेत्र पति सहकारी समिति, अर्थात् सम्बद्ध विकास बैंक

का सदस्यय होगा है, और तद्नुसार समिति, में एक अंश के मूल्य के बराबर राशि निर्माण कार्य की लागत में जोड़ दी जायगी और उसके साथ वसूल की जा सकेगी ।

(3) ऐसी सहमति होने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक भू-स्वामी विकास बैंक के समक्ष अपनी भूमि से सम्बन्धित समस्त ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य को, जैसा बैंक अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा ।

(4) प्राधिकारी के अधिकारों और दायित्वों के ऐसे अन्तरण पर, विकास बैंक प्राधिकारी को ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो करार के अधीन उसके द्वारा स्वीकार किये गये दायित्व के बराबर होगा, और प्राधिकारी सम्बद्ध क्षेत्रपतियों को ऐसे अन्तरण की सूचना देगा, और तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति से वसूल की जाने वाली राशि विकास बैंक द्वारा वसूल की जायगी मानों वह ऐसे बैंक द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया गया ऋण था ।

(5) अधिकारों और दायित्वों का अन्तरण और तद्नुसार उसके सम्बन्ध में किया गया भुगतान भू-स्वामी को अपने दायित्वों का प्राधिकारी को भुगतान करने को केवल उस सीमा तक उन्मोचित कर देगा जिस सीमा तक विकास बैंक द्वारा दायित्व स्वीकार किया गया है ।

अपराध और शास्ति

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

39—कोई व्यक्ति—

(क) योजना तैयार करने के लिए किसी भूमि का सर्वेक्षण करने में प्राधिकारी की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझ कर बाधा नहीं पहुंचायेगा ;

(ख) किसी निर्माण कार्य को निशानबन्दी के प्रयोजनार्थ भूमि पर स्थापित किसी स्तम्भ, खम्भा या रोक को जान बूझ कर न हटायेगा और न क्षति पहुंचायेगा, और न इस प्रयोजनार्थ लगाये गये चिन्ह को विरूपित करेगा या नष्ट करेगा;

(ग) अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी जल कुल्या को न तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा और न खोलेगा;

(घ) जानबूझकर किसी कुल्या के जल प्रवाह में न बाधा डालेगा, न उसे अन्यत्र ले जायगा न उसे मोड़ेगा और न ही उससे जल प्राप्त करेगा;

(ङ) प्राधिकारी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने में बाधा नहीं डालेगा;

(च) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों की अवज्ञा नहीं करेगा ।

प्राधिकारी के सदस्य, अधिकारी और सेवक लोक-सेवक होंगे

40—प्राधिकारी के सभी सदस्य, अधिकारी और सेवक, चाहे वह प्राधिकारी या राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हों या उसके द्वारा नियुक्त किये गये हों, जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंग । अधिनियम संख्या 45, 1860

अपराधों का संज्ञान

41--कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि अपराध किये जाने के पश्चात् अगले छः मास के भीतर प्राधिकारी द्वारा उसका परिवाद न किया जाय।

सामान्य शास्ति

42--कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये किसी नियम या विनियम के अधीन जारी की गई किसी नोटिस, आदेश या निदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसे जुर्माने का जो एक हजार रुपए तक हो सकता है और अग्रतर जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब प्रथम दोष-सिद्ध के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहे, पचास रुपए तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

43--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य-संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तद्नुसार दंडनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उनकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार दंडनीय होंगे।

स्पष्टीकरण----इस धारा के प्रयोजनों के लिए....

(क) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है; और

(ख) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है।

प्रवेश करने की शक्ति

44--प्राधिकारी का कोई अधिकारी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी की सहायता से या बिना सहायता के किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है :--

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने;

(ग) अवभूमि खोदने या बेधने;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने;

(ङ) चिन्ह बनाकर या खाइयां काटकर ऐसी सतह, सीमा और रेखा को चिन्हांकित करने; या

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो ।

अपना नाम तथा पता न बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति

45.—(1) जहां कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकारी के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया हो या जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध करने का दोष लगाया गया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को कोई ऐसा अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, ऐसे अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और पता बताने से इंकार करे या न बताये या ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है तो ऐसा अधिकारी उसका नाम या पता या दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसे बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी क सम्बन्ध में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 की उपधारा (2) और (3) और धारा 43, 48, 56, 58 और 59 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उसकी धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

अपराधों का शमन

46.—(1) प्राधिकारी का अध्यक्ष या सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है ।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया जा चुका हो तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और इस प्रकार शमन किये गये अपराधों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी ।

राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों आदि के कर्तव्य

47.—राज्य सरकार के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का जिनकी जानकारी में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया जाय या किया जाने का प्रयास किया जाय, यह कर्तव्य होगा कि वे प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी के अधिकारियों को यथास्थिति, ऐसे अपराध के किये जाने या किये जाने का प्रयास करने की तुरन्त सूचना दे और ऐसे सभी अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता करें ।

नीति के प्रश्नों पर प्राधिकारी को निदेश

48.—(1) अपने कृत्यों का निर्वहन करने में प्राधिकारी नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से मार्गदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायं ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

प्राधिकारी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां और अन्य सूचना

49—(1) प्राधिकारी, यथाशीघ्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्य-कलापों का विवरण दिया जायगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट में उन कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ किये जाने की सम्भावना हो, विवरण होगा और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी ।

(2) प्राधिकारी राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े और विवरणियां और प्राधिकारी के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों या प्राधिकारी के नियंत्रण में किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

राज्य सरकार के विभागों और अन्य सांविधिक निकायों का सहायता करने का कर्तव्य

50—(1) राज्य सरकार के समस्त विभाग और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य सांविधिक निकाय प्राधिकारी को ऐसी मदद और सहायता देंगे और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अभिलेखों, मानचित्रों, नक्शों और अन्य दस्तावेजों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपेक्षा करे, निरीक्षण और जांच करने (और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने) के लिए उपलब्ध करायेंगे ।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जिसके अधीन कोई सांविधिक निकाय गठित किया जाय, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसे निकाय को ऐसा निदेश दे सकती है जो उसकी राय में प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकने के लिए आवश्यक या समीचीन हो और तदुपरान्त ऐसे निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे ।

प्रतिकर का भुगतान करने की सामान्य शक्ति

51—किसी ऐसे मामले में, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः न की गयी हो, प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकारी में निहित किसी शक्ति के प्रयोग से क्षति पहुंचे, युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान कर का सकती है ।

सद्भावना से किये गए कार्यों का संरक्षण

52—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या प्राधिकारी या प्राधिकारी के अध्यक्ष या अन्य सदस्य या राज्य सरकार या प्राधिकारी के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित हो ।

नियम और विनियम

नियम बनाने की शक्ति

53—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

विनियय

54—(1) प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाय गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो ।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:--

(क) प्राधिकारी की बैठक बुलाना और करना, वह समय और स्थान, जब और जहां पर ऐसी बैठक की जाय, ऐसी बैठक में कार्य-संचालन और उसमें गणपूर्ति क लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या;

(ख) प्राधिकारी के कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) प्राधिकारी की सम्पत्ति का प्रबन्धक;

(घ) प्राधिकारी की ओर से सम्पत्ति की संविदाओं और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन;

(ङ) वह सीमा जिस तक प्राधिकारी का अध्यक्ष, सदस्य, सचिव या कोई अन्य अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष में आवर्तक और अनावर्तक व्यय करने के लिए सक्षम होगा;

(च) प्राधिकारी द्वारा लेखों का रखा जाना और पक्का-चिट्ठा तैयार किया जाना;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी के कृत्यों को, जिसके अन्तर्गत योजना का तैयार किया जाना भी है, कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ज) प्राधिकारी के अध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(झ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो ।

(3) प्राधिकारी द्वारा कोई विनियम न बनाये जाने तक कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है और इस प्रकार बनाये गये किसी विनियम को प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तित या विखंडित कर सकता है ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

55. राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, प्राधिकारी विनियमों द्वारा, योजना बनाने की शक्ति के सिवाय अपनी किसी शक्ति को प्राधिकारी के अध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

अन्य अधिनियमितियों के अधीन प्राधिकारी को अतिरिक्त शक्तियां प्रदत्त की जा सकती हैं

56. जहां इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों के सम्बन्ध में कोई शक्ति किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य निकाय को सौंपी जाय, वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वह शक्ति प्राधिकारी को या अधिसूचना के विनिर्दिष्ट उसके किसी अधिकारी को प्रदत्त की गई समझी जायगी ।

57--(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ विशेषतः प्राधिकारी को राज्य सरकार के अन्य विभागों या प्राधिकारियों या निकायों से कृत्यों का संक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह आवश्यक या समीचीन समझे : कठिनाइयों को दूर करना

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के उपरान्त नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

निरसन और अपवाद

58 --(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री अध्यक्ष . .

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 58 तथा खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष . .

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976†

भारी उद्योग राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान) . .

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक वक्त था जबकि यह समझा जा सकता था कि कागनिजेबिल आफेंस हो, दंडनीय अपराध से मुताल्लिक शक्ति थाने से मुताल्लिक रहना चाहिये, पुलिस आफिसर्स से मुताल्लिक रहना चाहिये या उस किस्म के अफसरों या मुहकमों से मुताल्लिक रहे। लेकिन वह जमाना गुजर गया। वेलफेयर स्टेट लफ्ज का मंशा होता है कि इतना लिहाज हो कि आम आदमी के हक में तमाम प्रोडक्शन, इकानमिक ऐक्टिविटी को इस सूरत से कन्ट्रोल करते रहें कि आम आदमी की भलाई हो। उसमें यह बात भी जरूरी हो गयी कि उस शक्ति को मुख्तलिफ दायरों में भिन्न-भिन्न प्रकार के अफसरों में वह पावर रखें और

† 1 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री अजीजुर्रहमान]

वह उसको इस्तेमाल में लायें । मान्यवर, माननीय सदस्यगण इस ऐक्ट के बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यह बात आम फहम हो गयी है कि गन्ने की तौल के सिलसिले में कांटे का गलत इस्तेमाल किस दर्जे का हो गया है, किस-किस सूरत से लोग किसान का रुपया मारते हैं. कड़ी मेहनत का फल उसको नहीं लेने देते, उसके रास्ते में हायल होते हैं । यह बहुत जरूरी था और जरूरी है कि सरकार इस बात का नोटिस ले । लेकिन सवाल यह है कि किस सूरत से नोटिस लें ? जाहिर है कि वह गन्ना जिसका वजन टनों के करीब कम कर दिया जाय और उसकी कीमत इस सूरत से मार ली जाय इससे बड़ा डाका और क्या हो सकता है ? अगर डकैती कागनिजेबिल आफेंस है तो यह चीज जरूर कागनिजेबिल आफेंस होगी और जरूरत होगी कि जो मौके पर कर्मचारी और अधिकारी हों उनके पास यह शक्ति हो कि वह उससे निपट सकें । यह संशोधन जो हम विधेयक में ला रहे हैं इसका मंशा सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है कि जो इस्पेक्टर मौके पर होता है, उसको हम यह शक्ति देना चाहते हैं कि वह इस सिलसिले में कार्यवाही कर सकें । उसके हाथ बंधे न रहें । वह ऐसा न हो जैसा कि इस वक्त है कि वह कुछ कर नहीं सकता, मामला पकड़ में भी आ जाय या इल्म में आ जाय या दूसरे लोग उसके इल्म में लायें, किसान या रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी, अधिकारी लायें, फिर भी वह कुछ कर नहीं सकता । यह सूरत यकीनन कायम नहीं रहनी चाहिए । इसमें संशोधन की जरूरत है । यही संशोधन इस विधेयक के द्वारा पेश किया जा रहा है ।

एक दफा में तो यह सिर्फ है कि इसपेक्टर की डेफिनीशन है । दूसरी में यह है, कि इस वक्त के विधेयक की दफा 22 में इजाफा किया जाय और वह यह हो कि इंस्पेक्टर को इनवेस्टीगेशन की पावर्स हों । जैसे पुलिस अफसरों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तहत होती हैं वही पावर्स वह भी एक्सरसाइज करे और तीसरी दफा के जरिए यह संशोधन कर रहे हैं कि रेवेन्यू और आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, उन पर भी यह फर्ज होगा कि इस सिलसिले में जो मदद कर सकें करें और इन्सपेक्टर के इल्म में लायें । ये दफात बिला शुबहा ऐसी हैं और यह संशोधन ऐसा है कि जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है और किसी तरह इससे मुखालफत का मौका नहीं हो सकता, यकीनन यही कहा जा सकता है कि इससे पहले यह आ जाना चाहिये था ।

मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य मंजूर फरमायेंगे ।

*श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, जो यह संशोधन लाया गया है, जिस पर माननीय मन्त्री जी ने अपनी लम्बी तकरीर कर दी और कहा कि यह अच्छी चीज है । मैं कहता हूं कि गन्ना किसानों की लुटाई की एक जगह की गयी है । जब हम कहते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो उसमें क्या नुकसान है ? मेरा कहना है कि संशोधन बार-बार लाना उचित नहीं है । एक बार दूरदर्शिता के आधार पर आप कानून बनावें और उसको लागू करें । अगर फिर भी उसमें कोई संशोधन आ जाये या करना पड़े तो उनको करना चाहिये, लेकिन कानून दूरदर्शिता के आधार पर बनाना चाहिये । आप के पास कोई भी मशीनरी नहीं है जोकि मुलजिमानों को दंडित कर सके । गन्ना किसानों को उनका बकाया रुपया नहीं मिलता है और सरकार भी इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है । बड़े-बड़े गन्ना मिल मालिक या चीनी मिल मालिकों का बहुत असर है । पिछले बजट भाषण के दौरान एक सवाल के उत्तर में जहां तक मुझे याद है कि यह जवाब दिया गया था कि गन्ना किसानों का रुपया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करीब 19 करोड़ मिल मालिकों के पास बाकी है। यह एक साल दो साल का नहीं है कहीं कहीं पर तो यह 5--6 सालों का बाकी है। मिलों से मालिक हट गये और गन्ना किसानों का रुपया चुकाया नहीं गया। तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से जो इस विभाग के इंचार्ज हैं कोई ऐसा कानून बनावें जिससे गन्ना किसानों की दिक्कतें दूर हो जावें और उनको पैसा मिल जावें। बकाये का मामला बहुत दिनों का है और उसे अधिक लटकाया नहीं जा सकता है।

पिछले वर्ष गन्ना की कीमतों में वृद्धि की गयी थी तो यह भी घोषणा की गयी थी कि यह वृद्धि शुरू से गन्ना किसानों को दी जावेगी लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी मिल मालिक ने इस बढ़े हुए रेट का भुगतान नहीं किया। वे आपके द्वारा की गई घोषणाओं का उल्लंघन करते हैं। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आप इस प्रकार के कानून बनावें जिससे वे आपके कानूनों का उल्लंघन न कर पावें। दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो मालिक गन्नन लेते हैं तो 30 पै0 प्रति कु0 तुलाई का चार्ज किया जाता था। पिछले साल प्रदेश भर में एक रुपया कु0 की दर से चार्ज किया गया। क्रय केन्द्रों से अधिकांश गन्ना आता है। वहां पर 12 से 11 रुपए कर दिया और 13 रुपए से 12 कर दिया। देखने में तो एक ही रुपया कम हुआ है लेकिन इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और फैक्ट्रियों के मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। मेरी माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना है कि यह जो बहुत बड़ा ओर अहम मामला है, किसानों का मामला है, इस पर ध्यान दें।

तीसरी चीज कीमतों की है। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं, सिंचाई के रेट बढ़ गये हैं, बिजली के रेट बढ़ गये हैं और जितने भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स है सबके दाम बढ़ गये हैं। मैं मानता हूं कि जो विधेयक सरकार की ओर से लाया जा रहा हैं, उससे भी कुछ उत्पादन में वृद्धि होगी, जहां 40 मन होता है वहां पर 80 मन होगा लेकिन अगर प्राइसेज घट गई तो जो किसान को 40 मन से मिलता था वह 80 मन से मिलने लगेगा, जैसा कि गेहूं में हुआ पिछले वर्ष और इस साल धान में क्या हो रहा है? गन्ने का दाम जो पिछले साल था वही इस साल भी है। हमारी सरकार ने आधुनिकीकरण के नाम से सारे मिल मालिकों को करोड़ों रुपया दिया लेकिन अब भी उनके ऊपर किसानों का 19 करोड़ रुपया बाकी है। इस चीनी से हमें फारेन इक्सचेंज मिलता है लेकिन उसको प्राप्त करने वाले ये मिल मालिक नहीं हैं बल्कि वे किसान हैं जिनके द्वारा उत्पादित गन्ने से यह चीनी बनती है। आज यह समझदारी साफ होनी चाहिये। जो फारेन एक्सचेंज प्राप्त करा रहा है आज उसी किसान का नुक्सान हो रहा है। दाम की घोषणा हो जाती है लेकिन अभी भी यह निश्चित नहीं है कि उसको यह मिलेगा भी या नहीं और अगर मिलेगा तो क्या पिछले वर्षों की भांति ही मिलेगा। यह भी पता नहीं है कि सीजन कब आरम्भ होगा? अतः मेरी माननीय मुख्य मन्त्री जी से पुनः प्रार्थना है कि वे उनकी बकाया दिलवावें और रेट के बारे में पुनर्विचार करें और जैसे सरसों के दाम बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से गन्ने के दाम भी बढ़ायें। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरे प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री अजीजुर्रहमान—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने बदनुमाइयों की ओर तवज्जह दिलवाई और कुछ सुझाव भी पेश किये लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि य संशोधन वक्त की जरूरत से मुताल्लिक है। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे वक्त में उसको टालें, गौर खोज के लिए उसे एक महीने के लिए टालें और गौर खोज भी ऐसे मसले पर जो कोई बारीक मसला नहीं

[श्री अजीजुर्रहमान]

बहुत उलझा हुआ नहीं बहुत साफ और मोटी सी बात है। विधेयक के हमारे तीसरे चैप्टर में जो तरीके मुकर्रर किये गये हैं उनके खिलाफ जितने अपराध हैं, उन सबके मुताल्लिक हैं और बहुत जरूरी है कि उन पर फौरी अमल होना शरू हो जाय और किसान को लाभ पहुंचे। इसलिए मेरी इस्तेदुआ यह है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लें और इसको मंजूर फरमायें।

श्री अध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

उ0 प्र0 अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (ञ--1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् : -

"(ञ--2) 'निरीक्षक' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति या पदयुक्त किसी अधिकारी से है।"

नई धारा 22-क और 22-ख का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

कतिपय अधिकारियों की शक्ति

"22-क (1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से मामलों के या मामलों के किसी वर्ग के संबंध में इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त निरीक्षक, जिस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग ऐसा अधिकारी करता है उसकी सीमा के भीतर, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का अन्वेषण करने हेतु किये गये, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है।

(2) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय अपराध, के लिये कर सकता है।

22-ख--पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग का प्रत्येक अधिकारी कतिपय विभागों के अधिकारियों का अपराधों की रिपोर्ट करने और निरीक्षक को सहायता देने का कर्तव्य

निरीक्षक को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी उल्लंघनों की, जो उसकी जानकारी में आयें, तुरन्त सूचना देने और निरीक्षक द्वारा अनुरोध किये जाने पर इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उसे सहायता देने के लिये बाध्य होगा।

श्री अध्यक्ष ..

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं इस शीर्षक विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीजुर्रहमान ..

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष ..

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976†

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्रीमती इन्द्रमोहनी)....

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बिल जो आज रखा गया है इससे पहले इसके विषय में 3 आर्डिनेंसेज जारी हो चुके थे। एक तो 21 जून, 1976 को जारी हुआ था। एक 15 सितम्बर को हुआ था और एक 4 अक्तूबर, 1976 को जारी हुआ था। जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा ही होगा, इसमें एक तो यह है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटर्स हैं लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी के, उनकी अवधि एक साल से बढ़ाने की बात है। इसलिये जैसा कि आप जानते ही हैं, इस समय शहरों का ब्यूटीफिकेशन चल रहा है, जिसमें कि सड़कें वगैरह भी चौड़ी करानी हैं, इन-क्रोचमेंट्स भी हटने हैं, स्लम्स का क्लियरेंस भी होना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि अगर उसकी अवधि नहीं बढ़ा दी जायगी तो जो काम जैसा कि अच्छी तरह से होता चला आ रहा है उसमें बाधा पड़ जाती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो सेक्शन 8 (ए) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम का है उसमें तबदीली लाई जाय।

---

†1 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्रीमती इन्द्रमोहनी]

दूसरी बात यह भी है कि 1916 का जो म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट है उसमें ऐसा कोई भी प्रावीजन नहीं था कि अगर मैजारिटी मेम्बर्स कहीं बोर्ड में अपना इस्तीफा दे देते हैं अर्थात् अगर 10 मेम्बर्स हैं और 7 कर देते हैं तो यह था कि 3 मेम्बर्स पर भी बोर्ड चलता ही रहेगा चाहे वह काम कैसा ही करे, चाहे फुल रेप्रेजेंटेशन भी न रहे, हर वार्ड और क्षेत्र रेप्रेजेंटेड भी न हो, फिर भी उनके ही हिसाब से काम चलता रहता था। आप स्वयं जानते हैं कि इस तरह से काम पूरे तौर से चल नहीं सकता। क्योंकि जो 3 मेम्बर्स चलायेंगे तो जो भी अधिकतर काम हैं वह उन्हीं तीन क्षेत्र और वार्डस में होते रहेंगे और उस तरह से इंसाफ से और न्याय से नहीं हो पायेगा जैसा कि होना चाहिये। इसलिये यह बहुत जरूरी समझा गया कि इसमें भी चेंज लाया जाय और जो 10-ए म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का है उसको चेंज करके उसके अन्तर्गत अब ऐसा प्राविधान किया गया, है कि अगर आधे से ज्यादा मेम्बर्स रिजाइन कर देंगे तो बोर्ड को आटोमेटिकली डिजाल्व मान लिया जायगा। मैं तो समझती हूं कि जनहित के लिए यह बहुत अच्छा कदम है जिससे पूरे न्याय से हर जगह के बोर्ड क काम चल सकेगा।

तीसरी बात यह थी कि अभी तक मेयर का जो इलेक्शन होता रहा है उनके वोटर्स मेम्बर्स रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि आपको मालूम है, ये अब जनता से चुने जायेंगे और इस तरह मम्बर्स के द्वारा न चुने जाकर जनता के जरिये चुने जाने से वे जनता के ही प्रतिनिधि होंगे जिससे कि वहां उनके क्षेत्रों में जनता का काम ज्यादा हो सकेगा। इनका अब टर्म भी दो साल इसलिए किया जा रहा है ताकि नो-कांफीडेंस न लाया जा सकेगा। अभी तक यह था कि नो-कांफीडेंस 6 महीने के अन्दर ही लाया जा सकता था जिसकी वजह से काम में बाधा पड़ती थी। जब से प्रेसीडेंट एलेक्ट होते थे उस समय से ही उन्हें चिन्ता लगी रहती थी कि अगर हमारे सदस्य खफा हो गये तो नो-कांफीडेंस आ जायगा। पहले 2–4 महीने तो काम समझने में ही लग जाते हैं। इसलिये 6 महीने की अवधि बहुत कम थी। इसीलिए अब यह दो साल की कर दी गयी है कि 2 साल से पहले नो-कांफीडेंस न लाया जा सके और वह भी जब दो-तिहाई मेजारिटी हो, वरना नहीं।

ऐसे ही जो आफिसर्स इंचार्ज हैं कुम्भ मेले के और हरिद्वार में कुम्भ और अर्द्ध कुम्भ होता है, तो उनको कुम्भ मेले के दौरान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और मुख्य नगराधिकारी की पावर्स भी दी गयी हैं। इन पावर्स के बगैर जहां यह मेला हुआ करता है वहां अधिकतर एन्क्रोचमेंट्स होते हैं। अगर उनको हटाया जाता है तो वे लोग फौरन ही स्टे वगैरह ले आते हैं जिससे कि मेले में जो हजारों, लाखों लोग आते हैं उन्हें जगह भी नहीं मिलती। आपको याद होगा कुछ साल पहले इलाहाबाद में बहुत बड़ा स्टैम्पीड हुआ था जिसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि आफिसर्स इंचार्ज मेला कुम्भ और अर्द्ध कुम्भ हरिद्वार में उन्हें दौरान मेला उन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और मुख्य नगराधिकारी का स्टेटस दे दिया जाय जिससे कि वह अच्छी तरह से वहां इंतजाम कर सकें और जनता को सुविधा हो। मुझे आशा है कि आदरणीय सदन इस पर विचार करेगा और अपनी सहमति देगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।"

मुझे कभी-कभी बड़ी हंसी आती है।

श्री अध्यक्ष—

हंसी तो हमेशा आनी चाहिये, कभी-कभी-क्यों ?

श्री ऊदल—

हंसी आती है, अफसोस भी होता है । अफसोस कुछ ज्यादा होता है । सन् 59 में जब नगरमहापालिका कानून पास हुआ तो माननीय मुख्य मंत्री जी हम लोगों के साथ थे और माननीया स्वायत्त शासन मंत्री जी उधर थीं । हम लोगों ने और आपने भी यह तर्क दिया था कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो । तो उधर से यह दलील दी जाती थी कि यह ठीक नहीं, मेयर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ जायगा क्योंकि मेयर चुन जाय किसी पार्टी का और बहुमत दूसरों का हो जाय और आज माननीया मंत्री जी कह रही हैं कि मेयर का चुनाव पब्लिक से डायरेक्ट हो । जो बात सन् 59 में हम और माननीय नारायण दत्त जी तिवारी कह रहे थे उसको आप आज करने जा रही हैं ।

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) ..

माननीय मुख्य मंत्री जी को जब उसका मौका मिला, उनको कार्यान्वित कर दिया। (हंसी)

श्री ऊदल ..

देर आयद दुरुस्त आयद। दुख इस बात का है कि इसको एक जमाने बाद किया गया। उस वक्त हम लोगों की बात का खयाल नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत तिवारी)—

अब तो हम और आप दोनों इधर ही हैं।

श्री ऊदल ..

हां हैं, पर हम हमेशा ही नेक सलाह देंगे ।

माननीय मंत्री जी ने सौन्दर्य का जिक्र किया है। वह चीज अच्छी चीज है। होना चाहिये, सड़कें भी चौड़ी हों, इसमें दो राय नहीं हैं, मगर आज उसके नाम पर हो क्या रहा है ? बनारस शहर में 5000 मकानों की ऐसी लिस्ट बनायी गयी है जिनके प्रोजेक्शन गिरवाने हैं। यह जमीन से 12 फुट ऊंचाई पर बने हैं । आप पटरी पर बने हुए प्रोजेक्शन को गिरवा दें, उसमें मुझे एतराज नहीं है, मगर जो इतने पुराने और इतने ऊचाई पर हैं उनको न गिरवाया जाय । वहां की कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक प्रस्ताव आपके पास आया है। गरीबों को तो आप उजाड़ देते हैं, बड़े-बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है । आज भी ऐसे लोगों ने सड़क के किनारे-किनारे जो मकान बनवाये हैं उनमें 10 फुट प्रोजेक्शन निकाल लिया है और उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है । मैंने प्रशासक महोदय को भी लिखा, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा । माननीय बहुगुणा जी के समय में जब स्वायत्त शासन विभाग भी वे देख रहे थे, उनसे भी कहा । उस वक्त टंडन जी वाराणसी में प्रशासक थे । उन्होंने कहा कि उनको कुछ आता जाता नहीं हैं । उनको अधिकार सब हासिल है क्यों नहीं करते ? आज छोटे-छोटे नगरों की, टाउन एरिया की, हालत बहुत खराब है । उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है । महानगरों में भी पानी आदि की समस्या है । मीटरों की समस्या है, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । कहीं चुंगी की समस्या है । टैक्स मैनुअल की समस्या है । इन सब को आप देखिये । भले ही जो समय आप चाहते हों और ले लें । हम चाहते हैं कि व्यापक सुधार आप करें और तब विधेयक लायें । वरना इस तरह से इस प्रदेश का कल्याण नहीं होगा । इससे मान्यवर, इसका बड़ा भारी प्रभाव होने वाला है । पहले नो-कांफीडेंस मोशन जो आता था श्रीमन्, उसमें था आधे से ज्यादा और अब दो-तिहाई आपने कर रखा है । वह तो पास होगा ही । करिये आप ? कहीं ऐसा न हो कि नुकसान हो जाय । इसीलिए मैंने श्रीमन् कहा कि इस पर व्यापक तरीके से सोचना होगा । तो ऐसा काम कीजिए जिससे प्रतिक्रियावादियों को, साम्प्रदायिक तत्वों को सर उठाने का, लोगों को भड़काने का अवसर न मिले । आज भी लोग भड़का रहे हैं । इसीलिए हमने प्रस्ताव रखा है । चलिये करवाइये, बुलडोजर लगवाइये, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं श्रीमन्, माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें तो ठीक है।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)

मान्यवर, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस सदन के अन्दर और इस सदन के बाहर बार-बार इस बात की आवाज उठाई गयी और इस बात को कहा गया कि हमारे यहां पांचों कवाल टाउन के अन्दर मेयर का जो चुनाव है उसमें परिवर्तन होना चाहिये । हमने देखा श्रीमन्, कि कौन लोग नगर प्रमुख के पद पर आये ? वह लोग जो न राजनीति के अन्दर रहे, बल्कि वे लोग, जिनके पास धन की शक्ति थी वही कानपुर और लखनऊ के अन्दर नागरिक के जीवन के नाम पर नगर प्रमुख बन कर आये । उसके बाद क्या-क्या चीज हुई उसमें जाना नहीं चाहता। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने उस सिस्टम को तोड़ा जिसमें नगर प्रमुखों का चुनाव डायरेक्ट रिप्रेंजेटेशन द्वारा हुआ करेगा, क्योंकि उसको जनता के सामने जवाब देना है । अभी हमारे भाई ऊदल जी ने बात कही, तो हम भी नहीं समझ पाये कि इसमें उन्हें क्या आपत्ति थी ? क्या इशारा था कि वह कहते थे कि डाइरेक्ट चुनाव होना चाहिये और जब माननीय मुख्य मंत्री हुए तो डायरेक्ट चुनाव कर दिया । दूसरी बात जो इन्क्रोचमेंट की है, वह इस बिल से संबंधित नहीं है । लेकिन उसके ऊपर विचार होना चाहिए। मेरा सुझाव माननीय मंत्री जी से है कि अब कोई भी काम आप करना चाहें, उसमें अगर आप चाहें कि चन्द अफसरों के हाथ में पूरी की पूरी ताकत दे दीजिए, तो उनसे चाहें कि पूरे प्रदेश का विकास हो जाय वह नहीं हो पायेगा। किसी भी शहर के बारे में उनके लि वह लिमिटेड है ।

नगर महापालिका में यह है कि ऐडवाइजरी कमेटी बने 4–5 , 4–5 आदमियों की ऐडवाइजरी कमेटी बनाई जा सकती है । जो जनता का विचार है वह भी उन शासकों के सामने रख सकें । एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें पहली बार यह हुआ है कि मेयर को वह पावर जो दी गयी है पहली बार दी गयी है । अब नगर प्रमुख जो था, वह अभी तक क्या था ? वह सिर्फ नगर महापालिका की जो मीटिंगें होती थीं, उसको वह प्रिसाइड करता था। लेकिन अब इस बिल के बाद नगर प्रमख वह उस प्रकार का नहीं रहेगा, बल्कि वह जिन चीजों को कराना चाहता है, वह कराये । तजुर्बे ने यह भी साबित कर दिया कि 6 महीने में उनका रिसेप्शन होता था उसके बाद वह काम करता था । इसके अलावा नगर प्रमुख कुछ नहीं कर पाता है। अगर कोई कारपोरेशन का सदस्य नहीं होता है और अलग से नगर प्रमुख बना दिया जाता है तो 6 महीने तक उसे लोकल बाडीज का वाम समझने में ही लग जाता है और वह कुछ काम नहीं कर पाता है । इसीलिये उसके टर्म्स को बढ़ा दिया गया जिससे वह नागरिक जन जीवन के प्रोबलेम्स को समझ सके और उनका फैसला कर सके। इसी संबंध में मुझे यह भी कहना है कि हमारे समाज में जो बाल्मीकि भाई हैं वे बड़े कमजोर हैं । हमने यह देखा है कि लोकल बाडीज में या दूसरी जगहों पर उनका रेप्रेजेंटेशन बहुत कम हो पाता है। चूंकि वे समाज के उस वर्ग से आते हैं जो अपने हाथों से मैला उठाते हैं, उनके अन्दर शिक्षा भी नहीं है। इसलिये कोई ऐसा प्राविधान होना चाहिये क जिन नगरपालिकाओं में कोई भी बाल्मीकि न आ पावे, उनके प्रतिनिधि को सरकार स्वयं नामजद करे । अगर इस तरह का कोई प्राविधान हो सके, तो इससे समाज के कमजोर वर्ग को बड़ा बल मिलेगा । यह सुझाव देते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

*श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)

मान्यवर, मैं अध्यक्ष के सीधे चुनाव कराने के संबंध में सरकार के निर्णय का स्वागत हु ए चन्द बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । अभी हमारे पूर्व वक्ता सदस्य ने बाल्मीकि भाइयों की नामजदगी का उल्लेख किया है । मैं उनकी बात की ताईद करता हूं। जिस तरह से इस संशोधन विधयक में महिलाओं की नामजदगी का प्राविधान

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया है उसी तरह से बाल्मीकि और हरिजनों की नामजदगी का प्राविधान कर दिया जाय तो यह एक बहुत ही अभिनन्दनीय कदम होगा ।

मान्यवर, इसमें दफा 34 में दफा 81 से संबंधित कुछ ऐसा प्राविधान किया गया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने कार्य काल में अगर किसी फंड का दुर्व्यय या दुरुप्रयोजन करता है तो वह उससे वसूली हो सकती है । जैसे "प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुप्रयोजन होने के दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उस दिनांक से, जब ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य अधिकारी या सेवक अपने पद पर न रह जाय, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात जो भी पश्चातवर्ती हो, ऐसा दायित्व समाप्ति हो जायेगा ।"

इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि ऐसा प्राविधान होने के बाद भी हमारा मकसद बिलकुल पूरा नहीं होगा । किसी वक्त जब भी कोई अनियमितता नोटिस में आवे, उसी वक्त उस सदस्य से या उस संस्था से वह वसूल होना चाहिये । मेरा तो यह भी आग्रह है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा चलाने का भी प्राविधान होना चाहिये । आज-कल नगरपालिकाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में इतनी दुर्व्यवस्था है कि हमारे देश और प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है । आज जन जीवन इतना गन्दा हो गया है कि घरों के सामने गलियों में गन्दा पानी बहता रहता है । लखनऊ जैसे शहर में जिसका आप सौन्दर्यीकरण करने जा रहे हैं वहां आज भी ऐसे मुहल्ले और गलियां हैं जहां कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और मच्छरों की वजह से वहां जिन्दा रहना मुश्किल हो जाता है । पुराना महानगर का घोसियाना मुहल्ला है, जहां तमाम मवेशी रहते हैं, रिक्शे वाले तथा दूसरे गरीब लोग रहते हैं, जानवरों की वजह से वहां किस तरह से लोग जिन्दा हैं, यह कहना मुश्किल है । लखनऊ जैसे शहर में भी ऐसी-ऐसी गन्दी बस्तियां हैं जिनको आप अन्दाजा नहीं लगा सकते ।

अब मैं अपने बांदा शहर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां आज भी सड़कें और नालियां पानी से भरी पड़ी हैं । वहां मच्छरों ने लोगों का जिन्दा रहना मुश्किल कर दिया है । वहां बहुत ज्यादा गन्दगी है । मैं कहता हूं कि बांदा में जो स्थानीय संस्थायें हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये कि अगर वे इस गन्दगी को दूर नहीं करेंगी तो बोर्ड को भंग कर दिया जायेगा । ऐसा कुछ प्राविधान इसमें कर दिया जाय तो मैं महसूस करता हूं कि यह अभूतपूर्व कदम होगा । लेकिन अच्छा हो कि चुनाव जितनी जल्दी कर दिये जायें तो जनता उतना ही उसका स्वागत करेगी । जैसे कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि लोक सभा के चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं । लेकिन पंचायतों के, स्थानीय निकायों के चुनाव जल्दी कराये जायेंगे तो बहुत अच्छा होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री संत सिंह युसुफ (जिला कानपुर)---

मैं अध्यक्ष महोदय, 2-3 बातों को कहना चाहता हूं । अभी कुछ बातें कहीं गयीं तो कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जब उस पोजीशन में आ गये तब उन्होंने कर दिया । हम लोग कह ही सकते थे । जब वह यहां पर थे तो कर नहीं सकते थे जब उस जगह पर पहुंच गये तो कर दिया । बहुत अच्छी बात है।

मेरी दो-तीन बातों में पहली बात है कि नगर महापालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं होते ? नगर महापालिकाओं के चुनाव जितनी जल्दी हो सकें होने चाहिये । इस चुनाव का जनरल चुनाव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है । क्योंकि बड़े शहरों की हालत बहुत खराब है । वहां पर पानी की हालत बहुत खराब है । मजदूरों के रहने के मकान का मासिक किराया 10 रुपये है लेकिन 27 रुपये का बिल आता है । पानी नहीं है । मंत्री जी एक बार लेबर कालोनी में गयीं थीं तो उनसे यही शिकायत की गयी थी कि पानी की कमी है, कानपुर में पानी की कमी होने के कारण बड़ी दुर्दशा है । पानी के अलावा रहने की प्राब्लम शहरों में बहुतखराब है ।

[श्री सन्त सिंह युसुफ---]
शहरों में मकान नहीं मिलते हैं । क्वार्टर जो मिलते हैं उन पर रिश्वत चलती है । नगर महापालिका और लेबर डिपार्टमेंट के क्वार्टरों पर 10-10 हजार की पगड़ी चलती है । पगड़ी देने पर मकान मिलता है । नगर महापालिकाओं में आवास और पानी की ओर ध्यान देकर इनके बारे में स्कीम बनाने की आवश्यकता है । इस संबंध में कोई कानून या आर्डीनेंस लाने की आवश्यकता है । दूसरी चीज इसी सिलसिले में कहना चाहता हूं । यदि सौन्दर्यीकरण करना है, तो करें । अच्छी बात है । लेकिन सौन्दर्यीकरण करने के लिए एक बात की मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीब आदमी की झोंपड़ी गिरा दें, यह सौन्दर्यीकरण नहीं होना चाहिये । झोंपड़ी गिराइये लेकिन पहले उसको कोई आल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड कर दें, उसके रहने की जगह होनी चाहिये । इस तरह का प्राविधान शहरों में होना चाहिये । जब भी मेरी डाक्टर राजेंद्र कुमारी जी से बातचीत हुयी, बहुत अच्छी बातचीत हुयी । उनका हृदय गरीब आदमी की तरफ होता है और भाव सुन्दर होता है । लेकिन नगर महापालिका के चुनाव बाकायदा हों । पानी की व्यवस्था मान्यवर, इमरजेंसी लेवेल पर कवाल टाउन्स के अन्दर होनी चाहिये । दूसरे नगर महापालिका का चुनाव हो तो वह ठीक है । वह होना चाहिये । यदि अभी चुनाव नहीं कराते हैं तो पिछलीबार जो कानून पेश हुआ था तब बहुगुणा जी ने कहा था कि, जो एम0एल0ए0 हैं उनसे कुछ काम लें । देहात में एम0 एल0 ए0 जिला परिषद् के मेम्बर माने जाते हैं, लेकिन शहर में नहीं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--
आपकी सब बातें हम मानते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---
1959 से आपकी बात मान रहे हैं ।

श्री संत सिंह युसुफ---
मान गये हैं तो उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । यदि इसी प्रकार करती रहेंगी तो आप हमेशा जोरदार रहेंगी और फूलें फलेंगी ।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)---
अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस बिल पर आपने मुझको बोलने का मौका दिया । जो वर्तमान सिस्टम है वह चल नहीं रहा है और अविश्वास की तलवार की धार अध्यक्षों के ऊपर रहती है जिससे वह काम नहीं कर पाते हैं और उनके ऊपर तलवार लटकती रहती है । इस आशय का जो संशोधन बिल आया था और वह प्रवर समिति को सौंपा गया था और उस पर चर्चा हुयी थी । मैं संशोधन बिल की सभी बातों पर सहमत होते हुए मंत्री जी से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति में एक बात उठी थी कि धारा 30, 34, 40 और धारा 48 का (मूल ऐक्ट में) प्रयोग करते हुए कुछ अधिकारी जो काम करते हैं या सरकार की तरफ से आदेश होते हैं धारा 30, 34, 40 और धारा 48 की जो बात है उसमें सरकार के जो कर्मचारी थे उनकी ओर से बात उठी थी और कहा गया था कि इन आदेशों के विरुद्ध जो खर्चा मुकदमों पर हो वह नगरपालिका फंड से न किया जाय । हम लोगों ने एतराज किया था कि नगरपालिका सरकार की देन नहीं है बल्कि म्युनिसिपल ऐक्ट की देन है जो विधान सभा द्वारा बना है । इसलिये कोई सरकार का अधिकारी या कर्मचारी इस तरह के आदेश या निर्देश यदि म्युनिसिपैल्टी को देता है जिसे पालिका ठीक नहीं समझती और जिसके प्रति मुकदमें में खर्च वह करती है तो वह करने का अधिकार नगरपालिका को या अध्यक्ष को खर्च करने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि वह स्वायत्त-शासी संस्था है ।

जो नई धारा जोड़ी गई है--खंड 35 उसमें 120-क में लिखा है कि "राज्य सरकार द्वारा धारा 30, धारा 34, धारा 40 या धारा 48 क अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया

हुआ तात्पर्यित है, उसके संबंध में बोर्ड या उसके अध्यक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गयी किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ नगर-पालिका निधि से कोई व्यय स्थानीय निकाय निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।" अब यदि बोर्ड को स्वायत्तशासी संस्था मानते हैं तो वह यानी निदेशक सरकार के अधीन कर्मचारी हैं सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ने हेतु व्यय स्वीकृत नहीं करेंगे। धारा 34 के अनुसार जिला अधिकारी या कमिश्नर भी आदेश कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने याने सरकार ने आदेश दे दिया तो नगरपालिका मुकदमा नहीं कर सकती है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस पर पुनर्विचार करें और इसका उपयोग सीमित तौर पर करें। यदि सुपरशेसन की कार्यवाही हो तो वह कार्यवाही कौन करवाये । इसको जो धारायें हैं इतनी जरूरी हैं । नया परीक्षण हुआ है । यह 1953 में भी हुआ था और वह कुछ कारणों से सफल नहीं हुआ । इसमें उन कारणों को दूर करने का प्रयोग किया गया है । बहुमत दो बटे तीन रखा गया है और स्वायत्तता को बनाये रखने के लिए मंत्री जी विचार करेंगी । जिलाधिकारी या कमिश्नर के आदेश अगर इस धारा के मातहत होते हैं तो उस पर लागू न हो इस प्रकार के आश्वासन की आशा हम करते हैं । इन शब्दों के साथ सुझाव के साथ इस संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव) ..

अध्यक्ष जी, मैं इस अवसर पर लखनऊ शहर की एक ही समस्या की ओर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वैसे शहरों में जो सुन्दरीकरण अभियान चल रहा है लखनऊ में भी हो रहा है । अच्छा है । लेकिन लखनऊ शहर में एक क्षेत्र ऐसा है कि जिसकी तरफ सुन्दरीकरण या उसके विकास या उसकी सारी सफाई या उसके रख-रखाव की तरफ महापालिका का ध्यान गया न सरकार का । उसकी वजह कुछ कारण है । हमारे शहर में, आजादी के इतने दिनों बाद, अंग्रेजों का बना हुआ उपनिवेश अभी तक कायम है और वह है कैसरबाग जिसमें शासन पार्टी का कांग्रेस का दफ्तर है और मेरा छोटा दफ्तर है, दूसरी पार्टी का भी दफ्तर है। वहां पर कोई अगर डेवलप-मेंट, कोई विकास करना चाहे, कोई मकान का थोड़ा हिस्सा बढ़ाना चाहे तो उसके लिए नगर महापालिका इजाजत नहीं देगी । वह जो उपनिवेश बन गया है ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन वह इजाजत देगी और वही उस पर कोई अमल करेगी। अभी मुझे मालूम हुआ था थोड़े दिन पहले, कांग्रेस पार्टी अपने दफ्तर में कुछ विकास करना चाहती है, कुछ कमरे बनाना चाहती है, फौरन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने रोक दिया कि यह हमारा अधिकार है आपने पूछा नहीं कैसे बना दें ? वह नगर महापालिका का अधिकार नहीं है । वहां पर सुन्दर पार्क है उनके विकास पर ध्यान नहीं है । वह इतने अनडेपलेप्ड पड़े हैं और उसका इतिहास क्या है सरकार को इसकी खोज करनी चाहिये । हमारी जहां तक जानकारी है यहां पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नवाब की हुकूमत खत्म होने के बाद कैसरबाग की जितनी इमारतें नवाबों की थी अंग्रेजों के कब्जे में आयी और अंग्रेजों ने इन इमारतों को उन बड़े-बड़े ताल्लुके-दारों को दिया था जो उनके मददगार थे जो लड़ाई राष्ट्र की आजादी की लड़ाई के विरुद्ध थे, गद्दार थे । मालूम हुआ है कि उनकी लीज की गयी, 90 साल या 99 साल पहले । वह समय खत्म हो गया । सरकार को सोचना चाहिये इस तरफ । लीज खत्म हो गयी, क्या परिवर्तन किया जाय ? उस इलाके को डेवलेप करने के लिए क्या योजना की जाय । बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं । इस एसोसिएशन की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते । सरकार नियमों में परिवर्तन करके इस एसोसिएशन को खत्म करे और पूरे कैसरबाग एरिया की देख-रेख करे जिस तरह कारपोरेशन पूरे शहर का करता है । उसको अपने कब्जे में ले। इस क्षेत्र में खाली जमीन पर सैकड़ों मकान बनाये जा सकते हैं। अच्छा बाजार डेवलप किया जा सकता है और जो पार्क्स हैं उनका रख रखाव किया सकता है तो इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि तमाम खाली जमीन पड़ी हुई है ।

[श्री भीखा लाल]

दूसरी बात सफाई की लीजिये वह इलाका गंदगी का घर है जब कोई कांग्रेस की मीटिंग होती है, प्रधान मंत्री आने को होते हैं केंद्रीय मंत्री आते हैं तो विशेष रूप से वहां सफाई का इंतजाम किया जाता है। तो यह जो कालोनी अंग्रेजों ने छोड़ी है कम से कम इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यह जो पुराने महल, मकानात और कोठियां बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों को दी गयी थीं यह किस आधार पर किन शर्तों पर दी गयी थीं इसकी जांच पड़ताल करायी जाय और ब्रिटिश इंडिया एसोशियेशन की कालोनी को खत्म करें और पूरी जायदाद को सरकार अपने कब्जे में ले ताकि तमाम जमीन का उपयोग किया जा सके। अरबन सीलिंग ऐक्ट लागू हुआ लेकिन वहां नहीं हुआ। वह जमीन खाली पड़ी है। एक-एक कोठी में 3-3 और 4-4 एकड़ जमीन घिरी हुई है गार्डन के नाम पर। परन्तु गार्डन के नाम पर कुछ नहीं केवल जंगलात हैं। ऊबड़-खाबड़ जमीन पड़ी है। उसमें गार्डेनिंग के लिये ब्रिटिश इंडिया एसोशियेशन इजाजत देगी न कि नगरपालिका देगी, न कि नगर विकास प्राधिकरण देगा तो यह सरकार को सोचना चाहिये। हमारे प्रदेश के लिये यह एक बहुत बुरी कालोनी है उसको अपने कब्जे में लेना चाहिये। कैसरबाग हमारे शहर का केंद्र है। हाट है, उसका विकास हो सके बस मुझे केवल इतना ही कहना है।

*श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)....

मैं, स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये हैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो विधेयक आया है वह वाकई अच्छा विधेयक है, प्रशंसनीय है। जनता से सीधे चुनाव करा देना, यह एक प्रशंसनीय कदम है। मैं 3 सुझाव देना चाहता हूं।

जैसा कि सुन्दरीकरण की बात आयी, सुन्दरीकरण का कोई विरोधी नहीं है। विरोधी से विरोधी भी इसके विरुद्ध न होगा। परन्तु सुन्दरीकरण के नाम पर गरीब मारे जाते हैं। वे पगड़ी आदि देकर अपनी दुकानें स्थापित करते हैं जो उनके रोजी का साधन होती हैं परन्तु सुन्दरीकरण में उनकी दुकानें साफ हो जाती हैं और फिर उसे रोजी कमाने का सहारा नहीं मिलता है। सुन्दरीकरण ठीक है लेकिन जो दुकानें करें, जो किरायेदार हों उनको दुकानें जरूर मिल जानी चाहिये अन्यथा उनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये, कोई जमीन मिलनी चाहिये उन्हें नक्शा पास करके देना चाहिये तथा 2–3 महीने का समय भी देना चाहिये ताकि वह अपनी पुरानी दुकान आदि का मलवा हटाकर नयी दुकान बना सकें। लेकिन सुन्दरीकरण के नाम पर चाहे लखनऊ में वह हो या आगरा में या कहीं और गरीब तबाह होंगे, जब तक कि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेगी। तो मेरा पहला सुझाव यह है कि सुन्दरीकरण ऐसा हो जिससे गरीबों का अहित न हो तभी वह समझेगा कि उसको 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से राहत मिली है, उसके पास रोजी-रोटी कमाने का साधन है और उसके बच्चे तबाह नहीं हुए हैं।

वह इसके लिये प्रधान मंत्री को भी धन्यवाद देगा और स्वायत्त शासन मंत्री जी को भी। इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में जहां-जहां मंत्री, मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री या डी0एम0 या जो भी आफिसर निकलता है तो उस सड़क की तो सफाई हो जाती है लेकिन गरीबों के मुहल्ले में देखा जाय तो इतनी दुर्गन्ध तथा मैला कचड़ा होता है जो किसी अच्छे शहर में नहीं होता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी जिस सड़क का प्रोग्राम दें उस सड़क के अलावा भी तो कहीं जावें तभी उनको मालूम होगा कि शहर में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कितनी गंदगी है । इतनी गंदगी होती है कि वहां की नगरपालिका को एक मिनट भी प्रदेश में नहीं रहने देना चाहिये ।

तो वहां दुबारा चुनाव हों या एक सलाहकार समिति बना दी जाय जो उसकी देख-भाल करें । गाजियाबाद में किसी भी नाले को देख लो उसमें फुट-फुट भर कचरा भरा हुआ है । वाल्मीकि जहां रहते हैं वहां पर बिजली नहीं है, शौचालय नहीं हैं और खाली जमीन जो है उसमें शौचालय बने हुए हैं जिनसे दुर्गन्ध फैलती है । मंत्री जी अपने निश्चित प्रोग्राम के अलावा अन्य स्थानों को भी जाकर देखें आया वहां सफाई है या नहीं । तीसरा सुझाव यह है कि हरिजनों के नाम पर रिजर्व सीट होती है लेकिन वाल्मीकि जीत नहीं पाते और इस तरह उनका शोषण होता रहता है । लिहाजा बोर्ड में वाल्मीकि और अन्य छोटी जाति वालों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये और उसके लिये सरकार की तरफ से नामजदगी होनी चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती इन्द्र मोहनी ...

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार इस संशोधित विधेयक के संबंध में प्रकट किये हैं उसके लिये मैं उनके प्रति आभारी हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोग नगर-पालिकाओं तथा महापालिकाओं को और भी ज्यादा ठीक कर सकेंगे । ऊदल जी ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की बात कही । मैं उनको बतला दूं कि जो ओरिजिनल बिल था वह 74 में प्रवर समिति में गया था और उसकी ग्राउ रिकमेंडेशंस इस बिल में इंक्लूड कर ली गयी हैं । लिहाजा वह मुझसे सहमत होंगे कि अब इसको दुबारा प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

शकील साहब ने फरमाया कि वाल्मीकियों का इंक्लूजन होना चाहिये । यह बड़ा अच्छा सुझाव है । वाल्मीकि भाइयों को जो काम करना पड़ता है अगर बोर्ड में उनके प्रतिनिधि होंगे तो वह वहां वाल्मीकि भाई व बहनों की कठिनाइयों को ज्यादा अच्छी तरह से रख सकेंगे और इस तरह से उनको दूर करने में भी आसानी होगी । इस मामले को हाउस में लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता । अभी एक माननीय सदस्य ने महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं की गन्दगी के बारे में भी जिक्र किया । इस गन्दगी के बढ़ने का कारण है बढ़ते हुए नगरों की बढ़ती हुई आबादी । जनसंख्या के हिसाब से सफाई मजदूरों की भी कमी है जिससे पूरी तरह से सफाई होने में कठिनाई होती है । फिर केवल महा-पालिका द्वारा ही सफाई नहीं कराई जा सकती । इसके लिये यह भी जरूरी है कि हमारे नागरिक समझें कि सफाई कितनी जरूरी है, सफाई से बीमारी भी दूर होती है । माननीय सदस्यों ने मच्छरों का जिक्र किया था । उनको ज्ञात होना चाहिये कि मच्छर गंदगी व पानी में ही ब्रीड करते हैं । मच्छर एक जमाने में बहुत कम हो गये थे । ज्यों-ज्यों गन्दगी बढ़ेगी मच्छरों की मात्रा भी बढ़ेगी जैसा कि आज मलेरिया का इंसीडेंस काफी हाई हो गया है । तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस बात को स्वयं समझें कि सफाई कितनी जरूरी है । जब तक सफाई स्वयं नहीं करेंगे तब तक यह मुमकिन नहीं होगा । कोई भी डिपार्ट-मेंट या म्युनिसिपैलिटी अकेले इस काम को नहीं कर सकेगी । मगर फिर भी जसा कि मान-नीय सदस्यों ने कहा इस बात को जरूर दिखवालेंगे और सफाई का प्रयास किया जायेगा । यह हमारी जनता और हमारे भाइयों की सेहत को ठीक रखने के लिए जरूरी है । मच्छरों को खतम करने के विषय में जैसा कि कहा गया वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाईजेशन से बात-चीत की जाय । बीच-बीच में जो उनके कार्यक्रम इसके संबंध थे वह खतम कर दिये थे उनको फिर से चलाने के लिये कहा जाय ।

[श्रीमती इन्द्र मोहनी ...]

दूसरा सवाल मकानों को गिराने के बारे में कहा गया कि गरीबों के मकान गिराये जा रहे हैं । मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सामने कुछ लोग आये जिन्होंने शिकायत की और अपनी कठिनाई भी बताई कि उन्होंने दो-दो और तीन-तीन लाख रुपये लगा कर मकान बनाये हैं जो गिराये जा रहे हैं । जहां तक गरीबों की बात है जब ब्यूटिफिकेशन के अन्दर गरीबों के मकान गिराये जायेंगे तो उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दी जायेगी बिना उसके मकान नहीं गिराये जायेंगे ।

एक दूसरा सवाल भी आया था मिस एप्रोप्रियेशन आफ फंड का जो चेयरमेन वगैरह कर लेते हैं और कहीं-कहीं पर इनक्वायरी करने के बाद यह बात सही भी पाई गई । तो इसमें ऐसा है कि अगर किसी के चेयरमैन रहने के समय में या मेम्बर रहने के समय में कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी पूरी इनक्वायरी की जायेगी और दोषी है तो उससे वसूली की जायेगी।

एक बात और मैं कहना चाहती हूं अभी तक म्युनिसिपल बोर्ड में रिट और लिटिगेशन में जो खर्चा होता था उसको वह सरकार के खिलाफ यूज करते थे जिसे म्युनिसिपैलिटी के पैसे से करते थे । अब इसके लिए आवश्यक है कि उसकी अनुमति निदेशक से लेनी होगी। जो भी खर्च म्युनिसिपैलिटी रिट आदि में करेगी उसकी अनुमति पहले लेनी पड़ेगी नहीं तो उसका खर्च म्युनिसिपैलिटी नहीं देगी । इससे लिटिगेशन में जो समय बरबाद होता था वह बच जायगा और बहुत कम लोग हैं जो अपने खर्चे से सरकार के खिलाफ लिटिगेशन में जाना चाहेंगे ।

अभी एक आदरणीय सदस्य ने कैसरबाग के बारे में कहा । में कहना चाहती हूं कि कैसरबाग के विकास की योजना बन गई है । जहां भी भूमि सीलिंग के अन्तर्गत आती है वह ली जायेगी । यह योजना उस पर भी लागू होगी । मुझे पूर्ण आशा है और मैं दरखवास्त करूंगी कि माननीय सदस्य इस बिल को पारित करेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री देवकुमार यादव ...

मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो म्युनिसिपैलिटी और महापालिकाओं के अन्दर जानवर रखते हैं और उससे गन्दगी ब्रीड होती है जैसा कि मैंने पसियानी मोहल्ले की बात कही । तो इस प्रकार की गन्दगी को दूर करने की व्यवस्था करेगी ।

श्रीमती इन्द्रमोहनी ...

कैटल को बाहर रखने के लिये एक सीमा बनाई जायेगी उसके बाहर ही जानवर रखे जायेंगे । इस पर निर्णय हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष ...

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया औ र स्वीकृत हुआ)

खड 2 से 67, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959; यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916; संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914; उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973; उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 और संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 . (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) यह धारा और अध्याय 8 तुरन्त प्रवृत्त होगा, धारा 6 और 21, दिनांक 21 जून, 1976 से प्रवृत्त समझी जायगी, अध्याय 2 से 6 के शेष उपबन्ध दिनांक 15 सितम्बर, 1976 से प्रवृत्त समझे जायेंगे और अध्याय 7 दिनांक 4 अक्टूबर, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2 1959 की धारा 2 का संशोधन

2 . उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (17) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्: -

"(17 क) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 5-क के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है", ।

धारा 5 का संशोधन

3 . मूल अधिनियम की धारा 5 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्: .

"(ख ख) नगर प्रमुख;" ।

नई धारा 5-क का का बढ़ाया जाना

4 . मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्: . .

"5 क . (1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी ।

स्थानीय निकाय निदेशक

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अभिव्यक्ततः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक, महापालिका के कार्यकलापों के संबंध में, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारों का (जो धारा 538 और 539 के अधीन अधिकार न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन (जिनके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, उसे प्रतिनिहित करे, प्रयोग करेगा।"

धारा 6 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 6 में—

(1) उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के ऐसे सभी सदस्य हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण नगर या उसका भाग आता हो।"

(2) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(3) यदि इस धारा के अधीन कोई भी सभासद या विशिष्ट सदस्य महिला न हो तो राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, एक महिला को सभासद नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त महापालिका की सदस्य संख्या में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

धारा 8 क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 8—क में 'उपधारा (2)' उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 11—क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"11—क—(1) नगर प्रमुख नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायगा।

नगर प्रमुख का निर्वाचन

(2) कोई बहिर्गामी नगर प्रमुख, धारा 15—क के साथ पठित धारा 16 द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, पुन निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(3) सभासद के निर्वाचन के संबंध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से संबंधित विवाद भी है) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध नगर प्रमुख के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगर प्रमुख तथा सभासद् दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाये, या सभासद् या विशिष्ट सदस्य होते हुए किसी उप निर्वाचन में नगर प्रमुख निर्वाचित हो जाय तो वह नगर प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के दिनांक से, यथास्थिति, सभासद् या विशिष्ट सदस्य नहीं रह जायगा।"

धारा 12 का संशोधन

8 .--मूल अधिनियम की धारा 12 में, ...

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "नगर प्रमुख तथा" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्: ...

"(1) उप नगर प्रमुख, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचित किया जाएगा।";

(ग) उपधारा (2) निकाल दी जाएगी ·

(घ) उपधारा (3) में ,शब्द "नगरप्रमुख तथा"; निकाल दिये जायेंगे; और

(ङ) उपधारा (5) में, शब्द "नगर प्रमुख तथा" निकाल दिए जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन

9 .--मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "नगर प्रमुख" निकाल दिये जाएंगे।

धारा 14 का संशोधन

10 · मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द तथा अंक "धारा 12 में" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "यथा स्थिति, धारा 11—क या धारा 12 में" रख दिये जायंगे।

धारा 15 का संशोधन

11 .--मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्: .—

"(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख की पदावधि महापालिका के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।"

नयी धारा 15—क का बढ़ाया जाना

12 · मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्: · ·

नगर प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

"15—क—नगर प्रमुख में अविश्वास प्रकट करने के प्रस्ताव पर धारा 16 के उपबन्ध निम्नलिखित परिष्कारों सहित लागू होंग, अर्थात्:—

(क) उपधारा (7) निकाल दी गई समझी जायगी ; और

(ख) उप नगर प्रमुख और नगर प्रमख के प्रति किन्हीं निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायगा कि ये क्रमशः नगर प्रमुख और जिला जज के प्रति निर्देश हैं।"

धारा 16 का संशोधन

13.—मूल अधिनियम की धारा 16 में . .

(क) उपधारा (2) में, शब्द "बारह महीने" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "आधे से" के स्थान पर शब्द "दो-तिहाई से" रख दिये जायगे;

(ग) उपधारा (15) में, शब्द "आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत" के स्थान पर शब्द "दो-तिहाई बहुमत" रख दिये जायंगे; और

(घ) उपधारा (16) में, शब्द "बारह मास" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 39 का संशोधन

14.—मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें कक्ष से सभासद या सभासदों को निर्वाचित करने की अपेक्षा की गयी हो, निर्वाचक नामावली में किये गये किसी ऐसे संशोधन पर उक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ध्यान नहीं दिया जायगा।"

धारा 51 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (1) के खण्ड (क) में, शब्द "उपनगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख" रख दिया जायगा।

धारा 92 का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां नगर प्रमुख की यह राय हो कि किसी विषय पर जिसके अन्तर्गत बजट के तखमीने और कराधान के प्रस्ताव भी हैं, महापालिका या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्णय महापालिका के हित के विरुद्ध है, तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो यथास्थिति, महापालिका या समिति के निर्णय का अतिक्रमण या आंशिक परिष्कार करते हुए हो सकता है) जिसे वह उचित समझे, और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानों वह महापालिका या ऐसी समिति का निर्णय हो:—

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक अपना अंतिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरिम निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानों वे, यथास्थिति, महापालिका या ऐसी समिति के निर्णय हों।"

धारा 117 का संशोधन

17.—मूल अधिनियम की धारा 117 में, उपधारा (5) में, शब्द "जब कभी इसमें आगे स्पष्टतः ऐसा निदेश किया गया हो, यथास्थिति, महापालिका या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख के सामान्य नियंत्रण और निदश के, तथा जहां कहीं भी इसमें

आगे स्पष्टतः ऐसा निदेश किया गया हो, यथास्थिति, महापालिका या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए", रख दिये जायेंगे ।

नयी धारा 140-क का बढ़ाया जाना

18 · मूल अधिनियम की धारा 140 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्:—

"140—क—राज्य सरकार द्वारा धारा 83, धारा 84, धारा 534, धारा 535, धारा 537, धारा 538 या धारा 539 के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके सम्बन्ध में किसी नगर महापालिका या नगर प्रमुख या उसके किसी प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गयी किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ महापालिका निधि से कोई व्यय, निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।"

कतिपय मुकदमों पर महापालिका निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धन

अध्याय 3

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 2 का संशोधन

19 · यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(5—क) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 31—ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ।"

धारा 9 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"9—धारा 10 में उपबन्धित के सिवाय, बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

बोर्ड का गठन ...

(क) अध्यक्ष (प्रेसीडेंट);

(ख) निर्वाचित सदस्य जो 10 से कम और 40 से अधिक नहीं होंगे जन्हें राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और

(ग) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के ऐसे सभी सदस्य हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण म्युनिसिपैलिटी की सीमा या उसका भाग आता हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो तो राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा एक महिला, को बोर्ड का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती

है, और तदुपरान्त बोर्ड की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा ।"

धारा 10-कक का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 10-कक को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी; और

(i) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रखा जायगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक जिला मैजिस्ट्रेट हो वहां वह राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति, कृत्य या कर्तव्य को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को (जिसे यहां आगे प्रभारी अधिकारी कहा गया है) प्रतिनिहित कर सकता है, और तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी का वेतन और भत्ता खंड (ख) के अनुसार दिया जायेगा ।";

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :

"(2) जहां तत्समय बोर्ड के सदस्यों की संख्या किसी आकस्मिक रिक्त होने के कारण बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या की आधी से कम हो जाय, वहां बोर्ड उस दिनांक से, जब बोर्ड के तत्समय सदस्यों की संख्या इस प्रकार कम हो जाय या इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, विघटित समझा जायगा ।

(3) जहां कोई बोर्ड उपधारा (2) के अधीन विघटित समझा जाय, वहां ऐसे विघटन के दिनांक से जिला मैजिस्ट्रेट, विधि के हेतु, उसका प्रशासक समझा जायगा और तदुपरान्त उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) में उल्लिखित परिणाम होंगे ।"

धारा 11 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 11 में, खण्ड (सी) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक जिला मैजिस्ट्रेट हो, वहां वह राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति, कृत्य या कर्तव्य को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को (जिसे यहां आगे प्रभारी अधिकारी कहा गया है) प्रतिनिहित कर सकता है और तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी का वेतन और भत्ता खण्ड (ख) के अनुसार दिये जायेंगे ।"

धारा 12-बी का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 12-बी में, उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें कक्ष से सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा की गयी हो, निर्वाचक नामावली में किये गये किसी ऐसे संशोधन पर उक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ध्यान नहीं दिया जायगा ।"

धारा 31 का संशोधन

24--मूल अधिनियम की धारा 31 में, खण्ड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :

"(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, जब तक बोर्ड का अतिक्रमण बना रहे, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन यथाशक्य करेगा और उसे सभी प्रयोजनों के लिए बोर्ड समझा जायगा, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्रशासक कहलायेगा, और तदनुसार धारा 10-कक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे; और" ।

धारा 31-ए का संशोधन

25--मूल अधिनियम की धारा 31-ए में, खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :

"(ग) ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करें, जब तक बोर्ड का पुनर्गठन न हो जाय बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन यथाशक्य करेगा और उसे सभी प्रयोजनों के लिए बोर्ड समझा जायगा. और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्रशासक कहलायेगा और तदनुसार धारा 10-कक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

नई धारा 31-ख का बढ़ाया जाना

26--मूल अधिनियम की धारा 31-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

स्थानीय निकाय निदेशक

"31-ख--(1) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी।

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अभिव्यक्तत: समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों का (जो धारा 30 के अधीन शक्तियां न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निबंन्धनों के अधीन (जिसके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं, उसे प्रति निहित करे, प्रयोग करेगा।"

27--मूल अधिनियम की धारा 40 में--

धारा 40 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्:--

"(ज) वह सदस्य के रूप में या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में किसी अन्य दुराचरण का दोषी है, चाहे वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया गया हो";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(3) राज्य सरकार, बोर्ड से किसी सदस्य को हटा सकती है जिसने, उसकी राय में, बोर्ड के वर्तमान या अंतिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में सदस्य होते हुए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या किसी समिति के सभापति, या सदस्य या किसी अन्य हैसियत से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है, या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जान-बूझकर इतना उल्लंघन किया है, या बोर्ड की निधि या सम्पत्ति को इतनी हानि या क्षति पहुंचायी है कि वह सदस्य बने रहने के लिये अयोग्य हो गया है।"

धारा 43 का प्रतिस्थापन

28—मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष का निर्वाचन

"43—(1) अध्यक्ष, म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायगा।

(2) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(3) सदस्य के निर्वाचन के संबंध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से संबंधित विवाद भी है) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाय, या बोर्ड का सदस्य होते हुए, किसी उप निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाय, तो वह, धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य न रह जायगा।"

धारा 44—ए का प्रतिस्थापन

29—मूल अधिनियम की धारा 44—ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

अध्यक्ष का उप-निर्वाचन

"44—क—यदि मृत्यु या त्याग-पत्र दिये जाने या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाय तो तत्पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, किन्तु उक्त रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर, धारा 43 में उपबन्धित रीति से, अध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के पद में, चाहे वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् हुई आकस्मिक रिक्ति की दशा में, उसकी पूर्ति बोर्ड के सदस्यों द्वारा एकलसंक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किये गये निर्वाचन द्वारा की जायगी, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मत द्वारा होगा।"

धारा 46 का प्रतिस्थापन

30. मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"46—(1) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष की पदावधि, बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

(2) आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि के शेष भाग के लिए होगी।"

धारा 48 का संशोधन

31. मूल अधिनियम की धारा 48 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) में, उप खण्ड (vii) और (viii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"(vii) बोर्ड के वर्तमान या अन्तिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, या किसी समिति के सभापति या सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जान-बूझकर इतना उल्लंघन किया है, या बोर्ड की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि या क्षति पहुंचायी है कि वह अध्यक्ष बने रहने के अयोग्य हो जाता है; या

(viii) चाहे अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में, या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी अन्य दुराचरण का अपराध उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया है।"

धारा 54 का संशोधन

32.—मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(2) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी प्रकार के उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसीडेंट) की पदावधि बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।"

(2) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन उपाध्यक्ष का निर्वाचन, यथास्थिति, बोर्ड के सम्यक् गठन के दिनांक से, जैसा कि धारा 56 के अधीन अधिसूचित किया जाय, या रिक्ति के दिनांक से, तीन मास के भीतर, पूरा किया जायगा।"

धारा 54-ए का संशोधन

33.—मूल अधिनियम की धारा 54-ए में, उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(1) जहां कोई व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर कार्य करने में असफल रहता है या उससे इन्कार करता है या कार्य करने में अन्यथा असमर्थ रहता है या धारा 44—के अन्तर्गत अध्यक्ष के पद में कोई

आकस्मिक रिक्ति होती है, और इस अधिनियम के अनुसार कोई उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुआ है, या कोई उपाध्यक्ष अन्यथा कार्य करने के लिए नहीं है वहां अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों का, जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कृत्य करने के योग्य न हो जाय, प्रयोग और निर्वहन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायगा और ऐसा अधिकारी प्रशासक कहलायेगा, और तद्नुसार धारा 10-कक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे ।

(2) धारा 54 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बैठक बोर्ड के कार्यालय में और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दिनांक को और समय पर होगी। बैठक और उसके लिए नियत दिनांक और समय की नोटिस बैठक के लिए निश्चित दिनांक से पूरे सात दिन पूर्व बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को उनके निवास-स्थान पर भेजी जायगी। ऐसी नोटिस की एक प्रति ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायगी जिसका निदेश जिला मजिस्ट्रेट दे, और ऐसे प्रकाशन पर यह समझा जायगा कि प्रत्येक सदस्य को नोटिस मिल गयी है।"

धारा 81 का प्रतिस्थापन

34- मूल अधिनियम की धारा 81 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी, और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :-

"81—(1) बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक बोर्ड के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुआ हो:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होने के दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उस दिनांक से, जब ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक अपने पद पर न रह जाय, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसा दायित्व समाप्त हो जायगा ।

(2) इस प्रकार आरोपित अधिभार की राशि इस प्रकार वसूल की जायगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो और कलेक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त राशि देय है, उसे बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(3) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में सम्मिलित राशि की वसूली ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(4) जहां अधिभार की कार्यवाही न की जाय, वहां बोर्ड विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से या उसके द्वारा निदश दिये जाने पर, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकता है।"

धारा 87—क का संशोधन

35—मूल अधिनियम की धारा 87-क में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(2) बोर्ड के अध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो बोर्ड के कुल सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, मय उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि के जिसे प्रस्तुत करने का विचार हो, नोटिस में हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं दो सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक साथ जिला मजिस्ट्रेट को दिया जायगा।";

(ख) उपधारा (12) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :

"(12) प्रस्ताव तभी स्वीकृत हुआ समझा जायगा जब वह बोर्ड के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ हो।"

(ग) उपधारा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(13) यदि प्रस्ताव यथा उपर्युक्त बहुमत द्वारा स्वीकृत न किया जाय, या यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव के कारण, जो तत्समय बोर्ड की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से कम न होगी, न हो सके तो उसी अध्यक्ष में अविश्वास के प्रस्ताव का कोई अनुवर्ती नोटिस प्राप्त नहीं किया जायगा जब तक कि बैठक के दिनांक से दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।";

(घ) उपधारा (14) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(14) इस धारा के अधीन अविश्वास के प्रस्ताव का कोई नोटिस अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं किया जायगा।"

धारा 92 का संशोधन

36—मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां अध्यक्ष [जो धारा 43 के अधीन जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व थी, या धारा 44 क के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष न हो] की यह राय हो कि किसी प्रश्न पर (जिसके अन्तर्गत बजट के तखमीने और करा-धान के प्रस्ताव भी हैं) बोर्ड की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्णय बोर्ड के हित के विरुद्ध है तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो बोर्ड के निर्णय का अतिक्रमण या आंशिक परिष्कार करते हुए हो सकता है)

जिसे वह उचित समझे, और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानों वह बोर्ड का निर्णय हो:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक अपना अंतिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरिम निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानों वे बोर्ड के निर्णय हों।"

नयी धारा 120-क का बढ़ाया जाना

37—मूल अधिनियम की धारा 120 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

कतिपय मुकदमों पर नगरपालिका निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धन

"120-क—राज्य सरकार द्वारा धारा 30, धारा 34, धारा 40 या या धारा 48 के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके संबंध में बोर्ड या उसके अध्यक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गयी किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ नगरपालिका निधि से कोई व्यय निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।"

धारा 333 का संशोधन

38—मूल अधिनियम की धारा 333 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 10-कक के उपबन्ध, ऐसे अधिकारी पर आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे जैसे वे प्रशासक पर लागू होते हैं।"

धारा 338 का संशोधन

39. मूल अधिनियम की धारा 338 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक महिला को नोटिफाइड एरिया कमेटी का सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त कमेटी की रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा।"

अध्याय 4

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 2, 1914 की धारा 5 का संशोधन

40—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: —

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो तो राज्य सरकार इस प्रकार की अधिसूचना द्वारा एक महिला को कमेटी का सदस्य नियुक्त कर सकती है, और तदुपरान्त कमेटी की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा।"

धारा 8-क का संशोधन

41—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्: —

"(3) यदि सभापति (चेयरमैन) के देहान्त हो जाने, हटाये जाने या त्याग-पत्र देने के कारण कोई रिक्ति होती है, या उनका निर्वाचन

इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत निर्वाचन अर्जी के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो सभापति का निर्वाचन ऐसी रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उस सभापति के पद की अवधि रिक्त होने के एक वर्ष के भीतर सामान्य घटना-क्रम में समाप्त हो गई होती, तो राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि रिक्ति को उपधारा (2) के अधीन अगले निर्वाचन तक न भरा जाय।"

नयी धारा 23-क का बढ़ाया जाना

42. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् : ..

कतिपय मुकदमों पर नगर निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धन

"23. क. राज्य सरकार द्वारा धारा 7-क या धारा 36 के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके संबंध में टाउन एरिया कमेटी द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गयी किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ नगर निधि से कोई व्यय जिला मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।"

अध्याय 5

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 1973 की धारा 41 का संशोधन

43. उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 में, उपधारा (3) में, शब्द "प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "प्राधिकरण अथवा सभापति (चेयरमैन)" रख दिये जायेंगे।

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 का संशोधन

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 1958 की धारा 2 का संशोधन

44. उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में ..

(1) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् : ..

"(ख) 'भवन' का वही तात्पर्य है जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में है;"

(2) इस अधिनियम के अंग्रेजी पाठ में खण्ड (एफ) में शब्द, 'रेगुलेशन्स' के लिए शब्द "रूल्स" रख दिया जायगा।

धारा 3 का संशोधन

45--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) में, शब्द, अक्षर, तथा अंक "यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 178 से 186 तक" के स्थान पर शब्द तथा अंक "यूनाइटेड प्रांविसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 178, 179, 180, 180-ए, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 और 222" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

46--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में शब्द "सचिव, स्वायत्त शासन, या" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

47--मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "नियंत्रक प्राधिकारी सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में, किसी विज्ञापित क्षेत्र के लिए ऐसे आदेश प्रचारित कर सकता है जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रचारित किन्ही सामान्य आदेशों से असंगत न हों और जो आवश्यक समझे जायं" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हों और जिन्हें वह निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या एकाधिक के संबंध में आवश्यक समझे, जारी कर सकती है" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 5-क का बढ़ाया जाना

48--मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"5--क--(1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी विनियमित क्षेत्र का महायोजना के अनुसार विकास करना अपेक्षित हो तो वह ऐसी योजना या तो नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे, तैयार करा सकती है।

विनियमित क्षेत्र के लिए महायोजना

(2) प्रत्येक ऐसी योजना तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुरूप होगी।

(3) महायोजना का पुनरीक्षण प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर किया जायगा, और यदि राज्य सरकार उचित समझे तो उसका पुनरीक्षण इसके पूर्व भी किया जा सकता है।"

धारा 6 का संशोधन

49--मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द, "आदेशों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" रख दिया जायगा।

धारा 7 का संशोधन

50--मूल अधिनियम की धारा 7 में,

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्:--

"(2) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, नियत प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा या तो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायं, अनुज्ञा देगा या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करेगा।

(2-क) एकमात्र वे कारण जिन पर अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकता है, निम्नलिखित है, अर्थात्--

(क) ऐसे निर्माण-कार्य या निर्माण-कार्य के स्थल के उपयोग से अथवा स्थल नक्शे, भूमि-नक्शे, उत्सेध, सेक्शन या विनिर्दिष्टियों में समाविष्ट किसी ब्योरे से किसी विधि या इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्ध का उल्लंघन होगा;

(ख) ऐसी अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र में नियत ब्योरे नहीं दिये गये हैं अथवा वह नियत रीति से तैयार या हस्ताक्षरित नहीं किया गया है;

(ग) नियमों या विनियमों के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई सूचना या लेख्य यथाविधि प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(घ) प्रस्तावित भवन से किसी सार्वजनिक भू-गृहादि का, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में परिभाषित है, अतिक्रमण होगा;

(ङ) ऐसे भवन का स्थल सड़क से लगा हुआ नहीं है, और उस भवन में ऐसी सड़क से, उस स्थल से संबद्ध किसी ऐसे मार्ग या रास्ते द्वारा जो बारह फीट से कम चौड़ा न हो, पहुंचने का कोई साधन नहीं है;

(च) निर्माण-कार्य का स्थल ऐसे क्षेत्र का भाग है, जिसका विन्यास नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है;

(छ) प्रस्तावित भवन का उपयोग या नक्शा महायोजना के अनुरूप नहीं है।

(2-ख) यदि प्रार्थना-पत्र में नियत ब्योरे न दिये गये हों अथवा वह नियत रीति से तैयार या हस्ताक्षरित न किया गया हो तो नियत प्राधिकारी उसे अस्वीकार करने के बजाय, प्रार्थी को उसे संगत नियमों तथा विनियमों के अनुरूप बनाये जाने के लिए लौटा सकता है;

(2-ग) विशेषतया, और उपधारा (2) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत प्राधिकारी, किसी भूमि क्षेत्र को कालोनी के रूप में विकसित करने के लिए धारा 6 के अधीन अनुज्ञा देते समय निम्नलिखित सभी या कोई शर्तें आरोपित कर सकता है, अर्थात्--

(क) प्रार्थी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा अन्य ऐसे अभिकरण के माध्यम से जो निर्दिष्ट किया जाय, नियत मानकों के अनुसार ऐसे क्षेत्र का विकास और

उसमें सुख-सुविधाओं की व्यवस्था का प्रबन्ध करेगा और तदर्थ ऐसे प्राधिकारी या अन्य अभिकरण से अनुबन्ध करेगा अथवा उसे पर्याप्त प्रतिभूति देगा, अथवा स्वयं ऐसा विकास और ऐसी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने का बचन देगा और राज्यपाल के पक्ष में, प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित तदर्थ बन्धपत्र, नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार निष्पादित करेगा;

(ख) प्रार्थी राज्य सरकार या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी को मार्गों, सार्वजनिक पार्कों तथा अन्य लोकोपयोगी सेवाओं के लिये अलग रखी जाने वाली भूमि या तो बिना मूल्य के या ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जाय, अन्तरित करेगा।

(2-घ) उपधारा (2-ग) के अधीन प्रार्थी द्वारा निष्पादित किसी बन्धपत्र के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 445, 446, 447 और 449 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, ऐसे लागू होंगे मानों मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के स्थान पर नियत प्राधिकारी के प्रति अभिदेश और सेशन्स न्यायाधीश के प्रति अभिदेश के स्थान पर नियंत्रक प्राधिकारी के प्रति अभिदेश रख दिये गये हों।";

(2) उपधारा (4) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "आदेशों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" रख दिया जायगा।

धारा 8 का संशोधन

51. मूल अधिनियम की धारा 8 में, खंड (ग) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन प्रचारित किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी विनियम" रख दिये जायेंगे।

धारा 8-ख का निकाला जाना

52. मूल अधिनियम की धारा 8-ख निकाल दी जायगी।

धारा 9 का संशोधन

53. मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में ...

(1) शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों" रख दिये जायेंगे; और

(2) शब्द "ऐसी अनुज्ञा दी गयी हो" के पश्चात, शब्द "या किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने या किसी निर्माण-कार्यों को निष्पादित करने से रोकने के लिए धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही का उल्लंघन करके" रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

54. मूल अधिनियम की धारा 10 की संख्या बदल कर उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी, और ...

(1) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में,...

(क) शब्द "इस अधिनियम के अधीन प्रचारित आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी विनियम" रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "किसी ऐसे अभियोजन (Prcsecution) के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट किया जाय" के स्थान पर शब्द "धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द "स्वयं" के पश्चात शब्द "सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे यह उचित समझे," रख दिये जायेंगे;

(2) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(2) यदि नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी ऐसे निर्माण-कार्य का निष्पादन जो कि धारा 6 में अभिनिर्दिष्ट है, अवैध रूप से प्रारम्भ किया गया है अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है तो वह ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण या निष्पादन का निदेश देने वाले या उसे करने वाले व्यक्ति को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तत्काल रोक दे, और उसके ऐसा न करने पर ऐसे निर्माण या पुनर्निर्माण के किये जाने को या निष्पादन को रुकवा सकता है और उसके लिए ऐसे युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।"

धारा 12 का संशोधन

55. मूल अधिनियम की धारा 12 की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

(2) नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या तो अभियोजन निदिष्ट किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात्, ऐसी शर्तों पर (जिनके अन्तर्गत अपराध के लिए संधान स्वरूप धनराशि का भुगतान भी हो सकता है) जैसा, यथास्थिति, वह या नियंत्रक प्राधिकारी उचित समझे अभिसंधान कर सकता है, और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर, अभिसंधान करेगा।"

धारा 14 का निकाला जाना

56. मूल अधिनियम की धारा 14 निकाल दी जायगी।

धारा 15 क— का प्रतिस्थापन

57. मूल अधिनियम की धारा 15—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

राज्य सरकार का पुनरीक्षण संबंधी अधिकार

"15—क. (1) राज्य सरकार किसी भी समय स्वतः या उसे तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा की वैधता अथवा उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसके संबंध में ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगी जिसका उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(2) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को जो नियंत्रक प्राधिकारी के सभापति से निम्न न होगा, प्रतिनिहित कर सकती है।"

नई धारा 16—क का बढ़ाया जाना

58—मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्:—

स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में फीस आदि का जमा किया जाना

"16—क—(1) किसी नगर (जैसा कि वह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित है) की सीमाओं के भीतर नियत प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी समस्त फीस और धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वसूल की गयी समस्त धनराशि सम्बद्ध नगर महापालिका की निधि में जमा की जायगी।

(2) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (1) के उपबन्धों का प्रसार, यूनाइटेड प्राविसेंज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथा-परिभाषित किसी म्युनिसिपैलिटी पर ऐसे दिनांक से जैसा वह निदेश दे, कर सकती है, और तदुपरान्त उस उपधारा में नगर के प्रति अभिदेशों का उस म्युनिसिपैलिटी के संबंध में इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों उनके अन्तर्गत उक्त म्युनिसिपैलिटी के लिए अभिदेश भी हो।

(3) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के उपबन्ध किसी नगर पर लागू न रहेंगे, और तदुपरान्त उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे नगर पर लागू न रह जायेंगे और इसी प्रकार उपधारा (2) के अधीन किसी विज्ञप्ति को विखंडित कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (1) के उपबन्ध सम्बद्ध म्युनिसिपैलिटी पर लागू न रह जायेंगे।

(4) प्रत्येक नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड, जिस पर तत्समय उपधारा (1) के उपबन्ध लागू हों, जब नियत प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाय, उसे ऐसे कर्मचारिवर्ग उपलब्ध करेगा जो, यथास्थिति, नगर या म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं के भीतर उस प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक हों।"

धारा 17 का संशोधन

59—मूल अधिनियम की धारा 17 में, शब्द "किसी अन्य विधि" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

60—मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(1) उपधारा (1) में, शब्द "विनियम" के स्थान पर शब्द "नियम" रख दिया जायगा;

(2) उपधारा (2) में प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "विनियम" के स्थान पर शब्द "नियम" रख दिया जायगा।

नई धारा 20 का बढ़ाया जाना

61--मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित् धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् · ·

"20--इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी विनियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो उसके एक सत्र या दो अथवा उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डलेगा।"

विधान मंडल के समक्ष विनियमों का रखा जाना

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

62--मूल अधिनियम की धारा 19 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी विनियम और मूल अधिनियम की धारा 14 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सभी आदेश जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वे एतद्द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 19 या धारा 5 के अधीन बनाये गये क्रमशः नियमों तथा विनियमों के रूप में प्रभावी होंगे जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा परिवर्द्धित, संशोधित या विखंडित न कर दिये जायें।

अध्याय 7

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 का संशोधन

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 16, 1938 की धारा 2 का संशोधन

63--संयुक्त प्रान्त मला अधिनियम, 1938 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, परन्तुक निकाल दिया जायगा।

धारा 4 में परन्तुक का बढ़ाया जाना

64--मूल अधिनियम की धारा 4 में, खंड (2) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:

"परन्तु इलाहाबाद और हरिद्वार में लगने वाले कुम्भ मेला और अर्ध-कुम्भ मेला के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रत्येक ऐसे मेला के प्रभारी अधिकारी में निहित होंगे:

परन्तु यह भी कि ऐसा प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रभारी अधिकारी के रूप में उक्त कोई अधिकार या कोई अन्य अधिकार, जो धारा 5 क अधीन अधिकार न हो, ऐसे कुम्भ मेला या अर्धं कुम्भ मेला के लिय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपर प्रभारी अधिकारी या उप प्रभारी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।"

धारा 11 का संशोधन

65--मूल अधिनियम की धारा 11 में, शब्द और अंक "100 रुपये" और "25 रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक हजार रुपये" और "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 16 का बढ़ाया जाना

66--मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:

"16--राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 296, 298, 299 और 300 द्वारा प्रदत्त कतियप प्रयोजन किसी शक्ति को, विज्ञप्ति द्वारा, मेला के प्रभारी अधिकारी को प्रदान कर सकती है, और ऐसी विज्ञप्ति जारी हो जाने पर इन धाराओं के उपबन्ध मेला क्षेत्र पर इस प्रकार लागू होंगे मानों मेला क्षेत्र "नगर" का एक भाग है और प्रभारी अधिकारी उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित "मुख्य नगराधिकारी" है और मानो धारा 8 के अधीन प्रभारी अधिकारी के किसी आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन है।"

के लिये मेला क्षेत्र में उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959 का लागू होना

अध्याय 8

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, 1976, संख्या 28, 1976 और संख्या 31, 1976 निरसन और व्यावृत्ति

67--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 और उत्तर प्रदेश मेला (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपर्युक्त अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 67 तक और खंड 1, प्रस्तावना एवम् शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्द्रमोहनी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष----

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976†

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहनी) ..

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जैसा आप जानते ही हैं कि अभी तक हमारे प्रदेश में जो सफाई मजदूर थे, उन्हें जितना भी यह कूड़ा वगैरह हुआ करता था, सर पर उठाकर ले जाना पड़ता था । आप यह भी जानते है कि देश के लिये यह अच्छा नहीं लगता है कि हमारे गरीब भाई, हमारे सफाई मजदूर भाई इस कूड़े, गन्दगी को अपने सिरपर उठाकर चलें । यह बहुत पुराने जमाने की चीज थी । हमारे समाजवादी देश में यह बात अच्छी नहीं लगती है कि इस तरह से यह पिछड़ेपन की तश्वीर किसी को दिखे । यह एक तो डिग्नटी आफ लेबर के लिए बहुत शर्मिन्दगी की चीज थी, दूसरी उससे बीमारियां भी बहुत पैदा होती थीं, क्योंकि इससे बीमारी संबंधी

(इस समय 2 बजकर 10 मिनट पर उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा, पीठासीन हुए।)

कीड़े आदि उनके जिश्म पर, सिर पर पड़ जाते थे और उन पर बीमारी अधिक अटैक करती थी । इसलिये यह जो बिल आपके सामने रखा जा रहा है, वह इसलिये है कि जो हमारे सफाई मजदूर हैं, सिर पर लोड ले जाया करते थे, न ले जायं । फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग उनके साथ जोर जबरदस्ती करें या ये लोग आदतन सिर पर लोड ढोया करते । इसलिये यह विधेयक लाया गया है । जो लोग सिर पर लोड उठायेंगे या जबरदस्ती करके, इंस्टीगेट करके लोड उठवायेगा, तो इन दोनों प्रकार के लोगों पर यह क्रिमिनल अफेंस ऐक्ट लागू होगा । मैं समझती हूं अब न तो कोई उनके साथ जबरदस्ती करेगा और न वे स्वयं उठायेंगे। हमारे लिये बहुत जरूरी है कि यह आदत छुड़ाई जाए, यह एक हमारे जैसे बड़े देश के लिए, अच्छी परम्परा नहीं है । जो लोग यहां बाहर के देशों से भी आते हैं उन्हे देखते हैं, उससे भारत की एक अच्छी तश्वीर दुनिया के देशों में नहीं बनती हैं । इस बिल में यह भी है कि जो लोग 18 साल से कम आयु के होंगे, उन पर भी यह प्रतिबन्ध लागू रहेगा, उनको भी यह काम नहीं करने दिया जावेगा । वह भी क्रिमिनल आफेस ऐक्ट में आयेंगे । इसके साथ-साथ यह सिर्फ म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज, महापालिकाओं के लिए नहीं है । साथ-साथ यह प्राइवेट घरों के लिए भी है । हो सकता है कि घरों में लोग जबरदस्ती से किसी को मजबूर करें इस काम को करने के लिए । यह क्रिमिनल आफेंस उन पर भी इसी तरह से लागू रहेगा । मुझे आशा है कि हाउस इस छोटे से बिल को, जो जनहित में है तथा गरीब सफाई मजदूर भाइयों के हित में है, इसको पारित करेगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

प्रस्तावकों ने मुझे अधिकार दे दिया है संशोधन पेश करने का ।

श्री उपाध्यक्ष ..

लिखित कोई नहीं है । तो श्री ऊदल, फजलुर्रहमान अंसारी, माननीय जफर आजमी, में से पेश करने वाले पेश कर दें, बाद में आप बोलें ।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़) ..

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक मास में अपनी रिपोर्ट दे ।

---

†1 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है ।

श्री भीखा लाल--

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय जफर आजमी साहब ने जो संशोधन पेश किया है, उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। जो विधेयक माननीय स्वास्थय मंत्री ने पेश किया है, यह बहुत स्वागत योग्य है। इसके पास होने में जरा भी विलम्ब नहीं होना चाहिये, मैं मानता हूं। लेकिन यह कहा जायगा कि प्रवर समिति में भेजा जायगा तो विलम्ब होगा। प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव का मै समर्थन कर रहा हूं, इसलिये कि जो विधेयक लाया गया है उसके पीछे जो भावना है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो ऐसे तरीके से गंदी चीजों को उठाते हैं, उसको बन्द किया जाय। लेकिन यह विधेयक बड़ी जल्दी में लाया गया है। इस बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या-क्या करने की आवश्यकता है, यह सोचने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर इस विधेयक में यह है कि कोई भी सफाई मजदूर कोई भी गंदगी की चीज या मैला सिर पर नहीं ढोयेगा, या जो उसको ऐसा करने से मजबूर करेगा, वह दंडनीय है। अगर वह कमर पर, या पीठ पर ढोता है तो क्या दंडनीय है? शहरों में कितने सफाई कर्मचारी भाई हैं जो अपनी कमर पर ढोकर ले जाते हैं। अदालतों में अगर कोई अभियोग दायर किया गया, तो अदालत फौरन आयेगा कि कमर पर ढोने के लिये, पीठ पर ढोने के लिये, कंधे पर ढोने के लिये मनाई नहीं है। यह एक चीज है जिस पर विचार करने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि इस चीज को रोकना आवश्यक है लेकिन इसका विकल्प क्या होगा? क्या कानून बनाने से यह प्रथा खत्म हो जायगी? लखनऊ जैसे बड़े शहरों में, नगर महापालिकाओं में, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां सिवेर नहीं हैं, फ्लश सिस्टम के लेट्रिन नहीं बन सकते हैं। वहां पर सफाई करने वाले भाई जो मैला ढोते हैं, उसको पीठ, कमर या सिर पर लाद कर ले जाते हैं। तो जब यह बड़े-बड़े शहरों में लागू नहीं हों सकता है तो टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरिया में कैसे लागू हो जायगा जहां पर पानी की भी सुविधा नहीं है? तो वहां पर इसको कैसे लागू किया जायेगा? इसलिये इस पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी है। सरकार को विकल्प प्रस्तुत करना चाहिये। घरों में हिन्दुस्तानी किस्म की जो टट्टियां बनी हुई हैं वहां पर ये लोग जायेंगे और सफाई करेंगे। नतीजा यह होगा कि उनके ऊपर मुकदमा चलना शुरू हो जायगा? मान्यवर, यह जो स्कीम शासन द्वारा लाई गयी है वह अच्छी है? लेकिन उसका विकल्प क्या है। कैसे इस अच्छी योजना को लागू किया जाये इस पर सरकार को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। सरकार की जो भावना है उसकी मैं कद्र करता हूं लेकिन जिस भावना से यह लाया गया है, उसको कैसे लागू किया जाये इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। इसका आल्टरनेटिव क्या होगा, कुछ नहीं है। हमारे कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज के जो कर्मचारी हैं वह भी सर पर कूड़ा ढोते हैं। टाउन एरिया, नोटी फाइड एरिया के सफाई मजदूर भी सर पर कूड़ा ढोते हैं और कमर पर रख कर ढोते हैं। मान्यवर, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी जिससे उनको शरीर पर रखकर कूड़ा न ढोना पड़े। इसीलिये मान्यवर, मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये जिससे इसके हर पहलू पर विचार किया जा सके और उसको ठीक से लागू किया जा सके नहीं तो यह एक कानून बन कर रह जायेगा और उसका अमल नहीं होगा। इसीलिये इस पर गहनाई से विचार करना जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय जफर आजमी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव (जिल बांदा)--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य, जफर आजमी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जैसा कि माननीय भीखा लाल जी ने कहा कि इतनी बड़ी निन्दनीय प्रथा को कैसे समाप्त किया जाय। मान्यवर. यह प्रथा 2-3 धाराओं के विधेयक से समाप्त नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इसकी गहनता और गम्भीरता की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, सभ्यता और विज्ञान के युग में सिर पर रखकर मैला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ढोना दोषी प्रथाओं का अवशेष है। इस प्रथा की समाप्ति कानून के माध्यम से नहीं हो सकती है और इस विधेयक को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल औपचारिक है और पूरी दृढ़ता के साथ इसको लाने की भावना की कमी प्रतीत होती है। मान्यवर मैं इस विधेयक की धारा 3 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें ऐसा करने वाले को सजा का प्राविधान किया गया है। इसमें उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करगा, उस पर भी जब तक सरकार से अनुमति न ली जाय तब तक कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। व्यवहारिक तरीके से यह कहां तक सम्भव हो पायेगा। जिस रूप में सफाई मजदूरों की स्थिति है वह कहां तक मुकदमा चलाने के लिये सरकार की स्वीकृति ले सकती है, यह विचारणीय प्रश्न है।

दूसरा पहलू इस अधिनियम के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें धारा 1 में केवल 'क' से 'घ' में 4 संस्थाओं तक इसका क्षेत्र रखा गया है। तो इसका प्रभाव यह होगा कि कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर इस प्रदेश के कस्बों और गांवों में यह प्रथा जारी रहेगी, यह स्थिति इससे स्पष्ट होती है। यदि इस प्रथा का समूल नाश करना है, इसे मिटाना है तो इसके लिये एक विस्तृत कानून होना चाहिये। वही बात गांवों में जायज होगी और महापालिकाओं और नगर पालिकाओं में नाजायाज होगी, तो क्या इस भावना की पूरी तरह से कार्यान्वियन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह बालिग हो या नाबालिग हो, चाहे गांव हों या शहर हो अगर सरकार इस प्रथा को समाप्त करना चाहती है तो इतनी जल्दी में इस कानून को पास न किया जाय और इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि वहां पर इस कानून पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो सके और विचार करके कोई कौम्प्रिहेन्सिव ऐक्ट, जो 3 धाराओं से बढ़कर भी हो और जिसमें सब समस्याओं और डिफिकल्टीज को हटाने के लिये समावेश हो, आ सके। जब एक प्रभावशाली कानून बन कर आयेगा तो देश और प्रदेश में एक क्रान्तिकारी दिशा होगी, जिसके लिये देश और प्रदेश की जनता सरकार के अभिनन्दन की बात करेगी और याद रखेगी।

मैं पुनः आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और इसको फिर से इस सदन में पेश किया जाय।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ) :—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय सदयस्यों के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय क्योंकि अगर कोई अच्छी बात है तो उसमें जल्दी होनी चाहिये और उसके लिये समय लेना कोई क्रान्तिकारी बात नहीं होगी। मैं इधर के दोस्तों से यह आशा नहीं करता कि वे इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कहें। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भावनायें सदन में व्यक्त की गई हैं, उनसे पूरी तरह से इत्तिफाक करता हूं कि यह बिल पूर्णरूपेण नहीं है। इसमें इस समय केवल सिर पर मैला ढोने की बात कही गई है, इसके लिये तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं लेकिन मैं उनसे आशा करता हूं कि अगले साल एक ऐसा बिल लायेंगे जो न केवल सफाई मजदूरों पर लागू होगी बल्कि औरों पर भी लागू होगी। महात्मा जी ने एक बात बताई थी कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद एक आदमी दूसरे आदमी का मैला नहीं ढोयेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 27 वर्ष बीतने के बाद भी कोई इस प्रकार की पाबन्दी लगी है? आज भी हमारे बाल्मीकी भाई दूसरों का मैला ढो रहे हैं, दूसरों की सफाई कर रहे हैं और इनकी खुद की हालत और भी खराब होती जा रही है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

हमारे जो बाल्मीकी भाई हैं, उनको इस बिल से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। आज नगरों के अन्दर उनको कर्जे से पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। जो कर्जा उन्हें दिया जाता है और जिस प्रकार से उनसे वसूल किया जाता है वह बड़ा ही सोचनीय है। सरकार को इन कर्जों के सम्बन्ध में भी एक बिल लाना चाहिए। आज उन्हें 8 रुपये दिये जाते हैं और 10 रुपये का प्रोनोट लिखा लिया जाता है और 8 रुपये का सूद देते देते 10 बरस लग जाते हैं लेकिन वह खत्म नहीं होता और जब बालदे में तनख्वाह बटती है तो महाजन वहां पर जाकर बैठ जाता है और वह अपनी अपनी तनख्वाहें लेकर देते रहते हैं। यहां लखनऊ नगरपालिका में होता है। तो इन सुझावों पर सरकार को विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद) ...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का जो प्रवर समिति के लिये जफर आजमी जी ने रखा, समर्थन करते हुए चन्द सुझावों की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इन साथियों ने कहा कि मैला ढोना अभिशाप है, उसमें कोई दो राय नहीं हैं, सत्ता पक्ष के दोस्त भी मानते हैं। मुख्य विषय यह है कि सफाई मजदूरों की आबादी की तरफ, जो शहरों में है, उनकी तरफ क्या मंत्री जी और सदस्यों का ध्यान गया है ? यह परम्परागत मान लिया गया उनके द्वारा मैला ढोया जाना जबकि कई साल हो गये आजादी के। दूसरी तरफ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गांधी जी का नियम लागू किया जाय और एक आर्डिनेंस जारी किया जाय कि सब मैला ढोवें। इस वैज्ञानिक युग में जब सब साधन उपलब्ध हैं तो सफाई मजदूरों को छुड़ा करके, उनकी रोजी लेकर, कोई विकल्प न हो और हर आदमी, मंत्री हो, कलेक्टर हो, सदस्य हो, व्यापारी, मजदूर, हजारों आदमी मैला सर पर रख कर ढोवें यह मखौल सी बात है। होना यह चाहिये कि अगर मैला ढोने की व्यवस्था उनके लिये खत्म होती है तो उनकी रोजी के लिए विकल्प होना चाहिए और वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी नहीं है, यह भी सोचना चाहिए। उनकी श्रेणी कहां है, इसका भी अन्दाजा हमारे माननीय सदस्यों को होना चाहिये। डेढ़ सौ, दो सौ रुपया देकर भी सफाई मजदूरों के टाइम की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं एक छोटे टाउन एरिया का रहने वाला हूं। मैं शहरों की बात नहीं जानता। हमारी बहिनें बैठी हैं, एक मंत्री भी है, हमारे दोस्त भी बैठे हैं, आज वहां सफाई मजदूर यूनियन में हमारी 70 साल की बुढ़िया और 12 साल की बेटियां मैला ढोती हैं, यह टाउन एरिया की बात कह रहा हूं। शहरों की जानकारी नहीं है। वे सुबह मैला ढोती हैं और 4 घंटे म्युनिसिपलबोर्ड के, टाउन एरिया के दफ्तर के सामने बैठी रहती हैं चाहे वे 14 साल की बेटियां हों या 80 साल की बुढ़िया। उन्हें न अपने बदन की सफाई करने का टाइम दिया जाता है और न किसी और बात के लिये। मैंने इस संबंध में ध्यान आकर्षित किया था लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया। हमारे यहां इस देश में कलंक की बात है कि हम अन्य देशों की बराबरी करते हैं, समाजवाद ला रहे हैं तो वह समाजवाद किसके लिये आ रहा है ? कम्युनिस्ट दोस्तों ने कहा है, महकाना चाहिये उसको जो मंहक पैदा करता है। सफाई मजदूर शहरों में मंहक पैदा करता है।

पुराने जमाने में जब फ्लश सिस्टम नहीं था, इलेक्ट्रिक नहीं थी, आर्थिक संकट में हम फंसे हुये थे, विदेशों से देश को आजाद कराया था तो आचार्य ने कहा रेडी वोओ कृपालानी और जय प्रकाश नारायण ने कहा कि खेत में गड्ढा खोद कर टट्टी डालिये। हम खेतों में कैसे जायेंगे ? अभी तक सिर पर मैला ढुआ रहे हैं। शहर में रहते हो, शहर की बात कर रहे हो। माननीया राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी का ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं जो कि सारे कैबिनेट और स्टेट की जानकारी रखती हैं, वे जरूर देख चुकी हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। विधायक जब आते हैं और इन कुर्सियों पर बैठते हैं तो शहरों में जो सफाई मजदूर होता है उसको हम भुला देते हैं।

80 साल की बुढ़िया 175 रुपये पाती है और कानपुर की गलियों में खड़ी रहती हैं, अपनी साड़ी की सफाई भी नहीं कर पाती। हो सकता है कि 20 सूत्री के अन्तर्गत हो, मैं कह दूं कि मजदूरी बढ़ाओं तो आप मुझे मीसा में बन्द कर दें, मैं बीमार आदमी हूं लेकिन यह जरुर है कि बमपुलिस के बगल में जो उनकी छोटी-छोटी झोपड़ियां हैं मिट्टी लगी उस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। उनके आवास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मेरा ख्याल है कि उनक बट आपस किसी प्रकार की ऐड भी नहीं ल सकत, सरकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं कर सकते और सारे शहर की गन्दगी को दूर करते हैं, हम लोगों को अच्छी ह लत में रखतें हैं, इसके बावजूद उनका इतना नारकीय जीवन है कि जिसकी इन्तहा नहीं है। आप कहते हैं कि धीरे-धीरे करेंगे, पसा नहीं है। आप शहरों में कोई बजट कम करके, मैं नहीं कहूंगा कि आप बजट बढ़ा लीजिये, क्योंकि आप आर्थिक संकट स घिर हुये हैं जैस कि एक बन्दर घिर जाता है अपनी फांस में, लेकिन कम से कम हम लोगों की बिजली की कटौती करके, जो हम लोगों के चले जाने के बाद भी जला करती है 4-4 महीने तक, उनके आवास और फ्लश सिस्टम का इन्तजाम कर दीजिये। मैं उस दिन जेल पर नहीं बोला मगर दोस्तों ने कहा, जरा विषय के विपरीत है एक सेकेंड दे दें, कि जेल में मुसहर के अलावा और कोई ट्टटी नहीं फेंकता है और राज नारायण जी हमेशा कहते रहे कि मैं फेकूंगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सफाई मजदूरों क सिर पर गन्दगी ढुलान क पहल उनक आवास व्यवस्था कीजिय। अगर हम लोगों के रेजीडेन्स में बिजली की कटौती कर दें तो उनके घरों में बिजली लग जायेगी। जब हम लोग नहीं रहते हैं, चाहे हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हों, चाहे कुछ दलाल रहते हों, उनके लिये घंटा, दो घंटे के लिये छोड़ दें और बाकी बिजली की कटौती करके सफाई मजदरों के घरों में बिजली दें और उनके आवास की व्यवस्था बमपुलिस से हटा कर दूसरी जगह कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी इस सरकार की। ऐसा काम करन से माननीय सदस्यों को भी फख्र होगा कि हमार यहां इतना अच्छा काम हुआ। पूर प्रदश में आपकी तरीफ होगी। यह विधेयक अच्छा विधेयक है, बुरा नहीं है, मगर इसे प्रवर समिति में भेजा जाये ताकि वहां विस्तार के साथ इस,पर विचार हो सके और इन पिछड़े हुए वर्ग की हालत को सुधारा जा सके। जल्दी में आप इन सफाई मजदूरों का कोई भला नहीं कर पायेंग।

*श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मै नगरपलिका का अध्यक्ष होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि सरकार ने इन लोंगों के लिये बहुत से काम किये हैं और यह विधेयक एक क्रान्तिकारी विधेयक है। आज से 15 साल पहले एक स्वीपर को 10-15 रुपये माहवार वेतन मिलता था आज, उसका वेतन 210 रुपये हो गया है। सर पर मैला ठोन की भी बंदिश कर दी गयी है। क्वार्टर आदि बनवाने के लिये भी सरकारी आदेश जा रहे हैं। अन्य फैसीलिटीज भी दी जा रही है। इस लिये मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं, इसे पास किया जाय।

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर जो अपने विचार दिये हैं, उसके लिये मै बहुत आभारी हूं। जैसा कि मैने पहले ही कहा था यह बिल एक बहुत ही क्रान्तिकारी बिल है और यह सफाई मजदूरों की भलाई के लिये बनाया गया है। अभी तक जो यह लोग सरों पर कूड़ा या मैला आदि ढोत थ। वह एसी चीज थी जो इस समाजवादी देश के लिये अच्छी नहीं लगती थी। आजादी के बाद से जिस तेजी से हमारे कदम आग बढ़ रह हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, पिछड़पन को भी दूर कर रह ह, वहीं यह चीजें अच्छी नहीं लगती है कि लोग सर पर मैला ढ़ोये।

कुछ माननीय सदस्यों ने लैट्रीन्स को माडर्नाइज करने की बात कही। वह हम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्याद फ्लश लैट्रीन्स बानये जा रहे हैं। कूड़ा आदि ढोने के लिये भीं है। कार्ट्स बहुत सी जगह दी गयी हैं। जहां नहीं हैं वहां भी इन्तजाम कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मती इन्द्र मोहनी]

माननीय सदस्य ने इसे प्रवर समिति में भजने की जो बाद कही है, उससे इस क्रान्तिकारी कदम को उठाने में और अधिक देर होगी। हरियाणा में भी इस तरह का इनैक्टमेंट हो ही चुका है। प्रवर समिति में भेजने से इसमें सिवाये इसके कि इसमें कुछ समय और लगे और कुछ हासिल नहीं होगा। यह तो बिल ही स्वंय इतना अच्छा है कि जिसे पूरे सदन को स्वीकार करना चाहिए और प्रवर समिति का तो इसमें प्रश्न मेरे ख्याल स नहीं ही उठना चाहिये। हमारे एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि शायद यह इस तरह का एक प्रतिबन्ध लगाकर कि सफाई मजदूर सिर पर कुड़ा न उठायें, शायद इससे इनकी रोजी ली जा रही है। मैं उन्हें विश्वास दिला रही हूं कि यह कोई रोजी लेने के लिये कदम नहीं उठाया गया है। परन्तु यह कदम इसलिये उठाया गया है कि उन्हें कुछ सम्मान और मिले और चूंकि सिरों पर उठाना बुरा लगता था और जो उंगली उठाते थे हिस्दुस्तान के लोगों पर, वह चीज खत्म हो। वह रोजी तो फिर भी कायम रहेगी सिर्फ रोजी कमाने का तरीका बदला जा रहा है बजाय सिरों के हैंड कार्टस के द्वारा किया जा रहा है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 12 साल की बच्चियों से भी यह काम लिया जा रहा है। इसमें 12 साल का सवाल नहीं है हमने तो वैसे ही बिल में 18 साल के नीचे के लोगों से जो काम लिया जाता था वह मनाकर दिया है। अब 18 साल से नीचे वालों का इस काम को करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझें आशा है कि यह जो छोटा सा बिल है उसको सदन स्वीकार करेगा और पास करेगा क्योंकि यह हमारे एक पिछड़े वर्ग के भाइयों और बहिनों के लिये है जो कि सदियों से दबे चले आ रहे हैं। ज्यों-ज्यों देश आगे बढ़ता है देश की मांगे बढ़ती हैं और देश की उम्मीदें बढ़ती हैं, त्यों-त्यों हर काम में फर्क कर दिया जाता है। हर नीतियों में संशोधन किया जाता है। इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि हमारा माननीय सदन इस बिल को स्वीकार करेगा। और जो उनका संशोधन है, उसको भी वे वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष ··

माननीय सदस्य क्या संशोधन वापस लेंगे ?

(सदस्य द्वारा संशोधन वापस न लेने पर)

श्री उपाध्यक्ष ··

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 को दोंनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष ··

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना एवं शीर्षक

खण्ड 2, 3, खण्ड 1,

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक 1976

सिर पर मैला ढोने और घर की सफाई करने के लिये बालकों को रखने का प्रतिषेध करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्वयस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और लागू होना

1·· (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह निम्नलिखित में लागू होगा ।

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित प्रत्येक नगर ;

(ख) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथा-परिभाषित प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी ;

(ग) युनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन गठित प्रत्येक नोटिफाइड एरिया ; और

(घ) संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन गठित प्रत्येक टाउन एरिया ।

घर का मैला साफ करने या ढोने का प्रतिषेध

2---(1) कोई व्यक्ति अपने सिर पर किसी पात्र में न तो मैला ढोयेगा, न तो मैला ढोने के लिये रखा जायगा और न उससे इस प्रकार मैला ढोने की अपेक्षा की जायेगी ।

(2) किसी व्यक्ति को, जिसकी आयु अट्ठारह वर्ष से अधिक न हों, कोई व्यक्ति घर का मैला साफ करने के लिये नहीं रखेगा ।

स्पष्टीकरण---उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये पद "घर का मैला" साफ करने का तात्पर्य गलीज, कचरा मैला या अन्य घृणित वस्तु भवन में या भवन से संबंधित संडास, शौचालय, मूत्रालय, मल-कूप से या ऐसी वस्तु के लिये अन्य सामान्य पात्र से हटाने से होगा ।

3---(1) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह शास्तियां जुर्माना से दण्डनीय होगा जो पच्चीस रुपये से कम और दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(2) कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, सिवाय राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत अधिकारी की शिकायत के, संज्ञान नहीं करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष · ·

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 और खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती इन्द्र मोहनी ···

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष ···

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976†

न्याय मंत्री (श्री प्रभु नारायण) :

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस विधेयक को लाने की आवश्यकता इस कारण हुई कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887, प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1892, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, और हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी। इसलिये सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया कि आज जो सिविल वादों में समय अधिक लगता है और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी वजह से उस समय को आगे बढ़ाने में जिस पार्टी का हित होता है वह पार्टी उस समय को बढ़ाने का काम करती है, उसी पर बन्दिश लगाने के लिये और इन ऐक्ट्स की वजह से जिनका कि मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, जो देर होने की स्थिति है, उसका सरलीकरण करने की बात की गयी है। इस अवसर पर मैं कहता हूं कि आज सिविल केसेज के डिस्पोजल में जो डिले होती हैं और जो फ्रिविलस लिटिगेशंस होते हैं उनको बन्द करने की भी सरकार की मंशा है। इसी दृष्टि से 1908 के सिविल प्रोसीज्योर कोड में तरमीम करने की बात आयी है।

इस मौके पर इसी विधेयक में जो मुख्य मुख्य बातों का प्राविधान किया गया है, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहता हूं जिससे कि इस विधेयक को पास करने में आसानी हो सकेगी। मान्यवर, अभी तक फ्रिवुलस के सूट्स के बारे में मैं केवल नीचे की अदालतों को इस बात की इजाजत थी कि अगर वे किसी केस को फ्रिवुलस समझें तो उस पर जुर्माना कर सकती है। इस विधेयक में अब इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जजी में भी, यदि नीचे की अदालत ने कोई कम्पनसेशन नहीं रखा है, या कोई जुर्माने की रकम नहीं रखी है और जजी में भी दूसरी पार्टी इस बात को कहती है कि यह फ्रिवुलस सूट है और नीचे की अदालत मुकदमें को खारिज कर दे तो ऊपर की अदालत भी जुर्माना कायम कर सकती है। अगर यह होता है तो जो लोग फ्रिवुलस सूट का दावा करने के आदी हैं वे अदालतों में जाने से अपने को पीछे हटा सकेंगे। इसके साथ ही साथ एक तरह के केस एक ही पार्टी के कई न्यायालयों में चलते हैं और उनके डिसीजन में बड़ी डीले होती है। इसलिये अब क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि भिन्न-भिन्न न्यायालयों में उसी तरह के केस जो विट्वीन दिसेम पार्टी चलते हैं में उनको कंसालिडेट कर दिया जाय और सभी का फैसला एक ही साथ हो जाय। इसी के साथ-साथ यह भी कोशिश की गयी है कि जो क्लेम होते हैं, या जो रिटिन स्टेटमेंट दाखिल होते हैं तो वेरिफिकेशन की बात होती है। जिस किसी मुकदमें में दूसरी पार्टी का कोई आदमी पैरवी में नहीं आता तो ऐसी सूरत में वह मुकदमा अपने आप डिसाइड हो जाना चाहिये। लेकिन चूंकि ओथ पर वेरिफिकेशन उसका नहीं होता इसलिये न्यायालय के लिये उस पर फैसला देना मुश्किल होता है।

लेकिन अब क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि कोई क्लेम या रिटिन स्टेटमेंट दाखिल किया जाय तो एफिडेविटके माध्यम से उसकी व्यवस्था कर दी जाय जिससे दूसरे साक्ष्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आर्बीट्रेटर का विरोध तो वह कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि पार्टीज एग्री करे तो इस सूरत में आज आवश्यकता इस बात की नहीं होगी कि अवेट का समय बढ़ाने के सिलसिले में अदालत में जाने की बात हो, बल्कि दोनों

† 1 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

पार्टीज एग्री हैं तो अवेट समय बढ़ाने का काम निजी समझौते से करने का हक इस आर्बीट्रेशन को दिया जा रहा है । इसी संदर्भ में यह भी बताना चाहता हूं कि यदि कोई पार्टी मुकदमा चाहती है, कोई पार्टी आर्बीट्रेशन में आर्बीट्रेटर नियुक्त करने के सिलसिले में या जिसके पास आर्बीट्रेशन का एग्रीमेन्ट है और उस एग्रीमेन्ट के मुताबिक मुकरने की बात सोचती है तो दूसरी पार्टी अदालत में जा सकती है और यदि उसके पास एग्रीमेन्ट है तो उसे एग्रीमेन्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी । जिससे रेफरेंस आफ एग्रीमेन्ट दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे समय की बचत होगी ।

मान्यवर, इस विधेयक के माध्यम से इंडियन कांट्रेक्ट ऐक्ट, 1872 में इस बात की गुंजाइश की जा रही है कि यदि कोई प्रपोजल मांगा गया, यदि टेंडर का इनवाइटेशन हुआ और इनवाइट करने की जो टाइम लिमिट है यदि उस अवधि के अन्दर कोई टेंडर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में जिस पार्टी ने टेंडर दिया वह उस अवधि के बीत जाने पर उसे वेव आउट नहीं कर सकती है । इससे जो लिटीगेशन पैदा हो जाते हैं उसको रोकने की बात इस विधेयक के जरिये से की जा रही है । इसमें यह भी किया जा रहा है कि जो कांट्रेक्ट के मुताबिक माल सप्लाई कर, स्टीपुलेटेड समय के बाहर यदि माल सप्लाई होता है तो ऐसी सूरत में जो माल को लेने का हकदार है, वह माल ले लेता है तो भी उस पर बंदिश नहीं होगी कि जो हानि हुई है उस पर वह दावा नहीं कर सकता है या हरजाना वसूल नहीं कर सकता है । इसी के साथ-साथ इस विधयक में इस बात की गुंजाइश कर दी गयी है कि यदि कारपोरेट बाडीज के खिलाफ मुकदमा है तो एसी सूरत में कारपोरेट बाडीज का जो प्लीडर है यदि उसको सूचना कोर्ट की तरफ से मिल जाती है तो उसको सम्मन सर्व करना समझा जाय और सम्मन के सिलसिले में ज्यादा समय लग जाता था वह अधिक न हो, इसी के साथ-साथ इस संशोधन विधेयक के माध्यम से स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट के अन्तर्गत जो इंजेक्शन ईशू होते हैं उसमें इंटरिम इंजेक्शन लोगों को न मिलें इसलिय बंदिश लगायी जा रही है कि मनमाने ढंग से इंटेरिम इंजेक्शन ईशू न हों ।

इसी संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में यदि कोई डिसीजन होता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मंशा यदि पार्टीज की है तो इस सूरत में पहले दरख्वास्त देने की आवश्यकता होती थी । दरख्वास्त के साथ हियरिंग तो जरूर पड़ती थीं तब सुप्रीम कोर्ट के लिये इजाजत मिलती थी कि मुकदमा जाय या न जाय । अब इस बात की व्यवस्था की गयी है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील यदि पार्टीज करना चाहती हैं तो ऐसी सूरत में जिस समय बहस खत्म हो और फैसला लिखने जा रहे हों उस समय वादी या प्रतिवादी की तरफ से यह कह दिया जाय कि हम सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहते हैं तो उसी समय उसी जजमेंट में इस बात का निर्णय हो जाय कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत दी जा रही है या नहीं ? इस तरह से देखेंगे कि सी0 पी0 सी0 में आज प्रक्रिया के सरलीकरण की बात की गयी है । यह इस दृष्टि से किया गया है जिससे वादों में विलम्ब न हो और निर्णय कम समय में हो जाय । इसी के साथ-साथ रिकवरी ऐक्ट, 1940 में तरमीम करने की बात है । खासकर दोनों पार्टीज एग्रीड हों और आर्बीट्रेशन में जाना चाहती हों तो ऐसी सूरत में जहां पर दोनों पक्ष एक राय के हों वहां पर यदि कोई रोक हो जाती है आर्बीट्रेटर की तो उसका विरोध वह कर सकते हैं । उसी के साथ-साथ अगर पार्टीज एग्री करे तो इस सूरत में आज आवश्यकता इस बात की नहीं होगी कि अवेट का समय बढ़ाने के सिलसिले में अदालत में जाने की बात हो । बल्कि जहां पार्टीज एग्रीड हो तो अवेट का समय बढ़ाने का काम निजी समझौते से करने का हक इस आर्बीट्रेशन को दिया जा रहा है । इसी संदर्भ में यह भी बताना चाहता हूं कि यदि कोई पार्टी मकदमा चाहती है, कोई पार्टी आर्बीट्रेशन में आर्बीट्रेटर की नियुक्ति करने के सिलसले में, या जिसके पास आर्बीट्रेशन का एग्रीमेन्ट है और कोई पार्टी एग्रीमेन्ट के मुताबिक मुकरने की बात सोचती है तो दूसरी पार्टी अदालत में जा सकती है और यदि उसके पास एग्रीमेन्ट है तो अब उसको रेफरेंस आफ एग्रीमेन्ट को दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे समय की बचत होगी ।

[श्री प्रभु नारायण---]

मान्यवर, इस विधेयक के माध्यम से इंडियन कांट्रेक्ट ऐक्ट, 1972 में इस बात की गुंजाइश की जा रही है कि यदि कोई प्रोपोजल मांगा गया, यदि कोई टेंडर मांगा गया है टेंडर इनवाइटेशन करने की जो टाइम लिमिट है, यदि उस अवधि के अन्दर कोई टेंडर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में जिस पार्टी नें टेंडर दिया है वह उस अवधि के बीत जाने पर उसको बैक-आउट नहीं कर सकती है। इससे जो लिटीगेशंश पैदा हो जाते हैं, उसको रोकने की बात इस विधेयक के जरिये से की जा रही है। इसमें यह भी किया जा रहा है कि कांट्रेक्ट के मुताबिक कोई माल सप्लाई करता है, स्टीपुलेटेड समय के बाहर यदि कोई माल सप्लाई होता है तो ऐसी सूरत में जो माल को लेने का हकदार है, अगर वह माल ले लेता है तो भी उस पर यह बंदिश नहीं होगी कि अगर कोई हानि हुई है, वह उस पर दावा नहीं कर सकेगा या हरजाना वसूल नहीं कर सकेगा। इस विधेयक के माध्यम से हम यह भी प्रस्ताव करने जा रहे हैं कि स्माल काजेज कोर्ट्स में जो खफीफे के मुकदमें हैं जिसके अधिकार निचली अदालतों को 500 रु0 का है और ऊपर की अदालतों को एक हजार रुपये था उसको बढ़ा कर क्रमशः एक हजार रुपया और दो हजार रुपये के अधिकार देने जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ एडाप्शन के सिलसिले में 100 रुपये की डीड में अचल सम्पत्ति में कम है उसके साथ-साथ जो इम्मूवेबिल प्रापर्टी है, उसके सम्बन्ध में भी हम तरमीम करने जा रहे हैं। हमने एडाप्शन के सिलसिले में निश्चित कर दिया है कि जो एडाप्शन हैं वह रजिस्टर्ड हों।

अभी तक इसमें बहुत लिटीगेशन होते थे। इसलिये जो रजिस्ट्रेशन एडाप्शन पहले माना गया है उसको पूरे तरीके से करने जा रहे हैं कि ओरल एडाप्शन नहीं होगा, रजिस्टर्ड डीड होगा। इससे झगड़े भी खड़े नहीं हो पायेंगे। कांट्रेक्ट के सिलसिले में, परफारमेन्स के सिलसिले में जो झगड़े थे उसको निपटाने के लिये इस बात की गुन्जाइश इस विधेयक में करने की बात है जिसके मुताबिक अब कांट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें जो झगड़ उठते थे जैसे प्रापर्टी को किसीके हाथ बेचेगा लिखा-पढ़ीमें हुआ लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो दूसरे लोग खड़े हो जाते थे कि हमने ले लिया है। इसलिये रजिस्ट्रेशन होने से यह झगड़ा मिट जायगा। इस तरह से जो यह बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, वह इस दृष्टि से प्रस्तुत किया है कि जो सिविल केसेज में विवाद की स्थिति है चाहे वह सिविल प्रोसीजर कोड में, आर्बीट्रेशन में और चाहे एडाप्शन में तरमीम करके जितने ऐक्टस हैं जिसमें झगड़े थे उसकी प्रक्रिया को सरल करने की बात किया है और जिससे विवाद में समय कम लगे। इसके साथ ही साथ फ्रिवि स सूट दाखिल करने की हिम्मत भी लोगों को न पड़े और उन पर जुर्माना का भी प्राविधान कर दिया गया है। इन चन्द बातों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत विवाद नहीं है और सरलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की बात है। इसलिये इसमें दो राय नहीं होगी और इसको माननीय सदस्य पारित करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो इस संशोधन विधेयक की व्याख्या की वह बहुत अच्छी है। लेकिन अमल कितना होगा वह तो आगे मालूम होगा। मुकदमें कितने बढ़ गये हैं इसके बारे में यहां भी सवाल उठ जाते हैं और पूरे इक्ट्ठा करें तो उनकी संख्या लाखों में पहुंच जायगी। इसलिय जो विधि अब स्वीकार की जा रही है उससे कुछ कमी तो जरूर आयेगी। लेकिन अब कितनी कमी आयेगी भविष्य बतलायेगा। हमारे माननीय दोस्त, देव कुमार जो

यादव, श्रीमन्, अब इसके ऊपर कहेंगे, वे कानून के पंडित भी हैं, वह जानते हैं। क्योंकि संशोधन उनके नाम में नहीं था इसलिये मैंने प्रस्तुत किया।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री द्वारा लाये गये संशोधन का अभिनन्दन करते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जितने अधिनियमों, जितने कानूनों का संशोधन इस अधिनियम के माध्यम से किया जा रहा है उसमें हमारे सिविल राइटस पर इस प्रदेश की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसलिये इतनी जल्दी में आज ही इस प्रभावशाली विधेयक को कानून का रूप दिया जाना इस प्रदेश की जनता के हित में नहीं होगा। इसलिये हम यह चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मान्यवर, इस विधेयक की मूल भावना का हम, जैसा कि मैंने कहा, हार्दिक अभिनन्दन करते हैं लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसी हैं जिसमें कुछ और संशोधन माननीय मंत्री जी विचार करें। माननीय मंत्री जी ने एडाप्शन कानून में रजिस्ट्रेशन के प्राविधान का उल्लेख किया। यह प्राविधान बहुत से विवादों का अंत करेगा और बहुत से लोग जो किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद दावेदार हो जाते हैं, जो सम्पत्ति सरकार पर निहित होनी चाहिये, उस सम्पत्ति के वे हकदार हो जाते हैं। इस तरह काफी असर पड़ेगा और वादों में भी कमी आयेगी। इस प्रकार मैं महसूस करता हूं। मैं मन्त्री जी का ध्यान एक और सामाजिक बुराई की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिस तरह से कई कानूनों को इस विधेयक की परिधि में लाया गया है उसी प्रकार अगर मैरेजेज के सिलसिले में, हिन्दू मेरेजेज के बारे में हमारे यहां रजिस्ट्री कानून का प्राविधान नहीं है। हमारे मुसलमान कानून के अन्तर्गत तो निकाह या शादी के समय यह साबित हो जाता है कि कौन किससे शादी करता है लेकिन हिन्दू मेरेज में कोई सबूत नहीं होता। यह देखा गया है खास कर आज कल कि सरकारी नौकर जिनके लिये प्रतिबन्ध है कि अगर दूसरी मैरेज करते हो तो नौकरी से चले जाओगे। शादी के बाद अगर बीबियों से नहीं पटती है तो वे इन्कार कर देते हैं शादी करने से। बहुत सी ऐसी बातें देखने को मिलीं। आपके माध्यम से मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मैरेज के ऐक्ट में भी मेरेज कानून में कोई संशोधन विधेयक लाकर उसकी रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी जाय तो प्रदेश की जनता के साथ खास कर हिन्दू जनता के साथ बहुत बड़ा उपकार होगा और महिलाओं के साथ खास कर। अभी हमारे यहां काफी चर्चा चल रही है कि शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी जायगी और अगर रजिस्ट्री होनी शुरू हो जायगी तो कोई मैरेज आफीसर हर क्षेत्र में नियुक्त होगा। जब तक मैरेज आफीसर की स्वीकृति नहीं होगी तब तक शादी नहीं हो सकेगी लेकिन उसका कितना पालन हुआ है, इस प्रदेश और देश की जनता से छिपा नहीं है। इसका असर हमारे देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम में भी पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता था कि माननीय मन्त्री जी इस सुझाव को स्वीकार कर के आज इस विधेयक को पारित न करा कर उसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें।

दूसरी बात मैं मंत्री जी से इंजक्शन के बारे में कहना चाहता हूं। अदालत में खारिज दावे को लेकर इंजक्शन हासिल करते हैं खास कर सफाई के दौरान, अतिक्रमण हटाने के दौरान इस आपातकालीन स्थिति में अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत की शरण ली जाती है और गांव में बहुत से गरीबों की जमीन पर कब्जा कर क अपना कब्जा कायम कर रखा है लेकिन एक दूसरी मुश्किल भी मान्यवर, देखने में आयी है कि अगर कोई बड़ा आदमी कोई प्रभावशाली आदमी किसी गरीब आदमी की जमीन पर जबरिया कब्जा कर लेता है या कब्जा करने की धमकी देता है और वह गरीब इंजक्शन सूट लाता है सिविल कोर्ट में, तो यह देखा गया है कि सिविल कोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार यादव---]
इनके केसेज को इंजक्शन नहीं देता है और वह गरीब इस प्रकार अदालत का संरक्षण भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं इसलिये इसके अन्तर्गत कोई प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिये जिससे अगर कोई ऐसे वर्ग का आदमी अपने अधिकारों के संरक्षण के लिये इंजक्शन सूट लाता है तो उसका शूट ग्रान्ट कर लिया जाय और इस चीज का प्राविधान होना अत्यन्त आवश्यक है ।

इसी तरह मान्यवर, सूट्स में कानून की भावना कुछ होती है तो अदालतें उसका इन्टरप्रेटेशन कुछ दूसरे ढंग से करती हैं, बहुत से जेन्यून कसेज भी अदालतें सरसरी तौर से देखकर खारिज कर देती हैं, इसको भी संरक्षण मिलना चाहिये । इसके अलावा मुकदमा दायर करने वालों को भी संरक्षण मिलना चाहिये । कई मुकदमों को झूठा मानकर निरस्त कर दिया जाता है तो मान्यवर, इसमें तमाम खामियां हैं लेकिन एक बात जरूर बहुत अच्छी है कि हमारे प्रदेश के अन्दर इस संशोधनों के बाद न्याय का निस्तारण बहुत जल्दी होगा लेकिन एक बात यह भी है कि "Justice delayed is justice denied: Justice hurried is justice burried". कोई ऐसा रास्ता निकालने की आवश्यकता है जिससे न तो न्याय मिलने में देर हो और न इतनी जल्दी हो कि कोई सुनवाई ही न हो ।

मान्यवर, ट्रायल्स में हम देखते हैं कि वादी और प्रतिवादी की कोई बात नहीं सुनी जाती है । मुकदमें में कोई रिकार्ड्स नहीं होते, कोई प्रोसीडिंग नहीं होती । सुनने के बाद अदालत मनमाने ढंग से फैसला करती है और कभी-कभी तो अन्याय सा प्रतीत होता है कचहरियों के अन्दर और उसका असर गरीबों पर खासतौर से इंसाफ चाहने वालों पर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिये इस संशोधन को लाने से पहले उपरोक्त सब चीजों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है जिससे इस कानून की जो भावना है उससे जनता को फायदा हो सके हमारे प्रदेश की जनता का फायदा हो सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें और विचार करने के बाद अच्छे वातावरण में गम्भीर वातावरण में इसको पारित करके इसके क्रान्तिकारी फायदों को उठाने का मौका दें ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, जहां तक इस संशोधन की मंशा है इसके लिये मैं समझता हूं कि इसमें दो राय ी हैं कि इंसाफ मिलना चाहिये और जल्दी से जल्दी मुकदमों का फैसला होना चाहिये। लेकिन अकेले आप कुछ मुंसिफों की पावर बढ़ा दें या खफीफ' को बढ़ा दें तो इसीसे काम नहीं चलेगा। आज हो यह रहा है कि दीवानी के मुकदमों में इतना विलम्ब होता है इतने एरियर पड़े हैं कोर्ट के अन्दर कि 6/6 महीने 10/10 महीने की तारीखें पड़ती हैं । अब तक मुंसिफ केवल दीवानी के मुकदमें किया करते थे अब उनको फौजदारी के भी अधिकार दे दिये गये हैं । एक मुंसिफ के पास मान्यवर सैकड़ों फौजदारी के और सैकड़ों दीवानी के मुकदमें हैं । अतः मैं माननीय न्याय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और मुंसिफों की जो संख्या है उस संख्या में वृद्धि करें, लेकिन आपने किया यह कि आपके जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनका काम हल्का करने के लिये कुछ रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की भर्ती कर लिया और बाकी हिसाब वैसे का वैसा ही है, जो आपका इरादा था जुडीशियरी को अलग करने का, वह खत्म होता जा रहा है। जो जुडीशियल कैडर हैं इसमें वृद्धि होनी चाहिये ताकि मुकदमें जल्दी से जल्दी सुने जा सकें । एक आपत्ति यह है कि आपने सरकारी कर्मचारियों के हाथ पैर बांध दिये हैं । किसी को यह अधिकार नहीं रह गया है कि वह न्यायालय में जा कर कोई स्टे आर्डर ला सके चाहे उनकी सेवा के निलम्बन के सम्बन्ध में हो अथवा सेवा की समाप्ति के सम्बन्ध में हो । यह सही है कि बहुत से मामलों में इसका दुरुपयोग भी हुआ है लेकिन यह भी सही है कि जो भी इजलास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा वह तथ्यों के आधार पर यह देखेगा कि किसी के साथ न्याय हुआ है या नहीं। आपने इसमें इंटरिम आर्डर्स के लिये कोई रेमेडी नहीं रखी है।

इसी तरह से स्कूल मैनेजमेंट में राजनीति भी हो सकती है। उसमें विरोधी लोग भी मैनेजमेंट मे हो सकते हैं। आपने मैनेजमेन्ट को कोई इंटरिम आर्डर हासिल करने का अधिकार नहीं दिया है। इसी तरह से किसी के ऊपर सरकारी कर्जा है उसकी रोक के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे मामले देहातों में देखने में आये हैं कि कर्जा दिया नहीं गया लेकिन सरकारी कर्मचारी ने रुपया गबन कर लिया और उसे कर्जे के नाम पर लोगों से वसूल किया जा रहा है। लेकिन उसको अधिकार नहीं है कि वह अन्तरिम आर्डर ले सके। इन धाराओं से आप न्याय नहीं देने जा रहे हैं। पहले 100 रुपये की इम्मूवेबिल प्रापर्टी को सेल करने के लिये रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं थी लेकिन अब उसे रजिस्टर कराना होगा। इस प्रकार आप जनता के ऊपर पीछे के दरवाजे से दुबारा टैक्स लगाने जा रहे हैं। इससे आपको कितनी आय होगी? फिर रजिस्ट्रार के यहां लोग जायं, उसको भेंट पूजा चढ़ायें तब किसी डाक्युमेन्ट का रजिस्ट्रेशन होगा जिससे उसकी जेब ही कटेगी। इस विधेयक में कुछ ऐसी भी व्यवस्था होती जिससे कमजोर वर्ग को कानूनी सहायता मिल सकती जो सस्ती व आसानी से सुलभ हो सकती, तो ज्यादा अच्छा होता। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस में जल्दबाजी न करें और पास कराने से पहले सेलैक्ट कमेटी में भेज दें ताकि विस्तृत रूप से उसमें विचार किया जा सके और फिर बाद में कोई ठोस कानून पास हो सके।

श्री प्रभु नारायण ...

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, कुछ इफ ऐण्ड बट्स को छोड़ कर सभी ने इसका समर्थन ही किया। दो एक बातें जो इस सिलसिले में कही गई हैं उनका मैं स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समझता हूं। एक बात तो हमारे वाराणसी के माननीय सदस्य ऊदल जी ने कही कि यह कानून जो बन रहा है, इसका निफाज होता है या नहीं, यह बाद में देखा जायगा। तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो एमेंडमेंट हो रहे हैं यह तो रूल आफ ला है और जो भी सिविल कोर्ट्स में जायगा उसको उन नियमों को मानना पड़ेगा। इसलिए कानून में तरमीम होने के बाद उनके निफाज न होने का प्रश्न नहीं उठता है। बिना निफाज के काम चलेगा नहीं।

एक और बात माननीय दोस्तों ने सही उठाई कि प्रदेश में इस वक्त मुकदमे जो हैं वह काफी मात्रा में पेंडिंग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने मित्रों से इस मामले में सहमत हूं। लेकिन सरकार का ध्यान पूरे तौर से इस मसले पर है और सरकार जो है मुकदमों की संख्या की कमी के सिलसिले में सचेत है। इसके लिए हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेविल के कोर्ट में मोनेटरिंग सेल बनाये हैं ताकि स्पीडी डिस्पोजल का रास्ता निकल जाय। इस संदर्भ में मैं एक बात सदन में बताना चाहता हूं कि मुंसिफ मैजिस्ट्रेट्स की कमी रही है उसमें केसेज की स्पीडी डिस्पोजल के लिए हम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर रहे हैं। केवल मुन्सिफ को ही नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि उसके साथ-साथ सिविल जजों की संख्या भी काफी करने जा रहे हैं।

माननीय नेगी जी ने स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स की बात कही। तो वह एक तरह से जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करने की ही बात थी। मैं माननीय नेगी जी से कहना चाहता हूं कि यह इसमें जो स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त होंगे वह हाईकोर्ट के अन्दर ही होंगे और हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस की राय से, ऐडमिनिस्ट्रेटिव जजेज की राय से होंगे। इस बात का निर्णय हाई लेबल कमटी ने किया। हाईकोर्ट की कंकरेंस से स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स हम नियुक्त करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में इतना बताना जरूरी है कि जो कांगनीजबल आफेंस के केसेज हैं, जो पुलिस के केसेज हैं उनका हम मुन्सिफ

[श्री प्रभु नारायण]
से ही फैसला करायेंगे लेकिन और जो पुलिस के केस नहीं हैं, कंप्लेट्स के केस हैं या छोटे मोटे केस हैं, उनकी ही स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट करायेंगे। आज उत्तर प्रदेश में केवल क्रिमिनल केसेज की संख्या करीब 5 लाख है जिनमें से करीब डेढ़ दो लाख पुलिस केस ह, कागनिजिबल आफेंस के केस हैं। हम चाहते हैं कि लगभग 5 सौ मजिस्ट्रेट भर्ती करके इन 5 लाख केसेज को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय। इसलिये हमने इस कदम को उठाने का काम किया। हमारे दोस्त, जो अधिवक्ता है, उनको इस बात की जानकारी है कि बहुत से कम्पलेंट के केसेज होते हैं, उनका निस्तारण भी वर्षों न हो, तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये उनके निस्तारण के सिलसिले में हमने स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट की बात सोची है। इस सन्दर्भ में नेगी जी ने भी कुछ बातें कहीं कि जो इन्टरिम इंजक्शन वगैरह को रोकने का काम किया जा रहा है, वह अपने स्थान पर ठीक नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह है कि जिस मामले में परपीचुवल इंजंक्शन, परमानेन्ट इंजंक्शन नहीं मिल सकता है, उसी में रोकने की बात हुई है। जहां तक सर्विस के डिसमिशन की बात है, तो निकाले जाने के बाद उसे सर्विस में आने में कोई रोक नहीं है। लेकिन जो सस्पेंशन का मामला है, उसमें भी इंजक्शन का मामला हो जाय, वह मिल जाए तो सस्पेंशन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। डिसमीशल वालों के मामले में यह नहीं है, केवल सस्पेंशन के मामलें में है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ...
आप देखें, इसमें यह भी है:...

"To stay operation of an order for transfer, suspension, reduction in rank, compulsory retirement, dismissal, removal or otherwise. . . . ."

श्री प्रभु नारायण--
लेकिन शब्द इन्टरिम इन्जंक्शन है, परमानेन्ट इन्जंक्शन नहीं है। डिसमिसल के केस में यह साबित होता है कि डिसमिसल या रिटायरमेंट गलत हुआ है तो उसमें यह मिलेगा और यह होगा कि इनको बहाल कर दिया जाए। इसमें बहाल करने का कोर्ट को अधिकार है। किन्तु यदि रिटारमेंट हुआ और वह तुरन्त इन्जंक्शन ले आवे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता था। जो वैलिड रेमेडी मिलनी चाहिये, उस पर कोई रोक नहीं है, वह मिलेगी। जिससे परपीचुवल तरीके से गेन होता है, तो उस पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। ट्रांसफर के मामले में इन्टरिम इन्जंक्शन हो, तो आप इसे देखेंगे कि यह कोई अच्छी चीज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जब हम परपीचुवल रेमेडी को बार नहीं कररहे हैं, तो आप इसे पसन्द नहीं करेंगे। डिसमिशल इनवैलिड हो जायगा तो पूरी तनख्वाह उसको पिछले समय की मिलाकर मिल जावेगी और सरकार को बहाल करना पड़ता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस विधेयक को जो लाने की बात है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इस सिलसिले में इतना कहना चाहता हूं कि मैरेज ऐक्ट के मामले में सरकार के सामने सोच विचार है। सरकार केन्द्र के मैरेज ऐक्ट के इन्तजार में है। अभी जब मैं दिल्ली गया था तो उस समय मेरी डाक्टर कर्ण सिंह जी से बात हुई थी कि आज लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष करने के बारे में जो तबदीली आ रही है, उस पर मुझे बताया गया है कि उस मामले में पार्लियामेंट के अगले अधिवेशन में वह करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह भी विचार है कि जो मैरेज हों, उनका रजिस्ट्रेशन हो। हमने विचार किया है कि यह भी नेफाज नहीं होगा शारदा ऐक्ट की तरह, यदि यहां मैरेज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिसका सेन्ट्रल ऐक्ट बनने जा रहा है, जिससे हम भी सहमत हैं उसको नेफाज बनाने के लिये, इसको कार्यान्वित करने के लिये यह भी आवश्यक है। हम भी इससे सहमत हैं। अब इसका तरीका क्या होगा, यह सोचने की बात है। जब सेन्ट्रल से एक्ट पास हो जायगा, तो हम उसक

रजिस्ट्रेशन के पक्ष में हैं । जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, चूंकि इससे वादों के निस्तारण में कमी सम्भव होगी, ऐसी स्थिति में इसे सेलेक्ट कमेटी में ले जाने का कोई औचित्य नहीं है । क्योंकि इससे इस ऐक्शन में देर होगी, वादों के निस्तारण में उतनी ही देर बनी रहेगी और वादों की कमी में, उतनी देरी नहीं रहेगी । इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि वे सुझाव देते तो हम विचार करने के लिए तैयार हैं । हम दूसरा संशोधन लायेंगे । इस सम्बन्ध में जो सिविल प्रोसीज्योर कोड, कंट्रैक्ट ऐक्ट, ऐडाप्शन ऐक्ट, रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में और दूसरे ऐक्टों में जो संशोधन किये जा रहे हैं, वह इस दृष्टि को रख कर किये जा रहे हैं कि वादों के निस्तारण में जल्दी हो अननेसेसरी लिटीगेशन को बन्द करने में, वादों में जितनी कमी ला सकें, उतनी लाने का प्रयास करें । इस दृष्टि से लाया जा रहा है । इस लिए माननीय सदस्यों से इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि जब वह सहमत हों कि यह बिल ऐसा है जो वादों की कमी करेगा, वादों में कम समय लगेगा, तो मैं सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव वापस लेने का उनसे अनरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय ऊदल संशोधन वापस लेंगे ?

श्री ऊदल --

पक्षपात हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2–38 खण्ड़ 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में:—

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908,
माध्यस्थम् अधिनियम, 1940,
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872,
बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887,
प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887,
सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882,
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, और
हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956,
का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1 . . (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

अध्याय 2

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का संशोधन

अधिनियम सं० 5 1908 की धारा 35-क का संशोधन

2 ··सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 35 क में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् . .

"(1-क) उप धारा (1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित अपील पर भी लागू होंगे जब कि अपील न्यायालय के द्वारा विचारण न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि की जाय और विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त उप धारा के अधीन प्रतिकारात्मक खर्चा न प्रदान किया जाय या अपर्याप्त प्रदान किया जाय ।"

धारा 47 का संशोधन

3···मूल अधिनियम की धारा 47 में, उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, 1954 द्वारा बढ़ाया गया स्पष्टीकरण ii निकाल दिया जायगा । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1954

प्रथम अनुसूची [आदेश 2 का संशोधन

4···मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची (जिसे आगे इस अध्याय में प्रथम अनुसूची कहा गया है) में, आदेश 2 में, नियम 2 में . .

(क) वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 2 बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् ···

"स्पष्टीकरण—2 —इस नियम के प्रयोजनार्थ, प्रतिवादी को भाटक पर दी गई स्थावर संपत्ति से उसकी बेदखली का दावा और उस संपत्ति के उपयोग और अधिभोग के लिये भाटक या प्रतिकर हेतु उसक द्वारा देय धन का दावा सुभिन्न वाद हेतुकों के सम्बन्ध में दावा समझा जायगा ।"

(ख) दृष्टान्त के स्थान पर निम्नलिखित दृष्टांत रख दिया जायगा, अर्थात् —

"दृष्टांत—'क' स्थावर संपत्ति 'ख' को वार्षिक भाटक पर उठाता है । सन् 1905, 1906 और 1907 इन सब पर वर्षों का भाटक

शोध्य है और दिया नहीं गया है, और 'क' सन् 1908 में 'ख' के विरुद्ध केवल सन् 1906 के लिए देय भाटक का दावा करता है, इसके पूर्व ही किरायेदारी को समाप्त कर दिया जाता है। 'क' तदनन्तर 'ख' के विरुद्ध बेदखली का वाद ला सकता है किन्तु सन् 1905 या 1907 के लिए देय भाटक का नहीं।"

आदेश 4-क का बढ़ाया जाना

5- प्रथम अनुसूची में, आदेश 4 के पश्चात् निम्नलिखित आदेश बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् ..

"आदेश 4—क

मामलों का समेकन

1. वादों और कार्यवाहियों का समेकन ...जब एक ही न्यायालय में दो या अधिक वाद या कार्यवाहियां लम्बित हों, और न्यायालय की राय हो कि न्याय के हित में यह समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उनके संयुक्त विचारण का निदेश दे सकता है जिसके पश्चात् समस्त ऐसे वादों और कार्यवाहियों का विनिश्चय समस्त या किन्हीं ऐसे वादों या कार्यवाहियों में साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है।"

आदेश 6 का संशोधन

6. प्रथम अनुसूची में, आदेश 6 में, नियम 15 में, उपनियम (1) में, शब्द "उसके पाद-भाग में" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् ..

"संहिता की धारा 139 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिलाये गये शपथ पर,"।

आदेश 15 का संशोधन

7. प्रथम अनुसूची में, आदेश 15 में, वर्तमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायगा, अर्थात् ..

"5— स्वीकृत भाटक आदि निक्षेप न करने पर प्रतिवादी का प्रतिरक्षा प्रतिवाद वहिष्कृत किया जाना ..

(1) किसी पट्टेदार के विरुद्ध उसके पट्टा के पर्यवसान के पश्चात् पट्टाकर्ता के द्वारा बेदखली के और उपयोग और अधिभोग के लिए उससे भाटक (किराया) या प्रतिकर के प्रत्युद्धरण के वाद में प्रतिवादी वाद की पहली सुनवाई पर या उसके पूर्व सम्पूर्ण राशि, जिसे वह स्वीकार करे कि उसके द्वारा देय है,उस पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित जमा करेगा और चाहे वह किसी राशि का देय होना स्वीकार करे या नहीं, वह वाद के प्रचलन काल में आद्यन्त प्रतिमास देय राशि को उसके देय होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर नियमित रूप से जमा करेगा और सम्पूर्ण राशि, जिसे वह स्वीकार करे कि देय है, या जैसा ऊपर कहा गया है, मासिक राशि के जमा करने में किसी व्यतिक्रम की स्थिति में न्यायालय उसके प्रतिरक्षा प्रतिवाद को उप नियम (2) के अधीन रहते हुए बहिष्कृत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.1. पद "पहली सुनवाई" का अभिप्राय समन में लिखित कथन फाइल करने के लिये या सुनवाई के लिए उल्लिखित तारीख से है या यदि ऐसी तारीख एक से अधिक उल्लिखित है तो उल्लिखित तारीखों में अन्तिम से है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972

स्पष्टीकरण--2 पद "सम्पूर्ण राशि जिसे वह स्वीकार करे कि उसके द्वारा देय है" का अभिप्राय सम्पूर्ण सकल राशि से है, चाहे वह भाटक (किराया) हो या उपयोग और अधिभोग के लिए प्रतिकर हो, जिसकी गणना भाटक (किराया) के स्वीकारोक्त दर पर बकाया की स्वीकारोक्त अवधि के लिये सिवाय उन करों के, यदि कोई हों, जो भवन के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी को पट्टाकर्ता के हिसाब में दिये गये हों, और उस राशि के, यदि कोई हो, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 30 के अधीन न्यायालय में जमा की गई हो, कोई अन्य कटौती किये बिना की जायगी ।

स्पष्टीकरण--3 पद "प्रतिमास देय राशि" का अभिप्राय भाटक (किराया) के स्वीकारोक्त दर पर प्रतिमास देय राशि से है, चाहे वह भाटक (किराया) हो या उपयोग या अधिभोग के लिए प्रतिकर हो, जिसमें से उस भवन के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी को पट्टाकर्ता के हिसाब में दिये गये करों के, यदि कोई हों, सिवाय कोई अन्य कटौती न की गई हो ।

(2) प्रतिरक्षा को बहिष्कृत करने के लिये आदेश देने के पूर्व न्यायालय प्रतिवादी द्वारा उस विषय में दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार कर सकता है; यदि वह अभ्यावेदन पहली सुनवाई के या, यथास्थिति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सप्ताह के अवसान के दस दिनों के भीतर दिया जाय ।

(3) इस नियम के अधीन जमा की गई रकम को वादी किसी समय निकाल सकता है :

परन्तु यह कि ऐसी निकासी से जमा की गई रकम के सही होने के बारे में वादी की किसी आपत्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा :

परन्तु यह और कि यदि जमाकर्ता का यह दावा है कि जमा की गई राशि से किसी धनराशि की कटौती किसी हिसाब में होनी चाहिये, तो न्यायालय वादी से इसके पूर्व कि उसे वह राशि निकालने दिया जाय' प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

आदेश 16 का संशोधन

8 प्रथम अनुसूची में, आदेश 16 में,

(क) नियम 2 में,

(i) उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"परन्तु यह कि जहां किसी सरकारी सेवक को समन करने के लिये आवेदन करने वाला पक्षकार सरकार हो, वहां उसके लिए न्यायालय में कोई ऐसा भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा ।";

(ii) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया उपनियम (4) निकाल दिया जायगा और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा बढ़ाये गये उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:--

"(4 क) साक्षी सरकारी सेवक के भत्ते आदि का खर्चे के रूप में विनिर्धारण किसी सरकारी सेवक को जो साक्ष्य देने के लिए या

दस्तावेज पेश करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हो, देय कोई यात्रा और दैनिक भत्ता और वेतन ऐसे साक्षी द्वारा राशि के प्रमाणित किए जाने पर खर्चे के रूप में विनिर्धारित होगा ।

स्पष्टीकरण 1 . यात्रा और दैनिक भत्ता सम्बन्धित सरकारी सेवक पर लागू ऐसे भत्ते को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार होगा ।

स्पष्टीकरण 2 . सरकारी सेवक का दैनिक भत्ता और वेतन न्यायालय द्वारा अपेक्षित उसकी उपस्थिति के दिनों के समानुपातिक होगा ।"

(ख) नियम 4 में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि इस नियम की कोई बात ऐसे मामले पर लागू नहीं होगी जहां साक्षी कोई सरकारी सेवक हो जिसे सरकार के अनुरोध पर पक्षकार के रूप में अनुरोध पर समन द्वारा बुलाया गया हो ।"

आदेश 19 का संशोधन

9 . प्रथम अनुसूची में आदेश 19 में, नियम 1 में, वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्: . .

"परन्तु यदि न्यायालय को किसी पक्षकार के अनुरोध पर या अन्यथा और ऐसा शपथ पत्र फाइल करने के पूर्व या पश्चात् यह प्रतीत हो कि प्रति परीक्षा के लिये ऐसे साक्षी को पेश करना आवश्यक है और उसे उपस्थित कराया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसे साक्षी को उपस्थित होने के लिए आदेश देगा, तत्पश्चात् साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है ।"

आदेश 21 का संशोधन

10 . प्रथम अनुसूची में, आदेश 21 में, इलाहाबद उच्च-न्यायालय द्वारा बढाए गये नियम 104, नियम 105 और नियम 106 को क्रमश: नियम 106 क नियम 106- ख और नियम 106-ग के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायगा।

आदेश 27 का संशोधन

11 . प्रथम अनुसूची में, आदेश 27 में, . .

(क) शीर्षक में शब्द "पदीय हैसियत में लोक आफिसरों" के पश्चात् शब्द " या सांविधिक प्राधिकारियों आदि" बढ़ा दिये जायगे,

(ख) इलाहाबाद उच्च- न्यायालय द्वारा बढाये गये नियम 9 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"10 . सांविधिक प्राधिकारियों के द्वारा या विरूद्ध वाद . . (1) किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित कोई प्राधिकारी या निगम समय-समय पर किसी जिले में एक स्थायी काउन्सेल नियुक्त कर सकेगा, जिसे उस प्राधिकारी का निगम प्लीडर कहा जायगा और ऐसी नियुक्ति की सूचन जिला न्यायाधीश को दे सकेगा ।

(2) इस प्रकार नियुक्त निगम प्लीडर उस जिले में नियोजक प्राधिकारी या निगम क विरुद्ध आदेशिका प्राप्त करन क प्रयोजनार्थ उसका अभिकर्ता होगा किन्तु वह वकालतनामा या उपसंजाति का ज्ञापन प्रस्तुत किये बिना कोई कार्य या अभिवचन नहीं करेगा ।"

आदेश 29 का संशोधन

12. प्रथम अनुसूची में, आदेश 29 में, नियम 2 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"(क क) उसके निगम प्लीडर पर की जा सकगी, यदि कोई उस जिले में, जहां समन जारी करने वाला न्यायालय अवस्थित हो, नियुक्त किया गया है और नियुक्ति आदेश 27 के नियम 10 के अधीन जिला-न्यायाधीश को अधिसूचित की गयी है; अथवा"।

आदेश 39 का संशोधन

13. प्रथम अनुसूची में, आदेश 39 में--

(क) नियम 2 में, उप नियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"परन्तु ऐसा कोई व्यादेश,--

(क) जहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 38 और धारा 41 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए कोई शाश्वत व्यादेश अनुदत्त न किया जा सके, या

(ख) किसी कर्मचारी के जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी भी है, स्थानान्तरण, उसके निलम्बन, उसकी पदानवति, उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति, उसकी पदच्युति, उसके हटाने या अन्य प्रकार से उसकी सेवा समाप्ति या उससे कार्यभार ग्रहण करने के लिये किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिये, अथवा

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लम्बित या आशयित किसी अनुशासनिक कार्यवाही को या किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रभाव को रोकने के लिये, अथवा

(घ) किसी शिक्षा संस्था, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी है, या किसी सोसाइटी के आन्तरिक प्रबन्ध या कार्यकलाप को प्रभावित करने के लिए, अथवा

(ङ) किसी निर्वाचन को अवरुद्ध करने के लिए, अथवा

(च) सरकार द्वारा किये जाने के लिये आशयित किसी नीलाम को या किये गये किसी नीलाम के प्रभाव को अवरुद्ध करने के लिये, अथवा

(छ) जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाय तब तक भू-राजस्व की भांति वसूल करने योग्य किसी देय की वसूली की कार्यवाही को रोकने के लिये अथवा

(ज) ऐसे मामले में, जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को कोई निदश अर्पित किया जा सकता है,

अनुदत्त नहीं किया जायगा और इन उपबन्धों का उल्लंघन करक अनुदत्त व्यादेश के लिये कोई आदेश शून्य होगा।"

(ख) नियम 4 में--

(।) शब्द "उस न्यायालय द्वारा" के पूर्व शब्द "या स्वप्रेरणा से कारण अभिलिखित करक" बढ़ा दिये जायंगे :--

(ii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

"परन्तु यदि वाद के किसी प्रक्रम पर न्यायालय को यह प्रतीत हो कि ऐसा पक्षकार जिसके पक्ष में व्यादेश का आदेश है, न्यायालय को प्रक्रिया में विलम्ब कर रहा है या उसका अन्यथा दुरुपयोग कर रहा है तो वह व्यादेश के आदेश को अपास्त कर देगा ।" ।

आदेश 45 का संशोधन

14. प्रथम अनुसूची में, आदेश 45 में, नियम 2 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

"(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई उच्चतम न्यायालय में अपील करना चाहता है वह नियम 3 के उपनियम (1) में अनुध्यात प्रमाण-पत्र के लिये उस न्यायालय में, जिसकी डिक्री का परिवाद करना है, न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाने के तुरन्त पूर्व या पश्चात् मौखिक रूप से आवेदन कर सकता है, और न्यायालय या तो प्रमाण पत्र अनुदत्त कर सकता है या इंकार कर सकता है या आवेदक को उपनियम (1) की अपेक्षानुसार याचिका फाइल करने का निदेश दे सकता है :

परन्तु यदि मौखिक आवेदन ग्रहण और नामंजूर किया जाता है तो उपनियम (1) के अधीन कोई लिखित याचिका नहीं दी जा सकेगी ।',

अध्याय 3

माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 का संशोधन

अधिनियम संख्या 10, 1940 की धारा 4 का संशोधन

15. माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2) प्रत्येक ऐसे मामले में जहां कोई नियुक्त मध्यस्थ उपेक्षा करता है या कार्य करने से इंकार करता है, या कार्य करने के लिये असमर्थ हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, वहां उपर्युक्त अभिहित व्यक्ति द्वारा रिक्ति की पूर्ति की जायगी ।

(3) यदि उपर्युक्त अभिहित व्यक्ति माध्यस्थम् करार के किसी पक्षकार द्वारा उस पर सूचना तामील किये जाने के पश्चात् एक मास के अन्दर उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति या उपधारा (2) के अधीन रिक्ति की पूर्ति नहीं करता है तो पक्षकार संयुक्त रूप से, यथास्थिति, मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं या रिक्ति की पूर्ति कर सकते हैं ।"

धारा 8 का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "और, यथास्थिति, पक्षकार या मध्यस्थ उस रिक्ति की पूर्ति न करे" के स्थान पर शब्द "और, यथास्थिति, पक्षकार या मध्यस्थ उस रिक्ति की पूर्ति न करे, या अभिहित व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन, उस रिक्ति की पूर्ति न करे" रख दिये जायेंगे;

धारा 9 का संशोधन

17.—मूल अधिनियम की धारा 9 में, . .

(क) खण्ड (ख) में, शब्द "पन्द्रह पूर्ण दिनों" के स्थान पर, शब्द "एक मास या जहां वह पक्षकार सरकार है वहां तीन मास" रख दिये जायेंगे,

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द "धारा 8 और इस धारा के अर्थ में" के स्थान पर, शब्द "धारा 4 की उपधारा (2), धारा 8 और इस धारा के अर्थ में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 20 का संशोधन

18.—मूल अधिनियम की धारा 20 में, —

(क) वर्तमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्—

"निर्देश के लिए न्यायालय को आवेदन" ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "करार न्यायालय में फाइल किया जाए" के स्थान पर, शब्द "करार के अनुसार निर्देश किया जाए" रख दिये जायेंग ;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "करार फाइल क्यों न किया जाए" के स्थान पर, शब्द "करार के अनुसार निर्देश क्यों न किया जाए" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) में, . .

(i) शब्द "करार के फाइल किये जाने का आदेश देगा और" निकाल दिये जायेंगे,

(ii) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण . जहां माध्यस्थम् करार में यह व्यवस्था हो कि निर्देश किसी व्यक्ति को नामतः या पदाभिधानतः किया जायगा, वहां यह तथ्य कि इस प्रकार नाम या पदाभिधान वाला मध्यस्थ या अधिनिर्णायक किसी पक्षकार का कर्मचारी है या उससे अन्यथा सम्बन्धित है इसके लिए कारण नहीं समझा जायगा कि उस मामले का निर्देश इस प्रकार नाम या पदाभिधान वाले मध्यस्थ या अधिनिर्णायक को न किया जाय ।"

धारा 34 का संशोधन

19.—मूल अधिनियम की धारा 34 में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—1— जहां यह व्यवस्था हो कि निर्देश किसी व्यक्ति को नामतः या पदाभिधानतः किया जायगा, वहां यह तथ्य कि इस प्रकार नाम या पदाभिधान वाला मध्यस्थ या अधिनिर्णायक किसी पक्षकार का कर्मचारी है या उससे अन्यथा सम्बन्धित है स्वतः इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं समझा जायगा कि माध्यस्थम् करार के अनुसार उस मामले का निर्देश न किया जाय ।

स्पष्टीकरण 2 . लिखित कथन को फाइल करने के निमित्त समय के लिए केवल आवेदन देना या व्यादेश, रिसीवर की नियुक्ति या इसी प्रकार

के कार्य के लिए अन्तर्वर्ती आवेदन का केवल प्रतिवाद करना कार्यवाहियों में कोई कदम उठाना नहीं होगा।"

धारा 37 का संशोधन

20--मूल अधिनियम की धारा 37 में, जहां कहीं भी शब्द और संख्या "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और संख्या "परिसीमा अधिनियम, 1963" रख दिये जायेंगे।

धारा 38 का संशोधन

अधिनियम संख्या 36, 1963

21--मूल अधिनियम की धारा 38 में, शब्द "मांगी गई फीसों" के स्थान पर जहां वे दूसरी बार आये हैं, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् --

"उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये किसी नियम के अनुसार अवधारित फीसों, और किसी ऐसे नियम के न होने पर, या जहां ऐसे नियम लागू न होते हों, वहां मांगी गई फीसों"।

धारा 39 का संशोधन

22--मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (1) में वर्तमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् --

"(iv) धारा 20 के अधीन निर्देश करे या निर्देश करने से इंकार करे,"

धारा 44 का संशोधन

23--मूल अधिनियम की धारा 44 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"(क) मध्यस्थ या अधिनिर्णायक को संदेय फीस और अन्य खर्चे,"।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

24 --मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,--

(क) पैरा 2 में, शब्द "अपनी क्रमिक नियुक्तियों की सबसे पश्चात् की तारीख से अधिक से अधिक एक मास के अन्दर" के स्थान पर शब्द "अपनी क्रमिक नियुक्तियों की सबसे पश्चात् की तारीख से एक मास के अन्दर या उस विस्तारित समय के अन्दर जैसा निर्देश के पक्षकार सहमत हों और ऐसी सहमति के अभाव में जो न्यायालय अनुज्ञात करे" रख दिये जायेंगे;

(ख) पैरा 3 में, शब्द "या उस विस्तारित समय के अन्दर जो न्यायालय अनुज्ञात करे" के स्थान पर, शब्द "या उस विस्तारित समय के अन्दर जैसा निर्देश के पक्षकार सहमत हों, और ऐसी सहमति के अभाव में, जो न्यायालय अनुज्ञात करे" रख दिये जायेंगे;

(ग) पैरा 5 में, शब्द "या उस विस्तारित समय के अन्दर जो न्यायालय अनुज्ञात करे" के स्थान पर, शब्द "या उस विस्तारित समय के अन्दर जैसा निर्देश के पक्षकार सहमत हों, और ऐसी सहमति के अभाव में, जो न्यायालय अनुज्ञात करे" रख दिये जायेंगे।

(घ) पैरा 7 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"7-क--जहां और जहां तक पंचाटधन के संदाय के लिये हो वहां मध्यस्थ या अधिनिर्णायक पंचाट में अधिनिर्णीत मूल राशि पर माध्यस्थम् के प्रारम्भ होने की तारीख से जैसाकि धारा 37 की उपधारा (3) में परिभाषित है, अधिनिर्णय की तारीख तक ऐसी

मूल राशि पर इस प्रकार प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के लिये अधिनिर्णीत किसी ब्याज के अतिरिक्त ऐसी दर पर, जिसे मध्यस्थ या अधिनिर्णायक संदत्त किये जाने के लिये युक्तियुक्त समझे, ब्याज का और ऐसी मूल राशि पर अधिनिर्णय की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्ववर्ती तारीख तक जैसा कि मध्यस्थ या अधिनिर्णायक उचित समझे, किन्तु जो किसी भी दशा में पंचाट में दी गई डिक्री की तारीख के पश्चात् न होगी, ऐसी दर पर जो प्रतिवर्ष छः प्रतिशत से अधिक न होगी, जैसा कि मध्यस्थ या अधिनिर्णायक युक्तियुक्त समझे, अग्रतर ब्याज का आदेश दे सकते हैं।"

अध्याय 4

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9, 1872 की धारा 5 का संशोधन

25—भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, प्रथम पैरा के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—जहां किसी प्रस्थापना की संसूचना में यह शर्त हो कि ऐसी संसूचना के उत्तर में की गयी किसी प्रस्थापना को विनिर्दिष्ट समय के लिये विचाराधीन रखा जायगा और तदुपरान्त जब ऐसी शर्त को स्वीकार करते हुए कोई प्रस्थापना की जाय तब ऐसी प्रस्थापना का ऐसे समय के भीतर प्रतिसंहरण नहीं किया जायगा।"

धारा 55 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 55 में, तृतीय पैरा में, शब्द "जब तक कि उसने ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा करने के आशय की सूचना वचनदाता को न दे दी हो" के स्थान पर, शब्द "जहां उसने ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा करने के अधिकार को अधित्यजित कर दिया हो" रख दिये जायंगे।

अध्याय 5

बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 का संशोधन

ऐक्ट संख्या 12 1887 की धारा 19 का संशोधन

27. बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायंगी, अर्थात्:

"19. (1) यथा पूर्वोक्त के सिवाय और उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुन्सिफ की अधिकारिता का विस्तार ऐसे ही सभी वादों पर होगा जिनका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक न हो।

(2) राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसमें नामित किसी मुंसिफ के बारे में यह निदेश दे सकती है कि उसकी अधिकारिता का विस्तार दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य के ऐसे ही सभी वादों पर होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रत्यायोजित कर सकती है।"

धारा 25 का संशोधन

28.—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "एक हजार रुपये" और शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "दो हजार रुपये" और "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1972

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जायगा, अर्थात्: ...

"परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकार के वादों के सम्बन्ध में इस उपधारा में दो हजार रुपये और एक हजार रुपये के निदश का अर्थ क्रमशः पांच हजार रुपये और दो हजार रुपये लगाया जायगा।"

अध्याय 6

प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9, 1887 की धारा 15 का संशोधन

29. प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 15 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) और उसके परन्तुक में जहां कहीं भी शब्द "दो हजार रुपये" आए हों, उनके स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

अध्याय 7

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का संशोधन

अधिनियम संख्या 4, 1882 की धारा 54 का संशोधन

30. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, जिसे आगे इस अध्याय में मल अधिनियम कहा गया है, की धारा 54 में, . .

(क) द्वितीय पैरा में, शब्द "एक सौ रुपये और उससे अधिक मूल्य की" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) तृतीय और चतुर्थ पैरा निकाल दिये जायेंगे;

(ग) अन्तिम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्: . .

"ऐसी संविदा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा की जा सकती है।"

धारा 107 का संशोधन

31. मूल अधिनियम की धारा 107 में,—

(क) द्वितीय पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"स्थावर सम्पत्ति के अन्य सब पट्टे या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जे के परिदान सहित मौखिक या लिखित करार द्वारा किये जा सकेंगे।"

(ख) तृतीय पैरा और परन्तुक निकाल दिये जायेंगे।

अध्याय 8

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन

अधिनियम संख्या 16, 1908 की धारा 17 का संशोधन

32. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खण्ड (ख) में, शब्द "एक सौ रुपये या उससे अधिक के मूल्य का" निकाल दिये जायेंगे;

(ii) खण्ड (ङ) में, शब्द "एक सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य का" निकाल दिये जायेंगे;

(iii) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अपेक्षानुसार रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कोई अन्य लिखत";

(iv) परन्तुक निकाल दिया जायगा;

(ख) उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (v) में, प्रारम्भ में आये हुए शब्द "किसी ऐसी दस्तावेज को" के पहले, शब्द "विक्रय के लिए संविदा से भिन्न" बढ़ा दिये जायेंगे, और शब्द "एक सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य का" निकाल दिये जायेंगे;

(ii) स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं है" के पश्चात् शब्द "और अपत्य का दत्तकग्रहण अभिलिखित करने के लिये जो लिखत पहली जनवरी, 1977 के पश्चात् निष्पादित की गई है" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

33.—मूल अधिनियम की धारा 18 में खण्ड (क), (ख) और (गग) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 49 का संशोधन

34. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(क) प्रथम पैरा में, शब्द "या संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882" के पश्चात् शब्द "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि क" बढ़ा दिय जायेंगे; अधिनियम संख्या 4, 1882

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(ख) न कोई शक्ति प्रदत्त करेगी न कोई अधिकार या सम्बन्ध सृजित करेगी, और न" ;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द "ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले" के पश्चात् शब्द "या ऐसे अधिकार या सम्बन्ध को सृजित करने वाले," बढ़ा दिये जायेंगे;

(घ) परन्तुक में, शब्द "स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, 1877 के अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट पालन के बाद में संविदा के साक्ष्य के तौर पर या" निकाल दिये जायेंगे ।

अध्याय 9

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का संशोधन

अधिनियम संख्या 78 1956 की धारा 16 का संशोधन

35. हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में, धारा 16 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:

"(2) जनवरी, 1977 के प्रथम दिवस को या उसके पश्चात् किसी दत्तक की दशा में उत्तर प्रदेश में कोई भी न्यायालय अपत्य को दत्तक देने और लेने के सबूत में ऐसी दस्तावेज के सिवाय जिसमें दत्तक अभिलिखित हो और जो अपत्य को दत्तक देने वाले व्यक्ति या लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं करेगा :

अधिनियम संख्या 1, 1872

परन्तु ऐसी दस्तावेज की द्वितीयक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अधिकथित परिस्थितियों में और रीति से ग्राह्य होगी ।"

अध्याय 10

संक्रमणकालीन उपबन्ध

लम्बित सिविल मामलों का निस्तारण

36. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित किसी सिविल वाद या कार्यवाही का जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 लागू होता है, निपटारा इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त संहिता के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

अधिनियम संख्या 10, 1940 की धारा 20 के अधीन लम्बित आवेदनों का निपटारा

37. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की धारा 20 के अधीन लम्बित आवेदनों का निपटारा इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

38—जहां इस अधिनियम द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबन्धों में किसी संशोधन के आधार पर उक्त अधिनियम में विहित अवधि में विस्तार कर दिया गया हो, और उक्त अवधि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को समाप्त न हुई हो, वहां ऐसी अवधि के अन्दर किया जाने वाला कार्य इस प्रकार विस्तारित अवधि के अन्दर किया जा सकता है। अधिनियम संख्या 10, 1940 में समय विस्तारण का प्रभाव

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 38 व खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभुनारायण --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

मान्यवर, एक बात की चर्चा करना मैं भूल गया था।

माननीय नेगी जी ने पुअर लीगल एड का प्रश्न उठाया। मैं उनको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि पुअर लीगल एड का, आज इस प्रदेश के गरीब तबके की सरकार की पूरी मंशा है और इस सिलसिलेमें हमने इस बात का प्रयास भी किया कि हर जिले में पुअर लीगल एड की कमेटियां बनाएं। उनके मातहत जो गरीब लोग हैं। उनकी सहायता की जा रही है। हम चाहते हैं कि पुअर लीगल एड का दायरा विस्तृत करें। इस पर हम सोच-विचार कर रहे हैं। सरकार ने जो अभी तक विचार किया था, उस दायरे को विस्तृत करने की और पुअर लीगल एड को प्रभावकारी ढंग से गरीब जनता को प्रोवाइड करने का कार्य करना चाहते हैं। इस सिलसिले में विधेयक लाने का विचार रखते हैं। प्रदेश में किस तरह से पुअर लीगल एड का काम चल रहा है, ला मिनिस्ट्री की तरफ से उसको देखने का भी काम किया जा रहा है। शीघ्र ही इस सिलसिले में कोई विशेष विधेयक प्रस्तुत करेंगे ताकि पुअर लीगल एड के दायरे को बढ़ाकर उसको अधिक इफेक्टिव बनाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976†

भारी उद्योग मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम्य उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक छोटा सा और जरूरी संशोधन है। यह उस हालत में किया जा रहा है जबकि खादी बोर्ड डिसाल्व हो जाये। तो इसमें जो प्राविधान है वह यह है कि बोर्ड की जितनी लाइबिलिटीज और असेट्स हैं, उसी की सीमा तक गवर्नमेंट अपने आप को

† 1 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

जिम्मेदार ठहराती है। इस पर खादी कमीशन ने जो हमको खादी इन्डस्ट्रीज की स्कीम का पूरा रुपया देता है उसने भी यह एतराज किया कि गवर्नमेंट को बोर्ड को पूरी असेट्स और लाइविलिटीज की हद तक अपने आपको बाइन्ड करना चाहिये। मिसाल के तौर पर मैं कहन' चाहता हूं कि बोर्ड की असेट्स और लाइविलिटीज 2 करोड़ की हैं और खादी कमीशन ने जो रुपया दिया है वह 4 करोड़ है। इसमें प्राविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट उस हद तक देय होगी जिस हद तक बोर्ड की असेट्स और लाइविलिटीज वेस्ट करे तो इस बात की शिकायत हुई कि इस प्राविधान में संशोधन किया जाये। जो भी असेट्स और लाइविलिटीज बोर्ड के जिम्मे हो, उसके लिये गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। सिर्फ यही तरमीम चाही गयी है और इस लिहाज से इसको लाया गया है और यह जरूरी भी है। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि माननीय सदस्य इसको मंजूर फरमायेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का संशोधन इस दृष्टि से करने की प्रस्थापना है कि बोर्ड के लिये और अच्छी तरह से कार्य कर सकने की व्यवस्था की जाये और उसे खादी तथा ग्राम योजनाओं के लिए अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता मिलती रहना सुनिश्चित हो जाये।

मान्यवर, सरकार का कहना है कि इसको हम और सुनिश्चित करना चाहते हैं। मान्यवर, इसी के अन्तर्गत आप देखेंगे कि, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने लम्बे भाषण में कहा, तो मैंने उसको बड़े गौर से सुना। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 में अन्तर्ग्रस्त व्यय का वित्तीय ज्ञापन जो है, उसमें दिया है कि विधेयक के खंड 2 द्वारा प्राविधान किया जा रहा है कि खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के विघटन पर बोर्ड की निधि तथा उसमें निहित अन्य सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हो जावेगी और बोर्ड के समस्त दायित्व राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे। इस प्रकार राज्य की संहत निधि से व्यय की संभावना हो सकती है किन्तु ऐसे संभावित व्यय का कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

मान्यवर, आप देखेंगे कि जो मेमोरैंडम है उसमें कोई अनुमान लगाना ही असंभव है कि खादी बोर्ड का क्या कर्जा है और क्या संपत्ति है? और सरकार का क्या दायित्व होगा? तो इस असम्भव बात को जो संभव ही नहीं है, ये कैसे सम्भव बनाना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न विचारणीय है और दूसरे अगर आप मदद करते हैं तो उद्योग बोर्ड की जांच करावें, आडिट करावें। आज इनकी जो विभिन्न स्कीम्स हैं जैसे करघा है, तेलघानी है और जो बेकार की अन्य स्कीम्स हैं, उनमें करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है, कोई फायदा नहीं है और लोग खाये बैठे हैं। आज भी इनमें बड़े पैमाने पर मनमानी हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब संभव ही नहीं है अनुमान लगाना, तो अगर यह प्रवर समिति में जायगा तो अनुमान लगाना भी संभव हो जायगा कि कितनी सम्पत्ति है, कितना कर्जा है और बोर्ड के कितने एसेट्स हैं ताकि अगर सरकार उन्हें ले तो समझ ले कि कितना रुपया उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी ने सही बात कही है। आप एसेट्स और लाइबिलिटीज लेने जा रह हैं, लेकिन आज इस बात का तखमीना नहीं लगा सके कि वे कितने-कितने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह]

हैं। यह खादी ग्र उद्योग बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है, सफेद हाथी है। कोई पैदावार नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, हर तरह की गड़बड़ी है। जहां-जहां भी इनकी दुकानें हैं, उत्तर काशी में भी बद-किस्मती से एक दुकान है, सरकार से कर्जा ले रहे हैं, खा रहे हैं। खादी आयोग से ग्रान्टस मिल रही हैं। उन्हें हजम किया जा रहा है। लेकिन हम रे माननीय मंत्री जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रहे हैं। कम से कम यह अन्दाजा तो लगा लें कि उनके खाते में क्या जमा है और क्या खर्चा है, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितने के एसेटस हैं? आपको कोई अन्दाजा नहीं है लेकिन आप उनके वारिस होने के लिए तैयार हैं। तो जो दिवालिया हैं, उसके वारिस होने से क्या फायदा? इससे आप स्टेट का कोई फायदा नहीं करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष --

आपके विचार में यदि माननीय मंत्री जी हिसाब-किताब समझ लें तो कोई दिक्कत न हो?

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

लाखों करोड़ों रुपये का खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार अपने ऊपर लेने जा रही है। इससे कुछ मिलेगा नहीं। इसको लाने में कोई जल्दबाजी भी नहीं है। आप इसे 6 महीने बाद में भी ला सकते हैं। इसलिये आप इसे प्रवर समिति में भेज दें ताकि वहां पर छान-बीन हो सके और तब आपको यह भी मालूम हो जायगा कि आपको विरासत में क्या मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विरासत में आप कर्जा ही कर्जा, लाइबिलिटीज ही अपने ऊपर ले रहे हों। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि आज तक भी यह अनुमान नहीं लगाया जा सका तो फिर आप उसे क्यों लेने जा रहे हैं? आप वारिस भी बन रहे हैं, किसके वारिस बन रहे हैं, क्या उसकी कोई जायदाद है, कोई सम्पत्ति है, कोई असेटस हैं या सब लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि इस सफेद हाथी को अपने सिर पर लेने के पूर्व आप इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दें जिससे इस पर विस्तृत रूप से विचार हो सके।

श्री अजीजुर्रहमान---

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने यह तवज्जह दिलायी कि खादी बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है। इससे भी मैं इत्तिफाक करता हूं कि ऐसी चीज जिसमें भ्रष्टाचार हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस बात को मान रखा है और तसलीम कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को मान रखा है कि उनके वजूद की जरूरत है और खादी और विलेज इंडस्ट्री के दरमियान उसका कोई स्ट्रक्चर और सेंट-अप की जरूरत है। अब इस जरूरत के पेशे नजर, मैं नहीं समझ सकता कि यह एक सिम्पिल सी बात है कि खादी कमीशन अपना रुपया सर्फ करता है और यह उस वक्त का जिक्र है जब हम बोर्ड को डिलाल्व करेंगे और ऊपर खादी कमीशन का रुपया वाजिब है तो खादी कमीशन बिला शुबहा इस तरह का तहफ्फुज चाहेगा कि हम पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं उन सब की, ऐसा भार हम अपने ऊपर लें। इतनी मामूली सी तरमीम है। न कोई गौर व खोज की जरूरत है, न वक्त की। वहां की स्कीम्स मंजूर होती रहती हैं और उनको ख्वाहमखाह डिले किया जाय यह मुनासिब नहीं होगा। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो वह भी अपना हाथ रोक सकते हैं। तो इसको टालने का मौका नहीं है और इसको स्वीकार फरमायें और हाउस इसको पारित कर दे।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)---

इस बोर्ड में बहुत बड़ा घपला है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके असेटस और लाइबिलिटीज की जांच करने के लिये कोई कमीशन बैठायेंगे?

श्री अजीजुर्रहमान---

अगर इस बात की जरूरत होगी कि जांच करने के लिए कमीशन बैठाया जाय तो बैठाया जाय। इस वक्त अश्योरेंस का सवाल नहीं उठ रहा है। यह प्राविधान तो उसके डिस्सोल्यूशन के वक्त के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष . .

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। संक्षिप्त

2--उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 32 में, उपधारा (2) में, खण्ड (घ) में, शब्द "उस सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे जिस सीमा तक बोर्ड की निधि और सम्पत्तियां उसमें निहित हों" क स्थान पर शब्द "प्रवर्तनीय होंगे" रख दिये जायेंगे। उ0प्र0अ नियम 10,19 की धारा 3 संशोध

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीजुर्रहमान---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) बिधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी . .

मान्यवर, पारित तो यह हो ही जायगा होना ही है, किन्तु मैं एक सूचना चाहता हूं कि क्या आपने यह तखमीना लगाया अब तक या नहीं कि इस खादी बोर्ड के क्या असट्स होंगे और क्या लायबिलिटीज होंगी ?

श्री उपाध्यक्ष · ·
शासन इसकी जरूरत नहीं समझता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी · ·
हमको तो जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष——
अगर वे जरूरत समझते तो जरूर लगाते।

श्री गोविन्द सिंह नेगी——
यह कोई व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। उत्तर प्रदेश का खजाना है, उत्तर प्रदेश की संपत्ति है और सरकार का उत्तर दायित्व है कि सदन को उससे अवगत कराये कि यह क्या विधेयक ला रही है। इसको लाने से पहले क्या आपने इस बात की छान-बीन करा ली है कि इसके लिये कितने असेट्स और लायबिलिटीज हैं ?

श्री उपाध्यक्ष · ·
माननीय मंत्री जी किसी की नीयत बुरी नहीं समझते, वह समझते हैं कि वह अच्छा ही करते हैं, गड़बड़ी नहीं करते।

श्री अजीजुर्रहमान——
जी, मुझे कोई एतराज नहीं है अर्ज करने में कि ऐसा अन्दाजा नहीं हो सकता जो माननीय सदस्य बार-बार इस तरह का इसरार कर रहे हैं कि जो सरकार के काबू से बाहर हो और इसका अन्दाजा लगाये जाने का कोई सवाल उठता ही नहीं था। सिर्फ इस प्राविधान का सवाल था कि वह डिफेक्टिव है और उसमें संशोधन की जरूरत है। जब जरूरत होगी। इसका अन्दाजा लगा लिया जायगा।

श्री ऊदल ···
सम्भव नहीं है, यह दूसरी बात है और इसकी जरूरत नहीं है, यह दूसरी बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष · ·
जानकारी के लिये दूसरा रास्ता है।

श्री प्रभु नारायण——
जहां तक खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का प्रश्न है, उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं था इस वजह से बोर्ड को डिजाल्व करके वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होगी। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थिति इस समय बेहतर है। माननीय सदस्य पुरानी स्थिति का जिक्र कर रहे थे। इतना मैं अश्वासन देना चाहता हूं सरकार की तरफ से कि जहां खादी तथा ग्रामउद्योग बोर्ड में किसी तरह की गड़बड़ी होने का प्रश्न है, उसको रोकने का पूरा प्रयास सरकार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष · ·
प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष · ·
नियम 51 के अन्तर्गत मेरे पास दो सूचनाएं हैं। एक माननीय देव कुमार यादव की, प्रदेश में मच्छरों की भयानक वृद्धि से मलरिया, फाइलरिया, सरिब्रल मलेरिया एवं ब्लैक वाटर फीवर के भयंकर प्रकोप के कारण अस्तव्यस्त जन-जीवन के संबंध में है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

दूसरी सूचना माननीय जफर आजमी जी को है, जो प्रदेश में सूत का दाम निरन्तर बढ़ने के कारण से हैन्डलूम के कारोबार को क्षति के संबंध में है। इसका समाधान प्रश्नों के जरिये हो सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)

मान्यवर, एक जगह का नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष--

एक दिन में स्वीकार भी तो एक ही हो सकती है।

श्री ऊदल --

केवल प्रश्नों से नहीं हो सकता। इसकी परिधि बहुत बड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री जी, कब तक वक्तव्य दे देंगे ?

(स्वास्थ्य मंत्री) श्री प्रभु नारायण--

कोई समय निश्चित कर लीजियेगा। जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं वक्तव्य दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

2 नवम्बर, 1976

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 222 पर।)

दिनांक 15 अप्रैल, 1976 को प्रातः 10.30 बजे एक प्राइवेट बस संख्या यू0 पी0 एफ0 419, तुलसीपुर से सवारियां लेकर इटावा जा रही थी। रास्ते में इस बस में कुछ और सवारियों के चढ़ जाने के कारण उसमें कुल 80 सवारियां हो गयीं। तुलसीपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित बाई पास से गुजरते समय बस भुसेलवा जलकुंड में गिर गई और पानी में डूब गई।

दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त होते ही दुर्घटना स्थल पर जिला अधिकारी, गोंडा, अतिरिक्त जिलाधिकारी, गोंडा, पुलिस के अधिकारी। चिकित्सा तथा सार्वजनिक निर्माण बिभागों के अधिकारी पहुंच गये और यात्रियों तथा बस को बाहर निकालने के कार्य में लग गये। बहुत प्रयत्न करने पर भी बस उस दिन नहीं निकाली जा सकी। जो व्यक्ति स्वयं ही तैर कर आ गये थे, उनके अलावा कुछ और व्यक्तियों को जिन्दा हालत में निकाल लिया गया, इस प्रकार 37 व्यक्तियों की जान बचा ली गई। बाकी 43 व्यक्तियों की, देर तक पानी में रहने के कारण मृत्यु हो गई। काफी प्रयत्न करने के पश्चात् उक्त बस दूसरे दिन (16-4-76) को लगभग दिन में 12 बजे ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकाली गयी। सभी घायल व्यक्तियों की दुर्घटना स्थल पर फर्स्टएड चिकित्सा की गई। घायल व्यक्तियों में से केवल 18 व्यक्तियों को अधिक चोटें आयी थीं, जिन्हें तुरन्त ही अस्पताल में भर्ती किया गया। 19 व्यक्तियों को साधारण चोटें आयी थी जिनको चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिलाधिकारी स्वयं घायल व्यक्तियों से अस्पताल में मिले और उनके वहां रहने तक उनके भोजन, फल, दूध, आदि की समुचित व्यवस्था की गयी। उनका इलाज पूरा हो जाने के बाद उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गयी। मृतकों के परिवारों में से 24 परिवारों को आर्थिक सहायता का पात्र पाया गया और प्रत्येक को मुख्य मंत्री सहायता कोष से रु0 250 तथा रु0 100 अहेतुक सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त 17 घायल व्यक्तियों को कुल रु0 1,100 की भी सहायता दी गई।

इस दुर्घटना की मजिस्टीरियल इन्क्वायरी भी की जा चुकी है। जांच अधिकारी (एस0 डी0 एम0, बलरामपुर) ने पूरी जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना का मुख्य कारण ड्राइवर द्वारा गाड़ी को तेजी व लापरवाही के साथ अपनी दाहिनी ओर क्लीनर को बैठाकर, चलाना था।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 236 पर ।)

क्रम-संख्या	अ0सं0	थाना	जिला	नाम अभियुक्त	गबन धन	दिनांक गिरफ्तारी	विवरण	नाम समिति
1	122/75	संडीला	हरदोई	श्री हरपाल सिंह खजांची	66,156.57	11-10-75	..	साधन सहकारी समिति, उल्लामऊ
2	5 1/69	इसानगर	खीरी	श्री चन्द्रदत्त प्रधान (डायरेक्टर)	6,010.00	5-10-75	..	क्षेत्रीय साधन सह0 समिति अमरिया पंडिन
3	88/73	लक्सर	सहारनपुर	जोध राम शर्मा सुपरवाइजर	1,162.00		..	साधन सह0 समिति
89					4,090.00	1-10-75	..	वत्सपुर रणजीतपुर
							..	साधन सह0 समिति रणजीतपुर।
4	179/73	खुर्जा	बु0 शहर	मुरली सिंह कुर्क अमीन	487.70	9-10-75	..	साधन सह0 समिति ठाकुर।
5	86/73	दिबाई	,,	गुलाब सिंह	9,700.00	10-10-75	..	साधन सहकारी समिति मऊबंगला तथा मसोरा।
6	44/74	,,	,,	ओम प्रकाश आंकिक	17,750.66	10-10-75	दोनों	साधन सहकारी समिति डिबाऊ।
7	,,	,,	,,	अन्तराम, खजांची				

क्रम-संख्या	अ0 सं0	थाना	जिला	नाम अभियुक्त	गबन धन	दिनांक गिरफ्तारी	विवरण	नाम समिति
8	103/75	महोबा	हमीरपुर	ओम प्रकाश चौरसिया मैनेजर, डी0 सी0 बी0	23,110.66	9-10-75	गबन धन जमा किया गया	जिला सहकारी बैंक, महोबा
9	,,	,,	,,	एम0 एम0 कालिन्स उप सचिव, डी0 सी0 बी0	..	..	दोनों	..
10	122/74	राठ	,,	रमेश चन्द्र मैनेजर, डी0 सी0 बी0	64,800.00	11-10-75	दोनों	जिला राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक राठ, हमीरपुर ।
11	,,	,,	,,	मोहनलाल गुप्ता, डी0 सी0 बी0				
12	700/68	बारादरी	बरेली	ज्वाला प्रसाद	4,803.75	12-10-75 सी0 एस0 19-12-75	..	साधन सहकारी समिति बिवतचनपुर ।
13	52/69	धौरारा	खीरी	विद्यासागर पाठक	3,595.99	3-10-75 सी0 एस0 11-11-75	..	साधन सहकारी समिति गरगुहा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 238 पर)

जांच के परिणामों का सारांश

विधान सभा के प्रश्न सं0 44 के सम्बन्ध में विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) ने जांच की। जांच में मुख्य बातें निम्नलिखित पाई गयी:—

(1) 2 ट्रक सैम्पुल जमीन में गड़वा देने का आरोप सत्य नहीं है।

(2) नमूनों का भण्डारण ठीक ढंग से किया गया प्रतीत नहीं होता।

(3) 27—7—76 को नमूनों का जो नीलाम किया गया है वह संदिग्ध है। क्योंकि नीलाम किये गये नमूनों की मात्रा नीलाम में प्राप्त धनराशि से अधिक है।

उक्त रिपोर्ट पर उ0 प्र0 राज्य भण्डारागार निगम के अध्यक्ष को लिखा गया कि इस मामले को विभागीय जांच संचालक मण्डल द्वारा कराकर शासन को अवगत कराया जाय। अध्यक्ष की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि विधान सभा प्रश्न में लगाया गया आरोप निराधार है। जहां तक विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा ऊपर इंगित किये, दो अन्य बिन्दुओं का प्रश्न है, इसके लिये नमूनों के एकत्रीकरण का ढंग समझ लेना आवश्यक है। ये नमूने भिन्न भण्डार गृहों में जमा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनाज जब वे भण्डार गृह में जमा कराने के लिये लाये जाते हैं, से लिये जाते हैं और कपड़े की थैलियों में 250 से 500 ग्राम अनाज प्रत्येक थैली के हिसाब से नमूने के लिये रखा जाता है। लिये गये नमूने की एक थैली जमाकर्ता को दी जाती है ताकि भण्डारगृह से सामान लेते समय वह जमा किये गये नमूने से उसका मिलान करके संतुष्ट हो सके एवं कोई विवाद पैदा न हो। प्रत्येक नमूने का एक थैला मुख्य कार्यालय, उ0 प्र0 राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ को अनाज की श्रेणी एवं उसमें वर्तमान आर्द्रता (नमी) निर्धारित करने के लिये भेजा जाता है। भण्डारगृहों से जब जमाकर्ता अपना माल उठा लेते हैं तब इन नमूनों का कोई उपयोग नहीं रहता। लम्बी अवधि तक रखे जाने के कारण यह नमूने मानव उपभोग के योग्य नहीं रह गये थे। अतः पोल्ट्री फीड के लिये इनका सार्वजनिक नीलाम कर दिया गया।

प्रश्नगत नमूनों की कुल मात्रा 31.5 कुन्तल थी जिसमें सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, मकई, जौ, विभिन्न दालें, तिलहन आदि सम्मिलित थे। अतः दिनांक 27—7—76 को इसका सार्वजनिक नीलाम किया गया तथा नीलामों में सम्मिलित पार्टियों में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के नाम नीलामी की स्वीकृति दे दी गयी। संचालक मण्डल द्वारा गठित संचालक मण्डल की उप समिति ने जांच में यह भी स्पष्ट किया है कि नीलाम किये गये माल की दशा को ध्यान में रखते हुये नीलाम में प्राप्त धनराशि उचित है। इस पर भी विचार किया गया कि यदि नमूनों के हर प्रकार के मद की अलग-अलग नीलामी की जाती तो कुछ मदें बिकने से रह जाती। संचालक मण्डल की उप समिति ने यह भी कहा है कि इस कारण समस्त स्टाक सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को बेचा गया है और बेची गयी कीमत में निगम को कोई हानि नहीं हुई। माल की वर्तमान दशा में जो कीमत निगम को प्राप्त हुई है वह उचित भी बतायी गयी है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 250 पर।)

जिला परिषद् कार्यालय के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों का विवरण

क्रमांक	नाम पद	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारियों का कुल प्रतिशत
1	अधिकारी ..	4	1	25
2	लिपिक ..	37	3	8
3	कर निरीक्षक ..	4	1	25
4	कर समाहर्ता ..	11	2	18
5	ओवरसियर व ड्राफ्टमैन	6	निल	निल
6	पौण्डकीपर ..	68	4	6
7	चिकित्सा अधिकारी (सिविल)	7	..	..
8	कम्पाउण्डर (सिविल)	9	1	11
9	कम्पाउण्डर पशु ..	5	..	..
10	वैद्य व हकीम ..	23	..	..
11	वैक्सीनेटर ..	18	1	6
12	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	90	18	20
	योग ..	282	31	11

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पष्ठ 252 पर)

विधान सभा के वर्तमान प्रथम सत्र के 6वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री रामचन्द्र बक्श सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
16 · ·क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् बाराबंकी ने क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 43 (1) द्वारा प्रतिनिहित परिषद् के अधिकारों का अतिक्रमण करके 2 जूनियर इंजीनियरों, जो 200रु0 प्रति माह से अधिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, की सेवायें समाप्त कर दी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, बाराबंकी ने अगस्त, 1975 में जिला परिषद्, बाराबंकी के दो जूनियर इंजीनियरों (अधिदर्शकों) की सेवायें अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप समाप्त कर दी है। इन आदेशों के विरुद्ध संबंधित कर्मचारियों ने आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को अपीलें की हैं।

रामजी लाल सहायक,
मंत्री,
ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज।

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 253 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1976 के 5 वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री ऊदल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या कृषि मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि उप-निदेशक कृषि, वाराणसी सितम्बर, 74 से फरवरी, 75 तक प्रत्यक माह में कितने दिनों कहां-कहां दौरा किए और कितना टी० ए०, डी० ए० लिया तथा कितने लीटर पैट्रोल मोबिल खर्चा हुआ ?	उप निदेशक (कृषि), वाराणसी ने सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक प्रत्यक माह में संलग्न तालिका के अनुसार दौरा किया, टी० ए०, डी० ए० लिया तथा पैट्रोल व मोबिल आयल का खर्चा हुआ
क्या उन्होंने इस दौरे में बड़ाबाग बीज भण्डार, गाजीपुर की भी जांच की, जहां दो लाख से ऊपर का गबन हुआ है ?	उन्होंने उपर्युक्त दौरों में बड़ा बाग बीज भंडार, गाजीपुर की जांच नहीं की

वीरेन्द्र वर्मा
कृषि मंत्री।

संसद टीवी आर्काइव

तालिका

उप निदेशक, (कृषि) वाराणसी द्वारा सितम्बर, 74 से फरवरी, 1975 तक किए गए दौरे का विवरण निम्न प्रकार है ।

माह का नाम	दौरे के दिनों की संख्या	स्थान जहां दौरा किया गया	टी0 ए0 तथा डी0 ए0 की धनराशि	अभ्युक्ति	पेट्रोल की मात्रा	मोबिल की मात्रा
			रु0 पै0			
सितम्बर, 74	16	कल्लीपुर फार्म (वाराणसी), बड़ा बाग फार्म, देवरुली ब्लाक (गाजीपुर) लिकिर, सेखपुर, मनियर ब्लाक (बलिया), गाजीपुर रसरा (बलिया) चिरईगांव (वाराणसी) लखनऊ, गाजी0।	183. 94	टी0 ए0 प्राप्त	206 ली0	9 ली0
अक्तूबर, 74	17	इलाहाबाद, मिर्जापुर, तिसुड़ी फार्म (मिर्जापुर) का0 वि0 पी0 ब्लाक पिन्डरासीड़ स्टोर (वाराणसी) तिलोचन महादेव सीड स्टोर, बक्सा फार्म (जौनपुर), गाजीपुर, जमनियां, हरैया, ताड़ी घाट, अकुशपुर फार्म (गाजीपुर) (गाजीपुर), लखनऊ, रसरा नगरा ब्लाक (बलिया) सैदपुर (गाजीपुर) ।	390. 80	टी0 ए0 प्राप्त	150 ली0	6 ली0
नवम्बर, 74	14	नि0 बाद ब्लाक (वाराणसी) करन्डा, सुवापुर (गाजीपुर) कल्लीपुर फार्म (वाराणसी) चन्दाली, बबरी (बारा0), अकुशपुर फार्म गाजीपुर, बल्थरा रोड (बलिया), ताचापुर फतेउल्लापुर, सैदपुर (गाजीपुर) पूढ़री (मिर्जापुर) लखनपुर (बारा0), जौनपुर, लखनऊ।	300. 35	,,	27 ली0	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माह का नाम	दौरे के दिनों की संख्या	स्थान जहां दौरा किया गया	टी0 ए0 तथा डी0 ए0 की धनराशि	अभ्युक्ति	पेट्रोल की मात्रा	मोबिल की मात्रा
दिसम्बर, 74	17	नन्दगंज (गाजी0), रसरा (बलिया), तिरईगांव ब्लाक, चकिया ब्लाक (वारा0), ग जीपुर, जौन0 मइफार्म रामपुर ब्लाक (जौनपुर), फतेहउल्लापुर (गाजी0), सौहाब जेवरा, बांसडीह (बलिया), लखनऊ।	283.90	,,	129 ली0	1/2 ली0
जनवरी, 75	18	कालिकावारा सीड स्टोर (वारा0), बलिया कृषि विद्यालय राजघाट, हरहुआ, पिडरा ब्लाक, मंगारी (वारा0), जौनपुर करंजाकला हैदरपुर, घरमापुर (जौनपुर), चन्दोली फार्म (वारा0), अहरौरा, रावर्ट्सगंज, मंगारही फार्म (मिर्जापुर), रिसर्च स्टेशन महुआ डीह (वारा0), लखनऊ।	227.37	,,	130 ली0	1 ली0
फरवरी, 75	14	जौनपुर, बरहनी, पमानियां, तिसारा, फार्म, महेवा, रेवतीपुर ब्लाक सैदपुर ब्लाक (गाजी0), रिसर्च स्टेशन, वारा0, मिर्जापुर पेरावल, तिसुही फार्म, पिपराडांड पडरी, चुनार ब्लाक (मिर्जा0), हरहुआ ब्लाक, चोलापुर ब्लाक, रिसर्च स्टेशन सेवापुरी ब्लाक (वारा0), बलिया, लखनऊ।	218.15	,,	127 ली0	1/2 ली0

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 254 पर)

उत्तर प्रदेश भूमि–विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, संयुक्त प्रान्त का गांव आबादी ऐक्ट, 1947, यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 और कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ

1 . (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जून, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा सिवाय अध्याय 6 और 7 के जिन्हें 1 जुलाई, 1976 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 की धारा 117 का संशोधन

2 . उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे यहां आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 117 में––

(i) उपधारा (1) में, शब्द "विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय" के स्थान पर शब्द "ऐसे आदेश में निर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायेंगे;

(ii) उपधारा (6) में, शब्द "प्रख्यापन अथवा किसी विज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "प्रख्यापन, विज्ञप्ति या आदेश" रख दिये जायेंगे ।

धारा 117-क का संशोधन

3 . मूल अधिनियम की धारा 117–क में, उपधारा (2) में, शब्द "विज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति या आदेश" रख दिये जायेंगे ।

धारा 119 का संशोधन

4 . मूल अधिनियम की धारा 119 में, शब्द "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद्" रख दिये जायेंगे ।

धारा 122-ख का संशोधन

5– मूल अधिनियम की धारा 122–ख में . .

(i) उपधारा (4-ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् . .

"(4–ख) यदि इस धारा के अधीन कार्यवाही में जांच के दौरान कारण बताने वाले व्यक्ति न कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे

कलेक्टर को यह प्रतीत हो कि हक सम्बन्धी कोई प्रश्न सद्भावना पूर्वक उठाया गया है तो कलेक्टर आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे आदेश के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में अपने हक के सम्बन्ध में प्रख्यापन वाद दायर करे, और इस बीच अग्रतर कार्यवाही रोक देगा ।";

(ii) उप धारा (4-घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:

" (4-घ) जहां उपधारा (4-ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति पूर्णतः या अंशतः ऐसे वाद में सफल हो जाता है, वहां कलेक्टर तदनुसार या तो इस धारा के अधीन अग्रतर कार्यवाही बन्द कर देगा या जारी रखेगा ।

(4-घघ) जहां उपधारा (4-ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर ऐसे वाद दायर नहीं करता है, या जहां वाद दायर किये जाने पर खारिज कर दिया जाता है वहां कलेक्टर यह निदेश देगा कि

(i) ऐसा व्यक्ति बेदखल कर दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो, और

(ii) यथास्थिति, सम्पत्ति की क्षति या दुर्विनियोजन के लिये या दोषपूर्ण अध्यासन के लिये प्रतिकर की राशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जाय ।"

(iii) उपधारा (4-च) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे, अर्थात्:

"(4-च) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुये भी, जहां किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति के खेतिहर मजदूर के अध्यासन में धारा 117 के अधीन गांव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा 132 में उल्लिखित भूमि न हो) 30 जून, 1975 के पूर्व से हो और भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो तो ऐसे खेतिहर मजदूर के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलेक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और यह समझा जायगा कि एसे खतिहर मजदूर को वह भूमि सीरदार के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है ।

स्पष्टीकरण .-पद 'खेतिहर मजदूर' का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में उसके लिये दिया गया है ।"

(iv) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:

"(5) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 115-ग से 115-ज के नियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1961 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन बनाय गय और सदैव से बनाय गय समझे जायेंगे, मानों यह धारा सभी सारभूत दिनांक पर प्रवृत्त थी और तदनुसार पूर्ववत् बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दी जाय।"

धारा 122-ग का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 122-ग में,—

(i) उपधारा (3) में, स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—(2) पद 'ग्रामीण शिल्पी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परम्परागत औजार, उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है जो कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जायं, और शिल्पी के अन्तर्गत कोई बढ़ई, जुलाहा, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची या कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतया अपनी जीविका या तो स्वयं अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से कोई शिल्प करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चलाता है:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को जिसकी कुल आय (जिसमें उसकी या उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चों की आय भी सम्मिलित है) एक वर्ष में दो हजार चार सौ रुपये से अधिक हो, ग्रामीण शिल्पी नहीं समझा जायगा।"

(ii) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(9) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 115-ठ में, उप नियम (2) सदैव से निकाला गया समझा जायगा।"

नई धारा 123-ख का बढ़ाया जाना

7. मूल अधिनियम की धारा 123-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

गांव सभा की भूमि के अध्यासन के लिये दण्ड

"123-ख. (1) जहां किसी व्यक्ति को गांव सभा में निहित किसी भूमि से इस अधिनियम के अधीन बेदखल कर दिया गया है, और वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो उसके माध्यम से या अन्यथा, दावेदार हो, तत्पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी

भूमि या उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है, वहां ऐसा अध्यासी कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने वाला न्यायालय, उस व्यक्ति को, ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल करन का आदश दे सकता है, और एसा व्यक्ति, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बेदखल कर दिया जायगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर, चाहे उपधारा (1) के अधीन अभियोजन चलाया जाय या नहीं, उस उपधारा में अभिदिष्ट किसी भूमि का कब्जा पुनः ले सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को, जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखल करने के लिए आवश्यक हो ।"

धारा 128 का संशोधन

8.—मूल अधिनियम की धारा 128 में, उपधारा (2) में . .

(i) खण्ड (ख) में, शब्द "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद्" रख दिये जायेंगे;

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्: —

"(ग) प्रतिकर की वसूली या क्षतिपूर्ति सहित भूमि के कब्जा लेने की प्रक्रिया ;"।

नई धारा 134 से 137 का रखा जाना

9.—मूल अधिनियम की धारा 134 से 137-क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्: . .

सीरदारों द्वारा भूमिधरी अधिकार के लिये प्रार्थना-पत्र

"134.—(1) कोई सीरदार, जो धारा 131 के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सीरदार न हो असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र अपने भूमिधरी अधिकार के प्रख्यापन के लिये प्रार्थना-पत्र में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में दे सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र एक या अधिक सह-सीरदारों द्वारा सम्पूर्ण खाता या उसके किसी भाग या उसमें किसी अंश के संबंध में दिया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे खाता, भाग या अंश के लिये मालगुजारी के, जो प्रार्थना-पत्र के दिनांक को देय हो या देय समझी जाय, दस गुना के बराबर राशि नियत रीति से जमा न कर दी गई हो ।

भूमिधरी अधिकारों का प्रख्यापन

135.—(1) यदि असिस्टेंट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि धारा 134 में अभिदिष्ट प्रार्थना-पत्र यथोचित रूप से दिया गया है तो वह, आदेश द्वारा, प्रार्थी को एसे आदेश में विनिर्दिष्ट भमि का भूमिधर प्रख्यापित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश देने के पूर्व, असिस्टेंट कलेक्टर ऐसी जांच कर सकता है, जैसी नियत की जाय।

प्रख्यापन का परिणाम

136.—जहां धारा 135 के अधीन कोई प्रख्यापन यथोचित रूप से किया गया हो, वहां सीरदार प्रख्यापन के दिनांक से प्रख्यापन में विनिर्दिष्ट भूमि का भूमिधर समझा जायगा और उसके वे सब अधिकार होंगे और वे सब दायित्व होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन भूमिधरों को प्रदत्त या आरोपित हों ।

प्रख्यापन का निरसन

137.—(1) धारा 135 के अधीन किये गये प्रख्यापन को, किसी हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर (जिसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है) असिस्टेंट कलेक्टर निम्न-लिखित किसी आधार पर निरसित या परिष्कृत कर सकता है, अर्थात्:—

(क) प्रख्यापन कपटपूर्वक मिथ्या सुझाव प्रस्तुत करके, या मामले से सम्बद्ध कोई सारभूत बात असिस्टेंट कलेक्टर से छिपाकर प्राप्त किया गया था;

(ख) प्रख्यापन किसी ऐसे तथ्य के असत्य अभिकथन द्वारा प्राप्त किया गया था जो विधि की दृष्टि से उसके प्रदान करने के लिये आवश्यक था चाहे ऐसा अभिकथन अज्ञानवश या असाव-धानीवश किया गया हो;

(ग) उस खाते के विषय में जिसके संबंध में प्रख्यापन-पत्र दिया गया था, किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश से यह प्रदर्शित होता हो कि प्रार्थी उसके लिये हकदार नहीं था ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रख्यापन-पत्र को निरसित किया जाय वहां राशि को जमा करने वाला व्यक्ति उसे वापस पाने का हकदार होगा ।"

धारा 138 का संशोधन

10.—मूल अधिनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) में अंक "134" के स्थान पर अंक "136" रख दिया जायगा ।

धारा 154 का प्रति स्थापन

11.—मूल अधिनियम की धारा 154 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:—

"154-(1) उपधारा (2) में जैसी व्यवस्था की गयी है उसके सिवाय, किसी भी भूमिधर को चाय बागान से भिन्न कोई भूमि किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा यदि संक्रामिती ऐसे विक्रय या दान के परिणामस्वरूप प्राप्त और अपने परिवार द्वारा धृत भूमि को, यदि कोई हो, मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक भूमि का हकदार हो जाय।

भूमिधर द्वारा संक्रमण पर प्रति-बन्ध

(2) भौमिक अधिकारों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (1) में नियत सीमा से अधिक संक्रमण को प्राधिकृत कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा संक्रमण किसी रजिस्ट्रीत

सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजन के लिये स्थापित किसी संस्था के, जिसके पास अपनी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है, पक्ष में है या संक्रमण जनसाधारण के हित में है।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'परिवार' का तात्पर्य संक्रामिती, उसकी पत्नी या उसके पति, (जैसी भी दशा हो), से है और इसके अन्तर्गत उसके अवयस्क बच्चे भी होंगे, और यदि संक्रामिती अवयस्क हो तो उसके माता-पिता भी होंगे ।

बिदेशी नागरिक भूमि अर्जित नहीं करेंगे

154-क---(1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय या दान द्वारा किसी भूमि का अर्जन करने का अधिकार नहीं होगा ।

(2) किसी भूमिधर को उपधारा (1) का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को किसी भूमि का संक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा।

(3) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया प्रत्येक संक्रमण शून्य होगा।"

धारा 156 का संशोधन

12---मूल अधिनियम की धारा 156 में, उपधारा (2) में स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा ।

धारा 163 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

13---मूल अधिनियम की धारा 163 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:---

भूमिधर द्वारा शून्य संक्रमण के परिणाम

"163---(1) जहां कोई खाता या उसका भाग धारा 154 या 154-क या धारा 157-क का उल्लंघन करके संक्रमित किया गया हो वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर स्वयं या किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, ऐसे संक्रमण को शून्य घोषित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश संक्रमणकर्ता और संक्रामिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नहीं दिया जायेगा।

(2) जहां किसी खाता या उसके भाग के संक्रमण को उपधारा (1) के अधीन शून्य प्रख्यापित किया गया हो, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :---

(क) संक्रमण के विषय वस्तु को, ऐसे आदेश के दिनांक से समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित समझा जायगा ;

(ख) आदेश के दिनांक पर खाते में विद्यमान वृक्षों, फसलों और कुएं को, उक्त दिनांक से समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित समझा जायगा ;

(ग) संक्रामिती आदेश के दिनांक पर खाते में विद्यमान अन्य चल सम्पत्ति को या किसी अचल सम्पत्ति के सामान को ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, हटा सकता है ।

(3) जहां कोई खाता या उसका भाग या अन्य सम्पत्ति उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी है, और उस पर किसी व्यक्ति का अप्राधिकृत अध्यासन है, वहां कलेक्टर का यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि उस व्यक्ति को वहां से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये वह ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।"

धारा 167 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

14--मूल अधिनियम की धारा 167 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् ---

"167---धारा 163 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट परिणाम प्रत्येक संक्रमण के संबंध में जो धारा 166 के कारण शून्य है, उत्पन्न होंगे, मानों धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक के प्रति निर्देश के स्थान पर ऐसे संक्रमण के दिनांक के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हो।"

धारा 210 का संशोधन

15---मूल अधिनियम की धारा 210 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्:---

"210---यदि धारा 209 के अधीन किसी भूमि से बेदखली के लिये वाद की प्रस्तुति किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के द्वारा, या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिक्री का निष्पादन उसके द्वारा, यथास्थिति, ऐसे वाद की संस्थिति या ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिये उपबंधित अवधि के भीतर न की जाय तो कब्जा कर लेने या रखने वाला व्यक्ति---

(i) जहां भूमि भूमिधर या सीरदार के खाते की भूमि का भाग हो, उस भूमि का सीरदार हो जायगा, और ऐसी भूमि पर, यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे;

(ii) जहां भूमि गांव सभा की ओर से कब्जा रखने वाले किसी आसामी के खाते का भाग हो वहां वह उसका वर्ष प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकार रखने वाला असामी हो जायगा ।"

धारा 211--क का निकाला जाना

16---मूल अधिनियम की धारा 211-क निकाल दी जायगी ।

धारा 230 का संशोधन

17---मूल अधिनियम की धारा 230 में, उपधारा (2) में---

(i) खंड (क) से (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:---

"(क) धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का आकार और उसे देन की प्रक्रिया;

(ख) धारा 134 की उपधारा (3) के अधीन जमा करने की रीति;

(ग) धारा 135 के अधीन जांच और प्रख्यापन की प्रक्रिया ।"

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(ङङ) धारा 163 और 167 के अधीन जांच और प्रख्यापन की प्रक्रिया।"

नई धारा 245, 246 और 247 का रखा जाना

18 —मूल अधिनियम की धारा 245, 246, 247 और 247-क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्: —

भूमि धर और सीरदार द्वारा देय मालगुजारी

245—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक भूमिधर या सीरदार 1 जुलाई, 1976 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए राज्य सरकार को अपने द्वारा धृत भूमि के लिये उपधारा (2) और धारा 246 और धारा 247 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मालगुजारी का देनदार होगा ।

(2) किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि उस धनराशि के बराबर होगी जिसकी गणना उसके खाते में सम्मिलित गाटों पर लागू मौरूसी दरों के दुगुने पर की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गणना की गई मालगुजारी—

(i) किसी असिंचित गाटा के संबंध में पांच रुपये प्रति एकड़ से कम या दस रुपये प्रति एकड़ से अधिक न होगी;

(ii) किसी सिंचित गाटा के संबंध में दस रुपये प्रति एकड़ से कम या बीस रुपये प्रति एकड़ से अधिक न होगी ।

स्पष्टीकरण 1—'गाटा' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसके लिए एक पृथक खसरा संख्या दी गई हो ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद 'सिंचित गाटा' का तात्पर्य ऐसे गाटा से है जिसके क्षेत्रफल के कम से कम आधे भाग में 1379 फसली से 1383 फसली (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के बीच किसी तीन कृषि वर्ष में प्रत्येक में कम से कम एक फसल की सिंचाई किसी स्रोत से की गई हो और पद 'असिंचित गाटा' का तात्पर्य सिंचित गाटों से भिन्न प्रत्येक गाटा से है ।

स्पष्टीकरण 3—शंकाओं के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि प्रत्येक भूमिधर या सीरदार 30 जून, 1976 को समाप्त होन वाली अवधि के लिये अध्याय 10 के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वह इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व था, मालगुजारी का देनदार होगा ।

मालगुजारी क अवधारण की प्रक्रिया

246—(1) धारा 245 के अधीन भूमिधरों और सीरदारों द्वारा देय मालगुजारी का अवधारण करन क प्रयोजनार्थ असिस्टट कलक्टर प्रत्यक गांव क लिये अस्थायी विवरण-पत्र तैयार करायगा ।

(2) अस्थायी विवरण-पत्र ऐसे आकार में प्रकाशित किया जायगा जैसा नियत किया जाय ।

(3) अस्थायी विवरण-पत्र में किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन अस्थायी विवरण-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को आपत्ति कर सकता है ।

(4) परगने का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् आपत्ति पर निर्णय देगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(5) अस्थायी विवरण-पत्र का, यदि आवश्यक हो, उपधारा (4) के अधीन आदेश के अनुसार पुनरीक्षण किया जायगा, और तदुपरान्त उस पर परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा और मुहर लगाई जायेगी और वह अंतिम और निश्चायक हो जायगा ।

(6) परगने का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर उपधारा (5) में अभिदिष्ट विवरण-पत्र में किसी लिपिक या गणित संबंधी भूल या किसी आकस्मिक चूक या लोप से होने वाली किसी त्रुटि को ठीक कर सकता है ।

247. धारा 246 में अभिदिष्ट अंतिम विवरण-पत्र में विनिर्दिष्ट धनराशि, यथास्थिति, भूमिधर या सीदार द्वारा देय मालगुजारी होगी और पूर्ववत् रहेगी जब तक कि उसमें इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार सम्यक रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय ।"

मालगुजारी की दर पूर्ववत् रहेगी जब तक कि उसमें सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय

19. मूल अधिनियम की धारा 249 में, शब्द "उस स्थिति को छोड़कर जिस की स्था धारा 247-क में की गयी है" निकाल दिये जायेंगे । — धारा 249 का संशोधन

20. मूल अधिनियम की धारा 251 निकाल दी जायेगी । — धारा 251 का निकाला जाना

21. मूल अधिनियम की धारा 252 में,— — धारा 252 का संशोधन

(i) उपधारा (1) में, शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिये जायेंगे, और उसका प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायेगा ।

(ii) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी ।

22. मूल अधिनियम की धारा 253 में, शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिया जायगा, और उसका प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायेगा । — धारा 253 का संशोधन

धारा 257 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 257 में, शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिया जायेगा ।

धारा 264 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 264 में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी ।

धारा 267 का निकाला जाना

25—मूल अधिनियम की धारा 267 निकाल दी जायेगी ।

धारा 287-क का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 287-क में, उपधारा (1) में, शब्द "बकाया मालगुजारी को वसूल करने के लिए के पश्चात् शब्द "या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि को वसूल करने के लिये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 294 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 294 में, उपधारा (2) में—

(i) खंड (कक) निकाल दिया जायेगा;

(ii) खंड (ग) निकाल दिया जायेगा ।

अनुसूची 2 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में—

(क) क्रम-संख्या 7 में, स्तम्भ संख्या—2 में, अंक और अक्षर "137-क" के स्थान पर अंक "137" रखा जायेगा;

(ख) क्रम-संख्या 14 के सामने स्तम्भ-3 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"किसी संक्रमण को शून्य प्रख्यापित करने के लिए प्रार्थना-पत्र ।"

(ग) क्रम-संख्या 40 और 41 की वर्तमान प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी ।

संक्रमण कालीन-उपबन्ध

29—इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 134 से 137-क में से, जैसा वह इस अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व थी, किसी धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही इस अध्याय द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी और तदनुसार निरतारित की जायगी ।

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1953 में नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

30—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"4-क (1) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में जिसके संबंध में धारा 52 क अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहां वह गजट

में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा में अभिदिष्ट वि ज्ञप्ति के दिनांक से दस वर्ष के भीतर कोई ऐसा प्रख्यापन जारी नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति पर इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 4 के अधीन किसी विज्ञप्ति पर लागू होते हैं ।"

धारा 5 का संशोधन

31. मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (2) में, उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा और सदैव से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण. उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन कोई कार्यवाही या उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 134 से 137 के अधीन निर्विरोध कार्यवाही को किसी भूमि में अधिकार या स्वत्व की घोषणा के संबंध में कार्यवाही नहीं समझा जायेगा ।"

धारा 52 का संशोधन

32. मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(3) जहां धारा 23 के अधीन चकबन्दी योजना के अंतिम हो जाने के पूर्व किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा का निरसन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 की उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा किया जाता है और वह आदेश अंतिम हो जाता है वहां इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आदेश को निम्नलिखित रीति से ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो नियत किये जायें, कार्यान्वित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये चकबन्दी क्रिया को समाप्त नहीं समझा जायेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसे प्रदेशन या पट्टे की विषयगत भूमि के मूल्यांकन को नियत रीति से पहले सुनिश्चित किया जायेगा;

(ख) चकबन्दी कार्यवाही में सम्बद्ध खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खंड (क) में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जायगा;

(ग) चकबन्दी कार्यवाही के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार होगा ।"

धारा 54 का संशोधन

33—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(गग) चकबन्दी क्षेत्र में जोत के संक्रमण के लिये धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देन क लिय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें ।"

अध्याय 4

संयुक्त प्रांत का गांव आबादी ऐक्ट, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रांत का ऐक्ट संख्या 3, 1948 की धारा 1 का संशोधन

34—संयुक्त प्रांत का गांव आबादी ऐक्ट, 1947 को, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।"

धारा 2 का संशोधन

35—मूल अधिनियम की धारा 2 में—

(क) खंड (1) में शब्द "कृषि संबंधी गांव" के स्थान पर शब्द "गांव" रख दिया जायगा;

(ख) खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(4) 'गांव' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, चाहे एकत्र हो या नहीं, जो सम्बद्ध जिले के माल अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो और इसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 3 के खंड (25) के अधीन किसी गांव के रूप में प्रख्यापित क्षेत्र भी सम्मिलित है।"

धारा 4 का संशोधन

36—मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(i) शब्द "कृषि संबंधी गांव" के स्थान पर शब्द "गांव" रख दिया जायगा;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(ग) अपने मकान का चाहे वह कच्चा या पक्का या दोनों हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए पुनर्निर्माण या नवीकरण करें।"

अध्याय 5

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1901 की धारा 33 का संशोधन

37—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 33 में—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(4) उपधारा (1) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलेक्टर उसकी तैयारी के उपरान्त यथाशक्य-शीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हो, जोत बही (पास बुक) तैयार करायेगा और ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क के, जो मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा, भुगतान पर उसे दिलवायेगा जिसमें उसकी उन सभी जोतों के विषय में जिनके संबंध में वह (अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त

रूप से) उस प्रकार अभिलिखित है, वार्षिक रजिस्टर से लिये गये ऐसे उद्धरण होंगे जिन्हें नियत किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त खातों की स्थिति में इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि जोत बही (पास बुक) अभिलिखित सह अंशधारियों में से केवल ऐसे एक या एकाधिक को, जो नियत किया जाय, दी जाय।

स्पष्टीकरण:– जोतबही (पास बुक) खातेदार की, भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि के संबंध में समस्त जोतों के लिये संहत पास बुक होगी ।"

(ख) उपधारा (5) और (6) में जहां कहीं भी शब्द 'जोतबही' आया हो, उसके स्थान पर शब्द 'जोतबही (पास बुक)' रख दिये जायेंगे।

धारा 183 का प्रतिस्थापन

38. मूल अधिनियम की धारा 183 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी: ..

"183 ...(1) जब कभी किसी बकाया मालगुजारी को वसूल करने के लिये या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि को वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाही की जाये तो वह ऐसी कार्यवाही करने वाले अधिकारी को अभ्यर्थित धनराशि का अभ्यापत्ति के साथ भुगतान कर सकता है, और ऐसा भुगतान किये जाने पर कार्यवाही स्थगित कर दी जायगी और ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की गई हो, इस प्रकार दत्त धनराशि के लिय राज्य सरकार के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है, और एसे वाद में वादी, धारा 145 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी धनराशि क, यदि कोई हो, जिसे वह देय मानता है, संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है ।

अभ्यापत्ति के साथ भुगतान और वसूली के लिए वाद

(2) इस धारा के अधीन किसी अभ्यापत्ति से कोई व्यक्ति किसी सिविल न्यायालय में तब तक वाद नहीं ला सकेगा जब तक कि अभ्यापत्ति, जो लिखित रूप में और ऐसे व्यक्ति अथवा उनकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित हो, भुगतान करते समय न की जाय।"

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1972 की धारा 2 का संशोधन

39. उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (कक) निकाल दिया जायगा ।

धारा 5 का संसोधन

40. मूल अधिनियम की धारा 5 में ..

(i) उपधारा (4) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्: ...

"(क) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि में से अस्सी लाख रुपयों की धनराशि उत्तर प्रदेश जल

निगम को गांवों में पेय जल की योजनाओं को तैयार, निष्पादित, प्रोन्नत, प्रवर्तित और अनुरक्षित करने के लिये देगी और शेष धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 99 क अधीन स्थापित जिला निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें;";

(ii) उप धारा (6) में, खंड (ख) में, शब्द "ऐसी पेय जल योजनाओं, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों", निकाल दिये जायेंगे ।

अनुसूची का प्रतिस्थापन

41- मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात्:--

अनुसूची

(धारा 5 देखिये)

"भूमि विकास कर नीचे विनिर्दिष्ट दर से देय होगा: ..

क ..किसी भूमिधर, सीरदार या सरकारी पट्टेदारी की स्थिति में ...	
(i) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125) एकड़ से अधिक न हो ।	कुछ नहीं ।
(ii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक न हो ।	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के एक-तिहाई के बराबर धनराशि ।
(iii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो ।	उसके द्वारा या उसक परिवार क सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के आधे के बराबर धनराशि ।
(iv) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो ।	उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के बराबर धनराशि ।
ख- किसी मध्यवर्ती की स्थिति में	उसके द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के बराबर धनराशि ।

स्पष्टीकरण:— इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' के अन्तर्गत व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चे हैं, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं ।"

अध्याय 7

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी–विनाश तथा भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1960 की धारा 47 का संशोधन

42 . कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा 47 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्: . .

"प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अधिनियम की धारा 245, ऐसे क्षेत्र के संबंध में, निम्नलिखित परिष्कारों के साथ लागू होगी: . .

(1) उन क्षेत्रों में, जहां यह अधिनियम लागू होता है, डेढ़ एकड़ भूमि की गणना एक एकड़ की जायगी;

(2) उस जिले में, जहां कोई मौरूसी दर नहीं है "मौरूसी दर" के प्रति निर्देश का अर्थ "गांव मालगुजारी दर" के प्रति निर्देश से लगाया जायगा;

(3) किसी ऐसे जिले के संबंध में, जिसमें अधिकतम मौरूसी दर या गांव मालगुजारी दर एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक न हो, उक्त धारा 245 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (i) में शब्द 'पांच रुपये' और 'दस रुपये' के स्थान पर क्रमश: शब्द 'तीन रुपये' और 'पांच रुपये' रख दिये जायेंगे और उसके खंड (ii) में शब्द 'दस रुपये' और 'बीस रुपये' के स्थान पर क्रमश: शब्द 'छ: रुपये' और 'दस रुपये' रख दिये जायेंगे।"

अध्याय 8

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17, 1976

निरसन और अपवाद

43 . (1) उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही उसी प्रकार समझी जायगी, मानों यह अधिनियम, सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

उद्देश्य और कारण

गांव सभा भूमि के अप्राधिकृत कब्जा की समस्या बड़ी विकट है । इस बुराई को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 को संशोधित करने का निश्चय किया गया है जिससे यह व्यवस्था की जा सके कि किसी गांव सभा की भूमि से बेदखली के लिए किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी । यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी गांव सभा की भूमि पर किसी अवैध कब्जे से किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

2 · भूमिधरी अधिकार अर्जित करने की कार्यवाही में भूमिधरी सनद सदैव उसी दिन नहीं दी जाती है जिस दिन धनराशि जमा की जाय और उससे अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं । अतएव, यह व्यवस्था की गई है कि मालगुजारी के दस गुने के बराबर धनराशि जमा करने वाला सीरदार, स्वयमेव, आदेश के दिनांक से भूमिधर हो जायगा । भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के लिए किसी सीरदार द्वारा देय धनराशि को देय मालगुजारी के बीस गुना से संशोधित करके देय मालगुजारी का दस गुना किया जा रहा है ।

3 · उक्त अधिनियम की धारा 153 और 154 में भूमि के संक्रमण पर कतिपय निर्बन्धन की व्यवस्था है । इस बात के उदाहरण मिले हैं कि इस पाबन्दी के होते हुए भी, भूमिधर और सीरदार अपनी भूमि का पूर्ववत् संक्रमण कर रहे हैं । अतएव, यह व्यवस्था की जा रही है कि उक्त उपबन्धों के उल्लंघनोपरान्त संक्रमण के मामले में ऐसी भूमि जो संक्रमण की विषय वस्तु है राज्य सरकार में निहित समझी जायेगी ।

4—यह भी आवश्यक समझा गया है कि विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा भूमि अर्जन पर निर्बन्ध लगाया जाय । नयी धारा 154-क को बढ़ाकर यह प्रस्ताव किया गया है कि कोई भी विदेशी राष्ट्रिक राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय या दान द्वारा भूमि अर्जित नहीं करेगा ।

5 · अग्रसर खातेदारों को अपने लिए कृषि उपकरण, उन्नत बीज और उर्वरक, लघु सिंचाई कार्यों आदि के वित्तीय और सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकार से भी ऋण लेना होता है । किसी खातेदार को ऋण दिये जा सकने की क्षमता उसके द्वारा राज्य को देय मालगुजारी के आधार पर अवधारित की जाती है । इस समय चूंकि मालगजारी की दरें बहुत कम हैं इसलिये उन्हें अनुमन्य ऋण की धनराशि उनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती है । अतः स्वयं खातेदारों के हित में यह आवश्यक है कि उन्हें अनुमन्य ऋण की सीमा में वृद्धि की जाय । उनकी प्रस्थिति को अवधारित करने के प्रयोजनार्थ देय मालगुजारी पर लागू गुणक में वृद्धि करने के संबंध में पहले जो प्रयास किये गये थे उनके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं । उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने और मालगुजारी की दरों का भी अभिनवीकरण करने के दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि मालगुजारी को और बढ़ाया जाय जिससे कि खातेदार अपेक्षाकृत अधिक ऋण ले सके । इस अवसर का लाभ मालगुजारी की दरों में असंगति को कम करने के लिए भी उठाया जा रहा है जो ऐसी रीति पर आधारित है जिसके अनुसार खातेदारों के अधिकार अर्जित किये थे । इस समय मालगुजारी का भार उन छोटे खातेदारों पर अपेक्षाकृत अधिक है जिन्हें गांव सभा की भूमि स्वीकृत मौरूसी दर दुगने पर अकलित मालगुजारी पर दी गई है जबकि अनेक बड़े खातेदारों के पास, जो मध्यवर्ती थे, अभी भी ऐसी भूमि पिछले बन्दोबस्त में अवधारित स्वीकृत मौरूसी दर के 40 प्रतिशत के बराबर धनराशि पर है । एक ही प्रकार की भूमि के लिये दरों में इस असंगति का अनुपात 5:1 तक है । लगान की दरें काफी अरसा पूर्व बन्दोबस्त में निश्चित की गयी थीं और वे अब व्यवहारिक नहीं रह गयी हैं । उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था

अधिनियम, 1950 की धारा 245 से 247 को संशोधित करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी खातेदार भूमिधर तथा सीरदार समान दरों पर मालगुजारी देंगे जो इस बात पर निर्भर करते हुए कि भूमि सिंचित है या नहीं, प्रति एकड़ 5 रुपया से लेकर 20 रुपये प्रति एकड़ तक होगी।

6. उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 में नयी धारा 4-क राज्य सरकार को फिर से चकबन्दी क्रिया करने का, यदि वह लोक हित में समीचीन हो निदेश देने के लिये शक्ति प्रदान करने हेतु बढ़ायी जा रही है।

7.—संयुक्त प्रांत का गांव आबादी ऐक्ट, सन् 1947 ई० के उपबंधों को इस बात की व्यवस्था करने की दृष्टि से संशोधित किया जा रहा है कि उन क्षेत्रों के जिन में उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 9 लागू ही होती है, मकान मालिकों को भी अपने मकानों के पुनर्निर्माण अथवा नवीकरण का अधिकार होगा।

8. इस बात की व्यवस्था करने के लिये कि जो रहें इस निमित्त और सरकारी एस्टेटदारों को भी उपलब्ध की जायेगी, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में भी कुछ संशोधन किये जा रहे हैं।

9. यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने की योजनाओं को चलाने के लिये जिला परिषद् वित्तीय रूप से सुख-सम्पन्न नहीं हैं। अतएव, यह प्रस्ताव है कि यह कार्य जल निगम को दे देना चाहिये और इसके लिये जल निगम को भूमि विकास कर की निधि में से प्रति वर्ष 80 लाख रु० की राशि निर्धारित की जाय।

10.—कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम-1960 का संशोधन ऐसी व्यवस्था करने के लिए किया जा रहा है कि जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की समय-समय पर यथासंशोधित धारा 245 से 247 तक पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लागू समझी जायगी। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि मालगुजारी के निर्धारण के प्रयोजन के लिए क्षेत्रफल की संगणना करने में पर्वतीय क्षेत्रों में डेढ़ एकड़ की गणना एक एकड़ की जायगी जैसा कि उन मैदानी क्षेत्रों में किया गया है जहां पर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 337 लागू होती है। पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय ऐसे जिलों में जहां मालगुजारी की अधिकतम वर्तमान दर 1 रु० प्रति एकड़ है, कुछ और अनुतोष दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसे जिलों के लिये मालगुजारी की दरें घटाकर 3 रु० और 10 रु० प्रति एकड़ की जा रही है।

11. चूंकि विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं थे, अतएव 15 जून, 1976 को उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया गया था।

12. तदनुसार उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पुरःस्थापित किया जा रहा है।

स्वामी प्रसाद सिंह,

राजस्व मंत्री।

नत्थी "ज"

(देखिये पीछे पृष्ठ 254 पर)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम 17, 1976 की धारा 1 का संशोधन

2 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 1 में, उपधारा (4) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(ख) उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के अधिकारी या सेवक;"

धारा 2 का संशोधन

3 मूल अधिनियम की धारा 2 में, —

(एक) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(कक) "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी सम्मिलित है;"

(दो) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ख)" 'लोक-सेवक' का तात्पर्य प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित की सेवा में या उसका वेतन भोगी हो—

(एक) राज्य सरकार; या

(दो) स्थानीय प्राधिकारी जो छावनी बोर्ड न हो; या

(तीन) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई अन्य निगम (जिसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई ऐसी कम्पनी भी है जिसमें राज्य-सरकार समादत्त अंशपूंजी का पचास प्रतिशत से अन्यून धारण करती है किन्तु कोई अन्य कम्पनी अपवर्जित होगी)"

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में —

(i) उपधारा (1) में खंड (क) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु जहां किसी निर्देश की विषय-वस्तु के संबंध में, सक्षम न्यायालय ने पहले ही डिक्री या आदेश पारित कर दिया है या समादेश (रिट) जारी कर दिया है या निदेश दे दिया है और ऐसी डिक्री, आदेश, समादे । या निदेश अंतिम हो गया है, वहां पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होगा";

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्–

"(5-क) अधिकरण किसी निर्देश से संबंधित किसी कार्यवाही पर या कार्यवाही में कोई अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) तब तक नहीं देगा, जब तक कि:

(क) ऐसे निर्देश की और अन्तरिम आदेश के लिये आवेदन की प्रतिलिपियां ऐसे अन्तरिम आदेश के लिए दलील के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ, उस पक्षकार को न दे दी जायं, जि के विरुद्ध ऐसी याचिका प्रस्तुत की जाती है ; और

(ख) ऐसे पक्षकार को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कम से कम चौदह दिन का समय न दे दिया जाय और उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु अधिकरण खंड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकता है और यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रार्थी को किसी हानि का, जिसकी क्षतिपूर्ति धन द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती है, निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो कारण का अभिलेख करते हुए अपवाद स्वरूप अन्तरिम आदेश दे सकता है; किन्तु कोई ऐसा अन्तरिम आदेश, यदि उसे पहले अभिशून्यन कर दिया जाय, उस दिनांक से, जब वह दिया जाय, चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायगा, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो और अधिकरण न उस आदेश के प्रवर्तन को जारी न रखा हो ।

(5-ख) पूर्ववर्ती उप धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण का किसी लोक-सेवक निलम्बन, पदच्युति, हटाने, पदावनति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति या प्रत्यावर्तन के लिये सेवायोजन द्वारा दिये गये या दिये जाने के लिये तात्पर्यित आदेश के संबंध में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) देने की शक्ति नहीं होगी और ऐसे विषयों के संबंध में प्रत्येक अन्तरिम आदश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) जिसे अधिकरण ने उस उपधारा के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दिया था और जो उस दिनांक को प्रवृत्त था, अभिशून्य हो जायगा ।"

अपवाद और संक्रमणकालीन उपबन्ध

5. (1) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के किसी सेवक के द्वारा या विरुद्ध मूल अधिनियम के अधीन कोई निर्देश अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो, वहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिकरण उसकी सुनवाई करेगा और उस पर विनिश्चय देगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 139 के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र दाखिल किया है, वहां ऐसे शपथ-पत्र को विधिमान्यता शपथ-ग्रहीत समझा जायगा और उस पर अधिकरण द्वारा उस रूप में कार्यवाही की जा सकती है ।

विधान सभा सचिवालय

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के प्रवर्तन के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तरिम आदेश देने के विषय में अधिकरण की शक्तियों को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाय । लोक-हित में यह अपेक्षित है कि ऐसी शक्तियां कतिपय प्रकार के आदेशों के संबंध में लागू न हों । जिस आदेश को चुनौती दी जाती है यदि यह अन्ततोगत्वा शून्य पाया जाता है तो लोक-सवक को ऐसे मामलों में प्रतिकर के रूप में पर्याप्त धन मिल सकता है । यह भी व्यवस्था की जा रही है कि संबंधित विरोध पक्ष को अवसर दिये बिना साधारणतया एकपक्षीय कोई अन्तरिम आदेश नहीं दिया जाना चाहिये । अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामले अधिकरण के समक्ष फिर से न उठाये जायें । अधिकरण के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिये कतिपय अन्य संशोधन करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया जा रहा है ।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० · ए० पी० 94 वि० सभा · · (3530)— · 1976— · 840 · (मैग०) ।